

# सफ़रे हजा

## सफ़रे हजा की मुर्मिकलात और उनका मुर्मिकन हल

क्यू. एस. खान

(B.E. Mech)

अल-क़लम पब्लिकेशन्स  
**AL-QALAM Publications**



244 गली गढ़इया, जामा मस्जिद, बाज़ार मटिया महल, देहली 110006

Phone: 011-2324, 2326 1481, Fax : 2324 1481 (On Demand)  
E-mail: alqalam\_publications@hotmail.com

## No Copyright

इस किताब का कॉपीराइट क्यु. एस. खान के पास है। लेकिन इस बात की आम इजाज़त है कि इस किताब का किसी भी ज़बान में तर्जुमा किया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि इस की असल तहरीर में कोई तबदीली ना की जाए। किताब फरोख्त करने या मुफ्त तक्सीम करने के मक्सद से छपवाने की भी आम इजाज़त है। हम इस के बदले में किसी माली मुआविज़ा या रायलटी नहीं चाहते इसलिए इस का कोई कॉपी-राइट नहीं रखा गया है। बेहतरीन क्वालीटी की छपाई के लिए आप हम से इस किताब की असल टाइप की गई सॉफ्ट कॉपी हासिल कर सकते हैं। किताब की छपी हुई कॉपियाँ हमें अपने रिकार्ड के लिए ज़रूर भेजें।

किताब का नाम: सफ़रे हज़ की मुरिकलात और उनका मुरिकन हल

ISBN NO. 978-93-80778-06-8

लेखक व प्रकाशक:

क्यू. एस. खान  
(B.E. Mech)

प्रकाशक

**तन्वीर पब्लिकेशन्स**

हायड्रो इलेक्ट्रिक मशीनरी प्रिमाइसेस, ए-13, राम-रहीम उद्योग नगर, बस स्टॉप लेन,  
एल.बी.एस. मार्ग, सोनापूर, भांडुप (पश्चिम), मुंबई 400078

फोन: 022-2564 5930 / 25964075, मोबाइल: 9892064026, 8108000222

फैक्स: 0091-22-25961682, ई-मेल: hydelect@vsnl.com, hydelect@mtnl.net.in

दसवा एडिशन - 2014

कीमत: 50/- रुपये

लेखक की बहुत सारी पुस्तकें इंटरनेट पर पढ़ने तथा डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट्स पर मुफ्त उपलब्ध हैं

[www.freeeducation.co.in](http://www.freeeducation.co.in) और [www.tanveerpublication.com](http://www.tanveerpublication.com)

**मुम्बई में हमारी तमाम किताबें मिलने का पता**

Firdos Kitab Ghar,

179 Vazeer Building, Opp. Shalimar Hotel, Bhendi Bazar, Mumbai - 400003,  
Ph: 9892184258 (Maulana Anees Quasmi)

# सफरे हज की गुरिकलात और उनका गुरिकन हल

## फैहरिस्त

नं.	उन्वान	पेज नं.	नं.	उन्वान	पेज नं.
१.	पेश लफज / मुकदमा.....	४	२५.	उम्रह कैसे करें .....	५०
२.	हज के दौरान मिलने वाले शनाख़ती कार्ड और उनकी अहमियत .....	५	२६.	अय्यामे हज के ६ खास दिन .....	५४
३.	सामाने सफर .....	८	२७.	हरम शरीफ, मिना, मुज्जुल्फा और अरफात का करीबी नक्शा .....	५५
४.	हज के दौरान रास्ता भूलने और खोजाने का मसला. ....	१२	२८.	हज कैसे करें? .....	५६
५.	हज के खास दिनों में सवारी का मसला .....	१४	२९.	हज्जे बदल .....	६१
६.	सफरे हज में नमाज़ का बयान .....	१७	३०.	मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी मुकामात .....	६३
७.	मसलक का मस्ला .....	२०	३१.	रौज़ा-ए-मुबारक की तफ़सील .....	६४
८.	जम्रात और जान का ख़तरा .....	२२	३२.	हुजरा-ए-आइशा और रियाजुल जन्नत की तफ़सील .....	६६
९.	एहराम का बयान .....	२४	३३.	जन्नुल बकी का नायाब नक्शा .....	६७
१०.	हरम शरीफ और मिना के क्याम में पर्दे का मसला .....	२७	३४.	मदीना मुनव्वरा का सफर .....	६८
११.	हालते एहराम में मम्तू काम और उनका कफ़ारा ...	२८	३५.	रौज़ा-ए-नबवी का नक्शा (आउट लाइन) .....	७०
१२.	औरतों का एहराम .....	३०	३६.	दरबारे रिसालत की पहली हाज़िरी .....	७१
१३.	हैज़ व निफ़ास के मसाइल .....	३१	३७.	नबी-ए-करीम (स.) का ईसार और हमारी ज़िम्मेदारियाँ .....	७३
१४.	हरम और मीक़ात का बयान .....	३३	३८.	हज से मुतअल्लिक चंद मशहूर ग़लतियाँ .....	७५
१५.	कुर्बानी में धोका .....	३४	३९.	हज का सफर किस के ज़रिए करें? .....	७७
१६.	तारीखे मक्का मुकर्मा और काबा शरीफ .....	३५	४०.	सन १८६८ ई. का एक समंदरी सफरे हज .....	७८
१७.	मक्का मुकर्मा के तारीख़ी मकामात .....	३६	४१.	हज और उमराह की बरकतें .....	८०
१८.	हज क्या है? .....	३७	४२.	सफरे हज में पढ़ी जाने वाली मस्नून दुआएँ .....	८१
१९.	नबी-ए-करीम (स.) का हज .....	४०	४३.	अरफ़ात में मांगने वाली दुआएँ .....	८४
२०.	तवाफ़ का बयान .....	४३	४४.	हज की तालीम कहाँ से हासिल करें? .....	८५
२१.	अरकाने उम्रह और हज का बयान .....	४५	४५.	मुसन्निफ की चन्द अहम किताबों का तआरफ ...	८६
२२.	सफरे हज का आगाज़ .....	४६	४६.	आखरी लफज़ .....	८८
२३.	हवाई सफर और मक्का मुकर्मा में आमद .....	४८			
२४.	मस्जिदे हरम, ख़ाना-ए-काबा और मुताफ़ की तफ़सील .....	४८			

# पेश लफूज़

सफर ख्वाह कोई भी हो तकलीफ और मशक्कत का सबब है। इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने लिखा है के हज के सफर में आदमी जो कुछ ख़र्च करे इस को निहायत खुशदिली से करे और जो नुक़सान जानी या माली पहुँचे इस को बर्दाश्त करे यह इस के हज के कबूल होने की अलामत है। हज के रास्ते में तकलीफ उठाने के बराबर है इस लिए जो मशक्कत उठाएगा या नुक़सान बर्दाश्त करेगा अल्लाह के क़रीब इस का बड़ा अज़र है, वह ज़ाया नहीं होगा।

हदीस में आया है .....

हुजूर (स.) ने हजरत आईशा (रज़ी) से फर्माया “ऐ आईशा (रज़ी) तेरे हज का अज़र तेरी मशक्कत के मुताबिक होगा”

फरीज़ा-ए-हज अदा करने में जिसे जितनी तकलीफ होती है उसे उतना ही सवाब मिलता है। इसी लिए लोग हज की हर मुश्किल को ख़न्दा पेशानी के साथ खुशी से बर्दाश्त करते हैं और उफ तक नहीं करते। और न ही किसी से अपनी तकलीफ का ज़िक्र करते हैं। लोग हज की तकलीफें किसी से इस लिए भी बयान नहीं करते के कम हिम्मत के लोग हज करने से ध्वनि न लगें।

हज से पहले मैं ने हज की जो तर्बियती तालीम हासिल की उसमें तमाम उल्माएं किराम ने सिर्फ इसी बात पर ज़ोर दिया कि फरीज़ा-ए-हज किस तरह अदा किया जाए, किसी ने यह न बताया के वहाँ के ४० दिन के क्याम में जो तकलीफें पेश आएँगी उन से कैसे निपटा जाए? मैंने हज के उन ४० दिनों में महसूस किया कि बहुत सारी परेशानियाँ सिर्फ हमारे अनजान होने की वजह से होती हैं, इस से हमारा बहुत सारा कीमती वक्त जो की इबादत में गुज़ारा जा सकता था, ज़ाया हो जाता है। इस लिए मैं ने ये किताब लिखने की जसारत की। इस किताब के ज़रिये से मैं हाज़ी साहेबान को आने वाली मुश्किलों से आगाह करने और उनके मुन्हिक्न हल के बारे में ज़रूरी मालूमात, हिदायत और मश्वरा देना चाहता हूँ।

उम्मीद है कि हाज़ी साहेबान इन मश्वरों पर अमल करें, तो बहुत सी परेशानियों से बच कर अपना सारा वक्त और अपनी सारी कुव्वत सिर्फ खुदा की इबादत में गुज़ारेंगे।

अगर आप इस किताब से फैज़्याब हों, तो अपनी दुआओं में इस गुनाहगार क़म्लदीन ख़ान को ज़खर याद रखें। यह किताब महज़ दौराने हज पेश आने वाली मुश्किलात से महफूज़

रहने के लिए ज़ाब्ताए तहरीर में लाई गई है। गो कि इस में चन्द दुआएँ और नक़शाजात भी शामिल किये गए हैं मगर मनासिके हज के मुकम्मल मालूमात के लिए मुख़तलिफ इदारों की जानिब से जो मजालिस मुन्अकद की जाती हैं उन में शरीक होकर ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर लें, ताकि आप ख़ूब बेहतर तरीके पर हज जैसी मोहतिम-बिश्शान इबादत का हक अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल-इज़ज़त से दुआ हैं कि आप को हज मक़बूल व मबूर की सआदत नसीब फरमाए। आमीन!!.

वस्तुताम

फ़क़त तालिबे दुआ

क्यु. एस. ख़ान

ΔΔΔΔΔ

## मुकदमा

ज़ेर नज़र किताब हमारे मोहतरम दोस्त अल्हाज कमरुदीन साहब ने (बेहतरीन इंसान वो है जो दुसरों के काम आए) के मक़ौला पर अमल करते हुए अपने हज के तजुर्बात से हजाजे किराम को आगाह करने के तहरीर की है उम्मीद है कि हुजाजे किराम इस से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने औकात को ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोहद व इबादत में सर्फ करेंगे। यह किताब आँमोहतरम के तजुर्बात की ही नहीं बल्कि इनके सोज़ व गदाज़ कौम व मिल्लत की दिली हमदर्दी की आईनावार है साथ साथ मौसूफ के ज़ोर कलम का एतराफ़ भी करवाती है। किताब के बावजुद आँजनाब के तस्नीफ़ी मैदान में नौआमोज़ी के हर जगह कहीं न कहीं मश्क मुसन्निफ़ की झलक दिखाती है। अल्फ़ाज़ का हुस्न, जुस्तों की बेहतरीन तरतीब दिल को मोह लेती है। अल्लाह करे ज़ेरे क़लम और ज़्यादा।

रब्बुलआलमीन से दुआ ये है कि इस किताब को मुसन्निफ़ के लिए ज़खीरा-ए-आखिरत बनाए और आम मुसलमानों को इस से ख़ूब मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए।

“इं दुआ अज़ मने व अज़ जुमला जहाँ आमीन बाद”

नाचीज़ फसीहउद्दीन

खादिम दास्तउल्लम हुसैनिया, सोनापूर, भांडुप.

# हज के दौरान मिलने वाले शिनाख़ती कार्ड (I-CARD) और उन की अहमियत

हज का फार्म भरने से लेकर आख़ीर तक अलग अलग मर्हलों में आप को मुख़्तलिफ़ शिनाख़ती कार्ड (I-Card) और हाथ में पहनने के कड़े और दस्तऐवज बैगैरह दिये जाते हैं, जिनको बहुत अहमियत है। अक्सर हाजी साहेबान लापरवाही से इहें गुम करके बहुत परेशानी उठाते हैं, इस मजमुन में इन का बयान किया जा रहा है ताकि आप इन की अहमियत अच्छी तरह समझ लें, इन की हिफ़ाज़त करें और सही ढंग से इस्तेमाल करें।

## हज कमेटी की तरफ से इलाअती रवत और कवर नंबर (Intimation Letter & Cover No.):

हज का फार्म हज कमेटी में जमा करने के बाद आप को एक नंबर दिया जाएगा। जिसे कवर नंबर (cover number) कहते हैं। यह नंबर आपके लिए बहुत अहम है। आप का कोई भी फॉर्म और कागजी कारवाई इस नंबर के बैगैर मुक्कमल नहीं होगी। इसलिए इस नंबर को अच्छी तरह याद रखें। अगर आपका नाम कुरआ अंदाजी में आ गया तो हज के सफर के लिए हवाई टिकट, शिनाख़ती कार्ड और कड़ा बैगैरह इसी कवर नंबर के जरिए (Reference) आपको मिलेगा।

अगर किसी वजह से आपका नाम कुरआ अंदाजी में नहीं आता है तो फिर भी इस नंबर को याद रखें। और अगले साल हज के फॉर्म में इस पुराने नंबर को भी इस के सही जगह पर लिखें। अगर किसी वजह से तीन साल तक आपका नाम कुरआ अंदाजी में न आया तो चौथे साल पीछले तीन साल के कवर नंबर की बुनीयाद पर बैगैर कुरआ अंदाजी के आपका हज का फॉर्म कबुल हो जाएगा। इसलिए इस कवर नंबर को जब तक आपका हज मुक्कमल न हो जाए बहुत ऐडेटियाद से याद रखें।

## पासपोर्ट की अहमियत:

2008 तक हज कमेटी वाले सफरे हज के लिए एक स्पेशल पासपोर्ट बनाते थे। मगर 2009 से सजदी हुक्मत ने “इंटरनेशनल” पासपोर्ट को लाज़ीमी करार दिया है, इस लिए अगर आप का हज का इरादा है, तो फैसल पासपोर्ट बनवाने की कारवाई शुरू कर दीजिए। मक्का पहुँचने के बाद यह पासपोर्ट आप से आप का मुअल्लिम ले लेगा और वापसी के वक्त एयरपोर्ट पर वापस करेगा।

## हवाई टिकट:

हज कमेटी से पासपोर्ट के साथ आप को आने और जाने दोनों का हवाई टिकट (बोर्डिंग पास) मिलेगा, जिसे दिखा कर ही आप हवाई जहाज में सवार हो सकेंगे, इस लिए हवाई टिकट को वापसी के सफर तक इन्तेहाई हिफ़ाज़त के साथ रखें, और पासपोर्ट से अलग रखें और मुअल्लिम को सिर्फ़ पासपोर्ट दें, टिकट न दें।

## शिनाख़ती कार्ड(I-Card):

हज कमेटी से आप को आपका फोटो लगा हुआ एक शिनाख़ती कार्ड (I-Card) मिलेगा। ये काफी बड़ा और प्लास्टिक के कवर में और गले में पहनने के लिए होता है। इसे आप हमेशा अपने साथ रखें और जो दूसरे कार्ड आपको मक्का में मिलेंगे उन्हें भी इस में पीछे की तरफ रख लें। या दूसरी जगह हिफ़ाज़त से रख लें। (तसबीर नंबर १)

शिनाख़ती कार्ड में निम्नलिखित बातें होंगी:

- (१) आप का नाम (२) आप का पासपोर्ट नंबर
- (३) आप का ब्लड ग्रुप (Blood Group)
- (४) आप का दर्जा (Category)

## कड़ा:

हज कमेटी की तरफ से आप को एक स्टील का कड़ा मिलेगा जिसमें निम्नलिखित मालूमात दर्ज होंगी। (तसबीर नंबर २)

- (१) आप का नाम। (२) आप का कवर नंबर।
- (३) आप का पासपोर्ट नंबर। (४) मुल्क का नाम।

इस कड़े को आप हाथ में पहन लें और वापस आने तक हरिंज न उतारें। कड़े के साथ एक बैन भी होती है। अगर आप को तक्तीफ हो तो बैन निकाल लें मगर कड़ा हमेशा आप के साथ रहें। क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसी के ज़रिए आप की शिनाख़त हो सकेगी।

खुदा-न-ब्रास्ता अगर आप किसी हादसे में बेहोश हो गए या आप का सारा सामान गुम हो गया तब भी कड़े पर लिखे कवर नंबर से आप को पहचाना जा सकता है और आप के मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है। मैं ने ऐसे भी बाक्यात सुने हैं कि लोग बैगैर शिनाख़त के हज के पहले गुम हो गए और हज के बाद बिकारियों की शक्ति में पिले, इसलिए यह कड़ा आप हमेशा आप के साथ रखें। नहाते वक्त या बैतुल्खला जाते वक्त या किसी भी हाल में इसे न उतारें।

## ज़रे मुबादला (Foreign Exchange):

छठी चीज़ जो आप को हज के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट से मिलेगी वह है सजदी रूपया (रियाल) या ड्राफ़।

यह आप के राहत का सामान भी है और जान का दुश्मन भी। हमारे पड़ोस के एक साहब २००४ ई. में हज के लिए गए और मक्का में इंतकाल कर गए। उन के साथियों से पुछने पर पता चला के उन का सारा रूपया एयरपोर्ट पर तलाशी के बहाने पुलिस ने ले लिया था। वह समझे के जिद्दा एयरपोर्ट पर वापस मिलेगा। मगर जब ना मिला तो बहुत फ़िक्रमद हुए और उसी फ़िक्र में दौर-ए-कल्ब (Heart Attack) की वजह से वह अल्लाह को यारे हो गए। मक्का में जिस कमरे में हम मुकीम थे ठीक उसके सामने वाले कमरे में मौं और बेटी रहती थीं उन दोनों के सारे रूपये हरम शरीफ में तवाफ़ करते हुए चोरी हो गए। पुछने पर दोनों ने बताया कि मक्का पहुँचते ही उम्रह करना था। कमरा नया, कमरे के साथी भी नये, किस पर कैसे भरोसा करें? इसलिए सारे रूपये साथ ही लिए थे और हरम शरीफ में जेब कर गई।

हमारे एक दोस्त मक्का में वकील हैं उन्होंने बताया कि मक्का में जितनी चोरी की बारदातें होती हैं, उन में अक्सर हरम शरीफ के अन्दर ही होती हैं।

हमारे एक और दोस्त ने अपना रूपया इतनी हिफ़ाज़त से अपने सामान में रख लिया के खुद भुल गए के कहाँ रखा है। बहुत परेशान रहे सलातुल्हाजात पढ़ कर खुदा से दुआ की। तब जाकर अपना रूपया अपने सामान में खोज पाए।

इस लिए एयरपोर्ट पर मिलने वाले रूपये का खास ख्याल रखें और मक्का में

अपनी रिहाईशगाह पर पहुँचने के बाद या तो होटल के काउंटर पर जमा कर दें, और रसीद ले लें, या अपने मुअल्लिम के पास जमा कर के रसीद ले लें। रसीद लेना ना भूतें वरना वहाँ भी आप रुपयों से हाथ थोड़े बैठेंगे। अपनी जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा रुपया निकालते रहें। अगर इन दोनों जगह भी पैसा रखना आपके लिए मुश्किल न हो तो अपने सुटकेस में ही रख लें। मगर सुटकेस का ताता मज़बूत हो।

जिद्दा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से आप के रिहाईशगाह के सफर के दौरान बस में आप से, आप का पासपोर्ट ले लिया जाएगा और तीन शिनाखी चीज़ें दी जाएंगी वो इस तरह हैं:

### रिहाईशी पत्ते का स्टिकर :

हिन्दुस्तान से रवाना होने के एक दिन पहले या एअरपोर्ट पर दो घंटा पहले आप के पासपोर्ट के पिछे एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। जिसे नीचे की तस्वीर में दिखाया गया है अगर आप इसे गौर से पढ़े तो इसमें आपको सारी एहम और ज़रूरी मालूमात दर्ज है। इसमें जो मक्तब नंबर लिखा है वह आपके मुअल्लिम का नंबर है। और जो Build No. है। यह आपके रिहाईशी इमारत या बिल्डिंग का नंबर है और रुम नंबर या आपके कमरे का नंबर है।

Passport : K1998704	Maktab : 41
Cover No : GJR - 967-5	
Pilgrim Name : KIFAYATULLAH HABIBBHAI K	
Category : AZIZYA	
Makkah Acc : BLDG.No.313	Room : 409
Madina Acc : RAS	
District : PATAN	Dom Fit : SV-5481
Arr.Flight No : SV-5481	Arr.Dt : 10/ 4/2013
Dep Flight No. : SV-5514	Dep Dt. : 11/8/2013

Off : 041

Build : 31

वतन से रवाना होते वक्त (Permeant marker pen) परमनंद मार्कर पेन से आप अपने सामान पर पहले अपने घर का पत्ता और अपना हिन्दुस्तान का मोबाइल नंबर लिखे। दूसरी जगह आपके मुअल्लिम का नंबर आपके बिल्डिंग का नंबर और आपके सऊदी का मोबाइल नंबर भी लिखे। जैरे मुबादला के साथ आपको एक Sim card मिलेगा। इसे मोबाइल में डालकर अपना नया मोबाइल नंबर जान ले और फिर अपने सामान पर भी लिख दे। ऐसा करने से अगर कभी बदकिस्मती से आपका सामान खो गया तो फौरन आपको मिल जाएगा। वरना खोया हुआ सामान कई हफ्तों और कई महीनों बाद मिलता है। और यह वतन से जाते वक्त या हज से वापसी के सफर में कभी एअरपोर्ट से सामान खो सकत है। इसलिए सामान पर पत्ता लिखकर अपने तरफ से अपने सामान की हिफाजत का इंतेजाम कर ले।

### कलाई पट्टा:

मुअल्लिम की तरफ से आप को एक कलाई पट्टा दिया जाएगा जिस में मुअल्लिम का पता लिखा होगा, इस पट्टा की अहमियत यह है कि आप कभी मक्का में गुम हो गए, तो कोई भी इस पट्टे की मदद से आप को आप के मुअल्लिम के ऑफिस तक पहुँचा देगा। मुअल्लिम के ऑफिस में गाईड (रहबर) होते हैं, जो आप को आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देंगे। (तसबीर नंबर ३)

### मुअल्लिम का शिनाखी कार्ड:

जिद्दा एयरपोर्ट पर मुअल्लिम आप का पासपोर्ट आप से ले लेगा। और आप को अपना एक शिनाखी कार्ड देगा, जिस में मुअल्लिम का पता आप के बिल्डिंग का नंबर और आप के कमरे का नंबर लिखा होगा।

जिद्दा एयरपोर्ट से बस सीधे आपको आप के बिल्डिंग तक पहुँचा देगा।

और मुअल्लिम के आदमी आप का सारा सामान आप के कमरे तक पहुँचा देंगे। (तसबीर नंबर ४)

### कमप्यूटराईज़ड शिनाखी कार्ड (Computerised I-Card):

ये दूसरा और बहुत अहम शिनाखी कार्ड आप को मक्का में एक या दो दिन के बाद मुअल्लिम की तरफ से मिलेगा। यह प्लास्टिक का कमप्यूटराईज़ड कार्ड है। यह एक तरह से आप का पासपोर्ट है। इस में आप के फोटो के साथ वो सारी बातें दर्ज होती हैं जो आप के पासपोर्ट में होती हैं। कानूनी तौर से हर हाजी को यह कार्ड अपने साथ रखना होता है और पुछने पर दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आप को मक्का से जिद्दा या और किसी शहर जाना होगा तो इस कार्ड के बैगे नहीं जा सकते।

जब आप मक्का से मरीना जाएंगे तो मरीने में आप का दूसरा मुअल्लिम होगा और रिहाईशगाह भी नई होगी इस लिए मरीना में भी आप को आप का बैगे फोटो का एक कमप्यूटराईज़ड कार्ड मिलेगा और मुअल्लिम का शिनाखी कार्ड मिलेगा, जिसमें मुअल्लिम का पता आप की बिल्डिंग का पता और कमरा नंबर लिखा होगा। मरीना के दस दिन क्याम में भी आप ये दोनों कार्ड हिफाजत से रखें। वतन वापसी के लिए सफर के शुरू में इसी कार्ड को देखकर आप को बस का नंबर दिया जाएगा, इसी बस में आपको आपको पासपोर्ट वापस मिलेगा और यही बस आपको एअरपोर्ट तक पहुँचा देगी। (तसबीर नंबर ५)

### मुअल्लिम का शिनाखी कार्ड (मिना के लिए):

मिना जाने से पहले मुअल्लिम आप को फिर अपना एक शिनाखी कार्ड देगा, जिसमें आपके मिना का खेमा नंबर लिखा होगा। मिना में एक मुअल्लिम के बहुत सारे खेमे एक ही मुकाम पर होते हैं, जिन के एतराफ हिफाजत के लिए लोहे के जगले लगे होते हैं।

गेट पर मुअल्लिम के पहरेवार होते हैं जो ये कार्ड देख कर ही आप को जंगले के अन्दर खेमों की तरफ जाने देंगे। इस लिए मिना के क्याम में इस कार्ड को भी अपने साथ रखें और इस कार्ड के पीछे अपने हाथ से अपने खेमे के करीब खेम्बे पर पहचान के लिये लिखे गए नम्बर को नोट कर लें और पुल का नाम नोट कर लें। इस से इंशा अल्लाह मिना में अपने खेमे का पता नहीं भूलेंगे। (तसबीर नंबर ६)

### ट्रेन टिकट:

मिना जाने से पहले मुअल्लिम आपको ट्रेन का टिकट देगा। यह टिकट दरअसल हाथ में पहनने का एक पट्टा है जिसे देखकर ही आपको ट्रेन में सवार होने दिया जाएगा।

### मेडिकल सर्टीफिकेट:

हुकुमत सऊदी अरबिया दे सन् २००६ से हज बैतुल्लाह जाने वाले हुज्जाज किराम के लिए ज़ाब्ताए सेहत मुकर्रर किया है जिसकी रू से तमाम आज़मीने हज के लिए मुदर्जा जैल(नीचे दिये गये) टीके इन्जेक्शन लगवाना ज़रूरी है।

### पोलियो का टीका:

सऊदी बजारते सेहत के हुक्काम ने पोलियो की खुराक (बिला तफरीक उम्र) लेने और इस बाबत सर्टीफिकेट हासिल करना लायिंगी करार दिया है, इस सर्टीफिकेट को पासपोर्ट के साथ नथी करना ज़रूरी है, जिसमें बैगे सऊदी हुकुमत वीज़ा जारी नहीं करेगी। यह सर्टीफिकेट हज दरखास्त फार्म के साथ नथी किया गया है। इसलिए वह हजरात जिनका हज करने का इरादा है वह ओ.पी.वी. पोलियो की खुराक लें, इसका सर्टीफिकेट हासिल करें और हज कमीटी ऑफ इण्डिया को अपने फार्म के साथ भेज दें ताकि उनके लिए हज वीज़ा की हुसुलियाती में दुश्वारी न हो।

### दिमागी बुरवार:

तमाम आज़मीने हज के लिए लायिंगी है के सऊदी अरब में दाखले के लिए हवाई जहाज़ की रवानगी से छः हफ्ता के बाल दिमागी बुखार की रोकथाम के लिए इन्जेक्शन लगवाने का सर्टीफिकेट हासिल करें जिसके जारी किए जाने की मुददत सऊदी अरबिया में आपके दरकार दस दिन से छः हफ्ता तक होती है।

## हज गाइड़:

हज कमेटी की तरफ से आप को एक किताब दी जाएगी। इसमें हज की मालूमात के साथ बहुत सारे अहम पते और फोन नम्बर होंगे। इस किताब को आप गौर से पढ़ लीजिए और ज़रुरत के मुताबिक मालूमात का इस्तेमाल करें। अगर आपको हज के सफर में कोई शिकायत हो या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, तो इस किताब में बहुत सारे वजीरों और सिफारतकारों (Counslators) वैग्रह के पते और फोन नम्बर हैं, इन सब जगह खुत्तत लिखें। हुकूमत और मिनिस्टरों ने हज में होने वाली मुश्किलात को नज़र अंदाज़ कर रखा है। अगर लाखों हाजी इस सिलसिले में उन्हें खुत्तत लिखें तो ज़रुर उन के कान पर जूँरेंगें।




कम्प्यूटराईज्ड शिनारिका कार्ड (Computerised I-card)



मुअलिम का शिनारिका कार्ड (मवक्का मुकरमा के लिए)



हज कमीटी की तरफ से दिया गया शिनारिका कार्ड (I-card)



मुअलिम का शिनारिका कार्ड (मिना के लिए)



हज कमीटी की तरफ से दिया गया कळा

मुअलिम की तरफ से दिया गया कळा



## Standard Baggage Allowed per Pilgrim :-

Description	Number of Pieces	Weight	Size
Check-in-Bag  22 Kgs 22 Kgs	Two (2) suitcases	upto 22 Kg. each	(Length + Breadth + Height) 158 cm maximum total dimensions
Hand Bag	One (1) bag	upto 10 Kg.	55 cm x 40 cm x 23 cm

# सामान-ए-सफर

हज के सफर में आप जितना कम सामान ले जाएंगे, आप को उतनी ही आसानी होगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनब्रा के क्याम के हालात और हमारी सलाह मुन्दर्जा जैल (नीचे दिए गये) हैं।

## 1. रवाने पीने का इंतेज़ाम:

रिहाईशगाह (बिल्डिंग) के हर मंजिला पर एक या दो किचन (बावरची खाना) होते हैं, जिसमें गैस और चुल्हा मुअल्लिम या मकान मालिक की तरफ से पहली बार मुफ्त मिलता है। हाजी साहेबान खाना बनाने का पूरा सामान साथ ले जाते हैं और वहाँ खाना बना कर खाते हैं। सऊदी हुक्मत कानून के मुताबिक कोई भी खाने की चीज़ सऊदी अरब में लाना मना है। मगर मैं ने देखा कि न हिन्दुस्तान के एयरपोर्ट पर किसी ने किसी हाजी को रोका न जिद्दा एयरपोर्ट पर। सिर्फ तेल, पानी या सध्याल माद्रा (Liquid) दोनों एयरपोर्ट वाले कभी ज़ब्त कर लेते हैं।

मक्का और मदीना में बेशुमार पाकिस्तानी होटलें हैं, जो हिन्दुस्तानी ज़ाईक का खाना बनाते हैं, जिन की कीमतें (सन 2013 में) ₹ से ₹१० रियाल के दरमियान हैं।

अगर आप एक प्लेट दाल या गोशत या सब्ज़ी लें, तो तीन रोटी मुफ्त मिलती है, यह दो से तीन लोगों के लिए काफ़ी होती है। इस लिए बहुत सारे हाजी खाना बनाने में वक्त ज़ाए करने के बजाए खाना खीर कर खाते हैं और पूरा वक्त इबादत में लगाते हैं और यह बात मुनासिब और दुरुस्त है।

कभी कभी दूसरे और तीसरे दर्जे के हाजियों को अज़्जिया मुकाम पर ठहराया जाता है, जो नई आबादी है, और वहाँ होटल वगैरह नहीं हैं। ऐसे हाजी अगर खाना बनाने का सामान साथ ले जाएं तो बेहतर है।

## 2. कपड़े:

हर मंजिला पर कई बाथरूम (गुम्बुल खाना) होते हैं जिस में आप आसानी के साथ कपड़ा थोक सकते हैं। सुखाने के लिए आप घर से रस्सी ले जाएं और लावी या बिल्डिंग के छत पर आसानी के मुताबिक कपड़ा सुखा लें। मक्का और मदीना में लॉन्स्ट्री भी है जो कि एक जोड़ा थोने का ₹५ रियाल लेते हैं। चूंकि वहाँ नमाज़ के सिवाय और कोई काम होता नहीं, इस लिए कपड़े कम ही गंदे होते हैं। इस लिए दो या तीन जोड़ों में गुज़र आसानी के साथ हो जाता है।

हज के सफर में बुजुर्गों से सुना है कि रोज़ मरह के कपड़ों के साथ अगर दो जोड़े नये हों तो ज्यादा बेहतर है। एक ₹१० ज़िल्हिज्जा के लिए जिस दिन ईद होती है और एक मस्जिद नबवी के लिए जिस दिन पहली बार आप हुजुर (सल्ललाहू अलैहि व सल्लम) की कब्र मुबारक पर हाज़री देकर सलात व सलाम का नज़राना पेश करेंगे।

## 3. बिस्तर:

मक्का और मदीना दोनों जगह आप को आप के कमरे में पलंग, गदेला, तकिया और एक कम्बल, बेडशीट (चादर) मिलेगी। इसलिए मक्का और मदीना में खुद के बिस्तर की ज़रूरत नहीं होती।

मिना के खेमों में ज़मीन पर कालीन बिछा होता है। मगर तकिया और चादर नहीं मिलती इस लिए मौसम के मुताबिक एक हवाई तकिया और एक चादर ले लें तो बेहतर होगा।

## 4. दवाएँ:

सऊदी अरब में दवाएँ बहुत महंगी हैं और उन के नाम भी अलग होते हैं। इस लिए रोज़ मरह की सारी दवाएँ आप साथ ले जाएं। सऊदी हुक्मत और ईंडियन हज कमीटी की तरफ से भी मुफ्त दवाएँ मिलती हैं। मगर आप अपनी सेहत की हिफाजत खुद करें और अपनी दवाएँ अपने साथ ले जाएं। ज़रूरत पड़ने पर मक्का और मदीना में हिन्दुस्तानी कॉम्प्लेट के ऊपर हिन्दुस्तानी अस्पताल हैं जहाँ हिन्दुस्तानी डॉक्टर मिलते हैं, उन से अपना मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। वहाँ सऊदी अस्पताल भी हैं उन में भी मुफ्त इलाज होता है। मिना में भी सऊदी अस्पताल हैं।

## 5. मोबाइल फोन:

हज के मौके पर हाजियों के लिए स्पेशल सिम कार्ड (Sim Card) निकालती है जो के ₹१०० रियाल का होता है। और आप ₹१०० रियाल कीमत खत्म होने तक बात कर सकते हैं। यानी आप को पूरी कीमत का टॉक-टाइम मिलता है। आप को अपना मोबाइल नंबर मिलता है, जिसे आप अपने घर वालों को और साथीयों को दे सकते हैं। मोबाइल अगर सही इस्तेमाल करें तो बहुत से फायदे हैं। आप हमेशा अपने घर और कारोबार से बाख़बार होते हैं, इस लिए इत्मिनान से इबादत कर सकते हैं। हज के दौरान साथीयों से बिछड़ जाने के बाद या किसी तकलीफ में फ़ोरन दोस्तों से राबता कायम कर सकते हैं और गुलत इस्तेमाल करें तो बाबल ही बाबल है। आप वहाँ इबादत के लिए जाते हैं, मोबाइल पर वहाँ से तिजारत या बिज़ुनेस न करने लगें। मोबाइल हरम शरीफ में बन्द रखें, नहीं तो लाखों के हिसाब से गुनाह होगा। (२०१३ में सीमकार्ड एअरपोर्ट पर ही जैरे मुबादला के साथ दे दिया गया था)

## पहियों वाला छोटा बैग:

हज के सब से मुश्किल दिन ₹१ से ₹१० ज़िल्हिज्जा के होते हैं। इस दौरान आप को मुन्दर्जाज़िल (नीचे दिए गये) सफर करने होंगे:

तारीख	मकाम	दूरी	समय
८ ज़िल्हिज्जा	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
८ ज़िल्हिज्जा सुबह	मिना से अर्फात	६.५ कि.मि.	दो घंटे
८ ज़िल्हिज्जा शाम	अर्फात से मुज्जल्फा	५.५ कि.मि.	दो घंटे
१० ज़िल्हिज्जा सुबह	मुज्जल्फा से मिना	१ कि.मि.	आधे घंटा
१० ज़िल्हिज्जा दोपहर	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा
१० ज़िल्हिज्जा शाम	मक्का से मिना	५ कि.मि.	एक घंटा
१२ ज़िल्हिज्जा शाम	मिना से मक्का	५ कि.मि.	एक घंटा

जो लोग यह सफर पैदल करते हैं वह बस या किसी और सवारी से सफर करने वालों के मुकाबले में ज़्यादा आराम से रहते हैं और हर जगह बक्तुर पर पहुंचते हैं। खाली हाथ पैदल चलना आसान है और सामान ले कर चलना बहुत मुश्किल। मगर मक्का से मिना और मिना से अर्फात के सफर में सामान तो होता ही है इस लिए आसानी के लिए जो छोटा बैग आप खरीदें अगर वह दो पहियों वाला हो तो बहुत आसानी होगी। मिना अर्फात के सफर में सामान बहुत ही कम होता है (एक चटाई, पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का सामान और एक शाल), इस लिए यह बैग ज्यादा बड़ा न हो। पहियों वाले इस छोटे बैग से मिना और मक्का के सफर में आप को बहुत आराम मिलेगा।

## 6. रोज मरह के इस्तेमाल की चीजें:

रोज मरह के इस्तेमाल की सारी चीजें आप को मक्का और मदीना शरीफ में दुकानों पर मिल जाएंगी। इस लिए अगर हिन्दुस्तान से कुछ ना ले जाएं या हिन्दुस्तान में कुछ चीजें छूट जाएं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे अगर आप का सामान ३५ किलो से कम है तो मुंदज़ाज़िल (नीचे दिए गये) सामान एहतियात के लिये रख लें।

१. खाना रखने और खाने के न टूटने वाले बर्टन।
२. टूथ पेस्ट, साबुन और सिर में लगाने का तेल।
३. जा-नमाज़।
४. रात के बबत पहिनने के कपड़े।
५. रस्सी और पतला पर्दे का कपड़ा। (हो सकता है आप को अपने कमरे में औरतों के लिए पर्दा करना पड़े)
६. दो अदद एहराम, एक मोटे कपड़े में एक पतले कपड़े का, और कमर पट्टा (Belt)
७. मुज़दल्फ़ा में रात गुज़ारने के लिए चटाई।
८. पानी की थरमस या बोतल (जिससे आप आब-ए-ज़म ज़म कमरे तक ला सकें)
९. ऐसी खाने की चीजें जो बहुत दिनों तक खारब न हों, मिना व अर्फात में खाने की सब चीजें मिलती हैं मगर एहतेयात के लिये रख लेना बेहतर है।
१०. अगर आपकी नज़र (बीनाई) कमज़ोर है और आप चश्मा इस्तेमाल करते हैं, तो दो अदद चश्में साथ रख लें।  
दो सामान ऐसे हैं के जिन की ज्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, मगर साथ रख लें तो बेहतर है। एक है धूप का चश्मा, और दूसरा नाक पर लगाने का कागज़ का रुमाल (Nose-Mask)।  
धूप के चश्मे से दोपहर के बबत दूध की तरह सफेद फर्श पर तवाफ करने में आसानी होती है।  
अगर आपको नज़ला अक्सर रहता है, या जल्दी हो जाता है तो Nose - Mask इस्तेमाल करने से आप और दूसरे लोग Infection से महफूज़ रहते हैं। नोज़ मास्क सिर्फ़ पांच रुपये में किसी भी मेडिकल दुकान पर मिल जाता है। यह मक्का शरीफ में एक रियाल में मिल जाएगा।

## 7. हैण्ड बैग:

हज कमेटी या बैक बैगरह से एक छोटा हैण्ड बैग आप को तोहफे के तौर पर मिलेगा, जो हज के पूरे चालीस दिन आप का साथी होगा और आप के बहुत काम आएगा, इस में दो पट्टे लगे होते हैं; एक गर्दन से लटकाने के लिए और दूसरा कमर से बांधने के लिए। अगर दोनों पट्टे आप अच्छी तरह पहन लें तो ये आप के जिस से चिपका रहेगा और भीड़ भाड़ में भी इस के खोने का ड्र बहोत कम होता है इसमें दो हिस्से होते हैं; एक बाहरी और छोटा हिस्सा जिस में शप्पाफ़ प्लास्टिक लगा होता है। इसमें आप अपना शिनाख़ती कार्ड और दूसरे काग़ज़ात रख सकते हैं। दूसरे हिस्से में आप चप्पल बैगरह रख सकते हैं। हरम शरीफ के दरवाज़े के बाहर रखी हुई चप्पलों को खादिम वक़फ़ा-वक़फ़ा से हटा कर फेंकते रहते हैं। दरवाज़े से लगी अल्पारीयों से चप्पल दूसरे हाजी पहन कर ले जाते हैं। इस लिए चप्पल को प्लास्टिक की थेली में रख कर बैग में रख लें। हरम शरीफ में दो से चार घंटे तक भी बैठना पड़ता है। इस लिए खाने के लिए कुछ खजुरें और विस्किट बैगरह भी रख लें, और पीने के लिए आब-ए-ज़म ज़म हरम शरीफ में हर जगह मिलेगा। अगर यह बैग आप को तोहफ़ा में कोई न दे तो इंतेज़ार न कीज़ीए बल्कि बाज़ार से ख़रीद लीजिए।

## 8. सफ़री सूटकेस:

हज के सफ़र में तक़रीबन आठ से दस बार आप का लगेज कुली हज़रात के हाथों में होगा। जो अक्सर इसे बड़ी बेदरी से इधर-उधर फेंकते। इस लिए आप का सुटकेस और बैग ऐसे हों के आसानी से न टूटें या तो ऐसे हों कि जिन के टूट जाने का आप को ग़म न हो।

सन् २००६ में हाजियों को हवाई सफ़र में सख्त परेशानियां हुई थीं। हाजियों की कई परवाज़ (Flights) छूट गईं। कई कई दिन एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। सामान कई हफ्तों या महीनों बाद मिला बैगरह बैगरह।

इसकी बजह यह थी के पहल तो हाजियों ने हुक्मत के कवानीन को नज़र अंदाज करके ज़रूरत से ज्यादा सामान साथ ले लिया, फिर बैगर ज्यादा किराया दिए सामान मुफ्त में हिन्दुस्तान लाने पर अड़ गये इसलिए तंग आकर जहाज़ के अमले (Staff) ने बैगर हाजियों के ही जहाज़ रवाना कर दिया। जब ऐसे लावारिस हाजियों की तादाद एयरपोर्ट पर ज्यादा बढ़ी और हुक्मत को दखल देना पड़ा तो एमरजेंसी में इसने सारे शैद्यूल और प्लानिंग को साइड में रख कर जो भी फ्लाइट खाली मिली उस से हाजियों को बापस भेजना शुरू किया। इस unsheduled रवानानी में हाजि किसी और जहाज़ से रवाना होते और उनका सामान किसी और जहाज़ से रवाना होता और हफ्तों या महीनों के बाद मिलता।

इस अफरा तफरी की बजह हाजियों की लापरवाही और जिद के सिवाय कुछ भी न था इसलिए हुक्मत ने इसका सख्त नोटिस लिया है और सूटकेस के साईज़ और वज़न की पाबंदी को सख्ती से आयद करने का तहेया किया है इसलिए इस मुबारक और मुकद्दस सफ़र में आप भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, ताकि आप अपना और दुसरे हाजियों का सफ़र ब़क्त पर और आसानी से हो।

सामान के सिस्लिस्ले में हुक्मत के कवानीन मुंदरजा ज़ैल(नीचे दिए गये) हैं:

- १) हिन्दुस्तान से सज़दी जाते ब़क्त हाजियों को ३५ किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाने की इज़ाज़त होगी।
- २) बापसी पर ५५ किलोग्राम सामान और ९० लीटर आबे ज़मज़म लाने की इज़ाज़त है।
- ३) बापसी में ५५ किलोग्राम में से ४५ किलोग्राम आप के Check-in-luggage का होगा और ९० किलोग्राम वज़न आप के हैण्ड बैग का होगा। चेक इन लगेज यानि वह छोटे सूटकेस जो आप अपने साथ जहाज़ के अन्दर ले जाएंगे।
४. सज़दी हुक्मत के कानून के मुताबिक ४५ किलोग्राम भी आपके एक ही सूटकेस का वज़न न हो बल्कि २ सूटकेस का वज़न हो और आप का कोई सूटकेस २३ किलो से ज्यादा न हो।
५. ज़मज़म के पानी का डिब्बा गोल न हो बल्कि चौकोर हो और प्लास्टिक की थेली में इस तरह बंद किया हो कि सफ़र के दौरान पानी निकलकर बहने का अंदेशा न हो।
६. हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के मुताबिक दोनों चेक इन लगेज के सूटकेस मुंदर्जा ज़ैल (नीचे दिए गये) साईज़ के हों:

  - पहले सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जमाओ किया जाए, तो ६२ इंच से ज्यादा न हो और दूसरे सूटकेस की लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई को जमाओ किया जाए, तो ४४ इंच से ज्यादा न हो।

७. जहाज़ के अंदर अपने साथ ले जाने वाले बैग या सूटकेस का साईज़ २२'' X १६'' X ८'' से ज्यादा न हो और वज़न भी दस किलो से ज्यादा न हो, इस साईज़ के बैग को आप आसानी से जहाज़ के ऊपरी खाली में रख सकते हैं।
८. जायद सामान आप को कारों के ज़रिये रवाना करना होगा ५५ किलो से ज्यादा सामान पर जायद हवाई जहाज़ का किराया भी देना होगा और हज

कमेटी पर इन सामानों की ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

(छोटा बैग या सूटकेस अगर पहियों वाला हो, तो आप को मक्का से मिना और मिना से मक्का पैदल सफर करते वक्त आसानी होगी।)

हाजियों के सामान का साईज़ और वज़न सही होना क्यों ज़रूरी हैं?

क्योंकि एयरपोर्ट पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेल्ट कन्वेयर (Belt Conveyer) ले जाया जाता है, इन बेल्ट कन्वेयर की सामान ढोने की ताकत और साईज़ महदूद है और यह कई खिड़कियों से गुज़रते हैं, इन खिड़कियों की साईज़ भी महदूद है। बड़े सामान अगर कन्वेयर बेल्ट पर रख भी दिये जाएं तो वह खिड़कियों में जाकर अटक जाते हैं और अगर वह आगे ही न बढ़े तो वह जहाज़ में लोड कैसे होंगे?

जहाज़ों में भी हर सामान अलग अलग लोड नहीं किया जाता बल्कि पहले उन्हें छोटे डिब्बों (containers) में पैक करते हैं, फिर उन छोटे कटेनरों को एक जीप या ट्रैक्टर के जरिये खींचकर जहाज़ तक ले जाया जाता है फिर लोड किया जाता है, तो बड़े सामान या सूटकेस को उन छोटे कटेनरों में भरने में बहुत दिक्कत होती है, इस लिए जहाज़ वाले बड़े सामान न मुसाफिरों के साथ ले जाने देते हैं।

आप अपने हर बुकिंग और सूटकेस पर अपना कवर नम्बर और घर का पूरा पता embarkation point या मर्क्ज़ रवानाई लिखना न भूलें वह भी परमानंट मार्क्ज़ पेन या पक्की रोशनाई से जिससे कि पता बिल्कुल न मिटे। ताकि खुदा न खास्ता अगर आप का सामान खो जाये, तो कवर नम्बर और पते से आप को वापस मिल जाये।

दूर से एयरपोर्ट पर अपने सामान को पहचानने के लिए रिबन या रंग या और कोई रोशनाई लगा लें इससे सामान ढुँढ़ने में आसानी होगी। वरना सभी सूटकेस दूर से एक जैसे लगते हैं।

दूसरी अहम बात याद रखिये कि आप के लगेज पर दुसरों के लगेज का ५०० किलो से ज्यादा का भी बार पढ़ सकता है। इस लिए आप के सुट केस या बैग में ऐसा कोई सामान न हो जिस के टूटने से आप का और दुसरों का सामान ख़राब होजाए। मक्का और मदीना शरीफ के कथाम और मिना के खेमों में, मस्तुरात पर्दे की बजह से अलग रह सकती हैं। इस लिए आप अपना रोज़ मरह के इस्तेमाल का सामान मस्तुरात के सामान से अलग रखें, वरना दोनों को बड़ी परेशानी होगी और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए एक दुसरे को आवाज़ देना पड़ेगा।

आप अपना सूटकेस मञ्ज़बूत ताते का लें, ताकि आप रुपया पैसा सूटकेस में रख कर इतिमान से हरम शरीफ जा सकें।

## 9. परमनंट मार्कर पेन (Permeant marker pen)

इस पेन से आपको एअरपोर्ट पर जब आपके मुअल्लिम का नंबर मक्का शहर में आपके बिल्डिंग का नंबर और रुम नंबर मिले तो उसे इस पेन से अपने सारे सामान पर अच्छी तरह लिख ले। इससे इन्शा अल्लाह आपका सामान आपको जल्द ही मिल जाएगा।

## 10. तराजू (Spring scale)

अगर हज़ के सफर में आपका ज्यादा लोगों का गुप है तो एक लटकाकर वजन करने वाला तराजू भी लें। इस तराजू में स्प्रिंग होती है और किमत तकरीबन २०० रुपया होती है। हज़ से वापसी के वक्त यह सामान वजन करने के काम आएगा। वापसी में अगर सामान का वजन ज्यादा हो तो हर किलो पर १०० रुपये से ज्यादा किराया अदा करना पड़ता है। इस तराजू से आप हद के अंदर ही अपने सामान का वजन रखेंगे। और जहानी तौर पर पुरस्कून रहेंगे।

## II. अच्छी सेहत

सब से ज़रूरी चीज़ जो आप को अपने साथ लेजाना है वह है अच्छी सेहत, क्योंकि मक्का के कथाम और हज़ के दौरान आप में जितनी ज्यादा कुक्षित होगी आप उतनी ही ज्यादा इबादत कर सकेंगे। तवाफ व सई और रिहाई शग्दा से हरम तक आप को जितना चलना है और इस में जितना वक्त दख़कार है, अन्दाज़न मैं यहाँ दर्ज करता हूँ, इस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़ कम से कम आप को कितने देर तक लगातार चलना है।

### तवाफ़:

काबा शरीफ के गिर्द सात चक्कर या फेरा लगाने पर एक तवाफ़ होता है, चक्कर या फेरा को अरबी में शूत कहते हैं।

सुबह ६ बजे से १० बजे, दोपहर ९:३० से २:३० बजे और रात १२ बजे से ३ बजे के वक्त जब भीड़ कम होती है। काबा शरीफ से ५० फिट की दूरी पर शूत (फेरा या चक्कर) में ३ मिनट और १०० फिट की दूरी से एक शूत में ६ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए कम भीड़ के वक्त २० से ४२ मिनट के दरम्यान लगेंगे। भीड़ के औकात में सात शूत यानी एक तवाफ़ में एक घंटा से ज्यादा भी लग जाता है।

ज्यादा भीड़ में जब मुश्किल होता है तो पहले मंज़िले या छत पर तवाफ़ करना पड़ता है। जहाँ एक शैत के लिए १३ से १५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात शूत के लिए ६९ से १०५ मिनट लग जाते हैं। तब जाकर एक तवाफ़ होता है।

### सई:

सफ़ा और मर्वाह के दरम्यान ३६५ मिटर का फासला है। सफ़ा और मर्वाह पहाड़ के बीच चलने को सई कहते हैं। सई में सफ़ा और मर्वाह के दरम्यान ७ चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहला चक्कर सफ़ा से शुरू होता है और सातवें चक्कर मर्वाह पर खस्त होता है। एक चक्कर के लिए कम भीड़ में ४ से ५ मिनट लगते हैं। इस लिए सात चक्कर में करीब ३० मिनट का वक्त लगता है। भीड़ के औकात में एक घंटा से ज्यादा भी वक्त लग जाता है।

## रिहाई शग्दा से हरम शरीफ़ तक आने जाने का वक्त:

आम तौर पर हाजियों का कथाम हरम से ५ से १५ मिनट की दूरी पर होता है। मगर ४ जिल्हिज्जा से १५ जिल्हिज्जा तक लोगों का ज़बर्दस्त हुजूम होता है। इस दौरान ५ से १५ मिनट का ये रास्ता तय करने में १५ से ३० मिनट का वक्त भी लग सकता है।

### नमाज़ का इन्तेज़ार:

४ जिल्हिज्जा तक चुंके ३० से ३५ लाख लोग मक्का शरीफ पहुँच चुके होते हैं इस लिए हरम शरीफ़ में भी ज़बर्दस्त भीड़ होती है। अगर नमाज़ से ३० से ४५ मिनट पहले आप हरम में न पहुँचे तो तमाम जगहें भर चुकी होती है। इस लिए हर नमाज़ से एक घंटा पहले आप को अपने कमरे से नमाज़ के लिए निकल जाना होता है।

हरम शरीफ़ से कमरे तक आने जाने में भी काफ़ी वक्त लगता है इस लिए लोग तहज्जुद के लिए आते हैं और फ़ज़र पढ़ कर जाते हैं। इसी तरह मगरिब के लिए आते हैं और इशा पढ़ कर जाते हैं। बहुत से लोग ज़ोहर से इशा तक हरम शरीफ में ही रहते हैं और नमाज़, तिलावत और तस्वीहात में मस्लिम रहते हैं। और इशा पढ़ कर जाते हैं।

जो लोग मक्का के रहने वाले हैं उन के लिए हरम शरीफ़ में नफिल नमाज़, नफिल तवाफ़ से अफ़ज़ल है। मगर जो लोग दुसरे शहरों से आते हैं उन के लिए नफिल तवाफ़, नफिल नमाज़ और दुसरी इबादत से ज्यादा अफ़ज़ल है। इस लिए हर हाज़ी को पौंछ वक्त की नमाज़ हरम शरीफ़ में पढ़ना चाहिए।

और ज्यादा से ज्यादा तवाफ़ करना चाहिए।

ऊपर दिए गए वक्त के हिसाब से आप खुद अन्दाज़ा कर सकते हैं कि एक दिन में आप को कितना वक्त चलना और हरम में बैठ कर इतेज़ार करना है।

हुजुर (स.) का इशारा है कि “कवी मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है”। क्योंकि कवी मोमिन दीन के बहुत सारे वो काम कर सकता है, जो कमज़ोर मोमिन नहीं कर सकता।

हुजुर (स.) के इशारे के मुताबिक जो लोग सिर्फ़ जिहाद के लिए घोड़े पालते हैं। उन्हें घोड़े के खाने पीने, चलने यानी उस के हर काम पर सवाब मिलता है। (बुखारी)

हम और आप अगर अपनी सेहत इस मक्सद से बेहतर बनाने की कोशिश करें कि इंशा अल्लाह अच्छी सेहत से हम इस्लाम और मुसलमान के फलाह और बेहवुदी के लिए काम करेंगे तो अपने बेहतर सेहत बनाने की कोशिश में भी हम को सवाब मिलेगा।

डॉक्टरों का कहना है कि हर शख्स को दिन में कम से कम २० मिनट तक तेज़ चलना चाहिए, इस से दिल का दौरा, डायबिटीज़ और दुसरी बहुत सारी विमारियाँ नहीं होती या कन्ट्रोल में रहती हैं।

इस लिए हज के लिए जो सब से पहली तैयारी आप को करना है, वह यह है कि सुबह और शाम कम से कम ३० मिनट चलें और अपनी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करें।

हरम शरीफ पहुँचकर भी अपनी सेहत का ख़्याल रखें। हजम होनेवाला हलकी गिज़ा लें। फलों का इस्तेमाल खूब करें। हमेशा ज़मज़म का पानी पियें, गरमी के दिनों में जब पानी से प्यास न बुझे तो ठंडे पानी और मशरूब के बदले सुलेमानी चाय या कहवे का इस्तेमाल करें। सुबह ४ बजे से पहले उठे ताकि इस्तिनान से जरूरीयात से फ़ारिग़ होकर आप तहज्जुद पढ़ सकें।

## 10. सब से अहम जादे सफ़रः

अल्लाह तभाला फरमाता है।

**وَتَرَدُّدُ فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التَّقْوَىٰ وَأَتَقْعُونَ يَأْوِي الْأَلْبَابِ**  
(سुरह ۱۰۰، آیہ: ۱۹۸)

व तज़्ज़वू फ-इन्ना खैर-ज़ा-दित-तक्वा, वत्तकूली या ऊलिल अल्लाब  
(सूरह बकरा: ۹۶)

तर्जुमा : और जादे राह जो बेहतरीन जादे राह है वह तक्वा है और ऐ अक़लमदों  
मेरा तज़्वा इख्तियार करो।

हज़रत आदम (अ.) के बेटे काबील की कुर्बानी इस लिए कुबूल नहीं हुई थी  
क्योंकि उसमें तक्वा का ज़ज्बा न था।

अल्लाह तभाला फरमाता है।  
(سُورَةُ الْمُنْتَقِيَنَ، آیَةُ ۲۷)

“क़ा-ल-इन्नमा य-त-क-ब्बतुल्लाहू मिन्नल मुत्तकीना।” (सूरह मादीदः ۲۷)

तर्जुमा : अल्लाह मुत्तकीयों ही से कुबूल कर्माता है।

रसूल अल्लाह (स.) ने हज़तुल्विदा के मौके पर फरमाया:

**الْقَوْيُ هُنَّا وَبِشِيرَالِ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتِ (مُلْمِ)**

तर्जुमा : तक्वा यहाँ होता है आप (स.) ने तीन मर्तबा अपने सीने मुबारक की  
तरफ इशारा करते हुए फर्माया:

“इस लिए हज के सफ़र पर जाने से पहले सारी तैयारियों के साथ अपने  
दिल की कैफ़ियत को भी सवारें। हाजी कहलाने की चाह, दिखावा, सैर व  
तफ़रीह की नियत, खूब खरीदी की तैयारी वगैरह का इरादा भी हज की  
नियत के साथ हो तो तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए और खालिस खुदा की

खुशबूदी के लिए हज के सफ़र की तैयारी कीजिए।”

**अश्या—ए—मर्नूज़ा:** यह सामान सऊदी अरब ले जाना मना है:

१. हथियार या उनके हिस्से या फौजी इस्तेमाल की अश्या।
२. तमाम किस्म की धमाका खेज अश्या या बास्द।
३. मिट्टी का तेल और पेट्रोल और तपाम किस्म के सय्याल मादूद और स्टोव वैश्वरह।
४. आतिशीरी अश्या, चमक पैदा करने वाली गेम माचिस गेम राकेट वैश्वरह।
५. तमाम नशा आवर मशरूबत और दवाएँ जो के ख्वाब आवर मादूद, अफ़ीम, चरस, मारफ़ीन, कोकीन या इस किस्म के मादूदों से बनी हुई हों या इन में इन अश्या की मिकदार शामिल हो।
६. ऐसी अश्या जिनमें ज़हरीला मादूद या इसी किस्म की दवाएँ शामिल हों जब तक वज़ारते सेहते आमा से मंजूरी हासिल न हो।
७. तमाम दवाएँ सिवाय जिनकी, वज़ारते सेहते आमा से मंजूरी हासिल हो।
८. तमाम तबा शुदा मुवाद जो के इख्लासी और इस्लामी उस्लूलों के खिलाफ़ हो।
९. नंगी तसावीर या इसी किस्म की दूसरी अश्या जो ईसाइयों के मज़हबी क्रोस (पैर) की शक्ति में हो।
१०. बड़ी साईज़ की तसावीर जो कि बगैर फ़रोख्त आप ले जाना चाहते हों।
११. फिल्में सिवाय इस समाजी फिल्मों के टेप जो कि वज़ारते इत्ताज़ात व नस्रियात ने मंजूर किये हों।
१२. वायरलेस और उसके पुर्जे जब तक के वह हुक्मत के इस्तेमाल के लिए दरआमद किये जायेंगे और वज़ारते ख्वाबर रिसानी की मंजूरी हासिल कर ली गयी हो।
१३. खिलौने वाली बंदूकें जो के बच्चों के लिए हों।
१४. बच्चों के वास्ते शूटिंग के लिए तमाम किस्म की बंदूकें जब जक वज़ारते दाखला की मंजूरी न हो।
१५. चाकू, खंजर और हथियार वैश्वरह।
१६. वह तमाम किताबें, पम्पलेट या दूसरी अश्या जिनमें कम्युनिज़म का प्रोपैग़न्डा किया हो या सऊदी हुक्मत की पालिसी के खिलाफ़ हों या इस्लाम के खिलाफ़ लिट्रेचर।
१७. मछलियाँ पकड़ने के लिए खुसूसी फूल जो कि जहाज रानी और इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदायक हो।
१८. वह तमाम सामान जिन पर इस्माइल का तारा या उन का कोई निशान बना हो।
१९. बच्चों की मिठाईयाँ जो सिगरेट की शक्ति में हों या इसी तरह की अश्या जो सिगरेट की पब्लिसिटी के लिए हो।
२०. तेल और तेल से बनी तमाम अश्या जो के सेहत आमा के लिए मुजिर हों।
२१. काले रंग की तस्वीह के दाने जो प्लास्टिक, कांच या इस किस्म की दूसरी चीज़ों से बने हों।
२२. वीडियो और ऑडियो केसेट।

**मुंद्रज़ जैल (नीचे दिए गये) अश्या हर हवाई सफ़र में हैंड बैग में रखना मनूज़े:**

१. कैंची, नेलकटर (नाखून काटने का सामान) ब्लैड, छुरी, चाकू और ऐसे सारे सामान जिन से किसी इंसान को ज़ख्मी किया जा सकता है।
२. आज कल बम बनाने के मिक्रोल, सय्याल मादूद या प्लास्टिक की तरह होते हैं इसलिए अब जहाज़ के अंदर पानी की बोतल और तमाम सय्याल मादूद ले जाना मनूज़ है।

(बकाया पेज नं २६ पर)

# हज के दौरान रास्ता भूलने और खो जाने का मसला

## मिना मुकर्मा में रवो जाने का मसला :

हरम शरीफ की मस्जिद में ६२ दरवाजे हैं, जिन पर नंबर लिखे हुए हैं। कुछ दरवाजों पर नंबर नहीं हैं। उन्हें भी गिना जाए तो १०० से ज्यादा दरवाजे हैं। नये आदमी को सब दरवाजे एक जैसे लगते हैं इस लिए जब पहली मर्तब आप हरम शरीफ जाएं तो जिस दरवाजे से दाखिल हों उस का नंबर नोट कर लें और उसी दरवाजे से बाहर आएं।

जब आप हरम शरीफ के अंदर मुताफ़ (सेहन) में होंगे तब भी चारों तरफ सारे दरवाजे आप को एक जैसे लगेंगे। पहचान के लिए हुक्मत ने पाँच अहम दरवाजों पर पाँच अलग रंग की मेहराबें बना दी हैं। जब आप हरम में दाखिल हों तो इन रंगों को अच्छी तरह पहचान लें और इसी तरफ के दरवाजे से बाहर निकलें। दरवाजों की मेहराबें और उन के रंग इस तरह हैं।

दरवाजे का नाम	मेहराब का रंग	सिम्प्ट (तरफ)
१. बाबे अब्दुल अज़ीज़	हरा	यह दरवाजा नंबर ९ है और मिस्कला इलाके की तरफ है।
२. बाबे सफा	सफेद	यह हिन्जे अस्वद के सामने सफा पहाड़ी की तरफ है। जहाँ से सई शुरू की जाती है।
३. बाबे फतह	नीला	यह मरवा पहाड़ी की तरफ है।
४. बाबे उमराह	सिलेदी	यह दरवाजा नंबर ६२ है। इस दरवाजे के पास गुमशुदा लोगों के लिए ऑफिस है।
५. बाबे फहद	पीला	यह दरवाजा नंबर ६२ है। शाह फहद ने हरम के एक हिस्सा की बहुत ज्यादा तबसी की है जिस में ८० हजार लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। यह मेहराब उसी हिस्से की तरफ है।

गेट नंबर ६२ के बाहर गुमशुदा लोगों और सामान का ऑफिस है। अगर आप गेट भूल जाएं और अकेले घर जाने की हिम्मत या एतमाद न हो तो गेट नंबर ६२ के पास ऑफिस में पहुँच जाएं। वह गाईड के ज़रिया आप को आप के घर या मुअल्लिम के ऑफिस पहुँचा देंगे।

## जिद्दा एयरपोर्ट पर रवो जाने का मसला :

जिद्दा एयरपोर्ट बहुत बसीअू और अरीज़ है। और इस एयरपोर्ट पर आप को काफ़ी देर रुकना है और अकेले घर जाने की हिम्मत या एतमाद न हो तो गेट नंबर ६२ के पास ऑफिस में पहुँच जाएं। वह गाईड के ज़रिया आप को आप का सामान जिस खम्बे के पास है, उसे ज़रूर नोट कर लें।

## मिना में रास्ता भूलने का मसला :

मिना में अक्सर हर शख्स एक बार रास्ता ज़खर भूलता है। इस लिए अगर आप मिना का जुगराफ़िया अच्छी तरह समझ लें तो इन्हा अल्लाह रास्ता नहीं भूलेंगे। मिना दो पहाड़ों के दरम्यान एक वादी का नाम है। इस वादी में मिना की तरफ से दाखिल होते ही 'जमरात' यानी शैतान को कंकरी मारने का मुकाम पहले है, फिर उस के बाद खेमों का सिलसिला है। वादी के दूसरी तरफ निकलें तो आधे किलो मीटर की दूरी पर 'मुज्जल्फ़ा' है, फिर और आगे जाएं तो ६ किलो मीटर की दूरी पर 'अरफात' है।

मिना लम्बाई में बसा है इसकी चौड़ाई कम है। रास्ता और खेमा न भूलने के

लिए सबसे पहले आप जमरात की जगह पहचान लीजिए फिर मिना के ऊपर चौड़ाई की सिस्त में तीन पुल हैं। इन का नाम याद कर लीजिए। जमरात से नज़दीक पहले पुल का नाम है किंग खालिद ब्रिज दूसरे पुल का नाम हैं किंग अब्दुल अज़ीज ब्रिज, तीसरा पुल मिना से बाहर मुज्जल्फ़ा की सरहद पर है। उसका नाम किंग फैसल ब्रिज। ज्यादातर हिन्दुस्तानी खेमे पहले और दुसरे पुल के आसपास ही होते हैं। तीसरी और सबसे अहम निशानी की ओर खेमे का पत्ता मिना में लगे खम्बे हैं, जिनपर नम्बर लगे होते हैं। अगर आप सिर्फ़ इन खम्बों पर लिखे नम्बर भी नोट कर ले तो कोई भी आप को आप के खेमे तक पहुँचा देगा।

## एहतेयात और तदबीरें :

- मिना मुकर्मा और मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही होटल के कॉउटर से उनका शन्द्याती कार्ड माँग ले और हमेशा अपने पास रखें।
- एहतेयात के तौर पर एक छोटी सी डायरी और पैन जेब में रखा कीजिए और इस में मुंदजर्ज़ील बातें नोट किया किजिए :
  - आप के क्याम गाह की सिस्त में हरम शरीफ के दरवाजे का नंबर।
  - आप के क्याम गाह के पास के मशरु होटल या दुकानों के नाम।
  - मिना में आप के खेमा के नज़दीक खम्बे का नंबर।
  - रोज़ मर्ह का आप का खर्च। इस से आप को अपना ठिकाना तलाश करने में आसानी होगी और खर्च बजट के अन्दर रहेगा।
  - तवाफ़ करते वक्त अगर दो लोग भी साथ हों तो अलग अलग हो जाते हैं इस लिए एक दुसरे का हाथ मज़बुती से पकड़ने के बदले हरम शरीफ में दाखिले के वक्त ही आपस में तय कर लें कि इबादत खत्म कर के कहाँ और कब मिलेंगे। हर एक हरम शरीफ में दाखिल होते वक्त बाहर से दरवाजा का नंबर नोट कर लें और मुताफ़ या खाना काबा के सेहन की तरफ से जो मेहराब उस दरवाजा की तरफ है उस का रंग नोट कर लें (दरवाजे का नाम और नंबर दोनों तरफ लिखे हुए हैं मगर आसानी के लिए मुताफ़ की तरफ से पाँच अहम दरवाजों की मेहराबें भी अलग अलग रंग की हैं इस से भूलने का डर कम रहता है।) फिर अगर तवाफ़ करते करते साथ छुट जाए तो साथी को तलाश करने के बदले इबादत जारी रखें और पहले से तय शुदा जगह और वक्त पर हरम शरीफ के दरवाजे पर मिलें।
  - मिना और अरफात में भी भीड़ में साथ छुट जाने का डर रहता है वहाँ तो आप पहले से जगह भी तय नहीं कर सकते, इस लिए वहाँ लोग मुंदर्ज़ीज़ेल (नीचे दिए गये) तदबीर एख़तियार करते हैं।
    - एक युप का हर फैर्द एक ही जैसा कोई निशान अपने कपड़े या टोपी या दुपट्टे पर लगाए रहता है, जैसे झंडा, छतरी, लकड़ी वगैरह। युप के बाकी के लोग उस निशान को देख कर उस युप लीडर के पीछे चलते रहते हैं और खो जाने पर दूर से ही पहचान कर आ मिलते हैं। ये दोनों तरीके लोग तवाफ़ करते वक्त भी इस्तेमाल करते हैं।
    - एक युप में किसी एक शख्स के हाथ में कोई निशानी की चीज़ होती है जो वह बुलाव किये रहता है, जैसे झंडा, छतरी, लकड़ी वगैरह। युप के बाकी के लोग उस निशान को देख कर उस युप लीडर के पीछे चलते रहते हैं और खो जाने पर दूर से ही पहचान कर आ मिलते हैं।

- iii) तीसरा तरीका मोबाईल का इस्तेमाल है। मगर इसे उस वक्त इस्तेमाल करें जब कोई चारा न हो। मुताफ़ और हरम श्रीफ़ के अंदर मोबाईल बंद ही रखें और हरम से बाहर आकर इस्तेमाल करें। मस्जिद के अंदर दुनियादारी की बातें पर फरिश्ते लानत भेजते हैं और मस्जिद-ए-हरम में किया गया एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है।

### **गुमशुदा आज़मीन किराम और सामान:**

अगर आपका कोई साथी खो जाये, तो हिंदुस्तानी हज मिशन के ब्रांच आफिस को फौरन इलाज़ दें, और अगर आपका कोई सामान खो जाये, तो भी पहले अपने ब्रांच आफिस A.H.O. को इलाज़ करें और फिर उन के मशविरे पर सऊदी अरब हुकूमत कि गुमशुदा सामान के ब्रांच आफिस में इलाज़ करें।

### **रकम का गुम होना या चोरी होना:**

अगर आप की रकम गुम हो जाये या चोरी हो जाये, तो ऐसी सूरत में शोएब आमिर इलाके में मौजूद हिंदुस्तानी मिशन के सदर दफ्तर में इफाद ऐ आम डेस्क से रुजू़अ़ करें। आप को आरज़ी इम्दाद हिंदुस्तानी आज़मीने इफाद फोरम I.P.W.F. की जानिक से फराहम की जायेगी।

### **अपने साथी आजिम की मौत हो जाने पर:**

अगर आप के किसी साथी की मौत हो जाये, तो मुअल्लिम के दफ्तर और अपने ब्रांच आफिस का मुलाज़ करें। याद रखें कि मरहूम की रिहाईश गाह से कब्रिस्तान ले जाने और तदूफीन की सारी ज़िम्मेदारी मुअल्लिम पर आयद होती है। शोएब आमिर में वाकेअ़ हिंदुस्तानी हज मिशन का सदर दफ्तर का राब्ता डेस्क इस ज़मन में N.O.C. जारी करता है।

### **तिक्की इमरजेंसी इम्दादः**

इमरजेंसी की सूरत में हिंदुस्तानी मिशन के ब्रांच के दवाखाने या अस्पतालों से दवा ली जा सकती है, मज़ीद मुश्किल हालात में डाक्टर को अपनी इमारत में भी बुलावाया जा सकता है।

### **मिना में कोई मसला दरपेश हो तो..!**

अपने खेमे से हमेशा मुअल्लिम से राब्ता कायम करें। हिंदुस्तानी मिशन के मिना में मौजूद कैप आफिस से भी राब्ता कायम कर सकते हैं।

### **मोबाईल के जरिए रास्ता मालूम करना :**

२०१३ में यह खबर मिली है की सौदी हुकूमत ने मिना, मजदल्फा और अरफात का नक्शा इंटरनेट पर लोड कर दिया है। और अगर आप स्टार्ट मोबाईल फोन इस्तेमाल करते हों तो जैसे आप Google map पर सारी दुनिया का नक्शा या रास्ता तलाश कर सकते हैं। इसीतरह मिना में अपने खेमे का रास्ता भी तलाश कर सकते हैं। इस खबर की मालूमात आप अपने मक्का के तयाम में पता कर लें।

\*\*\*\*\*

### **हज्जे मकबूल**

हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) कौन सा अमल ज़्यादा अफ़ज़ल है? आप (स.) ने फरमाया : अल्लाह और उस के रसूल अल्लाह पर ईमान। अर्ज़ किया, उस के बाद? फरमाया : अल्लाह के रास्ते में जिहाद। अर्ज़ किया, फिर? फरमाया : हज्जे मकबूल। (बुखारी, मुरिल्म)

### **पहले कौन ?**

मैं ५० किलो का दुब्ला पतला इन्सान हूँ, जब मुसल्ले पर खड़ा होता हूँ, तो आधा मुसल्ला खाली रहता है। हरम शरीफ में मुझे उस जगह नमाज़ पढ़ने का बहुत शौक था जहाँ से खानाए काबा साफ नज़र आए। इसी लिए मैं वक्त से पहले हरम पहुँच जाता और मौज़ जगह मुसल्लह बिघाकर बैठा रहता। जैसे जैसे नमाज़ का वक्त करीब आता, आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ती जाती। जब सारी खाली जगह भर जाती तो लोग दो नमाज़ियों के दरम्यान कुछ जगह बना कर बैठने लगते।

चैकिंग मेरा आधा मुसल्लह तो खाली ही होता था इस लिए मेरे बग़ल में कोई न कोई ज़सर आ जाता और अगर कोई सेहतमंद हाज़ी आ जाते तो आहिस्ता आहिस्ता वह मुसल्लह के बीच में होते और मैं किनारे और इस तरह अक्सर मैं ने नमाज़ दो मुसल्लों के बीच में पढ़ी, और ये बात मुझे नागवार गुज़रती।

एक दिन मैं ने दिल मैं फैसला किया कि आइंदा किसी को अपने मुसल्ले पर जगह न दुँगा। मेरा इतना सोचना था कि दूसरे दिन से मेरे वक्त से पहले हरम जाने और अपनी मन-पसंद जगह पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक छिन गई। मैं खुद देर से जाने लगा। दुसरों से गुज़रिश कर के दरम्यान मैं जगह बना कर बैठने लगा। यहाँ तक कि कभी कभी मुसल्लह भी न ले जा पाता और जनवरी के सख्त सर्दीयों में बर्फ की तरह ठंडी फर्श पर किसी कोने या किनारे नमाज़ पढ़ता। आखिर बहुत तौबा इस्तग़फ़र के बाद फिर तौफीक नसीब हुई।

किसी हाज़ी के लिए सिर्फ बदगुमानी की ये सज़ा के इबादत की तौफीक छिन जाए, तो जो लोग हाजियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं उनका क्या होगा?

जो कोई भी खुदा के घर आता है वह खुदा का मेहमान है और अल्लाह तआला मेज़बान हैं। अगर मेज़बान को खुश करना है, तो इसके मेहमानों की खिदमत को अपना नस्बुलैन बनाना होगा। आप मेहमान से झगड़ा करके, धक्का देकर, पीछे ढक्के कर, उसे तकलीफ़ पहुँचाकर कभी मेज़बान (अल्लाह तआला) को खुश नहीं कर सकते। खुदा न करे कि आप से भी इबादत की तौफीक छिन जाए या इबादत लौटा दी जाए इसलिए एयरपोर्ट पर, बस अड्डे पर या कहीं भी जब ये सवाल हो कि पहले कौन तो आप का जवाब होना चाहिए कि पहले अल्लाह तआला का मेहमान फिर मैं।

- रसूलअल्लाह (स.) ने हजतुल्लिदा के मौके पर फर्माया:

“‘हमेशा ही मुसल्मानों का कल्प करना, उन का माल लूटना, उन्हें बे-इज़ज़त करना, उतना ही सख्ती के साथ हराम है जिस तरह मुकद्दस शहर और इस मुकद्दस अरफा के दिन उन का कल्प करना, माल लूटना, और बे-इज़ज़त करना हाराम है। (बुखारी)

- “मुसलमान वह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना हो।” (बुखारी, मुरिल्म)

• हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलअल्लाह (स.) ने इशाद फरमाया, “हज उम्रह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अगर वह अल्लाह से दुआ करें, तो वह उन की दुआ कबूल फरमाए और अगर वह इस से मग़फिरत माँगे तो वह उन की मग़फिरत फरमाए।” (नसाई, इब्ने माज़ा, बज़ार)

- हजरत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलअल्लाह (स.) ने हाजियों के लिए दुआ फरमाई है? “या अल्लाह! हज करने वालों को बख्श दे और जिस के लिए हाजियों के लिए दुआ की गयी हो।” (इब्ने ख़ज़ीमा)

इसलिए अल्लाह के मुअज़िज़ मेहमान का खयाल रखें और उन की ऐसी खिदमत करें कि वह आप को दिल की गहराइयों से दुआ दें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

# हज के खास दिनों में सवारी का मसला

## १. एहसान का बदला :

आप के घर में अगर दस लोग रह रहे हों और बीस मेहमान बाहर से आ जाएँ और आप ने उन की खुश दिली से खिल्लम की तो मेहमान का क्या पूर्ज बनता है? मेहमान को चाहिये कि आप के एहसान का बदला बराबरी के एहसान से चुकायें।

هُلْ جَزَأُ الْحُسَنَنِ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (سورة طه، آية ١٠٩)

“हल जजाउल इहसानि इल्लल इहसान” (सूरह रहमान, आयत: ६०)

तर्जुमा: नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है।

तीस से चालीस लाख लोग हज के अव्याम और रमजान-उल-मुबारक में मक्का शहर पहुँचते हैं। जो मक्का शहर की आबादी से कई गुना ज्यादा है। शहर के लोग और हुक्मूत हर तरह से हाजियों की खिल्लम करते हैं। इस लिए हाजियों को चाहिये कि उन के रिज्क में बर्कत् और खुशहाली की दुआ करें। (मक्का में दाखिल होते वक्त और बस में इस दुआ को आप पढ़ते थी हैं) और अगर आप से उन को फायदा पहुँचता है तो उसे खुशी से होने दें। तंग दिल न हों, वहाँ के होटल, दुकानें, बस, टैक्सी वगैरह की बड़ी आमदनी का ज़रिया हज और रमजान-उल-मुबारक ये दो मवाके ही हैं इस लिए अगर इन दो मौकों पर आप को ऐसा महसूस हो कि वह ज्यादा कमा रहे हैं तो इस का उन को हक है। और आप को इन की मदद करनी चाहिये और ज्यादा रुपया बगैर तंग दिल हुए देना चाहिये।

हज़रत बरिद (रज़ि) से रिवायत है के हुजुर (स.) ने इर्शाद फर्माया के हज में खर्च करना जिहाद में खर्च करने की तरह है।

एक हृदीस में हज़रत आईशा (रज़ि) से मरवी है के हुजुर (स.) ने फर्माया के तेरे उमरे का सवाब तेरे खर्च के बकद्र है यानी जितना ज्यादा इस पर खर्च किया जाएगा उतना ही सवाब होगा।

## २. सवारी का इंतेज़ाम :

हज के मौके पर तीस से चालीस लाख लोग एक ही वक्त में एक तरफ सफर करते हैं इतने ज्यादा लोगों के लिए एक ही वक्त सवारीयों का इंतेज़ाम करना मुश्किल ही नहीं इस लिए मुअल्लिम का इंतेज़ाम लोगों को तीन ट्रिप (trip) में बस के ज़रिए मज़िल पहुँचाना होता है। सड़क पर लोगों के अज़दहाम और मोटर गाड़ियों की भीड़ की वजह से वह मुश्किल से दो ट्रिप कर पाते हैं। आखिरी ट्रिप के तिहाई ९/३ लोगों को या तो अपनी मंज़िल तक पैदल या प्रायवेट टैक्सी ही में सफर करना पड़ता है।

जो लोग बस के पहली ट्रिप में सवार होते हैं वह दुनियावी नुक्ते नजर से चुस्त, चालाक और सवारी की मुश्किलों से वाकिफ होते हैं। जो, सब लोगों से पहले पहुँच कर धक्कम पेल कर के बस में सवार हो जाते हैं।

जो लोग सब्र कर के और देर तक इंतेज़ार कर के दुसरी ट्रिप में सफर करते हैं। वह अकसर सीधे सादे, सवारी की तकलीफों से नावाकिफ और भीड़ भाड़ से कतराने वाले लोग होते हैं। आखिरी ट्रिप होती ही नहीं। क्योंकि तीसरी ट्रिप तक मंज़िल पर पहुँचने का वक्त ख़त्म हो चुका होता है इस लिए वह लोग जिन्होंने ने हज की तर्बियती तालीम हासिल की है और जो मसाइल का इल्म रखते हैं। वह बगैर बस का इंतेज़ार किये पैदल या प्रायवेट टैक्सी वगैरह से ही चल देते हैं। अगर आप को मिना से अरफ़ात जाना है तो पहली बस फ़ज़ के फौरन बाद चली जाती है। और दुसरी ट्रिप के लिए करीब ११ बजे वापस आती है। और हाजियों को लेकर २ बजे तक अरफ़ात पहुँचती है। तीसरी ट्रिप के लिए अगर वापस आना हुआ तो फिर अरफ़ात पहुँचते हैं।

पहुँचते शाम हो जाएगी और वक्त ख़त्म हो चुका होगा इस लिए तीसरी ट्रिप हो ही नहीं पाती। इसलिए अब मुअल्लिम रात ही में जो मस्नून वक्त से पहले है हाजियों को मक्का से मिना से अरफ़ात ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसी मज़बूरी की हालत में रात का सफर करना जाइज़ है।

## ३. पैदल सफर कितना मुश्किल है?

१. मक्का शरीफ से मिना तकरीबन ४.५ से ५ किलो मीटर दूर है।
२. मिना कि लम्बाई तकरीबन १.५ से २ किलो मीटर है।
३. मुज़दलफा मिना से बिल्कुल लगा हुआ है।
४. मिना से अरफ़ात ६.५ किलो मीटर है।
५. सफा और मरवा की दूरी ३६५ मीटर है।
६. जब आप खाने काबा का तवाफ मुकामें इब्राहिम के बिल्कुल करीब से करते हैं, तो एक चक्कर में आप १५० मीटर का सफर करते हैं यानी सात चक्कर में एक कि.मी. से कुछ ज्यादा चलते हैं।
७. जब आप खाने काबा का तवाफ काबे शरीफ से १०० फिट की दूरी यानी मुताफ़ के आखरी हिस्से से करते हैं तो तकरीबन पौने दो कि.मी. की दूरी तय करते हैं।
८. सफा और मरवा की दूरी ३६५ मी है यानी सात चक्कर में आप तकरीबन पौने तीन कि.मी. चलते हैं।
९. उम्रह में अगर आप खाने काबा से १०० फिट की दूरी से तवाफ करते हैं और सफा और मरवा के सात चक्कर लगते हैं, तो ४.५ किलो मीटर की दूरी तय करते हैं यानी मक्का से मिना कि दूरी। अगर आप उम्रह आसानी से कर सकते हैं तो मक्का से मिना भी आसानी से और उतने ही वक्त में जा सकते हैं।
१०. जब आप मक्का पहुँचते ही उम्रह करते हैं तो उम्रह करते वक्त अपनी जिसमानी ताकत का भी अन्दाज़ा कर लें। अगर आप बड़ी आसानी से उम्रह कर लेते हैं तो मक्का और मिना का दरम्यानी सफर भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे।
११. एक बार उम्रह करने के बाद कुछ देर आराम करने के बाद अगर आप सफा और मरवा के सात चक्कर और लगा सकते हैं, तो आप मिना और अरफ़ात के दरम्यान का सफर भी आराम से कर सकते हैं।
१२. लोग दिन में पाँच से सात बार तवाफ करते हैं ये मक्का और मिना या अरफ़ात की दूरी से भी ज्यादा चलना है मगर क्योंकि एक ही जगह पर चलना होता है इसलिए हिम्मत बंधी रहती है और मिना और मक्का या मिना और अरफ़ात का सफर भी पैदल नहीं किया हुआ होता है इसलिए इस बारे में सोचकर हिम्मत टूट जाती है इसलिए अपने पहले उम्रह पर बारीकी से गौर कीजिए। अपनी कुछता का अन्दाज़ा लगाइये और अल्लाह की मदद पर भरोसा करके ज्यादा से ज्यादा पैदल सफर करने की कोशिश कीजिए।
१३. पैदल चलने की बहुत फ़ज़ीलत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया:

जो मक्का को पैदल हज को जाये यहाँ तक के मक्का से वापस आये यानी तमाम हज पैदल करे, तो उस के लिए हर कदम पर सात सौ नेकियां हरम शरीफ की नेकियों की मिस्ल लिखी जायेंगी। पूछा गया है कि हरम शरीफ की नेकियों की क्या मिकदार है? नबी करीम (स.) ने फरमाया, “हर नेकी लाख नेकी है।” (इन ख़ज़ीमा व हाकिम)। लिहाज़ा इस हिसाब से हर कदम पर

सात करोड़ नेकिया हुई। (वल्लाहु जुल्फ़ज़िल अज़ीम)

इसलिए हज के अव्याम में हमेशा पैदल चलना सब से अफ़ज़ल है। मगर जो कमज़ोर हैं और इतनी मशक्कत की हिम्मत नहीं उन के लिए मेरा ज़ाती मशवरा यह है कि आप नीचे दिए गए तरीके से सफर कीजिए।

#### 4. मक्का से मिना का सफरः

9. मिना जाने से पहले मुअल्लिम से खेमा का नक्शा ले लीजिए। मक्का में आप की रिहाईशगाह से मिना जाने के लिए बस का इतेज़ार कीजिए और बस में ही सफर कीजिए। क्योंकि मुअल्लिम ७ तारीख की रात से ही हाजियों को मिना पहुँचाना शुरू कर देते हैं और ८ तारीख को १२ बजे आप को मिना पहुँचना होता है इस लिए बस में अक्सर आराम से जगह मिल जाती है। दूसरी वजह ये भी है कि बस आप को आप के खेमा तक पहुँचा देगी। पहली बार खेमा ढुँढ़ना भी एक बड़ा मसला है। अगर मुअल्लिम रात में हाजियों को मिना पहुँचाना नहीं शुरू करता तो सुबह में बहुत भीड़ और अफरा तफरी होगी। ऐसे हालात में आप सुबह फ़क्रे के बाद ही मिना पैदल चल दीजिए।

अगर आपके साथ औरतें और बुढ़े हैं जो चल नहीं सकते तो आप सब कीजिए और दूसरी या तिसरी बस कि ट्रिप से मिना पहुँचे। क्योंकि आठ तारीख को मिना पहुँचकर आपको सिर्फ़ पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ना है। अगर आप दोपहर २ बजे भी मीना पहुँचते हैं तो भी पाँचों वक्त कि नमाज़ आसानी से पढ़ सकते हैं।

अगर आप चल सकते हैं और आप के पास मिना का नक्शा भी है और खेमा तलाश कर लेने का हीसला भी है तो अल्लाह का नाम लेकर पैदल सफर शुरू कर दीजिए।

मिना के खेमे में तकरीबन ७० लोगों को रखा जाता है। लोग बड़ी मुश्किल से खेमे में सो पाते हैं जो लोग मिना पहले पहुँचते हैं वो ज्यादा से ज्यादा जगहों को धेर लेते हैं। जिससे आखिर में आनेवाले को सामान रखने कि जगह भी नहीं मिल पाती। अगर ऐसा हो तो सब्र से काम लीजिए किसी कोने में सामान रखकर दिनदार लोगों को जमा कीजिए और औरतों के पर्दे के लिए खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरता को खेमे के एक तरफ करने कि कोशिश कीजिए।

ऐसा करने से सब की धेरी हुई ज़ाएद जगह आज़ाद हो जाती है। फिर इंसाफ के साथ आपस के सुलह व मश्वरे से हर एक को इन के आसानी के मुताबिक जगह दीजिए। शरीयत के उसूलों पर चलने से न सिर्फ़ आखिरत की ज़िन्दगी बल्कि दुन्यावी ज़िन्दगी भी आसान हो जाती है।

#### 5. मिना से अरफ़ात का सफरः

६. तारीख को मिना में फ़ज़ की नमाज़ पढ़कर अरफ़ात के लिए जाना, यह सुन्नत तरीका है और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, मगर जब तीस लाख लोग एक साथ ऐसा करें, तो क्या हाल होगा? आप इस का अंदाज़ा कर सकते हैं? सख्त अफरा तफरी का आलम होता है। बस और जीप में सब छत के ऊपर तक भरे होते हैं। मिना से अरफ़ात आप का मुअल्लिम की बस में जाना ज्यादा बेहतर है।

9. मुअल्लिम आप को अपने अरफ़ात के खेमे में ले जाकर ठहराएगा, जहाँ आप सुकून से बैठ सकते हैं ज़खरत हुई, तो लेटकर आराम कर सकते हैं। अनें युप में जमात बनाकर नमाज़ अदा कर सकते हैं, और सुकून से इबादत कर सकते हैं।
२. दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। इसलिए आप को अपने खाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए।
३. मुअल्लिम के खेमों के आस पास ही नहाने और ज़खरियात से फ़ारिग़ होने का अच्छा इतेज़ाम होता है। अरफ़ात में गुस्त सुन्नत है।
४. अरफ़ात से वापसी के वक्त भी मुअल्लिम के खेमों के पास ही से इस की बस रवाना होगी। इस लिए अगर आप के साथ ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते,

तो आप को सवारी के लिए आसानी होगी।

अगर आप ने अरफ़ात की तरफ पैदल सफर किया और मस्जिद नमरा के करीब पहुँच गये, तो वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती है, जैसे; नमाज़ के बाद मुताफ़ में तवाफ़ करते वक्त होती है। इसलिए अगर आप का पैदल सफर का इरादा है, तो अरफ़ात से पहले दायें या बायें होकर अरफ़ात में दाखिल हों सीधे रास्ते पर मस्जिद-ए-नमरा है।

मुअल्लिम की बस से सुकून से आपको अगर अरफ़ात जाना है, तो आधी रात को जब इस की पहली बस अरफ़ात के लिए रवाना होगी उस से आप अरफ़ात आ जायें और अरफ़ात पहुँच कर फ़ज़ की नमाज़ अदा करें।

मिना में फ़ज़ की नमाज़ पढ़कर निकलना सुन्नत है। मगर मुसलमानों को तकलीफ़ देना हराम है। अगर आप सुबह तक इतेज़ार करते हैं और सुबह की बस से रवाना होना चाहते हैं, तो उस वक्त जब बस छत तक भर गयी होगी। आप का उस भीड़ में शामिल होना लोगों की परेशानी का सबब बन जायेगा।

अरफ़ात के करीब पहुँचकर आप को लोगों का एक समंदर नज़र आएगा। मगर खबरदार रहिए! जहाँ लोग हैं, वहाँ अरफ़ात के मैदान का होना ज़रूरी नहीं है। अरफ़ात का मैदान एक महदूद जगह है जिसकी निशानदेही कर दी गयी है। वक्फ़अरफा (अरफ़ात में वक्त बिताना) का फ़ज़ इसी जगह रहकर इबादत करने से अदा होगा। मस्जिद-ए-नमरा का कुछ हिस्सा और आसपास का बहुत सा इलाका अरफ़ात के हुदूद के बाहर हैं। जब आप अरफ़ात के मैदान में दाखिल होने लगे, तो अरफ़ात के हृद का बोर्ड ज़रूर देख लें।

मुज़ल्फ़ा से अरफ़ात के तरफ कुल ११ सड़कें जाती हैं जिन में से २ सिर्फ़ पैदल चलने वालों के लिए और ६ मोटर गाड़ियों के लिए हैं। पैदल चलनेवाली दो सड़के मुज़ल्फ़ा में मस्जिद अलशअरूल हराम से निकलती हैं इस में सड़क नम्बर एक मस्जिद ए नमरा और सड़क नम्बर दो जबल-ए-रहमत तक गयी हैं, इन सड़कों पर तरीकुल मशाता रवकम १ या २ लिखा हुआ होगा। पैदल चलने वाली सड़क नम्बर एक मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ४ और ५ के दरम्यान है और पैदल चलने वाली सड़क नम्बर २ मोटर गाड़ियों के सड़क नम्बर ७ और ८ के दरम्यान है।

मस्जिद-ए-नमरा अरफ़ात में दाखिल होते ही हैं। इस का मुज़ल्फ़ा की सिस्त का एक हिस्सा अरफ़ात के हुदूद के बाहर है। जब के जबले रहमत अरफ़ात मैदान के दरम्यान है, इन दोनों जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अगर आपके युप में ज्यादा लोग हो और औरते और कमज़ोर लोग हो तो इन दोनों जगहों से दूर ही रहें तो बेहतर है वरना एक दुसरे से बिछड़ जाने का खतरा रहता है।

(२०१२ से मुअल्लिम ६ तारीख की रात में ही हाजियों को ट्रेन के जरिए अरफ़ात पहुँचा देते हैं। यह सफर बहुत आसान भी है।)

#### 6. अरफ़ात से मुज़द्दल्फ़ा का सफरः

हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते हैं, मगर मक्का शरीफ से मिना और मिना से अरफ़ात का सफर लोग ३ से ४ घंटे के वक्त में करते हैं, यानि किसी ने ३ घंटे पहले और किसी ने ३ घंटे बाद सफर शुरू किया। मगर अरफ़ात से मुज़ल्फ़ा का वापसी का सफर लोग एक साथ, एक ही वक्त में सूरज डूबते ही करते हैं इस लिए वह गाड़ियाँ जो अरफ़ात के आखरी सिरे पर, यानि मस्जिद-ए-नमरा से दूर होती हैं वह एक ही जगह पर ३ से ४ घंटे खड़ी रह जाती हैं और मुज़ल्फ़ा रात के ३ या ४ बजे पहुँचती है। जिस से मगरिब और इशारा की नमाज़ कज़ा हो जाती है। मुज़ल्फ़ा की रात बहुत अहम है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में शबे कद्र की सिर्फ़ फ़ज़ीलत बयान की है कि ये एक रात हजार रातों से ज्यादा अफ़ज़ल है। मगर अल्लाह तआला ने मुज़ल्फ़ा की रात में अल्लाह तआला को याद करने का हुक्म कुरआन शरीफ में इन अल्लाज़ में दिया है:

فَإِذَا أَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَارِمِ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَذِلْمٌ وَإِنْ لَكُنْمٌ مِنْ قَبْلِهِ لَيْسَ الصَّالِبُونَ (١٠٠) ٦٠٠ (١٩٨٥)

“फ-इज़ा अफज़-तुम मिन अ-र-फातिन फज़ कुखल्लाहा इन्दल मशअरिल हराम, वज़ कुख्लुहु कमा हदाकुम, व इन कुतुम मिन कव्लिही ल-मिनज़ाल्लीन।”

“जब अरफात से वापस होने लगे तो मशअरे हराम (यानी मुज़दल्फ़ा) में अल्लाह का जिक्र करो और इस तरह करो जिस तरह उस ने तुम को सिखाया और इस से पहले तुम लोग (इन तरीकों से महज़) ना वाक़िफ़ थे।” (सूह बकरा-१६८)

अगर मुज़दल्फ़ा आप वक्त पर पहुँच कर इबादत करना चाहते हैं तो पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं है। अरफात से मुज़दल्फ़ा तक रीबन ६ किलो मीटर है। अरफात से मुज़दल्फ़ा के सफर में २० लाख लोग आप के साथ पैदल सफर कर रहे होंगे, इन सब के साथ आप को चलना बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप ठहर ठहर कर आराम से चलें तब भी २ से ३ घंटे में मुज़दल्फ़ा पहुँच जाएंगे और अगर थक गए हों, औरतें और बूढ़े साथ हों, तो फिर प्रायरेट टैक्सी से सफर कीजिए क्योंकि बस तो असर की नमाज़ ख़त्म होते ही छठ के ऊपर तक भर जाती है और असल अरफात में दुआ का वक्त असर से मग़रिब का है। इस दौरान आप ख़बूब दिल लगा कर इबादत कीजिए और आराम से मग़रिब के वक्त चलिये।

मुज़दल्फ़ा और मिना की सरहदें मिली हुई हैं, और अब तो मिना के खेमे जगह की कमी होने की वजह से मुज़दल्फ़ा के अन्दर तक लगाए जाते हैं इस लिए ये सफर पैदल ही कीजिए और इतने नज़्दीकी के लिए शायद आप को सवारी भी न मिलेगी।

## 2012 के बाद से ट्रेन के जरिए सफर:

२०१२ से सउदी हुक्मत अब ट्रेन से भी हाजियों को मिना से अरफात फिर अरफात से मुज़दल्फ़ा और मिना लाने का इंतेजाम किया है। इसका तरीका यह है मिना, मुज़दल्फ़ा और अरफात इन तिनों जगहों पर रेल्वे स्टेशन हैं और हर जगह तीन तीन रेल्वे स्टेशन हैं। आपका का मुअल्लीम आपको आपके सफर का वक्त पहले से बता देगा ताकि आप इसी वक्त तैयार रहें। फिर मुकर्रर वक्त पर उस के गाइड आपके ग्रुप के ५०० हाजियों के ग्रुप के एक साथ मिना के रेल्वे स्टेशन पर पर ले जाएंगा। अगर वह आप सबको मिना के रेल्वे स्टेशन नंबर एक पर ले जाता है तो फिर अरफात में भी एक नंबर रेल्वे स्टेशन पर उतारेंगा। फिर हर जगह आपको एक नंबर रेल्वे स्टेशन पर ही उतरना या चढ़ना है। इसी तरह अगर २ नंबर रेल्वे स्टेशन से आप ट्रेन पर सवार हुए तो आखिर तक हर जगह आपको २ नंबर रेल्वे स्टेशन पर ही चढ़ना या उतरना है।

ट्रेन की टिकट कलाई में पहनने के एक पट्टे की तरह है। रेल्वे स्टेशन नंबर एक के लिए यह निले रंग का होगा, और रेल्वे स्टेशन नंबर २ के लिए पिले और रेल्वे स्टेशन नंबर ३ के लिए हरे रंग का होगा। ट्रेन में सवार होते वक्त अगर किसीने टिकट के बारे में पूछा तो सिर्फ़ कलाई पर पहने हुए पट्टे को जाहिर करना होता है।

मुअल्लिम आपको पहले बस से मिना द तारीख की रात में लाएगा। फिर ६ तारीख कि रात में ट्रेन के जरीए आपको अरफात ले जाएगा। वहाँ वह आपको अपने खेमे में रात में ठहराएगा। मिना और अरफात के सारे खाने पीने का इंतेजाम सब मुअल्लिम के जिम्मे ही है। इसलिए वह आपको हर जगह खाने पीने देगा। आप रात अरफात में गुजारियें फिर ६ तारीख का पुरा दिन अरफात में गुजारें, फिर रात का खाना खिलाकर वह आपको ट्रेन से मुज़दल्फ़ा लाएगा। मुज़दल्फ़ा में रात एक खुले आसमान के नीचे बसर किए गए पानी और बैतुलखला का इंतेजाम मुज़दल्फ़ा में भी है। फिर मुज़दल्फ़ा से भी वह आपको सुवह ट्रेन के जरीए मिना लाएगा।

मिना के तथाम में मिना और जमरात के दरम्यान भी अगर आप ट्रेन के जरिए जमरात जाना चाहे तो इसका इंतेजाम भी मुअल्लिम भी करता है। मगर आपको आजामी है कि अगर आप अपने आसानी के मुताबिक अकेले और अपने वक्त पर जाना चाहते हैं तो अकेले भी जा सकते हैं।

## ८. मिना से मक्का मुकर्मा का सफर:

जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि मक्का शरीफ से मिना की दूरी सिर्फ़ साढ़े चार से पाँच कि.मी. है। इतनी दूरी तो आप एक उम्राह में तय कर लेते हैं। मक्का से मिना और मिना से मक्का सफर आप पैदल ही तय कीजिए। अगर आप पैदल चलते हैं तो यह सफर आप ३० मिनट के वक्फ़ में कर लेंगे। सवारी से दो से तीन घंटे भी लग सकते हैं। सवारी के मुश्किलात से वाकिफ़ सऊदी हुक्मत ने इस मुख्तासर सफर के लिए बेहतरीन सड़कें और सुरंग बनाए हैं। रास्ते में साथी भी किया है और पानी का इंतेजाम भी है। अगर आपका बैग पहनने वाला है और आप को कंधों पर उठाकर नहीं चलना है, तो सफर और भी आसान हो जाएगा। मिना से मक्का के लिए वापरी के पैदल सफर की एक और वजह यह भी है कि आप को १२ तारीख के मग़रिब से पहले मिना से निकल जाना है अपने खेमे से, अगर आप वक्त पर पैदल रवाना हुए तो यकीन के साथ मिना से मग़रिब के पहले निकल जाएंगे। बस के सफर में अगर ट्राफ़िक जाम हो तो कभी कभी बस या टैक्सी एक से दो घंटे जगह पर ही खड़ी रह जाती है इस लिए अगर आप सही वक्त पर भी अपने खेमे से निकलें मगर सवारी में बैठे बैठे सूरज गुरुब होने तक आप अगर मिना में रह जाते हैं तो आप का मिना में रहना अफ़ज़ल होगा।

## ९. हरम के टेक्सी ड्राइवरः-

हरम के टेक्सी ड्राइवरों से अपने क्यामे हरम में हिफ़ाज़त कीजिए और टेक्सी ड्राइवरों पर कभी भी भरोसा मत कीजिए। इन में से अक्सर गैर मुल्क और मुनिरमाना ज़हनियत के हैं। उन के ज़रिए धोका देने और लूटने की अक्सर वारदातें होती हैं।

## १०. सफर से मुतालिम कुछ ज़रूरी मालूमातः

मक्का से मदीना, मदीना से मक्का या जिद्दा वगैरह के सफर के बारे में जानकारी के लिए अपनी इमारतों में चिस्पा नोटिस को पढ़ें या अपने अपने मुअल्लिम के दफ्तर से रुज़ुअ करें या अपने हिंदुस्तानी हज मिशन ब्रांच के आफिस से राब्ता कायम करें।

मक्का मुकर्मा और मदीना मुनब्वरा के तारीखी मुकामात की ज़ियारत के लिए कई दलाल आप की इमारत या कमरे में आयेंगा ये हर शख्स से उन मुकामात की ज़ियारत के लिए १५ से २० रियाल या इससे भी ज़्यादा रूपये वसूल करेंगे। ये उनका मुनाफ़ा बढ़ा करोबार है।

अगर आप और कुछ हाजी मिल कर कोन्टर एक्ट वालों से राब्ता कायम करें, तो वसें इतने सस्ते में मिल जाती हैं के फी कस हर शख्स को सिर्फ़ ५ से १० रियाल ही अदा करने पड़ेंगे।

## औरतों का जिहाद, हज है।

हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह (स.) हम जिहाद को अफ़ज़ल समझते हैं, तो क्या हम जिहाद ना किया करें? आप (स.) ने करमाया, तुम्हारे लिए अफ़ज़ल जिहाद हज्जे मबरूर हैं। (बुखारी)

# सफरे हज में नमाज़ का बयान

- १) पर्दे के साथ दरा और सब से अहम और मुश्किल काम जो आप को करना है, वह है खेमा में बा-जमाअत नमाज़ का इतेज़ाम। मिना में मस्जिद-ए-खैफ है। अगर खेमा मस्जिद से दूर हो तो वहाँ तक पैंचों वक्त पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए खेमा में बा-जमाअत नमाज़ का एहतेमाम करें।
- २) मिना के क्याम में इबादत के लिए अल्लाह तआला ने खास ताकीद फरमाई है। अल्लाह तआला फरमाते हैं:
- जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो (मिना में) खुदा को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, उस से भी ज्यादा। (सूरह बकरा आयतः२००)
  - और (मिना के क्याम) के दिनों में (जो) गिन्ती के (चंद दिन हैं) खुदा को याद करो। अगर कोई जल्दी करे (और) दो ही दिन में (चल दे) तो इस पर कुछ गुनाह नहीं। और जो बाद तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं। (सूरह बकरा)। इस लिए मिना में बहुत ज्यादा इबादत करना चाहिए। मगर आम तौर पर लोग वहाँ सैर व तफरीह, बहस मुबाहिसे और फुजूल बातों में वक्त गंवाते रहते हैं।
  - ३) मिना में तीन वज्रहात की बिना पर एक जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना मुश्किल होता है।
    - (क) नमाज़ के वक्त पर लोगों की ना इतेफाकी।
    - (ख) मस्तक का मसला।
    - (ग) कसर नमाज़ का मसला।
 हुजूर (स.) का इरशाद है, कि जो मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा उसे १०० शहीदों के बराबर सवाब मिलेगा। जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ना हुजूर (स.) की सुन्नत है। इस लिए कोशिश कर के जमाअत से नमाज़ पढ़ें। और ऊपर बयान किए गए तीनों वज्रहात को आड़े आने ना दें।
  - ४) मिना के खेमे में पहुँचते ही पहले परदे का एहतेमाम करें। फिर तमाम लोगों को एक जगह जमा करके नमाज़ बा-जमाअत की कोशिश करें। और ऐसे शख्स को इमाम बनाएं जिस के पीछे दूसरे मस्तक वालों को नमाज़ पढ़ने में कराहियत ना हो। (जिन हज़रात को कराहियत हो तो बाद में वह खामूशी से अपनी नमाज़ दोहरा ले, मगर हुजूर (स.) की जमाअत से नमाज़ पढ़ने की सुन्नत को ना छोड़ें।)
  - ५) चूंकि अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तआला को मिना में ज्यादा से ज्यादा याद करो। इस लिए शरीअत के दायरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत की कोशिश करनी चाहिए। मुसाफिर की नमाज़ मुकामी इमाम के पीछे हो जाती है इस लिए कोशिश करके ऐसे शख्स को इमाम बनाया जाए जो कि मुकामी हो। इस से वह हाजी जो मुकामी हैं और जिन पर 'कसर' लाज़िम नहीं है उन्हें चारों रक्त अत इमाम के साथ नमाज़ पढ़ने का मौका मिलेगा और मुसाफिर हज़रात जो ज्यादा दो रक्त अत नमाज़ पढ़ेंगे तो उस का उन्हें ज्यादा सवाब मिलेगा। (अगर सब मुसाफिर हैं तो इमाम का मुसाफिर में से इंतेखाब करना और सब का कसर पढ़ना ज्यादा अफ़ज़ल है।)
  - ६) नमाज़ के इलावा भी ज्यादा से ज्यादा नफिल पढ़ने की कोशिश करें या कम अज़ कम नमाज़ पढ़ने की जगह पर ही १५ मिनट से आधा घंटा बैठ कर तस्वीह पढ़ते रहें। इस से दूसरों को भी इबादत करने का शैक्ह होगा। अगर आप अपनी नमाज़ मुख्तसर करके फैरन जगह से उठ जाएंगे तो चूंकि

नमाज़ आराम करने की जगह पर ही होती है। इस लिए इस खौफ से कि दूसरों को तकलीफ होगी हर कोई मुख्तसर करके जगह खाली करने की कोशिश करेगा। इस लिए शरीअत जहाँ तक इजाज़त दे पूरी नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और नफिल नमाज़ और तस्बीहात का भी खूब एहतेमाम करें।

- ७) दो मोअज्जिन और दो इमाम मुकरर कर लें। ताके अगर एक किसी वजह से गैर-हाजिर हो तो दूसरा जरूर अज़ान दे सके और नमाज़ पढ़ा सके। नमाज़ का वक्त भी काग़ज पर लिखकर खेमे में लटका दें ताकी सब को हमेशा याद रहे।

अल्लाह तआला मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करो। इमाने कामिल अता फरमाए और दुनिया व आखिरत दोनों जगह कामयाब फरमाए, आमीन।

## कसर नमाज़ का बयान:-

- अगर कोई अपने शहर से ७८ कि. मि. दूरी के सफर का इरादा करता है तो उस शख्स का अपने शहर को छोड़ते ही मुसाफिर में शुमार होगा।
- अगर वह शख्स मंज़िल पर पहुँच कर १५ दिन से कम रहने का इरादा रखता है तो उस शख्स का दूसरे शहर में भी मुसाफिर ही में शुमार होगा। और १५ दिन से ज्यादा रहने का इरादा हो तो फिर वह शख्स सिर्फ रास्ते के सफर में ही मुसाफिर होगा और मंज़िल पहुँच कर मुकामी ही जाएगा।
- मुसाफिर के लिए ४ रक्त अत वाली फर्ज़ नमाज़ २ रक्त अत होंगी। जिन्हें 'कसर' कहते हैं।
- मुसाफिर अगर सुन्नत और नफिल ना पढ़े तो कोई गुनाह ना होगा। अगर पढ़ लें तो उसे सुन्नत और नफिल के मुताबिक ही सवाब मिलेगा। (सवाब कम न होगा।)
- मुसाफिर के लिए फर्ज़ नमाज़ के इलावा फर्ज़ की २ सुन्नत और इशा की ३ वित्र पढ़ना लाज़िम है।
- मुसाफिर अगर मुकामी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ता है तो उस की नमाज़ बिला कराहियत दुरुस्त होगी। और उसे इमाम के साथ पूरी नमाज़ पढ़नी होगी।
- मुकामी हज़रात अगर मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो उन की भी नमाज़ हो जाएगी। मगर जब इमाम कसर की २ रक्त अत नमाज़ पढ़ कर सलाम फेरे तो मुकामी हज़रात बैगैर सलाम फेरे उठ कर बाकी २ रक्त अत पूरी कर लें।
- मुसाफिरत के अथ्याम में जब मुसाफिर तन्हा नमाज़ पढ़े तो हनफी मस्तक के मुताबिक उसे कसर नमाज़ पढ़ना लाज़िम है। जब कि दूसरे मस्तकों के मुताबिक सिर्फ जायज़ है, लाज़िम नहीं।
- सऊदी उलमा का मस्तक हंबली है, इस लिए सऊदी में सारी नमाजे हनफी मस्तक के नमाज़ के वक्त से बहुत पहले पढ़ी जाती हैं। किसी भी मस्जिद में हंबली मस्तक के वक्त के मुताबिक अगर आप जमाअत से नमाज़ पढ़ते हैं तो आप की नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ते हैं या मिना में सारे हाजी हनफी मस्तक से हैं और अपनी अलग जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते हैं तो उन्हें हनफी मस्तक के मुताबिक जो नमाज़ का वक्त है उस वक्त पर नमाज़ पढ़ना चाहिए।

## मिना में क्या आप मुसाफिर हैं ?

- ७८ किलोमीटर दूरी के सफर के बाद अगर आप नहीं जगह में १५ दिन से ज्यादा रोज़ रहने का इरादा करते हैं, तो आप वहाँ मुकामी होंगे मगर नए जगह पर भी अगर आप का दो मुस्तकिल जुदा-जुदा जगह पर ठहरने का इरादा हैं और हर एक जगह पर भी आप क्याम का इरादा १५ रोज़ से कम होगा तो आप मुसाफिर में ही शुमार होंगे।
- पहले जमाने में मक्का मुकर्मा एक शहर था और मिना दो पहाड़ीयों के दरम्यान एक बादी थी। दोनों जुदा-जुदा थे। मिना में आबादी न थी। या मक्का मुकर्मा से मुसलसल आबादी का सिलसिला मिना में न था। इसलीए दो अलग-अलग शुमार किए जाते थे और अगर किसी हुज्जाज कि रिहाईश मक्का मुकर्मा में हज से पहले १५ दिन से कम होती तो वह मक्का मुकर्मा और मिन मुज्दलफा और अरफात में मुसाफिर ही शुमार होता था और उसे कसर पढ़ना लाज़मी होता था।
- मगर अब मिना और मुज्दलफा का इलाका मक्का शहर में शामिल कर लिया गया है और आप खुद ही देखें कि मक्का मुकर्मा से मुसलसल ११ आबादी का सिलसिला फैला हुआ हैं और मिना के मुतवाज़ी पहाड़ पर रिहाईश इमारतों की एक कतार सी हैं। और अजिजीया का इलाका जहाँ हिन्दुस्तानी हाज़ी रहते हैं। वह जमरात से बिल्कुल करीब है।
- सन २००६ इसवी में यह भी खबर मिली हैं कि अरफात भी मक्का मुकर्मा शहर में शामिल कर लिया गया हैं, और वैसे भी हाज़ी अरफात में रात नहीं गुज़ारते हैं सिर्फ़ अरफात जाकर शाम तक वापस आते हैं।
- इसलिए अब वह हज़रात जिनका कुल क्याम १५ दिन से कम होगा सिर्फ़ वही मुसाफिर शुमार किए जाएंगे। वरना सब मुकामी होंगे। कुल क्याम यानी हज के अव्याप से पहले मक्का मुकर्मा के क्याम के दिन, हज के पाँच दिन और हज के बाद मक्का मुकर्मा में क्याम के दिन इन सब दिनों की जमा या सब दिन मिलाकर १५ दिन से कम होंगे तो हाज़ी मुसाफिर हैं वरना मुकामी।

## वकूफ़े अरफात और नमाज़:-

- मिना और मुज्दलफा यह दोनों मुकद्दस मुकामात मक्का मुकर्मा शहर में शामिल होने के बाद अब अक्सर हाज़ी मुकामी ही होते हैं और उन्हें नमाज़ पूरी ही पढ़नी होती है।
- अरफात में शानदार और कुशादा मस्जिद, मस्जिदें नमरा है। वहाँ ज़ोहर के वक्त ही ज़ोहर और अस्‌दोनों नमाज़ें एक साथ कसर कि तरह (दो-दो रकात करके) पढ़ी जाती है। अगर आप मुकामी हैं तो मस्जिदें नमरा में कसर नमाज़ किस तरह पढ़ें, यह अपने उल्मा से दरयापत कर लें।
- मालिकी और हम्बली मसलक के मुताबिक, मुकामी और मुसाफिर सबके लिए अरफात में कसर पढ़ना जायज़ हैं। जब कि हनफी के नज़दिक मुकामी शख्स अरफात में कसर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, उसे पूरी नमाज़ ही पढ़नी होंगी। हनफी मसलक के मुताबिक मुकामी इमाम कसर नमाज़ पढ़ा ही नहीं सकता। और मस्जिदें नमरा का इमाम मुकामी होता हैं और कसर पढ़ता है। मगर यह मालिकी और हम्बली के नन्दीक जायज़ है।
- जिन लोगों ने बार बार हज किया हैं उनके तर्जुबे के मुताबिक, उनकी राय है कि अगर आप शुप में हैं और आप के शुप में औरते और बुढ़े हैं तो भूल कर भी मस्जिदें नमरा मत जाईंगे। क्योंकि वहाँ इतनी शदीद भीड़ होती हैं कि नमाज तो दरकिनार सीधा खड़े होने या बैठने के लिए भी जगह मिलना मुश्किल होता है। और एक दुसरे से बिछड़ जाना तो यक़िनी है।
- इसलिए मिना में ६ ज़िल्हिज्जा कि रात या सुबह जब मुअल्लिम अपने बस से आप को अरफात में अपने खेमे पर ले जाता है तो आप उसके साथ चले जाएं। खैमें पर दोपहर का खाना मुअल्लिम कि तरफ से होगा। खैमें पर पूरे

दिन इतिमान से इबादत कीजिए। नमाज़ के वक्त नमाज़ पढ़ें और बकिया वक्त तस्विहात में मश्गुल रहें।

- हनफी मसलक के मुताबिक अगर आप मस्जिदें नमरा से दूर अपने खैमें में नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर नमाज़ पढ़ें और अस्‌द के वक्त अस्‌द पढ़ें दोनों का साथ मिलाकर न पढ़ें और अगर आप मुकामी हैं तो पूरी नमाज़ पढ़ें, कसर न पढ़ें।
- अरफात में भी अपने खैमें के लोगों के साथ जमात बनाकर नमाज़ पढ़ें। नमाज़ के पहले अज्ञान का और जमात के पहले तकबीर का एहतेमाम करें।
- हरम शरीफ कि नमाज़ और अरफात के दिन मस्जिदें नमरा की नमाज रेडीओ और टिव्ही पर नशर होती हैं। मगर आप इन की आवाज़ पर अपने खैमें में जमात का तसव्वर करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जमात के लिए जरूरी हैं कि सब बंदी हो। इकतदा के लिए जरूरी हैं कि इमाम और मुकर्दी के दरम्यान कोई इतना बड़ा मैदान या खाली जगह न हो जिसमें वह सफे कायम हो सकती है। या इतनी बड़ी सड़क न हो कि बैल गाड़ी गुज़र सकें। दरम्यान में कोई खैमा या मकान वैरा हाइल न हो इसलिए अगर मस्जिदें नमरा कि आवाज आप लाउड स्पीकर पर सुन रहे हो मगर दरम्यान में फासला हो तो इस आवाज़ पर नमाज़ न पढ़ें।

## मुज्दलफा में नमाज़:-

- अरफात में सूरज झुबने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ें बगैर आप मुज्दलफा कुच करना हैं, और मुज्दलफा पहुँचकर मगरिब और इशा दोनों नमाज़ों को जमा करके एक साथ पढ़ना चाहिए।
- अगर आप इशा की नमाज़ से पहले ही मुज्दलफा पहुँच गए तो भी आप मगरिब की नमाज़ न पढ़ें बल्कि इशा तक इतजार करें। फिर इशा का वक्त होने पर एक अज्ञान और एक तकबीर से पहले मगरिब की फज़्र पढ़ें। फिर इशा की फज़्ر पढ़ें फिर इसके बाद दोनों नमाज़ों की सुन्नत, नफिल और वित्र पढ़ें।
- मुज्दलफा में सुबह सादिक तक यह नमाज़ कज़ा में शुमार न होंगे। इसलिए जब भी मुज्दलफा पहुँचे अगर मुस्किन हो तो जमात बनाकर नमाज़ पढ़ें और अगर जमात बनाना मुस्किन न हो तो अकेले ही नमाज़ पढ़ लें।
- फज़्र की नमाज़ का वक्त होते ही मुज्दलफा में तोप का गोला दागा जाता है ताकि हाज़ी नमाज़ का सही वक्त मालूम कर लें।
- अगर आप शुप में हैं तो मुज्दलफा में भी सुबह सादिक के बाद फज़्र की अज्ञान दें। फिर जमात बनाकर नमाज़ अदा करें और वज़ीर्फ व तस्बीहात में मश्गुल रहें, और सुरज निकलने से पाँच मिनट पहले मिना की तरफ कुच करें।

## नमाज़ी के सामने से गुज़रना कब जायज़ है ?

- नबी करीम(स.) का इशारा हैं कि अगर कोई नमाज़ी के सामने से गुज़रने का अज्ञाव जाये तो ४० साल खड़ा रहकर इतजार करेगा। मगर सामने से न गुज़रेगा। (बुखारी-अबुदाऊद)
- कोई तवाफ करने वाला अगर नमाज़ी के सामने से तवाफ करते हुए गुज़रें तो ऐसी हालत में न तवाफ करने वाले पर गुनाह हैं न नमाज़ी पर।
- हन्फी मसलक के मुताबिक किसी दुसरे शख्स को नमाज़ी के सामने से गुज़रने के बारे में दो कौल हैं। एक कौल में नमाज़ी के मकामें सजदे के आगे से गुज़र सकते हैं। और दुसरे कौल में नमाज़ी से दो सफ आगे से गुज़र सकते हैं। दो सफ के मानी हैं एक नमाज़ी की सफ और एक उससे आगे की सफ। बड़ी मस्जिदों के लिए यहीं हुक्म हैं।
- मस्जिदें नबवी (स.) और मस्जिदें हराम में हज के दिनों में इतनी भीड़ होती

- हैं कि नमाज़ी के सामने से गुजरने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इन हालात में अपनी तरफ से पुरी क्रीशिश करें कि दुसरे कौल पर अमल हों और अगर वह नामुम्किन हो तब ही पहले कौल पर अमल करें यानी नमाज़ी के मुकाम सजदे के आगे से गुज़रें।
- मस्जिदें नबवी(स.) और मस्जिदें खैफ के बाहर लोग फर्ज नमाजों के लिए इस तरह सब बढ़ी करते हैं कि सफ इमाम से आगे बना लेते हैं। अगर मुक्तवी इमाम से आगे हो जायें तो मुक्तवी की नमाज़ नहीं होगी।

### जमात की एहमियत:-

हज़रत इब्ने मसुद (रजी.) से रिवायत हैं कि उन्होंने फर्माया: जिस शख्स को इसका शीक हो कि वह कथामत के दिन मुसलमान की तरह अल्लाह के सामने पेश हो वह पाँचों वक्त की नमाज़ उस मस्जिद में जहाँ अजान दी जाती हैं बाजमात अदा करें। अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी को जो तरीका हिदायत अता फर्माया हैं उसमें पाँचों नमाज़ें बाजमात पढ़ना भी शामिल हैं तो अगर तुमने अपने घरों में पढ़ली जैसा यह पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता हैं तो बेशक तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी, और तुमने अपने नबी (स.) की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गयों। हमने किसी सहावी को जमात से ऐर हाजिर होते नहीं देखा, जमात से वहीं शख्स ऐर हाजिर होता था जो खुला हुआ मुनाफिक होता था, बीमार भी दो आदमीयों के सहारे से आकर सफ में शामील हो जाते थें। (मुस्लिम)

### नमाज़ के लिए ममनु औकात:-

- ऐन तुलु अफताब, ऐन ज़्वाल अफताब, ऐन गुरुब अफताब में इन वक्तों पर नमाज़ होती ही नहीं हैं। चाहें आप अपने वतन में हो या हरम शरीफ में।
- अगर आप नफिल नमाज़ शुरू करके नीयत तोड़ दें तो वह नफिल नमाज़ आप के लिए बाजिब हो जाती हैं। जिसे आपको दोबारा पढ़ना लाज़ीम हैं। अगर “नफिल नमाज़ ही तो थी” ऐसा कहकर छोड़ देंगे और दोहराएँ नहीं तो गुनाहगार होंगे।

### नमाजे जनाजा

हज के अव्याम में जो हाजी इन्तेकाल कर जाते हैं उनको दफनाने की जिम्मेदारी हुक्मत की होती है। वह मय्यत को नहलाकर कफन पहनाकर हरम शरीफ में लाते हैं। फर्ज नमाज के बाद उनकी नमाजे जनाजा पढ़ी जाती है फिर उन्हें दफनाया जाता है। चुंके हज के अव्याम में तकरीबन हर फर्ज नमाज के बाद नमाजे जनाजा पढ़ी जाती है। इसलिए हम उसका तरीका मुख्तसर तौर पर यहाँ बयान करते हैं।

- नमाजे जनाजा:- यह नमाज सिर्फ खड़े रहकर पढ़ी जाती है। और उसमें चार तक्बीरे होती है। उसके पढ़ने का तरीका इस तरह है।
- नमाज का ऐलान होने के साथ नमाजे जनाजा की नियत कर ले। नियत इस तरह है। नियत की मैंने नमाजे जनाजा की पीछे इस इमाम के दुआ वास्ते उस मय्यत के अगर आप सिर्फ दिल में नमाजे जनाजा पढ़ने की नियत भी करेंगे तो नियत हो जाएगी जबान से कहने की जरूरत नहीं है।
  - जब इमाम अल्लाह हु अकबर कहे तो कानों तक हाथ उठाकर नमाज की तरह हाथ बांध ले और सना पढ़।

- इसी तरह तवाफ के बाद दो रक्खत नफिल अगर आपने ममनु औकात में पढ़ा हैं तो पहले तो वह नमाज नहीं होगी। इसलिए आपका तवाफ, बगैर नमाज के अधुरा ही रहा। फिर अगर आपने नमाज दोहराया नहीं तो गुनाहगार भी होंगे। इसलिए हरम में ममनु नमाज के औकात का खास ख्याल रखें।
- मस्जिदे हराम में मुकामे इब्राहीम पढ़ना अफज़ल है। मगर यह मुकाम अब तवाफ करने वालों के रास्ते के बिल्कुल दरम्यान हैं। इसलिए अगर इस मुकाम पर कोई नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो तवाफ करने वालों को सख्त तकलीफ होती है। मुसलमानों को तकलीफ देना हराम है। इसलिए अफज़ल काम करने कि जुस्तजु में हराम काम करने से बचे।
- मुकामे इब्राहीम पहले खाना काबा से बिल्कुल करीब ७ फिट की दूरी पर था। जब मुसलमानों की तादात बढ़ी और तवाफ करने वाले ज्यादा हो गये तो इस मुकाम पर नमाज पढ़ने वालों से तवाफ करने वालों को तकलीफ होने लगी। तवाफ करने वालों कि आसानी के लिए हज़रत उमर (रजी.) ने मुकामे इब्राहीम को हटाकर खाने काबा से ४६ फिट दूरी पर कर दिया। (फेह अलबारी, शरह अल हादिस ७७८३)

- सारी नसीहतों को नज़र अंदाज करके अगर आप मुकामे इब्राहीम पर नमाज पढ़ने के लिए बज़ीद हैं तो यह बात याद रखें कि अब यह इस मुकाम पर नहीं हैं जिस मुकाम का निक्षिक है। वह मुकाम तो खाने काबा के बिल्कुल करीब था। और दुसरी बात यह याद रखें कि अमीरुल मोमीनीन हज़रत उमर (रजी.) ने जिस काम को रुकावट समझा और उस मुबारक पथर उसकि मुबारक जगह से हटा दिया। आज आप खुद ही रुकावट बनने के लिए बज़ीद हैं। इसलिए तवाफ करने वालों का ख्याल रखें और इतना पीछे हटकर नमाज पढ़ें कि आपसे किसी को कोई परेशानी न हो।



- जब दूसरी बार इमाम अल्लाहू अकबर कहें तो बगैर हाथ उठाए दस्ते इब्राहीम पढ़े। (वह दस्ते जो नमाज पढ़ी जाती है।)
- जब तिसरी मरतबा इमाम अल्लाहू अकबर कहे तो बगैर हाथ उठाए जनाजे की नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआ पढ़े अगर याद ना हो तो सिर्फ इतना पढ़े।
- **أَغْفِرْ لِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ**
- तर्जुमा:- “ए अल्लाह! मोमिन मर्द और औरतों को बच्च दे।”
- जब इमाम चौथी मरतबा अल्लाहू अकबर कहे तो हाथ छोड़ दें और सलाम फेर लें। शाहफई, हम्बली और अहले हव्दीस हज़रात हर तकबीर पर हाथ उठाते हैं और पहली तकबीर के बाद सूरह हम्द पढ़ते हैं। जबकी हम्बली हज़रात पहली तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं। और सिर्फ एक बार शुरू में हाथ उठाते हैं। हरम के इमाम हम्बली मस्तक के हैं वह सिर्फ एक तरफ सलाम फेरते हैं। हन्फी हज़रात दूसरी तरफ भी खुदसे सलाम फेर ले।

## मर्स्लक का मरसला

- रिवायात में है कि बनी इस्तर्हाल में एक बुर्जग थे, उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ कि के या अल्लाह! तु मुझे दुनिया की फिक्र से आज़ाद कर दे, ताकि मैं शब व रोज़ तेरी इबादत किया करूँ। अल्लाह तआला ने उनकी सुन ली। उन को एक जज़ीरा पर पहुँचा दिया। जज़ीरा पर एक अनार का पेड़ उगा दिया और एक चश्मा जारी कर दिया। वह बुर्जग रोज़ एक अनार खाते, चश्मा का पानी पीते और शब व रोज़ खदा की इबादत में मशगूल रहते।

अपनी पाँच सौ साल की उम्र में वह बैगरु गुनाह किये मुसल्लत इबादत करते रहे। उन की वफ़ात के बाद जब फरिश्तों ने उन्हें खुदा के हुजर पेश किया तो अल्लाह तआला ने फर्माया कि जो मैंने तड़े अपने फज्ज से बचा दिया।

बुजुर्ग को बड़ा अजीब सा लगा और उन के दिल में एक गुमान सा गुज़रा कि मेरी वस्त्रिधारा के लिए तो मेरी पाँच सौ साल की इबादत सबव है। अल्लाह तआला ने अपने फज्ल से मुझे कैसे बछाया?

अल्लाह तआला तो दिलों की बात भी जानता है। उस ने फरिशतों को हुक्म दिया कि उन्हें जन्म में ले जाओ, मगर ऐदल।

जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर से हो कर गुजरता है। पुले सिरात जो कि जहन्नम के ऊपर है उस पर से हर एक को पार होना है। अल्लाह के नेक बंदे इस पुल से बिजली की तेज़ी से गुजर जाएंगे, मगर जो नेक नहीं उन्हें मुश्किल होगी।

जब फरिश्ते बनी इस्टाईल के बुजुर्ग को पैदल जन्नत के तरफ ले कर चले तो जैसे जैसे जहन्म नज़्दीक आती गई गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। बुजुर्ग को ध्यास लगी और गला सूखने लगा। जब और करीब पहुँचे तो ध्यास की शिद्दत इस कदर बढ़ी कि बर्दाश्त से बाहर हो गई। इस वक्त एक हाथ नमूदार हुआ। उस हाथ में एक का ख्लास पानी था। उस ने बुजुर्ग से कहा यह पानी ख़रीदना चाहते हों, तो ख़रीद लो। बुजुर्ग की ध्यास से जान जा रही थी। पूँछ कितने में दोगे? आवाज़ आई, पाँच सौ साल की इबादत के बदले। बुजुर्ग के पास पाँच सौ साल की इबादत तो थी ही, फौरन इबादत दे कर पानी ख़रीद लिया और पी लिया।

जब फरिश्तों ने बुजुर्ग की नेकियों के ज़खीरे को खाली पाया तो जन्नत का सफर रोक दिया और वापस खदा के हजर में पेश किया।

अल्लाह तआला ने कर्माया कि मैंने तुहँसे जिन्दगी के हर फिर से आज़ाद किये रखा और पाँच सौ साल तक शब-व-रोज़ खाना खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा और सारी ज़रूरतें पूरी की। तुम ने पानी की एक गिलास की किमत पाँच सौ साल की इबादत तय की है। अब मैंने जो पाँच सौ साल तक तुम पर एहसानात किये और अपनी नेमतें अता कीं, उस का तुम ने कैसे शुक्र अदा किया, उस का हिसाब दो।

बनी इस्राईल के बुजर्ग सिजदे में गिर गए। तौबा किया और फरमाया:

“ऐ अल्लाह, बेशक तु जिसे अपने फ़ज्ल से बख्शा देगा सिर्फ़ वही जन्नत में जाएगा।”

- हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर (रजी.) का बयान है कि नवी करीम (स.) ने फरमाया जो शख्स सुब्दान अल्लाह कहेगा तो उसके नामे अमाल में एक लाख नेकिया लिखी जाएगी। तो किसी ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसुल! (स.) उसके बाद हम लोग किस तरह जहन्म में जाएँगे? आप (स.) ने फरमाया “कस्म हैं उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आदमी क्यामत के दिन इतने आमाल लेकर आयेगा कि अगर वह किसी पहाड़ पर रख दिए जाए तो पहाड़ भी न उठा सकें लेकिन उसका जब मकाबला होगा अल्लाह की किसी ने अमत

से तो यह नेभमत इसके सारे आमाल पर भारी होगी।” (इसलिए नेक आमाल पर किसी को गुरुर नहीं होना चाहीए। अल्लाह तआला की रहमत और उसके फ़ज्जल व ऐहसान ही के नतीजें में जन्नत मिल सकेगी।) (तिबारामी)

- हजरत उमर फ़ारूक़ (र्जी.) का कौल है कि अगर अल्लाह तआला मुझे जहन्नम की सजा देगा तो ये उस का अद्वा (इंसाफ) होगा और अगर मुझे जन्नत आता करेगा तो ये उस का फ़ूज़ल होगा।
  - नबी-ए-करीम (स.) फ़र्माते हैं:

لَنْ يَنْجِي أَحَدٌ كُمْ عَمَلَهُ  
وَلَا إِنْتَ يَارَسُوا اللَّهَ  
لَا لَا إِنْ يَتَغْمِدَ نَبِيُّ اللَّهِ بِرَبِّ

**तर्जुमा :** तुम में किसी को किसी का अमल निजात नहीं दिलाएगा बल्कि अल्लाह का फ़ूज़ निजात दिलाएगा।

हजरत आईशा (रजी.) ने सवाल किया : या रसुल अल्लाह (स.) के आपका अमल भी आप को नजात नहीं दिलाएगा?

नवी अकरम (स.) ने फरमाया मुझे भी मेरा अमल निजात नहीं दिलाएगा। जबतक अल्लाह ही का फज़्ल दस्तगीरी न करें और मुझे अपनी रहमत में न ढाप लैं। मेरा अमल भी निजात दिलाने वाला नहीं है। फज़्ल खुदा बन्दा ही निजात दिलाने वाला है। (मिश्कात)

- नमाज़ के लिए पाकी शर्त है। अगर मामूली सी भी गंदी कपड़ों में या जिसमें लगी हो तो नमाज़ नहीं होती। आप हालते जनाबत में हों, गंदी आप के जिस्म और कपड़ों पर लगी हो और पानी मुस्सर न हो तो अल्लाह तआला फरमाता है कि तैयारम कर के नमाज़ पढ़ लो। (अन्निसा : ४)

तैयमुम में मिट्टी पर हाथ मार कर चेहरे और हाथ का मसह करना होता है। क्या सिर्फ मिट्टी से मसह करने से गंदगी दूर हो जाती है? नहीं ये सिर्फ एक फार्मलीटी (अमल) है। असल में अल्लाह तआला आप की नीयत, आप का खुलूस, और आप की कशीश देखते हैं और इसी के बिना पर ऐसी इबादत जो कि कबल करने लायक भी नहीं कबल कर लेते हैं।

अल्लाह ताला सारी कायनात के ख़लिक व मलिक हैं। उहें किसी की इजाजत की ज़रूरत नहीं और न किसी को अपने किये का हिसाब देना है। वह जैसा चाहे वैसा करें।

- वह आलिम जो सारी दुनिया पर उंगली उठाते हैं और अपना मस्तक छोड़ कर बाकी हर एक मस्तक को ग़लत बताते हैं। जाइए उन से ज़रा कहिये कि “हज़रत, आप अच्छी तरह पाक हो जाइये, खाना काबा में जाइए और पूरी तवज्ज्ञ हो और खुलूस के साथ नमाज़ पढ़िये और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद गारंटी बीजिये के अल्लाह तआला आप की उस नमाज़ और इबादत को ज़खर कबूल करोगे।

दुनिया का कोई इंसान खुल अपनी इबादत की गारंटी नहीं दे सकता वह दुसरों की इबादत की गारंटी कैसे दे सकता है कि अल्लाह तआला उस की इबादत नहीं कबूल करेंगे?"

- खिलाफ़ते अब्बासिया में शिया-सुन्नी के इख्तेलाफ़ का जोर इस कदर था कि इसी में खिलाफ़त का खात्मा हो गया। मगर वहाँ के भीच मंगे फ़कीरों का धंदा बहुत ज़ोरों पर था और इन की कमाई उर्जज पर थी। फ़कीरों का एक गिरोह दरिया-ए-दरजला के पुल के एक किनारे पर होता और उन का दुसरा गिरोह दुसरे किनारे पर होता। ये पुल बीच शहर में वाके था।

एक गिरोह हज़रत अली (रज़ि.) और अहले बैत के मुनाकिब गाता था। दुसरा गिरोह हज़रत अब्बूबकर (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.) के फ़ज़ाइल में नगरा सुगा होता था और शिया सुन्नी गज़रने वाले दोनों गिरोहों को खूब-खूब नवाज़ते थे और नक़दी से उन की हिम्मत अफ़ज़ाई करते। इसी तरह फ़कीरों के दोनों गिरोह सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी रकम जमा कर लेते और रात को यकजा होकर आपस में बांट लेते थे।

- क्यामत के दिन सबसे पहले आलिम अल्लाह तआला के सामने पेश होंगे। अल्लाह तआला फ़माएंगा कि ऐ मेरे बन्दे मैंने तुझे दिन का इल्म दिया था बता तुने मेरे एहसान का कैसे शुक्रिया अदा किया?

आलिम कहेगा कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दिए हुए इल्म को दीन रात तेरे बदों तक पहुँचाया है।

अल्लाह तआला कहेगा, तू झूट कहता हैं। फरिश्ते भी इसके झूटे होने की गवाही देंगे। अल्लाह तआला फ़रमाएंगा तू इसलिए तक़रीरें करता था कि लोग तेरी तारीफ करें और यकीनन दुनिया में तेरी तारीफ हो चुकी और तुझे तेरे काम का बदला मिल चुका।

फिर उस आलिम को घसीटकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस में आगे शौहदा और अमीर के लिए इसी तरह के फैसलों का बयान है। (मुस्लिम)

तो क्यामत के दिन वह लोग जो सबसे पहले जहन्नुम में जाएंगे वह आलिम ही होंगे।

- मुसलमानों के बाहरी इश्तेलाफ़ात से फायदा उठाने वाले बग़वाद के भीख माने वाले ही नहीं थे बल्कि आज भी इन की तरकीब से फायदा उठाने वाले बेरेलवी, देवबंदी, अहीले हदीस, शिया, सुन्नी और मुसलमानों के दूसरे इश्तेलाफ़ी नज़रयात से फायदा उठाने वाले आलिम हमारे बीच में मौजूद हैं।
- नबी करीम (स.) ने फरमाया, अगर तुम हक पर हो फिर भी बहस व मुबाहसे में न पड़ों तो मैं तुमको जन्नत के करीब एक घर की ग़रंटी देता हूँ। (अबूदाऊद)

इस हदीस और ऐसी बहुत सारे अहादीस और कुरआनी आयात के जानने के बावजूद हजारों आलिम आप को ऐसे भिन्ने जिनकी जिन्दान का मकसद ही दुसरे मसलकों पर कीचड़ उछालना और बुरा भला कहना है। एक हदीस के मुताबिक जिस की रावी हज़रत अबु दरदा है जो किताब अहमद में दर्ज हैं। (मुंतखीब अबबाब सफा ۹۹۲)

अल्लाह तआला ने बहुत सारे इन्सानों को सिर्फ जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है इसलिए इन इश्तेलाफ़ी उलमा को अपने तर्ज़अमल पर ग़ौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं वह इन्हीं लोगों जैसे काम तो नहीं कर रहे हैं, जिनका जहन्नुम में जाना यकीनी है।

बुजुर्गों और दोस्तों! अल्लाह के लिए इनसे होशीयार रहें और इनकी इश्तेलाफ़ी बातों पर यकीन मत कीजिए क्योंकि यह अपने ज़ाती इज़ज़त व शौहरत और फायदे के लिए लोगों को आपस में लड़ाते हैं।

- मजबूरी में जैसे गंदगी लगी होने के बावजूद तैयमुम कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है। इसी तरह की मजबूरी से सफरे हज में आप दो चार होंगे। आप मजबूर हैं कि न आप हरम शरीफ के इमाम को बदल सकते हैं और न इस का मस्लक। अल्लाह और अल्लाह के रसूल (स.) का हुक्म है कि नमाज़ जमाअत से मस्जिद में पढ़ी जाए और अजान सुनने के बाद बगैर शऱिع मजबूरी के घर में नमाज़ नहीं होती। इस लिए खुदा के इस हुक्म को मानते हुए हरम शरीफ में जमाअत से ही नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तआला आप की कोशिश आप की नियत और आप का खुलूस देखते हुए इंशा अल्लाह उसे न कबूल करने के लायक होगी तो भी कबूल फ़माएंगे। आमीन। और वैसे भी अल्लाह तआला खुलूस ही देखते हैं और मग़फिरत अपने फ़ज़्ल से फरमाते हैं।
- आप नफ़रत के ज़ज्जे से अलग अकेले या जमाअत बना कर नमाज़ पढ़ते रहे तो जब बनी इस्राइल के बुजुर्ग पौंच सौ साल की इबादत के बल बुते पर भी जन्नत न हासिल कर सके तो क्या आप अपने घमंड में सहीउल्लक्षीदा इमाम के पीछे या अकेले सिर्फ कुछ साल की ज़िन्दगी की इबादत के बल बुते पर जन्नत हासिल कर लेंगे?

• बुजुर्गों और दोस्तों, हरम शरीफ में एक नमाज़ का सवाब एक लाख नमाजों के बराबर है और वही नमाज़ अगर जमाअत के साथ अदा करेंगे तो २७ लाख नमाज़ का सवाब मिलेगा।

इस लिए अल्लाह के वास्ते इस हज के मुकद्दस सफर में मस्लक के इश्तेलाफ़ात से बाहर आ जाएं और कोशिश करें कि आप हर नमाज़ हरम शरीफ ही में पढ़ें और वह भी जमात के साथ।

- अगर उलमा का बयान सुन सुन कर आप का ज़हन ऐसा हो गया है कि जमात से नमाज़ पढ़ने में आप को कराहियत महसूस हाती है तो अपनी नमाज़ बाद में दोहरा लें। मगर जमात से नमाज़ पढ़ कर २७ लाख गुना सवाब ज़रूर हासिल करें, वरना यह आप की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी महसूसी होगी।

अल्लाह तआला आप की हर इबादत को कबूल फ़रमाए, आप की हर जाइज़ दुआ को कबूल फ़माए और हज़ मबरूर अता फ़रमाए। आमीन।

## मअ़ज़ूर की तरफ़ से हज

हज़रत इन अब्बास रज़ि० से रिवायत है, कि एक औरत ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (स०), अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज़ फ़र्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फ़र्ज़ हुआ के वह बिल्कुल बूढ़े हो गये, सवारी पर ठहर नहीं सकते, तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज़ कर सकती हूँ...? आप सल्ललाहु अलैह वसल्लम ने फरमाया...हाँ, (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत लूकित बिन आमिर से रिवायत है, कि वह नबी करीम स०की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं ना हज़ कर सकते हैं ना उम्रा और ना ही चल सकते हैं, और ना ही सवार होने की कुक्त छी रखते हैं, तब अल्लाह के रसूल सल्ललाहु अलैह वसल्लम ने फरमायाके तुम अपने बाप की तरफ़ से हज़ बैतुल्लाह व उम्रा कर सकते हो। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी)

## तवाफ़ के फ़ज़ाइल

अल्लाह ताला कुरआन शरीफ में फ़र्माते हैं “इस कदीम घर का तवाफ़ करना चाहिए। (कुरआन शरीद, सूरह अल-हज़-२६)

रसूल अल्लाह (स.) ने फ़र्माया जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और दो रकत नमाज़ पढ़े, इस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इन माज़ा किताबुलमुनासिक बाब फ़ज़्लुल्वाफ़ २६-५६)

आप (स.) का इश्शाद है कि जिस ने बैतुल्लाह शरीफ का सात बार तवाफ़ किया तो अल्लाह ताला हर हर कदम पर इस के गुनाह को माफ़ फ़र्माते हैं और हर हर कदम पर नेकी लिखते हैं और हर हर कदम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इन ख़रीमा - इन हवान)

## रिज़क़ में बक्ति

हज़रत अब्दुल्लाह इन मस्तुद (रज़ि.) से रिवायत है, रसूल अल्लाह (स.) ने इशाद फ़र्माया कि, हज़ और उम्रा पे दर पे किया करो क्यों कि हज़ और उम्रा दोनों फ़क़ व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दुर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चॉन्दी का मैल कुचल दूर कर देती है। और हज़ मबरूर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (जामा तिर्मिज़ी, निसाई)

# रमी जमार

- मिना वह वार्दी है जहाँ से हजरत इब्राहीम (अ.) ने हजरत इस्माईल (अ.) को ले कर ज़िबह करने के लिए गुज़रे थे और तीन जमात वह मुकाम है, जहाँ शैतान ने इन हज़रात को बढ़काने की कोशिश की थी और जवाब में धृतकारा गया। शैतान उस वक्त भी ज़लील हुआ था और हजरत इब्राहीम (अ.) की सुन्नत अदा करके शैतान को कंकरी मार कर हाज़ी आज भी उसे ज़लील करते हैं।
- जिस जगह हजरत इब्राहीम (अ.) ने शैतान को कंकरियां मारी थीं, उस जगह की निशान दही के लिए सुतून खड़े किये गए हैं। इन खम्बों में शैतान नहीं है, न ही इन खम्बों को ही कंकरी मारना है, बल्कि असल कंकरी मारने की जगह इन खम्बों की बुनियाद या ज़ड़ है। जम्रह इसी ज़ड़ या बुनियाद को कहा जाता है। इस लिए आप की कंकरी या सीधे खम्बों की ज़ड़ के पास पिरे या खम्बों से टकरा कर अहाते के बाहर जा गिरी तो आप की वह कंकरी बेकार होगी। इसे गिना नहीं जाएगा। इस के बदले आप को एक और कंकरी मारनी है और अगर आप ने इस की जगह दूसरी कंकरी नहीं मारी तो आप का रमी का रुक्न अधूरा रहा।
- छोटे पथरों (कंकरियों) के फेकने को अरबी में रमी जमार कहते हैं। (रमी यानी फेंकना, जमार यानी पथर की छोटी कंकरीया)
- रमी जमार हज का वाज़िब रुक्न है और उसके तर्क करने पर हज़ हो जाएगा मगर दम देना लाज़िम होगा।
- जम्रह के नज़दीक कंकरिया चुनना या नापाक जगह से कंकरिया लेना मकरुह है। कंकरियों को मारने से पहले थो लेना मुस्तहब है। (लाज़मी नहीं हैं)
- हर जम्रह को ७ कंकरिया मारी जाती हैं। अलाहिदा अलाहिदा मारना ज़खरी है। अगर एक से ज़्यादा या सातों एक ही दफा मारें तो एक ही कंकरी शुमार कि जाएगी अगर अलग अलग दफा मारिए हों। इस लिए बाकी गिनती पूरा करना ज़खरी होगा।
- ७ कंकरियों से ज़्यादा मारना मकरुह है। शक हो जाने की वजह से ज़्यादा मारे तो कोई हर्ज नहीं।
- अगर किसी ने एक दिन चार कंकरिया कम मारी हो या तीनों दिन मिलाकर ११ कंकरिया कम मारी हो या एक दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो या तीनों दिन रमी जमार तर्क कर दिया हो। इन चारों गलतियों में से अगर आप सिर्फ एक गलती करें या चारों गलती करें आप को सिर्फ एक ही दम देना होगा।
- अगर १० वीं जिल्हिज्जा के दिन ३ या इससे कम कंकरिया न मार सके और बाकी दिनों की रमी में से १० या उससे कम कंकरिया न मार सके। (सदका की मिकदार फिरे के बराबर यानी पैने दो किलो गेहूँ है) यानी अगर किसी ने दो कंकरिया कम मारी है तो उसे दो सदका यानी साढ़े तीन किलो गेहूँ सदका करना होगा।
- जम्रह से पांच हाथ की दूरी से कंकरी मारना सुन्नत हैं। इससे ज़्यादा दूर से भी मार सकते हैं मगर और करीब से मारना मकरुह है।
- कंकरी पकड़ने का कोई खास तरीका नहीं है। लेकिन अगुठे और ऊंगली से पकड़ना मुस्तहब हैं और रमी के लिए हाथ इतना ऊँचा करना भी मुस्तहब हैं कि बगल खुल जाएं।
- कंकरी मारते वक्त सिर्फ एक कंकरी एक बार में मारें। कंकरी मारने से पहले

यह पढ़ें:

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

“बिस्मिल्लह अल्लाहु अकबरा रगु-मन लिश्शैतानि व रजियन लिरहमाना”  
तर्जुमा : मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

ऊपर लिखी दुआ में अगर अल्काज़ में फेर बदल हो जाएगा तो गुनाह होगा। इस लिए बेहतर है आप अपनी जुबान में कहें कि मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए मारता हूँ और फिर बिस्मिल्लह अल्लाहु अकबर कह कर कंकरी मारें। कंकरी का एहाते में गिरना ज़रूरी है। एक कंकरी एक ही बार में मारें। अगर आप ने एक से ज़्यादा कंकरी एक बार में मारी तो वह एक ही गिनी जाएगी।

- १० जिल्हिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान (जम्रह उङ्बा) को सात सात कंकरियां मारना है और पहली कंकरी मारते हुए तलविया पढ़ना बंद कर दें। ११, १२, १३ जिल्हिज्जा को तीनों जुरे पर रमी करना है। पहले छोटे शैतान को फिर दरम्यानी शैतान को और आखिर में बड़े जम्रह को इसी तरतीब से रमी करना सुन्नत है।
- रमी में कंकरिया पे दर पे मारना मसनून है। एक के बाद दूसरी कंकरियां मारने में ताड़ीर करना मकरुह है। इसी तरह एक जुम्रह पर रमी के बाद दूसरे जम्रह पर रमी में दुआ के इलावा, बिला वजह ताड़ीर करना मकरुह है।
- जम्रह ऊला (छोटा शैतान) और जम्रह वस्ता (दरमियानी शैतान) पर रमी के बाद किल्ला रुख हो कर देर तक दुआ मांगना सुन्नत है, और यह दोनों मुकामात दुआओं की कबूलियत के खुशूसी मुकामात में से हैं, इस लिए यहाँ रुक कर कम अज़ कम इतनी देर रुख कर दुआ करें जितनी देर में २० आयतें पढ़ी जा सकती हैं। (सुरें: बकरा पढ़ने में जितना वक्त दरकार है, नबी करीम (स.) उतनी देर रुक कर दुआएं माँगी थी)
- जम्रह उङ्बा (बड़ा शैतान) के रमी के बाद किसी भी दिन दुआ के लिए ठहरना सुन्नत नहीं है।
- रमी करते वक्त किसी खास रुख की तरफ मुँह करके खड़े होने की कोई शर्त नहीं है। आप हर सिस्त से रमी कर सकते हैं। १०, जिल्हिज्जा को जब नबी करीम(स.) ने जम्रह उङ्बा का रमी किया था, उस वक्त आप की दाहिनी तरफ मिना और बायीं तरफ मक्का मुकर्मा था। इसलिए इस रुख पर खड़े होकर रमी करना सुन्नत है। (मुअलिमुल हुज्जाज)
- एक कंकरी के फौरन बाद दूसरी कंकरी मारना और एक जम्रह पर रमी बिला ताड़ीर रमी करना सुन्नते मुअकिदह है। इसलिए अगर कोई अपनी रमी जमार के बाद किसी और का भी रमी जमार करना चाहता है, तो अफ़ज़ल यह है, कि पहले तीनों जमात पर अपनी रमी पूरी कर लें, फिर दूसरों की रमी शुरू से करें। मगर अब यह मुस्किन नहीं क्योंकि ऐसा करने के लिए कई किलो मीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। इस लिए अब जमात पर पहले अपनी कंकरियां मारें फिर दूसरें शख्स की तरफ से कंकरियां मारें।
- शरिअत के मुताबिक १० जिल्हिज्जा को रमी जुमार का अफ़ज़ल वक्त तुलूओं आफताब से ज़वाले आफताब तक है और ११, १२, १३ तारीख को ज़वाल से ले कर गुरुबे आफताब तक है। मुबाहे वक्त १० तारीख को ज़वाल से गुरुबे

आफ़ताब तक और ११, १२, १३ तारीख को गुरुवे आफ़ताब से सुबह सादिक तक है।

- हर साल करीब ३५ से ४० लाख हाजी हज करते हैं और इतने लोगों का एक अफ़ज़ल वक्त पर एक ही जगह जमा होना हर साल किसी न किसी हादसे की वजह बनता है और कीमती जानें जाया होती हैं। हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमान का मुसलमान को नुकसान पहुँचाना हराम है और अफ़ज़ल वक्त पर रमी जुमार करना सिर्फ़ अफ़ज़ल है। इसलिए उल्मा ने फ़तवा दिया है कि अफ़ज़ल काम करने की जुस्तजू में हराम काम न करें और अफ़ज़ल वक्त जुमार करने की बजाए मुबाहे वक्त (जो के हर तरह से बिला कराहियत जायज़ है।) पर रमी जुमार करें उल्मा की इन नसीहों पर अमल करना हर समझदार मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग अफ़ज़ल वक्त पर हर हाल में जम्रात पर ज़रूर जमा होंगे, इसलिए समझदार हज़रात इस मुकाम से अफ़ज़ल वक्त में दूर रक्कत भीड़ को कम करने में मदद करें और हादसात को टालने में मदद करें। इस नीयत और खुलूस पर अल्लाह तभ्लाह और ज्यादा अज़र देगा (इशा अल्लाह)
- औरतों, बूढ़ी और कमज़ोरों के लिए कराहियत कंकरी मारने का वक्त सुबह सादिक तक, इस फ़तवा के पहले भी था और अब तो सब के लिए है।
- रमी जुमार जाने से पहले अपने एहराम की चादर करें और अच्छी तरह से लपेट लें। कोई सामान या बैग वैगरह हरागिज़ न लें। कोई ऐसा कपड़ा न पहने जिसके दुसरों के कदमों के नीचे दबने का ख़तरा हो। भीड़ में अगर आप की चादर या ओढ़नी या बैग किसी के कदमों के नीचे दब गया, तो उसे फौरन अपने से जुदा कर दें। झुककर या बैठकर कोई चीज़ निकालने या उठाने की हरागिज़ कोशिश न करें वरना जान का ख़तरा है।
- जब जम्रात के करीब पहुँचे, तो दायें और बायें होकर ज़रा आगे बढ़ जायें और आखिरी सिरे से कंकरी मारें क्योंकि जोशीले लोग जम्रात के करीब पहुँचते ही कंकरी मारने लगते हैं, इसलिए पहले सिरे पर बहुत अफ़रा तफरी होती है।
- बहुत सारे तंदुरस्त लोग खुद कंकरी मारने के बदले किसी और को अपना वकील बना कर कंकरी मारने के लिए मुकर्रर करते हैं। यह ग़लत तरीका है और इस से हज का रूक्न अदा नहीं होगा। वकील के ज़रिये उसी की कंकरी मारना दुरुस्त होगी जो शरई तौर पर मानूर है। जो खड़े रह कर नमाज़ पढ़ सकता है और चल फिर सकता है उन्हें खुद कंकरी मारना लाजिम है। वरना दम देना होगा।
- मुज़दल्फ़ा से सीधे जम्रात की रमी के लिए सामान वैगरह ले कर नहीं जाना चाहिए बल्कि पहले अपने खेड़ों में जायें फिर वहाँ से रमी जम्रात करने के लिए जायें।
- हर मुल्क के लिए रमी जम्रात के अलग अलग औकात हुक्मते सऊदिया ने तथ किये हैं, ताकि जम्रात के अतराफ़ लोगों की ज़खरत से ज़्यादा भीड़ न हो जाये। अपने मुअल्लिम से वक्त माअलूम करके ही रमी जमरा के लिए रवाना हों।
- जम्रात के लिए ग्रुप में रवाना हों। ग्रुप के एक फर्द के हाथ में उंची लकड़ी, झण्डा, छतरी या कोई निशानी दे दें ताकि ग्रुप के बिकाया लोग अगर दूर दूर भी चलें, तो भी साथ साथ ही रहें और कोई बिछड़ने न पायें।
- जम्रात पर किसी तरह का साज़ व सामान न ले जायें। माअजूर को व्हील चेयर पर न लें जायें, और न ही बच्चों को ले जायें। कंकरी मारने के बाद वापस आते वक्त अगर आप ग़लत सड़क पर निकल आए तो आप को कई कि.मी. का का ज़ाइद सफर पैदल करना होगा। इसलिए आप सही रास्तों का खुसूसी खयाल रखें।
- हज के चार दिनों में चालीस लाख लोग शैतान को ४६ से ७० कंकरी मारते हैं। अगर एक जगह पर यह कंकरियां जमा की जाएं तो कंकरियों का पहाड़

बन जाएगा। मगर जम्रात के पास आप गौर कीजिए के कंकरियों का कोई ढेर नहीं होता है। क्योंकि मकबूल कंकरियां फ़रिश्ते चुन ले जाते हैं और यह हृदीस शरीफ भी है। (रावी हज़रत अबु सईद खुदरी-किताब-हाकिम)

आप भी इस मोअ्जिज़े का मुशाहिदा करके अपने ईमान को ताज़ा कर लें।

(नोट:- २०१२ के बाद सउदी हुक्मतने रमी जुमार के लिए पांच मंजीला पुल नुमा इमारत बना दी है। अब रमी जुमार के वक्त पहले की तरह ना लोगों की भीड़ होती है और ना किसी तरह का जान का खतरा होता है। अब आप इतीनान के साथ रमी जुमार के अरकान अदा कर सकते हैं।)

## द्वाओं का व्यान

- हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमाया: “जब तुम में से कोई शेख्स दुआ माँगे तो ऐसा न कहें: ऐ अल्लाह! मुझे ब़ध्ना दें अगर तू चाहे, मुझपर रहम कर अगर तू चाहे, मुझे रिक्ख अता कर अगर तू चाहे, बल्कि पूरे यकीन व ऐतिमाद के साथ माँगें (शक व शुभा का कलमा मसलन अगर तु चाहे वैरा इस्तेमाल न करें) क्योंकि अल्लाह तआला वहीं करता हैं जो वह चाहता हैं। उसपर कोई ज़ोर और ज़बरदस्ती करनेवाला नहीं।” (बुखारी)
  - हज़रत नोमान बीन बशीर (रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमाया: “दुआ इबादत हैं।” फिर आप (स.) ने यह आयत फरमायी:
- وَقَالَ رَبِّيْمُ ادْعُونَّ اسْتَجِبْ لِمُ<sup>لَمْ</sup> (سُورَةِ مُّاْتَ) (१०: ८०)**
- “व का-ल-रब्बुकुमुद-उन्नी अस्तजिब लकुम।”
  - तर्जुमा: “और तुम्हारें परवरदीगार ने फरमाया हैं कि मुझसे माँगों, मैं तुम्हारी दुआ कबुल करूँगा।” (अहमद, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इन्ने माजा)
  - हज़रत सलमान फारसी (रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमाया: “तकदीर को दुआ के इलावा और कोई चीज़ नहीं बदलती और उमर को नेकि के इलावा और कोई चीज़ नहीं बढ़ाती।” (तिरमिज़ी)
  - हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमाया: “जो श़ख्स चाहता हैं कि तंगी और सख़्ती के वक्त अल्लाह तआला उसकी दुआ कबुल करें, वह उसअत व फरारी के ज़माने में बहुत दुआ करता रहें।” (तिरमिज़ी)
  - हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ी.) रावी हैं कि एक मरतबा मैंने नवी कीरम(स.) से उमर ह करने की इजाजत माँगी तो आप (स.) ने मुझे इजाजत अता फरमायी और इर्शाद फरमाया: “ऐ मेरे छोटे भाई, अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेना और दुआ के वक्त हमें न भूलना।” हज़रत उमर(रज़ी.) फरमाते हैं कि रसूल (स.) ने ऐसा कलमा इर्शाद फरमाया की अगर इसके बदले में मुझे तमाम दुनिया भी दे दी जाएं तो मुझे खुशी न होंगी। (अबू दाऊद)
  - हज़रत अबु हुरैरा(रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा (स.) ने इर्शाद फरमाया: “तीन दुआएँ कबुल की जाती हैं। इन की कबुलीयत में कोई शक नहीं। एक तो आप की दुआ, दूसरी मुसाफिर की दुआ और तीसरी मज़लूम की दुआ।” तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इन्ने माजा)
  - हज़रत अनस(रज़ी.) रावी हैं कि रसूले खुदा(स.) ने इर्शाद फरमाया: “तुम में से हर शेख्स को अपनी तमाम हाजतें अपने परवरदीगार से माँगनी चाहिए। यहाँ तक की अगर उसके जुतें का तस्मा भी टूट जाएं तो उसे भी खुदा से माँगों।” (तिरमिज़ी)

# एहराम का बयान

## एहराम क्या है?

१. एहराम के माझे हैं बेहुरमती न करना या अपने ऊपर किसी चीज़ को हराम कर लेना।
२. हज और उमरा में हम नीयत और तत्विया के साथ अहराम की दो चादरें पहन कर बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लेते हैं, जैसे; हजामत करना, खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना वैरह वैरह। इस लिए इस हालत को एहराम कहा जाता है।
३. आम तौर पर लोग सफेद चादर को एहराम कहते हैं। जिसे हाजी एहराम की हालत में पहनते हैं, वह दरअसल एहराम की चादरें हैं, बज़ते खुद एहराम नहीं हैं। इन चादरों को आप जितनी बार चाहें तब्दील कर सकते हैं, मगर एहराम की हालत से बाहर आने के लिए आप को उम्रह या हज के सारे अरकान मुक्कम्पल करने होंगे। यहाँ तक के अयामे हज में सिर मुंदवाने के बाद और घर के कपड़े पहनने के बाद भी एहराम की कुछ पार्बदियाँ आप पर बाकी रहती हैं जो के तवाफ़े जियारत के बाद ही ख़त्म होती हैं। जैसे; अज्ज़द्वाजी तञ्ज़ुकात (वैवाहिक संबंध)
४. हज का एहराम १ शव्वाल से ६ ज़िल्हिज्जा का दिन गुज़र कर सुबह सादिक तक पहन सकते हैं। उम्रह का एहराम हज के खास दिन के अलावा कभी भी पहन सकते हैं।
५. मीकात से बाहर रहने वालों के लिए एहराम मीकात से पहनना वाजिब है।
६. मर्दों का एहराम २ मिटर X १ मिटर की बैगर सिली हुई दो चादरें होती हैं। एक चादर को पहनना और एक को ओढ़ना होता है। (साइज की कोई पारंपरी नहीं है।)
७. बैगर सिली चादर का मतलब है कि उस में इंसानी जिस्म की सांख्य के एतबार से कोई चीज़ सिली हुई न हो। जैसे आस्तीन वैरह। बैगर सिली का मतलब यह नहीं है कि उस में सुई थागा न लगे। ज़रूरत पड़ने पर आप चादर की जगह गोदड़ी या रज़ाइं वैरह ओढ़ सकते हैं। जो कि कई चादरों की तह को सी कर बनाई जाती है।
८. एहराम की चादरें सफेद हों तो अफ़ज़ल है। मज़बूरी में आप रंगीन चादरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
९. एहराम की हालत में पैर के ऊपर (पंजो के पीछे) की उभरी हुई हडिडों का खुला रहना ज़रूरी है। इस लिए ऐसा जूता, चप्पल न पहिनें के हडिडों छुप जायें। अगर आप हवाई चप्पल या स्लीपर पहिनें, तो यह हड्डी खुली रहती है।
१०. एहराम की हालत में मर्द को सिर और चेहरा खुला रखना है और औरतों को सिर्फ़ चेहरा। इसलिए एहराम की हालत में मर्द और औरत दोनों को अपने चेहरे को इस तरह ढाकना मना है कि कपड़ा चेहरे को छुए। चेहरे के कुछ हिस्से को भी ढाकना मना है जैसे: रुख्सार, नाक, या ठोड़ी वैरह। (औरतें टोपी और रुमाल बांधते बक्त एहतियात करें कि पेशानी न ढ़क जायें।)
११. एहराम पहनने से पहले खुशबू जिस्म पर लगाना सुन्नत है। मगर एहराम पहन कर किसी भी तरह का खुशबू का इस्तेअमाल करना जायज़ नहीं है। (खुशबू जिस्म पर इतना कम लगायें कि एहराम के चादर पर इस का दाग न पड़े)

१२. एहराम बांधने से पहले दोनों हाथों, पैरों के नाखून काटना, नापाक बाल साफ करना और गुस्त करना मुस्तहब है। बुजू या गुस्ता, एहराम के लिए फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन इनको बिला उङ्ग तक करना मक़रूह है।

१३. एहराम पहन कर एहराम की नीयत से पहले दो रक़अत नमाज़ अदा करना सुन्नत है। बिला नमाज़ भी एहराम की नीयत की जा सकती हैं मगर बिला वज़ह ऐसा करना मक़रूह है।

- एहराम पहनने के बाद पहले से आप पर जो पार्बदियाँ थीं, वह तो बाकी रहती हैं, जैसे; बदकलामी, फुहश बातें, फ़िस्क व फुज़र और ज़ंग व जिदाल वैरह। इनके अलावा भी आप पर कुछ और मज़ीद पार्बदियाँ आयद हो जाती हैं। उन की तफ़तील मुंदर्ज़ाज़ैल (नीचे दिए गए) हैं:

## एहराम की पार्बदियाँ :

१. बाल न काटें न तोड़ें। (बुजू करते बक्त खुद से जो बाल टूट जाए, तो इस पर दम नहीं है)
२. नाखून न तराशें न तोड़ें। (टूटे हुए नाखून को काट सकते हैं)
३. मर्द न सिर ढाँपे और न ही चेहरे पर कपड़ा लगाने दें। मोज़ा या दस्ताना पहनना, सिर और मुंह पर पट्टी बांधना भी मना है। आप साये में रह सकते हैं। छतरी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर पर सामान रख कर चल सकते हैं। मगर टोपी, रुमाल, चादर या कोई चिपकने वाली चीज़ से सिर नहीं ढाँप सकते।
४. चेहरे पर कपड़ा न लगायें। अगर चेहरे से पसीना पोंछना हो, तो हाथ से पोंछ कर हाथ कपड़े से पोंछ लें।
५. अपने जिस्म के कपड़े और खाने पीने की चीज़ों में खुशबू न इस्तेमाल करें।
६. किसी शिकार किये जाने वाले खुशबू की जानवर को न मारें, न बिदकाएं और न ही दुसरों की इस काम में मदद करें। न ही जिस्म में पैदा होने वाले कीड़ों को मारें जैसे ज़ुँ वैरह, न जिस्म का मैल धोयें। आप नहा सकते हैं मगर बैगर साबुन के और बैगर मैल छुड़ाएं।
७. एहराम की हालत में अज्ज़द्वाजी तञ्ज़ुकात (वैवाहिक संबंध) पर भी पारंपरी होती है।

## एहराम के सही हाने की शर्तेः

- एहराम के सही होने के लिए इस्लाम का होना शर्त है (यानी हज करने वाला मुसलमान हो।)
- एहराम की नीयत और तत्वियाह और कोई ज़िक्र इस के कायम मुकाम करना भी शर्त है। (मुआलिमुल हुज्जा, पेज १००)

## एहराम की वाजिबातः

- एहराम की हालत में कोई सिला हुआ कपड़ा न पहनना। (शुरू से आखिर तक)
- मीकात से या उससे पहले एहराम बांधना।
- ममूआत एहराम से बचना।

## एहराम की सुन्नतेः

- गुस्त करना और एहराम बांधने से पहले खुशबू लगाना।
- एक लुंगी और एक ऊपर ओढ़ने वाली चादर से एहराम बांधना।

- एहराम से पहले नाखून काटना।
- एहराम पहनकर एहराम की नीयत से दो रक्तअत नमाज़ अदा करना।
- एहराम की इब्तदा, 'लब्बैक' से करना और फिर बार बार लब्बैक कहते रहना।

### एहराम के मसाइला:

- अगर खुद से कोई बाल गिर जाये, तो कोई सज़ा नहीं।
- अगर तीन से कम बाल तोड़े, तो हर बाल पर एक मुट्ठी गेहूं सदका करें।
- तीन से ज्यादा बाल मगर चौथाई सिर से कम बाल दूर किये, तो सदका दें। (१.७५ किलो ग्राम गेहूं)
- अगर चौथाई सिर या दाढ़ी या इससे ज्यादा बाल साफ़ किये, तो दम वाजिब है।
- अगर अलग अलग हाथ पैर से एक या दो नाखून काटे, तो हर नाखून के बदले सदका देना होगा।
- अगर एक ही बार में चारों हाथ और पैर के नाखून काटे, तो एक दम देना होगा।
- अगर चार बार में चारों हाथ पैर के नाखून काटे, तो चारों दम देना होगा।
- अगर चेहरे या सिर पर एक घन्टा से कम वक्त तक कपड़ा लग रहा था, तो एक मुट्ठी गेहूं या उसकी कीमत की रकम ख़ेरात करना वाजिब है।
- अगर एक घन्टा से ज्यादा मगर एक दिन या एक रात से कम वक्त तक कपड़ा ढ़का रहा, तो पैने दो किलो गेहूं और अगर एक दिन या एक रात तक या इससे ज्यादा देर तक सिर ढ़का रहा और चेहरे पर कपड़ा लगा रहा, तो दम वाजिब होगा।
- इसी तरह अगर पांव की बीच की उठी हुई हड्डी जूते वौरह से ढक जाती है और अगर एक घन्टा से कम वक्त तक ढ़की रही, तो एक मुट्ठी गेहूं

एक घन्टा से ज्यादा पर १.७५ किलोग्राम गेहूं और एक दिन या एक रात तक या इससे ज्यादा वक्त तक ढ़की रही, तो एक दम देना वाजिब होगा।

- सोते वक्त रुख़सार (गाल) तकिया पर रखना जायज़ है, मगर चादर से सिर और चेहरा न ढाँकें, सोते वक्त पैर पूरी तरह चादर में ढांप सकते हैं।
- एहराम की हालत में गले में फलों का हार मक्कुल है। किसी भी खुशबू या खुशबू दार साबुन के एक बार इस्तेमाल पर सदका (पैने दो किलोग्राम गेहूं) और बार बार के इस्तेमाल पर दम वाजिब होगा।
- हिंदुस्तान से हज और उम्रह के लिए जाने वालों के लिए मीकात यलम-लम का पहाड़ है जो मक्का से जुनूब की तरफ है, जो हजरात वतन से सीधे मक्का पहुंचकर हज या उम्रह का इरादा करते हैं, उन्हें मीकात से पहले एहराम बाधना वाजिब है। अगर बगैर एहराम जिद्दा पहुंच गये, तो दम वाजिब होगा।

वतन से पहले मदीना जाने वालों के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है। हवाई सफर में यलम-लम जिद्दा से तकरीबन एक घन्टा पहले है।

### मर्द एहराम किंस तरह पहनें :

एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहननी होती है। इसे आप जिस तरह आसानी हो वैसे पहन सकते हैं। इस के लिए कोई खास कानून या हुक्म नहीं है। मगर चूंकि हज के दौरान लोगों की ज़बर्दस्त भीड़ होती है। लुंगी के नीचे भी आप को अंडरवीयर (चड्डी) और कोई चौंज पहनने की इजाजत नहीं है। इस लिए अगर लुंगी खुल जाए तो पूरा बहना (नंगा) होने का डर होता है। इस लिए एहराम की लुंगी मुंदर्जाज़िल तरीके से पहनने की सलाह दी जाती है, जो ज्यादा महफूज़ तरीका है।

- आप पैरों को ज़रा फैला कर खड़े हो जाएं।
- लुंगी के दोनों सिरे दोनों हाथों में पकड़ लें।
- बाएं हाथ का सिरा, दाहनी कमर और पेट से चिपका ले और पकड़े रहे



तसवीर १,



तसवीर २,



तसवीर ३,



तसवीर ४



तसवीर ५,



तसवीर ६,



तसवीर ७,



तसवीर ८,



तसवीर ९,

और दाहनी तरफ के सिरे को थोड़ा सा खींच कर रखें। (तसवीर १)

- फिर दाहने हाथ को बाएं तरफ इस तरह ले जाएं कि लुंगी का वह सिरा जो हमने दाहनी तरफ दबाया था वह वहीं जमा रहे। (तसवीर २)
- दाहने हाथ के लुंगी के सिरे को बाएं तरफ पूरी तरह ले जाने के बाद भी लुंगी दो से तीन फिट बची रहेगी। फिर इस बचे हुए सिरे को दाहनी तरफ ले जाए। मगर दरम्यान से आगे न बढ़ें बल्कि दरम्यान में नाफ़ के पास तह करके लपेट लें। (तसवीर ३-४)
- लुंगी आपकी नाफ़ के ऊपर हो क्योंकि नाफ़ सतर में शामिल है और सतर का छुपाना लाजमी है।
- एहराम सिर्फ़ दो चादरों का नाम है। इस में पट्टा शामिल नहीं। मगर चूँकि हज के दौरान रूपया वैग्रह साथ रखना ज़रूरी होता है। इस लिए रूपया रखने के लिए पट्टा पहनने की इजाज़त है। और पट्टा पहनने से पहले इनमें रूपया रखकर पहनना चाहिए।
- पट्टा नाफ़ पर या नाफ़ के ऊपर पहनें जिस से कि लुंगी के ऊपरी हिस्सा से आप की नाफ़ हमेशा छुपी रहे। एहराम की हालत में आप चश्मा, घड़ी, कान का आला वैग्रह पहन सकते हैं।
- उम्रह और हज के तावफे ज़ियारत में मदर्दों को रमल और इज्जेबा करना सुन्नत है। इज्जेबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहने हाथ के बगल से निकाल कर बाएं हाथ के कांधे पर डाल लेते हैं। (तसवीर ५)
- एहराम की हालत में तावफ के सातों चकरों में इज्जेबा करना सुन्नत है। मगर तावफे वाजिब नमाज़ के पहले मोंछे (कांधे) ढांक लें। इज्जेबा के साथ नमाज़ पढ़ना मकरूह है।
- हज के खास दिनों में जिस्म पर ३ से ४ दिनों तक एहराम होता है। एहराम की एक चादर लुंगी की तरह पहन कर और पट्टे से मज़बूत बांध कर हाजी बेफिकर हो जाते हैं। मगर ऊपरी चादर संभालना ज़रा मुश्किल काम है वह भी खास कर नमाज़ की हालत में। इस लिए बुजुर्ग और तजुर्बाकार हज़रात जिन्हें कई बार हज का तजुर्बा है नीचे दिए हुए तरीके से ऊपरी चादर लपेटने का मश्वरा देते हैं।
- 9) पहले ऊपरी चादर कंधें पर ओढ़ कर पूरी तरह से हाथ सीधा करके सामने की तरफ फैला लें और चादर के दोनों सिरें हाथों में पकड़ लें। (तसवीर ६)
- 2) फिर सीधे हाथ का सिरा बाएं बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ७)
- 3) फिर बाएं हाथ का सिरा दाएं बगल के नीचे लुंगी या पट्टे के नीचे अच्छी तरह दबा लें। (तसवीर ८)
- 4) फिर एहराम का कपड़ा जो हाथ के ऊपर लटक रहा होगा उसे आस्तीन की तरह समेट लें। इस तरह आपके दोनों हाथ आज़ाद भी होंगे और ऊपरी एहराम की चादर बार बार न गिरेगी न नमाज़ में खलत पैदा होगा। (तसवीर ९) ▼▼▼▼▼

## हज ना करने पर वर्झ्ड

हज़रात अब्दुल्ला इब्न उमर (रज़ी) फरमति हैं कि जो शर्ख़स तंदुरस्त हो, हज के अखराज़ात रखता हो, फिर भी वैग्रह हज के मर जाए तो क्यामत के दिन उस की पेशानी पर काफिर लिखा होगा। (दुर्ग मन्त्र)

## रवसारे का सौदा

मक्का और मदीना मुनव्वरा में हरम शरीफ की मस्जिदों का माहौल इतना पुर नूर और पुर स्कून है कि लोग धर्ती यूँ ही सेहन और बाहर की खुली जगहों पर बैठे रहते हैं। नमाज़ का इत्तेज़ार करते हैं। और अज़ान होने पर वहीं मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ने लगते हैं।

जितनी देर मस्जिद में बैठ कर नमाज़ का इत्तेज़ार किया जाए वह इत्तेज़ार का वक्त भी नमाज़ में शुमार होता है और उस का भी सवाब मिलता है। मगर हाजी हज़रात दो वजहों से ये बेहतरीन सवाब कमाने का मौका खो देते हैं। बल्कि कभी कभी तो गुनाहगार भी होते हैं।

पहली वजह तो यह है कि अक्सर हाजी हज़रात इन वक्तों में आपस में दुनियादारी की बातें किया करते हैं। जिस से सवाब नहीं मिलता बल्कि नमाज़ पढ़ने की जगहों पर दुनियादारी की बात करने वालों पर फरिश्ते लानत भेजते हैं और दुसरी यह है कि जब भी जमाअत शुरू हो तो पहले अगली सफ़ों को भरना चाहिए। अगर अगली सफ़ खाली हैं तो बैग्रह अगली सफ़ों को भरे पीछे दुसरी सफ़ बनाने से नमाज़ नहीं होते हैं।

इन बा-बरकत मस्जिदें जहाँ सवाब लाखों और करोड़ों में कमाया जा सकता है। अपने नफ़स के ज़रा सी छुशी के लिए हम ऐसे सुनहरे मौके बर्बाद कर देते हैं।

इस लिए जब भी हरम में बैठें तो दुनियादारी की बातों से परहेज़ करें। और जमात शुरू होते ही पहले अगली सफ़ों को पुरा कर लें।

बाहरी सेहन बहुत पुरकशिश है और वहाँ बैठना भी आसान है इस लिए जमात शुरू होते ही बाहरी सेहन तो खचा खच भर जाता है। मगर पहला मंज़िला, छठ और तहखाना खाली रहता है। नमाज़ शुरू होने के बाद अगर कोई अंदर जाना भी चाहे, तो नहीं जा पाता या बहुत तकलीफ़ से जा पाता है।

इस तरह जाने वाले नमाजियों को रोकने का वबाल भी बाहर नमाज़ पढ़ने वालों पर होगा। इस लिए भले ही आप सेहन में बैठ कर नमाज़ का इत्तेज़ार करें मगर नमाज़ शुरू होने के पहले अंदर चले जाएं और अंदर की जगहें पुर करें। अंदर हरम शरीफ की मस्जिद पुरी तरह भर जाने के बाद ही बाहर नमाज़ पढ़े।

अल्लाह तआला आप की इबादत को कबूल फरमाए और हज-ए-मबरूर अता फरमाए। आमीन

## पेज नं ९० से.... सामाने सफर

३. ऐसे तमाम किस्म के खिलौने भी मन्तु हैं, जिससे किसी को डरा कर जहाज़ को अग्राह किया जा सकता है जैसे; प्लास्टिक की बंदूक वैग्रह।

## ये सारी चीजें एयरपोर्ट पर ज़ब्त कर ली जाती हैं:

४. एयरपोर्ट पर तत्ताशी के दौरान अगर कोई ड्रग या नशे वाली चीज़ आप के सामान में शामिल मिल गयी, तो सऊदी हुकूमत में इस की सज़ा आप तौर पर सज़ा-ए-मौत ही है।

५. बाल काटने की कैंची, सब्ज़ी काटने की छुरी, नाखून काटने के औज़ार या बच्चों के खिलौने वैग्रह आप चेक इन लगेज वाले सूटकेस में रख सकते हैं जो के जहाज़ के निचले हिस्से में लोड होगा। ये सारी अश्या जहाज़ के अंदर ले जाना मना है। इनके साथ सफर करना मना है।

६. बाल काटने की कैंची, शैविंग ब्लैड, नाखून काटने का औज़ार, सब्ज़ी काटने की छुरी इन सब की ज़रूरत आप को उम्रह के बाद हज से पहले और हरम में क्यामत के दौरान होगी। इस लिए इनको चेक इन लगेज में रख लें और अपने मुकाम पर पहुंच कर निकाल लें और इस्तेमाल करें।

# हरम शरीफ़ और मिना के कृयाम में पर्दे का मसला

فُلٌّ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْصُونَ أَبْصَارِهِمْ<sup>①</sup>

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنِتِ يَعْصُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ<sup>②</sup> (سورة نور آيات: ٣١، ٣٠)

“कुल लिल मुअ्-मिनीना यगुज्जू मिन अब्यारिहिमा। व कुल लिल मुअ्-मिनीनी यगा-जुन्ना मिन अब्सारिहिन्ना।”

- “मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वह भी अपनी निंगाँहे नीची रखा करें।”  
(कुरआन, सूरह नूर, आयत: ३०, ३१)

يَا لِيَهَا النَّلِيْنِ فِي لِّزْوَاجِكَ وَبَتِّيَّكَ وَيَسِّأَ الْمُؤْمِنِينَ  
يُدْبِّيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْهِنَّ<sup>③</sup> (سورة احزاب آيات: ٥٩)

“या अइ-युहन्ननबिय्यो कुल लिल लि-अज्याजिका व बनातिका व निसाइल मुअ्-मिनीना युद-नीना अलैहिन्ना मिन जलाबी-बिहिन्ना।”

- “ऐ पैगम्बर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि बाहर निकला करें तो अपने मूँह पर चादर लटका कर पूँछट निकाल लिया करें।” (कुरआन, सूरह अह्जाब, आयत: ५६)
- “हज़रत आईशा (रजी.) का इशाद है, कि हम रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में होते थे, मगर जब गैर मेहरम मर्द हमारे सामने से गुज़रते, तो हम पर्दा कर लिया करते थे।
- एहराम में औरतों का चेहरा और हाथ खुला रहना ज़रूरी है, मगर पर्दे का जो इस्लाम में शर्ई हुक्म है वह खतम नहीं होता है। एहराम की हालत में भी औरतों को वैसे ही पर्दा करना है जैसे गैर एहराम की हालत में करना है।
- मक्का और मर्दीना शरीफ के कृयाम में एक कमरे में छः से ८ या उससे भी ज़्यादा लोगों को रखा जाता है। अगर सारे लोग उप्र दराज और बुजुर्ग हों, तो इतनी तकलीफ नहीं होती अगर उन में जवान और कम दीनदार हों, तो मस्तूरत का उन के दरमियान बैग्रेर पर्दे के सोना बहुत म़ायूब और तकलीफ दह काम है। कमरे में मकान मालिक की तरफ से पर्दे का कोई इन्तेज़ाम नहीं होता, पर्दे के लिए आप को घर से खुद पर्दा, रस्सी और कम्बलें बैग्रेर ले जाना होगा और मकान मालिक की इजाजत से कमरे में कीले लगाकर पर्दा करना होगा, इस लिए हज के सफर पर जाते वक़्त ही ये सामान साथ लेते जायें। पर्दे के कपड़े और रस्सी बैग्रेर आप को वापसी के सफर पर लगैज के ऊपर बांधने के भी काम आयेंगे।
- मिना में करीब ७० मर्द और औरतों को एक ही खेमे में रहना होता है। यह खेमा ४०x२० फिट का होता है। हुक्मत ने इन खेमों में कूलर और लाइट का बहुत अच्छा इन्तेज़ाम किया है। साथ ही खेमे के बीच में पर्दे का इन्तेज़ाम भी है। जो के शुरू में लिपटा हुआ होता है।
- मक्का में जो लोग आप के कमरे के साथी और पड़ोसी हैं यही लोग मिना में आप के खेमे में होंगे मक्का के कृयाम के वक़्त ही दीनदार लोगों को पहचान लीजिए। और हो सके तो पहले ही से तय कर लीजिए। मिना पहुँच कर सब से पहले पर्दे ओर नमाज बाजमाअत का काम करना है। और पहले ही से आठ दस आदमी का उन दोनों कामों के लिए हम ख़ाल होना

ज़रूरी है।

एक फैमिली के मर्द और औरतों का सामान और खना पीना एक साथ ही होता है, इसलिए ये बात अक्सर लोगों बहुत गिरां गुजरती है और वह जल्दी पर्दे के लिए राजी नहीं होते, मगर जब आठ दस मर्द पर्दे की हिमायत करें, तो और लोग दब जाते हैं क्योंकि परदा करना शरीअत के हुक्म पर अमल भी है।

मिना पहुँच कर सारे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए और हिक्मत और मसलिहत से लोगों को राजी कर के खेमे के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरत एक तरफ और मर्द दूसरी तरफ हो जायें।

(२०१३ में सउदी हुक्मत ने मर्दों और औरतों के खेमें पहले से ही अलग अलग कर दिये थे और दोनों को अलग अलग ठहराया।)

- हज के मौके पर हरम शरीफ में अक्सर तवाफ के लिए बहुत भीड़ होती है। खास कर रखन यमानी और हजर अस्वद के दरम्यान इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस एक दूसरे से छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस लिए अगर मुश्किल हो, तो औरतों को कम भीड़ के औकात में तवाफ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात में १ बजे से ३ बजे वैग्रह। पहले मजिले और छत पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ करे, तो भी बेहतर है।, लेकिन पहले मजिले और छत पर दायरा वसीअ होने की वजह से तवाफ की मशक्कत बहुत बढ़ जाती है।
- औरतों के पीछे या बगल में मर्दों की नमाज़ नहीं होती है। इसलिए हरम शरीफ में मौजूद पुलिस औरतों को पीछे की सफों की तरफ भेजती रहती हैं। अगर आप तवाफ के लिए औरतों को इस लिए अपने साथ ले जाते हैं, के कहीं रास्ता भूल न जायें, तो नमाज़ से कुछ देर पहले उन्हें औरतों की नमाज़ की जगह खुद ले जाकर बैठा हैं, और नमाज़ के बाद फिर अपने साथ ले लें नहीं, तो एक औरत की वजह से कम अज़ कम तीन हाजियों की नमाज़ ख़राब होगी। एक दायें दूसरी बायें और तीसरा पीछे और उसका गुनाह और अज़ाब आप को होगा।
- हजरत अबू सईद खुदरी (रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इशाद फरमाया: “अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस बदे को मैं ने सेहत और तन्दस्ती बख्शी और रोज़ी में फराखी और कुशादी दी और फिर पांच साल की मुदत गुज़र जाए और मेरे पास ना आए तो ऐसा शब्ष महरूम-किस्मत और बद-किस्मत है।”  
(तरीक बा हवाला इब्ने हब्बान, जादे राह: ५८)

हजरत इमाम हुसैन रजी फर्माते हैं कि रसुले खुदा (स.) से एक श़ख्स ने अर्ज किया, “हुजूर (स.) में कमजोर भी हुँ और बुज्दील भी” फर्माया “तु ऐसा जिहाद किया कर जिसमें कांठ भी न लगो।” उसने अर्ज किया, ऐसा कौन सा जिहाद है जिसमें तकलीफ न पहुँचें? फर्माया “हज किया कर” (तिबरानी)

# हालते एहराम में मन्त्र काम और उन का कुपकारा

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इशारद फरमाता है कि “जो शख्स इन महिनों में हज कि नियत करले तो हज(के दिनों) में न औरतों से इख्लीलात करें, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़ें और जो नेक काम तुम करोगे वह अल्लाह को मालूम हो जाएगा।” (सुहे बकरा, १६७)

- ऐसे काम जो हरम शरीफ में और एहराम पहन कर नहीं करने चाहिए, जिनायत कहलाते हैं। (जिनायत की जमा जिनायत है।) ऐसे काम जो एहराम पहनकर नहीं करने चाहिए, आठ तरह के हैं।
  १. मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना और पैरों की उपर कि हड्डी को ढांकना।
  २. मर्द को सर और चेहरा और औरत को चेहरा ढांकना।
  ३. उम्रह और हज के किसी फर्ज़ या वाजिब अरकान को छोड़ देना।
  ४. खुशबू इस्तेमाल करना।
  ५. बाल उखाड़ना या काटना, बालों से जूँ दूर करना या मारना।
  ६. नाखून काटना।
  ७. अङ्दवाजी तालुकात कायम करना।
  ८. खुश्की के जानवर का शिकार करना।
- ऐसे काम जो हरम शरीफ यानी मक्का मुकर्मा और मदीना मुनव्वरा में नहीं करने चाहिए वह नीचे लिखे गए हैं।
  १. लड़ाई झगड़ा करना।
  २. धास या दरख्त काटना, किसी दरख्त कि शाखें या काटें तोड़ना। (आप हरम के हुदुद में धास का एक तिनका भी नहीं तोड़ सकते)
  ३. शिकार खेलना, किसी शिकार किए जाने वाले जानवर को ड़राना या अपनी जगह से हटाना।  
(हरम के हुदुद में जंगली जानवरों को भी अमान है।) इनको मारना तंग करना तो दूर की बात है अगर वह साथे में खड़े हों तुन्हें हटाकर आप का साथे में जाना भी हराम है।)
  ४. गिरी पड़ी चीजों का उठाना।
- ऊपर बताए गए मन्त्र काम करने पर चार तरह का जुर्माना आयद होता है।
  १. एक मुठर्ठी गेहूं का सदका करना जिजा कहलाता है।
  २. फितरा के बराबर सदका यानी पैने दो किलो गेहूं या इतनी रकम के सदका को सदका कहेंगे।
  ३. एक छोटे जानवर की कुरबानी (बकरी, दुम्बा, भेड़ वगैरा) को दम देना कहते हैं।
  ४. एक बड़े जानवर कि कुरबानी यानी एक गाय या ऊंठ कि कुरबानी को बिदना कहते हैं।

मसला: पूरा ऊंठ या गाय की कुरबानी सिर्फ दो जगह वाजिब होती है। एक जनाबत और हैज़ व निफास की हालत में तवाफ करना, दूसरे वकूफे अरफा के बाद और तवाफे ज़ियारत से पहले हमबिस्तरी करना।  
(मसाइले हज व उम्राह मआ आदाबे ज़ियारत, पेज नं. ११६ से १२१, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २२४ और २२५)

कुरबानी हुदुदे हरम में देना लाज्मी है और उसका गौशत भी खुद नहीं खा

सकते, इसे गरीबों में सदका करना लाज्मी है। या सदके कि कीमत कहीं भी दी जा सकती है।

## मन्त्र काम और उनका कपकारा

१. किसी मर्द ने एहराम की हालत में सिला हुआ कपड़ा पहना तो अगर एक घंटा या उससे कम पहना तो जीजा देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात से कम पहना तो सदका देना होगा। अगर आधा दिन या आधी रात के बराबर या ज्यादा पहना तो दम वाजिब होगा।
२. एहराम की हालत में किसी वजह से अगर एक घंटे से कम वक़फ़ा तक सिर ढ़का रहा तो जिजा देना वाजिब है। अगर १२ घंटे से कम वक़त तक सिर ढ़का रहा तो सदका करना वाजिब है। अगर १२ घंटे से ज्यादा ढ़का रहा तो दम देना वाजिब होगा।
३. एहराम की हालत में गर्ले में फूलों का हार डालना मकरस्त है। खुशबूदार फूल सुंधाना भी मना है। खुशबूदार साबुन के एक बार इस्तेमाल से सदका और बार-बार इस्तेमाल से दम वाजिब हो जाता है।
४. बाल नोंचने या खुजलाने वैगैरह से दाढ़ी या सिर के तीन बाल तक गिरें तो हर बाल के बदले जिजा दें। तीन से ज़्याद बालों पर सदका करें। अपने आप गिरने वाले बालों पर सदका नहीं है।
५. अगर एक हाथ या पौँछ के पांचों नाखून एक ही वक्त में काटें तो एक दम वाजिब होगा अगर चारों हाथ और पैरों के सारे नाखून एक ही वक्त में काटें तो भी एक ही दम वाजिब होगा। अगर चारों हाथ पैरों के सारे नाखून अलग अलग काटें तो उतने बार दम देना होगा। अगर किसी हाथ पैर के पांचों नाखून एक साथ नहीं काटें बल्कि एक-एक या दो-दो नाखून काटें तो जितने नाखून उतने-उतने सदके देने होंगे। (यानी जब पांचों नाखून एक साथ काटें जाएं तो दम लाज़ीम होगा वरना सदका)। दूर्दे हुए नाखून को काटने या तोड़ने पर कोई सज़ा नहीं है।
६. अगर किसी ने जंगली या मैदानी जानवर का शिकार किया या शिकार करने में किसी की मदद की, तो इसी जानवर के मिस्ल सदका करना होगा।
७. अगर हालते एहराम में शहवत के साथ मर्द अपनी बीवी के साथ बोस व किनार होता है तो ऐसी सूरत में, इन्जाल हुवा हो या ना हुवा हो दोनों सूरतों में जुर्माने में एक दुम्बा या गाय की कुरबानी वाजिब हो जाएगी। और अगर बीवी को शहवत हो जाए तो उस पर भी अलग से एक कुरबानी वाजिब हो जाएगी।
८. हज में वकूफे अरफा के बाद हल्क और तवाफे ज़ियारत से पहले बीवी से हम-बिस्तरी हो जाए तो जुर्माना में बदना की कुरबानी वाजिब हो जाएगी। और तीनों इमामों के नज़दीक अगर वकूफे अरफा के बाद जमराह उकबा की रसी से पहले जिमा (हम-बिस्तरी) हो जाए तो हज ही फासिद हो जाएगा। और हज़रत इमाम अबू हनीफा के नज़दीक हज फासिद ना होगा अलवत्ता जुर्माना में बदना वाजिब हो जाएगा। (गुनिया जदीद, पेज २६६, गुनिया कदीम पेज १४४, अन्वारे मनासिक पेज २१६)

## ९. अरकान तर्क करने के मुतालिक:-

काम: हज और उम्रह के वाजिब अरकान का छूट जाना।

कपकारा: अगर हज और उम्रह का कोई भी वाजीब रुक्न छूट जाएगा, तो हज

और उम्रह हो जाएगा मगर दम देना होगा।

कामः हज और उम्रह के फर्ज अरकान का सूट जाना।

कफारा: हज और उम्रह का अगर कोई भी फर्ज छूट जाएं तो हज या उम्रह नहीं होगा। ऐसी हालत में हाजी तवाफ, सई और हलक करवाकर ऐहराम उतार दें मगर फिर उसे उम्रह या हज दौहराना होगा।

## 10. हरम शरीफ के हुदूद की गलतियाँ और कफारा

कामः किसी ने हरम की बेहुरमती की, जैसे हरम के हुदूद में धास उखाड़ लिया या दरख्त की पत्तियाँ तोड़ ली या ऐसा कोई भी काम किया जिसकी मुमनिअत है।

कफारा:

- हरम की धास काटने से उस की कीमत के बराबर सदका करना वाजिब होगा। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६१)
- किसी दरख्त के पत्ते तोड़ने अगर दरख्त को नुकसान न हो तो पत्ते तोड़ना जायज़ है, बरना जायज़ नहीं। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६२)
- खुद-रौ धास या दरख्त जिसे उगाने का मअमूल नहीं है जैसे नूनिया धास वगैरा और वह फल भी नहीं देता है तो ऐसे दरख्तों को काटना और तोड़ना हुदूदे हरम में मना है। अगर ऐसे दरख्त या धास को काटा जाय तो सज़ा के तौर पर उस की कीमत का सदका वाजिब होगा। (गनियतुल मनासिक पेज नं. ३०२, हज व ज़ियारत नम्बर पेज नं. १६३)
- हरम का सूखा दरख्त या सूखी हुई धास तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज नं. २६२)

कामः नापाकी की हालत में मस्तिष्के हरम में दाखिल होना।

- अगर औरत ने गुफकत या लापरवाही में हालते हैं जैसे तवाफे जियारत कर लिया या तवाफे जियारत के अक्सर अश्वात हालते हैं जैसे इसलिए तीन शौत के बाद हैं आ गया और हैं ज़ही की हालत में चार अश्वात पूरे कर लिए तो उस पर जर्माना में बिदना वाजिब है। और बिदना ऊंठ या गाय या भैंस को कहा जाता है। और अगर औरत ने नहर के दिनों में अन्दर अन्दर तवाफ का इरादा कर लिया है या इन अश्वात का इरादा कर लिया जिन की हालते हैं जैसे किया था तो कफारा साकित हो जाएगा और कोई चीज़ उस पर लाज़िम न होगी। और अगर नहर के दिन गुज़र जाने के बाद एआदा करेंगी तो देरी की वजह से एक दम देना लाज़िम होगा। (गनियता ज़ीदी पेज नं. २७२, कवीम पेज नं. १४५, अनवारे मनासिक पेज नं. ३४३)

और अगर हैं या निफास या जनाबत की हालत में तवाफे उमराह करेंगे तो जुर्माना में एक दम देना होगा। और अगर पाक होने के बाद एआदा करेंगे तो जुर्माने का दम साकित हो जाएगा। (गनियता ज़ीदी पेज नं. १४७-१४८, अनवारे मनासिक पेज नं. ३२२)

## ना-बालिंग के मसाइः

- १) ना-बालिंग ने आम लोगों की तरह हज्जे तमत्तओ कर लिया है तो आम लोगों की तरह इस तमत्तओ की कुरबानी नहीं। इसी तरह किरान की कुरबानी भी लाज़िम नहीं। (गनियता ज़ीदी पेज २०७, अनवारे मनासिक पेज २०४)
- २) अगर ना-बालिंग ने हालते ऐहराम में कोई ऐसा अमल कर लिया जिस से दम या कफारा वाजिब होता होजाता है जो ना-बालिंग के गैर कुकल्लफ होने की वजह से उस पर कोई कफारा या दम वाजिब नहीं होगा, और उसकी वजह से उस के बली और ज़िम्मेदार पर पर भी कोई कफारा ना होगा, इसलिए कि यह बली का अपना अमल नहीं है। ही अल्बत्ता बली के लिए मुनासिब यही है कि ऐहराम के बक्त उस को भी ऐहराम का कपड़ा पहना दे और मनूआते ऐहराम से उस को महफूज़ रखने की मुम्किन है।

पूरी कोशिश करे। (गनियता ज़ीदी पेज ८४, २०७, अन्वारे मनासिक पेज २०४)

(नोट: ऊपर बताएं गए कफारों हमने बहुत मुख्यसर तौर पर लिखा है। अलग-अलग मसलक में अलग-अलग एहकाम है। इसलीए इस बारे में आप अपने नज़रिये के आलीमों से मशिवरा लें। मुअल्लिम- उल-हुज्जाज किताब में इनका तफसील से ज़िक्र है।)



## अरफात की दुआएँ और वजीफें

नबी करीम (स.) से रिवायत है, कि आप(स.) ने फरमाया:

“दुआओं में सबसे बेहतर दिन अरफा की दुवा है और मैंने और मुझसे पहले अंबीयाने इस रोज जो अफ़्ज़ुल तरीन कलमात कहें वह यह है”

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَالْحَمْدُ وَمَا يُحْكَمُ كُلُّهُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ

तर्जुमा: कोई मायूद बरहक नहीं सिवाय अल्लाह तआला के, वह तनहा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसीके लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द है, वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।

- एक सही हवास में हैं कि, नबी (स.) ने फरमाया:

अल्लाह के यहाँ महबूब तरीम कलमात चार हैं:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

- आप (स.) ने फरमाया:

दो कलमात ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मिज़ाने आमाल में बहुत भारी हैं और रहेमान को बहुत महबूब हैं।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

- हज़रत साद बिन अबी वकास (रज़ी.) से रिवायत है कि हम रसुल (स.) की खिदमत में हाजिर थे कि आप (स.) ने फरमाया:

“क्या तुम में से हर एक शख्स इस बात से आजिज़ हैं की वह हर रोज़ एक हज़ार नेकिया कमाए?”

हाज़रीन मज़ालिस में से एक सहावी (रज़ी.) ने अर्ज़ किया: “या रसुल अल्लाह (स.)! हम में से हर एक शख्स एक हज़ार नेकियां कैसे कमा सकता है?”

आप (स.) ने फरमाया: १०० बार सुब्बान-अल्लाह कहें तो उस के लिए एक हज़ार नेकियां लिख दी जाएगी और एक हज़ार गुनाह उससे माफ कर दिए जाएंगे।

## हुसूले इल्म फर्ज़ है

रसुल (स.) ने ईश्वर फरमाया: “दिन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान (मर्द व औरत) पर फर्ज़ है।” (इब्ने माजा-बरीवायत हज़रत अनस रज़ी)

हज़रत अबू मुसा अशारी (रज़ी.) बयान करते हैं कि रसुल अल्लाह (स.) ने फरमाया: “हाजी अपने खानदान के ४०० आदमियों की शिफाअत करेगा। हाजी अपने गुणहों से ऐसे पाक हो जाता हैं गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है।” (बज़ार)

# औरतों का एहराम

औरतें भी हज के तमाम अफ़आल मर्दों की तरह करें लेकिन कुछ अमूर में उन के लिए मर्दों से अलग हुक्म हैं और चन्द अमूर औरतों ही के साथ मख़्सूस हैं उन की तफ़सील नीचे दिए हुए तरीके से हैं।

- १) औरतों के लिए किसी भी सफ़र के लिए मेहरम का साथ होना ज़रूरी है। हज और उम्रा का सफ़र बैगेर मेहरम के करना नाजायज़ है और गुनाह है।
- २) अगर किसी औरत पर हज फर्ज है मगर किसी मेहरम का साथ नहीं, तो उसको चाहिए के मेहरम मिलने तक हज मुल्तवी कर दे। इस मजबूरी की वजह से हज में जो ताथीर होगी उसका कोई गुनाह न होगा और अगर उसी हालत में मौत आ गयी तो औरत को मरते वक्त हज-ए-बदल के लिए वसीयत करना वाजिब है।
- ३) इदूदत वाली औरतें अय्यामे इदूदत में मेहरम होने के बावजूद हरगिज हज के लिए ना जायें, ये उन के लिए हराम हैं।
- ४) मेहरम वह शख्त है जिससे निकाह हमेशा के लिए हराम है। जैसे; बाप, बेटा, भाई, भतीजा, भाऊ, शौहर का बाप वगैरह।
- ५) बहनोई, फूफा, खालू, वगैरह मेहरम नहीं हैं। तन्हा इनके साथ हज करने पर गुनाह होगा।
- ६) अगर औरत माल दार हो और मेहरम के साथ भी हो, तो वह शौहर कि इज़ाजत के बैगेर पहला हज कर सकती है। क्योंके एक हज फर्ज है। नफ़ली उम्राह और हज के लिए शौहर की इज़ाजत ज़रूरी है।

## एहराम का व्याख्यान:

- १) औरतों का एहराम उन के रोज मरह के कपड़े हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि ये कपड़े बारीक, चुस्त और ऐसे न हों जिस से दुसरों की तवज्ज्ञह आप की तरफ खिंचें। कपड़े बिल्कुल सादा और साफ सुधरे होने चाहिये।
- २) एहराम की हालत में बाल काटना और तोड़ना मना है। ओढ़नी अगर सिर से बार बार सरकती रहे, तो उसके सरकने से बार बार सिर ढाकने से हो सकता है के बाल टूट जायें, इस लिए एहतियात के लिए सिर पर एक रुमाल या टोपी बांध ली जाती है। ये सिर्फ एहतियात की तदबीर है। सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा या टोपी का एहराम से कोई वास्ता नहीं है। ये औरतों का एहराम नहीं है। मर्दों के लिए जैसे एहराम के कपड़े और एहराम की चादरें हैं इस तरह औरतों के लिए एहराम का कोई मख़्सूस कपड़ा नहीं है।
- ३) एहराम की हालत में औरतों को चेहरा खुला रखना है। इसलिए सिर पर टोपी या रुमाल बांधते वक्त इस बात का ख्याल रखें के माथा ढका ना हो वर्ना सदका या दम देना लाजिम होगा।
- ४) मर्दों की तरह आरतों को कदम के उपरी हिस्से की हड्डी को खुला रखना ज़रूरी नहीं है। औरतें जूतियां पहन सकती हैं, जिससे ये हड्डी छिप जायें।
- ५) गुस्त और वुजू करते वक्त सिर पर बांधी हुई टोपी या रुमाल का खोलना ज़रूरी है। सिर खोल कर अगर आप ने सिर का मसह न किया, तो न वुजू होगा न ही आप की नमाज होगी।
- ६) उम्रह में सई के बाद, और हज में कुर्बानी के बाद हलाल होने के लिए तमाम सिर या कम अज़ कम एक चौथाई सिर के बालों से लग्जाई में

उंगली के पोर के बराबर तक सिर के बाल काट लें। (करीब एक से सवा इच्छा) ये बाल वह खुद भी अपने हाथ से काट सकती हैं या अपने जैसे किसी और खातुन हाजी से जिस ने बाल काटने के पहले सारे अरकान अदा कर लिए हों बाल कटवा सकती हैं। औरतों का अपने शौहर और अपने साथ आए महरम मर्द को छोड़ कर किसी गैर महरम से बाल कटवाना जाएँ नहीं है।

बाल काटने का आसान तरीका है कि बाल की चोटी के आखरी सिरे को उंगली पर लपेट लें और फिर काटें। ख्याल रहे कि एक पोर की लंबाई से कम बाल न कटे।

- ७) एहराम की हालत में कंधी न करें। अगर जान बूझकर कोई बाल टूट गया, तो जिज़ा देना होगा।
- ८) बे खुशबूदार तेल जिस्म पर और बालों में लगाया जा सकता है। बाल टुटने के बाद से अगर न लगाया जाए तो बेहतर है।
- ९) औंखों में ऐसा सुरमा लगाना बिला-कराहियत जायज़ है कि जिस में कोई खुशबूदा ना हो। और अगर ऐसा सुरमा है कि उस में खुशबूदा नुमायीं और वाज़ेह हो तो उस सुरमे को हालते एहराम में लगाने से सदका वाजिब होगा। (अनवारे मनासिक पेज नं. २२८, मुअलिमुल हुज्जाज पेज नं. ११५)
- १०) हालते एहराम में मेहंदी लगाना जायज नहीं। लिहाजा अगर पूरे सर पर या पूरी ढाढ़ी पर मेहंदी लगाई है या औरत ने हथेली या सर में मेहंदी लगाई है तो दम वाजिब होगा, इसलिए कि मेहंदी पूरे हिस्से पर लगाई है। और अगर कुछ हिस्से ढाढ़ी पर या हथेली और पैर के कुछ हिस्सों पर लगाई है तो सदका वाजिब हो जाएगा। (बदाएं कदीम पेज नं. १६२/२, अल-मूबूत १२४/४, अल-बहरूर्नीइक जदीद ४/३, अल-मसालिक फिल मनासिक ४७६/२, अनवारे मनासिक २३२ और २३३, मुअलिमुल हुज्जाज २२६)

- ११) एहराम की हालत में औरतें ज़ेवर पहन सकती हैं। मगर ज़ेवर ऐसा न हो के दुसरों की तवज्ज्ञह आप की तरफ हो जाए।

## औरतों के लिए मुमानिअत :

- १) औरतें तल्खिया, तकबीर या और कोई तसबीह बुलंद आवाज़ से न पढ़ें। औरतों के आवाज़ का भी पर्दा है।
- २) औरतें न रमल करें न सफ़ा मरवा के दरम्यान तेज़ चलें, न दौड़ लगायें।
- ३) नबी करीम (स.) ने रास्तों पर चलते वक्त औरतों को रास्ते के किनारे चलने का हुक्म दिया था। इस हुक्म के बाद सहावे कराम (रजी.) कि औरतें रास्ते के इतना किनारे चलनी थी कि उनके कपड़े दिवारों से रगड़ खाते थे। (अबु दाऊद. बहरी)
- ४) हज़रत अबु हुरैरा(रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम(स.) ने फरमाया “मर्दों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ पहली सफ़ है और सबसे बद्दतरीन सफ़ आखरी सफ़ है और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन सफ़ सबसे आखरी सफ़ है सबसे बद्दतरीन सफ़ पहली सफ़ है” (अबू-दाऊद.)
- ५) कोई अमल या इबादत उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक नबी करीम (स.) के हुक्म के मुताबिक न हो। इसलिए औरतें तवाफ़ करते वक्त मर्दों के दरम्यान घुस कर न तवाफ़ करें न ही सई करें, और न माज़ भी औरतों के नमाज के मुकाम पर पढ़ें, मर्दों के दरम्यान न पढ़ें।

- ५) अगर कोई औरत जमाअत में मर्दों के दरम्यान खड़ी हो जाये, तो उस औरत के दायें, बायें और पीछे खड़े होने वाले मर्दों की नमाज़ नहीं होगी। उसका गुनाह उसी औरत पर, और उसके साथ जिम्मेदार मर्द होगा।
- ६) हज के मौके पर हरम शरीफ में अक्सर तवाफ के लिए बहुत भीड़ होती है। खास कर रखन ईमानी और हज़ेर अस्वद के दरम्यान। इसी दौरान अक्सर लोगों के जिस एक दूसरे छूते रहते हैं। अगर पीछे से लोगों का ज़्यादा दबाव आये, तो अपने आप को सामने वाले से दूर रखना बड़ा मुश्किल होता है।
- इस लिए अगर मुश्किल हो, तो औरतों को कम भीड़ के औकात में तवाफ करने के लिए कहें। जैसे सुबह ११ बजे, दोपहर २ बजे से ३ बजे और रात में ९ बजे से ३ बजे वैग्रह। पहले मंजिले और छठ पर भी भीड़ कम होती है। इसलिए अगर वहाँ तवाफ करे, तो भी बेहतर है। लेकिन पहले मंजिले और छठ पर दायरा बढ़ा होने की वजह से तवाफ की मशक्त बहुत बढ़ जाती है।
- ७) एहराम कि हालत में औरतों का सिर्फ चेहरा खुला रखना है। एहराम में पर्दे का हुक्म मनसूख नहीं है।
- हज़रत आईशा (रजी.) फरमाती है, के हम औरते हज में रसूल अल्लाह (स.) के साथ एहराम की हालत में थीं, एहराम कि वजह से हम चेहरों पर नकाब नहीं डालती थीं। मगर जब हमारे सामने से मर्द गुजरते तो हम अपनी चादर सिर के ऊपर से लटका लेती थीं और इस तरह पर्दा कर लेती थीं। और फिर जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थीं। (अबू-दाउद, मझारिफुल हदीस)
- ८) पर्दा करना अफजल या सिर्फ सवाब का काम नहीं है। बल्कि औरतों पर वाजिब है। क्योंकि पर्दे का हुक्म अल्लाह ताअला ने वही के ज़रिए कुरान मजीद के आयत में नाज़िल फरमा दिया है और इस आयत का मफहूम

इस तरह है।

“ऐ नबी (स.)! अपनी बीवियों से, और अपनी साहबज़ादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें।” (कुरआन मजीद सूरः इहजाब आयतः ५६)

इस लिए अगर आप अपने घर और मोहल्लों में पर्दा नहीं करती हो, तो भी हज़ के सफर से पहले बुर्का या बड़ी चादर ज़रूर ले लें और हरम शरीफ में इस का इस्तेअमाल ज़रूर करे। वर्ना हरम शरीफ में एक गुनाह ७० या १०० गुनाह के बराबर होता है।

### नापाकी की हालत में इबादत:

एहराम की हालत में हाइज़ा औरतें नमाज़ और तिलावत-ए-कुरआन को छोड़ कर दिगर इबादत कर सकती हैं। उन के लिए जिक और दस्त व वज़ाइफ़ पढ़ना जायज़ है। मुस्तहब ये है कि हर नमाज़ के वक्त पाक साफ होकर बुजुर्ग के हर मुस्सले पर बैठ कर जितनी देर नमाज़ अदा करने में होती है उतनी देर जिक व दुआएं पढ़ती रहे ताकि इबादत की आदत बाकी रहे।

रिवायत है, के नबी करीम (स.) ने फरमाया हाइज़ा औरत अगर नमाज़ के वक्त सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ले, तो उस के लिए हज़ार बरकतें लिखी जाती हैं और सत्तर गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उसका दर्जा बढ़ता है और उसको इस्तग़फ़ार के हर हुक्म के बदले नूर मिलता है और बदन की रग के अवैज़ में हज और उम्रह लिया जाता है। (मजालिसुल अबरार बसीर)



## हैज़ व निफास के मसाइल

### सफ़र से पहले हैज़ का आना:

अगर किसी को मक्का शरीफ के सफर से पहले ही हैज़ शुरू हो जाए तो ऐसी हालत में वह नापाकी ही में गैर ज़खरी बाल साफ कर के, नाखुन तराश कर, गुस्सुल कर के एहराम के कपड़े पहन ले और मीकात पहुँच कर उम्रह की नीयत भी कर ले। मगर मक्का शरीफ पहुँच कर तवाफ और सई न कर। पाक होने तक इंतेज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ और सई कर ले। इस नापाकी की मुद्रदत में वह एहराम की हालत ही में रहेगी और एहराम की सारी पाबंदियाँ उस के ऊपर आइद रहेंगी।

### एहराम पहनने के बाद हैज़ आना:

अगर किसी को एहराम पहनने और नीयत करने के बाद मगर तवाफ और सई से पहले हैज़ आ जाए, तो वह पाक होने तक इंतेज़ार करे और पाकी के बाद तवाफ व सई कर के उम्रह पूरा कर ले और एहराम उतार दें। इन नापाकी के दिनों में एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

### तवाफ़ के बाद हैज़ आना:

अगर किसी के हैज़ के दिन करीब हो, तो जब तक खुन न आ जाए मुताफ़ में तवाफ़ करना जाएँ ज़हर है, अगर तवाफ़ पूरा करने के बाद हैज़ आ जाए तो नापाकी ही में सई करके बाल तराश के उम्रह पूरा करो। सई के लिए पाकी

शर्त नहीं है। और अगर तवाफ़ करते करते हैज़ आ जाए तो फौरन हरम से बाहर चली जाए और पाकी के बाद तवाफ़ और सई कर के उम्रह पूरा करले। जब तक उम्रह पूरा न होगा एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी।

### हज से पहले या हज के द्वौरान हैज़ आना:

अगर किसी को द ज़िल्हिज्जा से पहले हैज़ शुरू हो जाए तो उम्रह ही की तरह बाल साफ कर के नाखुन तराश कर गुस्सुल कर के एहराम की नीयत कर ले और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे हज़ के अरकान अदा कर ले। इसी तरह हज़ के दौरान भी हैज़ आ जाए तो नमाज़, कुरआन की तिलावत और तवाफ़ ज़ियारत को छोड़ कर सारे अरकान अदा करे। तवाफ़ ज़ियारत के लिए पाक होने तक इंतेज़ार कर ले चाहे १२ जिल्हिज्जा गुज़र जाए। पाकी हासिल करने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करो। इस तरह आपका हज ही जाएगा। मगर तवाफ़ ज़ियारत तक एहराम की पाबंदियाँ आइद रहेंगी। ताखेर की वजह से दम लाज़िम नहीं होगा।

### उम्रह और हज द्वौनों के पहले हैज़ आना:

किसी औरत ने तमत्ता की नीयत से एहराम बांधा और मक्का मुअज्ज़मा पहुँचने से पहले या मक्का मुअज्ज़मा पहुँचने के बाद उम्रह का तवाफ़ करने से पहले ही उस को हैज़ या नफास शुरू हो गया और खुन जारी रहा, यहाँ

तक कि द ज़िल्हिज्जा यानी मिना जाने का दिन आ गया तो ऐसी औरत उम्रह तर्क कर दे और मन्तुआते एहराम (खुशबू लगाना, नाखून काटना वैरा) में से कोई काम कर के सर के बाल खोल कर उस में तेल डाल कर कंधी कर के उम्रह का एहराम खोल दे और फिर गुस्त कर के “हज का एहराम” बांध कर तलियाह पढ़ ले और मिना चली जाए और हज के तमाम अफ़आत अदा करती रहे और हैज़ बंद होने के बाद पाकी का गुस्त कर के तवाफे ज़ियारत और सई करे। अब उस औरत का हज “हज्जे अफ़राद” शुमार होगा।

हज से फरागत के बाद इस छोड़े हुए उम्रह की कजा की नीयत से एक उम्रह कर ले और कुरबानी यानी दम दे, वह दम जो साविक उम्रह छोड़ने की वजह से वाजिब हुआ था।

ऐसी औरत पर “हज्जे तमतआ” के शुक्राने का “दम” वाजिब नहीं है। इस लिए कि उस का हज, हज्जे अफ़राद हुआ है। और हज्जे अफ़राद करने वाले पर कुरबानी नहीं हैं। (खैरल फतवा २३३/४, जैनी शरह बुखारी १२३/१०, मिश्कात ३०४-३०६/५)

**नोट:** जिस औरत को अपनी आदत के मुताबिक इस बात की उम्मीद न हो कि वह पाक हो कर अव्यामे हज से पहले उम्रह अदा कर सकेगी। उस के लिए बेहतर यही है की वह हज्जे अफ़राद का एहराम बांधे ताकि उम्रह छोड़ने की वजह से जो दम वाजिब होता है, वह लाज़िम न हो।

### नापाकी की हालत में तवाफे ज़ियारत:

२४ से २७ अक्टूबर १६६७ हज हाउस मुंबई में मुनकिद होने वाली ९० वी फिकही सेमिनार में हज व उम्रह से मुतलिक जो अहम तजवीज़ और फैसले सामने आए थे, उन में से एक तजवीज़ नं. ९० हसबजैल करार पाई थी।

### (अलिफ) तजवीज़ नं. १० :-

अगर तवाफे ज़ियारत से पहले किसी औरत को हैज़ का खून आ जाए और उस के पहले से तथ शुदा प्रोग्राम में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह हैज़ से पाक हो कर तवाफे ज़ियारत कर सके तो उस के लिए पहले तो ज़रूरी है कि हर मुनिकन कौशिश के ज़रिए (पाक हो कर तवाफे ज़ियारत कर सके इतने वक्त के लिए अपना सफर मोअख्खर करवा ले) अगर यह मुनिकन न हो तो हालते हैज़ ही में तवाफे ज़ियारत कर ले, और एक बड़े जानवर की कुर्बानी दम-ए-जनाबत की नीयत से करो। इस तरह करने से उस का तवाफे ज़ियारत अदा हो जाएगा और तमाम पावदी से मुक्कम्ल हो जाएगी।

### बगैर तवाफे ज़ियारत के घर वापसी:

तवाफे ज़ियारत हज के तीन फराइज़ में से एक फर्ज़ है। अगर कोई किसी वजह से तवाफे ज़ियारत नहीं करेगा तो उस का हज पूरा न होगा और न वह अपने शरीरे हयात से अजवाजी तालुकात कायम कर सकता है। दोनों एक दुसरे के लिए उस वक्त तक हराम होंगे जब तक तवाफे ज़ियारत न कर लें। इस लिए अगर कोई १२ जिलहिज्जा के गुरुबे आफताब तक न कर सका तो तवाफे ज़ियारत में देरी करने के बजह से सिर्फ दम देना होगा मगर इसके बाद वह सारी उम्र में कभी भी कर सकता है।

### तवाफे विदा से पहले हैज़ आना:

अगर कोई औरत हज के सारे अरकान पूरे कर चुकी और मक्का शरीफ से रवानगी से पहले हैज़ आ गया तो ऐसी हालत में वह तवाफे विदा न करे और बगैर तवाफे विदा किए अपने सफर पर रवाना हो जाए। हजरत इब्ने अब्बास (रजी.) से हवीस मरवी है के “नबी करीम (स.) ने हाएँजा औरत को रुझ़त दी है कि अगर उस ने तवाफे ज़ियारत कर लिया हो, तो तवाफे विदा किए बगैर ही सफर पर रवाना हो जाए” (अहमद, हवीस नं. ३५०५)

### बीमारी का रवून:

ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ की मुद्रदत दस दिन और कुछ बच्चे की पैदाईश के बाद निफास की मुद्रदत चालीस दिन है। इससे ज़्यादा मुद्रदत के बाद भी अगर खून आये, तो वह इस्तहाज़ा यानि हैज़ की पुरानी बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह किसी औरत को हमेशा यह आम तौर पर सिर्फ तीन दिन या पांच दिन ही हैज़ का खून आता हो और हरम शरीफ में इतने दिनों तक खून आ जाये, तो ज़्यादा दिन का खून भी हैज़ के बदले बीमारी में शुमार होगा।

इसी तरह अगर किसी औरत को तीन दिन से कम दिन खून आये, तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर ऐसी बुढ़ी औरत जिस के हैज़ बंद हो चुके हो उन्हे खून आये तो भी बीमारी में शुमार होगा।

अगर किसी हमिला औरत को खून आ जाए तो वो भी बीमारी के खून में शुमार होगा।

इन खून की पहचान यह है, के इन में हैज़ के खून की तरह बदबू नहीं होती है।

इस्तहाज़ा का खून या बीमारी के खून की मिसाल नक्सीर; (नाक से खून आन) जैसी है। जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। इस खून से औरतों को न रोज़ा या नमाज़ छोड़ने से न तवाफ से महसूल होना है। ऐसी औरतों को शरीअत में मध्यूर माना गया है।

यह औरतें नमाज़ के पांचों बक्त ताज़ा बुजु करें; (गुस्त लाज़मी नहीं है।) हैज़ के दिनों में वह जिस तरह पैड (Sanitary Napkin) का इस्तेअमाल करती थीं, उसी तरह साफ़ पैड का इस्तेअमाल करके ताज़ा बुजू से हरम शरीफ में तवाफ और नमाज़ अदा कर सकती हैं।

### क्या हम भी मुसलमान हैं?

हजरत हसन बस्ती (रह.) जलील व कद्र ताबई गुजरे हैं। जिन्होंने बड़े सहाबा (रजी.) की ज़ियारत की। आप (रह.) ऐसे ज़माने में ये जब के कदम करम पर मुहद्देसीन, अइम्मा, उलमा और सुलहा मौजूद थे।

एक दिन किसी ने सवाल किया, हजरत सहाबा ए कराम कैसे थे? फरमाया के अगर तुम इन्हें देखते तो कहते के ये तो दीवाने हैं। और अगर वे तुम्हें देखते तो कहते के इन को इस्लाम से दूर का भी वास्ता नहीं!

अन्दाज़ा कीजिए के हसन बस्ती ; रह.द्व्य इस ज़माने में ये बात कह रहे हैं कि अभी सहाबा ए कराम (रजी.) की ज़ियारत करने वाले लोग ला तादाद मौजूद हैं। आज हमारे अफ़आल, आमाल और किरदार को देखते तो ना जाने उन का तास्सुर क्या होता।

### उम्र भर का कपफ़ारा

हजरत अबू हुरैरा (रजी.) से रिवायत है के रसूल अल्लाह (स.) से सुना है के जिस ने हज किया और कोई बेहयाई का काम नहीं किया और फिस्क व फूजूर से बचा रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा; जैसे आज पैदा हुआ है। (बुखारी, मुस्लिम)

हजरत अबू हुरैरा (रजी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) ने फरमाया: एक उम्रह से दूसरे उम्रह तक बीच के तमाम गुनाहों का कुपफ़ारा है और हज्जे मबरूर की ज़मा जन्त है। (बुखारी, मुस्लिम)

# हरम और मीकात का बयान

- नवी करीम (स.) का इशांद है, कि “अरबों से मोहब्बत करो, क्योंकि मैं अरबी हूँ। कुरआन अरबी में है और जन्नत की ज़बान अरबी है। (बैहकी हाकिम) इस लिए हम सज़दी अरब का दिल से एहतराम करते हैं”
  - इस काविले एहतराम मुल्क में एक वसीअ़ इलाके को अल्लाह ताअ़ला ने मुकद्दस करार दिया है। सिफ़ समझने के लिए इस वसीअ़ इलाके को हम मुकद्दस ज़िला का नाम देते हैं।
  - इस मुकद्दस ज़िले के मर्कज़ में एक इतेहाई मुकद्दस शहर है, इस मुकद्दस शहर का नाम मक्का मुकर्रमा है। इस शहर की हुदूद भी अल्लाह ताअ़ला ने मुत्यन्न कर दिये हैं, इस की एक मशहूर हड़ को तन्ज़ीम कहते हैं।
  - अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस ज़िले और मुकद्दस शहर के हुदूद की निशानदही हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन मुकामात पर बुर्ज या सतून की शक्ति में निशानी खड़ी कर दिया था।
  - हज़रत इब्राहिम (अ.स) के बाद हर ज़माने के हुक्मरां उन निशानियों की देखभाल और मरम्मत करते रहे और वे मिकात कहलाते हैं, और वह आज तक करते हैं।
  - मुकद्दस ज़िला और मुकद्दस शहर के वह हुदूद जिस की निशानदही हज़रत जिब्राईल (अ.स) ने हज़रत इब्राहिम (अ.स) को की थी, मिकात कहलाते हैं। मुकद्दस ज़िला और मुकद्दस शहर के मिकात अलग अलग हैं।
  - मुकद्दस ज़िला की सरहद (मिकात) के कुछ मशहूर मुकामात इस तरह से हैं: जुल ख़लीफा,(बीर अली), ज़ते ईराक, करानुलमुनाज़िल, यलमलम, जिद्दा, जिहफा, मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा की सरहद (मिकात) के कुछ मशहूर मुकामात इस तरह हैं: तन्ज़ीम, ज़अराना, वादिए मुहल्ला, मुज़दल्फा, इज़ातुल्लैन, हुदेबिया।
  - मक्का मुकर्रमा के रहने वालों को अहले हरम मविक कहते हैं। मक्का मुकर्रमा के हुदूद के बाहर मगर मुकद्दस ज़िला के हुदूद के अन्दर की ज़मीन को ‘हिल’ कहते हैं और यहाँ के रहने वालों को ‘अहले हिल’ कहते हैं। मुकद्दस ज़िला से बाहर रहने वालों को ‘आफ़ाकी’ कहते हैं।
  - पहले ज़माने में यह उसूल था कि जब कोई शख्स किसी नये मुल्क में तिजारत के लिए जाता, तो पहले उस मुल्क के बादशाह के दरबार में हाजिरी देता था तो हफा पेश करके इजाजत तलब करता और इजाजत मिलने पर मुल्क में घूम फिर कर तिजारत करता और मुनाफा कमाता। हर शख्स के लिए हर मुल्क की सरहदें मुफ्त में खुली न थीं बल्कि कुछ उसूल थे और मौज़ों उसूल थे।
  - ऐसे ही उसूल इस मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा के लिए भी है। कोई भी शख्स किसी भी ज़रूरत से चाहे वह इबादत की गर्ज़ से हो या तिजारत की गर्ज़ से हो दननाते हुए इस शहर में दाखिल नहीं हो सकता है। उसे कुछ उसूल की पाबंदी करनी ही होगी। वह निचे दिए हैं।
- 9) मुकद्दस ज़िला की सरहद (मिकात) में दाखिल होने से पहले एहराम पहने।
  - 2) तल्बिया पढ़ते हुए सारे जहाँ के ख़ालिक़ व मालिक के घर पर हाजिरी दें।
  - 3) फिर मौके के मुताबिक हज या उम्रह करें।
  - 4) इन सब से फ़ारिग़ होकर वह फिर दूसरे काम कर सकता है।
- 5) मुकद्दस शहर मक्का में अगर किसी आफ़ाकी को सिर्फ़ तिजारत के लिए जाना हो और इबादत का इरादा न हो तब भी उन उसूलों की पाबंदी करना लाज़िमी है। यानि हज या उम्रह करना ही होगा।
  - 6) अहले हिल और अहले हरम के लिए तिजारत की गर्ज़ या सिर्फ़ तवाफ़ की गर्ज़ से मुकद्दस शहर और मुकद्दस ज़िला के दरम्यान बैरेर एहराम की पाबंदी के आने और जाने की इजाजत है। मुकद्दस ज़िला से बाहर जाने के बाद उन्हें भी एहराम पहन कर हरम शरीफ की हुदूद में दाखिल होना है।
  - अहले हिल और अहले हरम को अगर उम्रह अदा करना है, तो इन मुकद्दस शहर की सरहद पर पहुँच कर पहले एहराम पहनना है, फिर तल्बिया पढ़ते हुए सारी कायनात के ख़ालिक़ व मालिक के दरबार में हाजिरी दें कर उम्रह के अरकान अदा करना है। तन्ज़ीम इन मुकामात में से एक है।
  - अहले हरम और अहले हिल को अगर हज करना है, तो उन्हें घर ही में एहराम पहनना है।
- मुकद्दस ज़िला से बाहरी रहने वाले यानी आफ़ाकी जब मुकद्दस शहर मक्का पहुँचकर उम्रह या हज कर लेते हैं और मक्का मुकर्रमा में ही कायम करते हैं, तो वह भी अहले हरम की तरह हैं यानि अगर उन्हें उम्रह करना है, तो ज़िला के सरहद पर (मिकात) पर एहराम बांधने की ज़रूरत नहीं है। वे अहले हरम की तरह मुकद्दस शहर की सरहद पर जाकर एहराम बांध सकते हैं, इसलिए हाजी हज़रत मक्का के कायम में सिर्फ़ तन्ज़ीम तक जाकर एहराम बांधते हैं। मगर यही हज़रत अगर मुकद्दस ज़िला से निकलें यानी मिकात से बाहर चल गये, तो फिर उम्रह करने के लिए मुकद्दस ज़िला की सरहद या मिकात से ही एहराम बांधना होगा। इसी लिए मक्का से मदीना जाने के बाद अगर वापस आकर फिर उम्रह करना हो, तो जुल्लेफा जो के मदीना की तरफ से मुकद्दस ज़िला की सरहद है या मिकात है वहाँ से एहराम बांधना ज़रूरी है।
- अगर कोई मदीना से आते वक्त जुल्लेफा के बजाए तन्ज़ीम आकर एहराम बांधकर उम्रह करेगा, तो मुकद्दस ज़िला में बैरेर एहराम के दाखिल होने के जुर्म में दम लाज़िम होगा।
  - आपका वतन या रिहाई श मुकद्दस ज़िला की सरहद या मिकात के जिस सिस्त है, मक्का मुकर्रमा में उम्रह या हज की नीयत से आते वक्त इस सिस्त की मिकात से एहराम बांधना ज़रूरी है। आप गोल चक्कर लगा कर हरम से बिल्कुल करीब आकर एहराम नहीं बांध सकते क्योंकि अल्लाह ताअ़ला ने अपने बंदों को एहराम की हालत में तल्बिया पढ़ता देखना पसंद करता है। आप जितना ज़्यादा वक्त एहराम पहन कर तल्बिया पढ़ते हुए साफ़ करे उतना ज़्यादा वक्त अल्लाह ताअ़ला की पसंददीदह हालत में होंगे।
  - आप मिकात से गुज़रें या उसकी सीधे से गुज़रें, मिकात पर या उससे पहले आप को एहराम पहनना ज़रूरी है। वर्ना, या तो फिर मिकात पर वापिस जाकर एहराम पहनना होगा या दम देना लाज़िम होगा।
  - हिन्दुस्तान की तरफ मुकद्दस ज़िला की सरहद मिकात यलमलम का पहाड़ है, अब आप यलमलम के पास या इस की सीधे से पैदल या पानी के जहाज या हवाई जहाज़ से गुज़रें, इस के पहले आप को एहराम पहनना लाज़िमी है। हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ चक्कर काट कर दूसरी तरफ से जिद्दा पहुँच जायेगा और आप जिद्दा से एहराम पहन कर हुदूदे हरम में दाखिल

(बाकी पेज 39 पर)

# कुर्बानी में धोका

- हज एक अजीम इबादत है। बहुत सारे लोग खिदमते खल्क के ज़ज्जे से पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। मिना और अरफात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हाजियों को मुफ्त बांटते हैं। ऐसा ही एक तबका आप को अपनी खिदमत ९० ज़िल्हिज्जा के दिन कुर्बानी में मदद के लिए पेश करेगा। यह आप से कहेंगे कि हर साल हम सौ या दो सौ या इस से भी ज्यादा हाजियों के लिए कुर्बानी करते हैं। अगर आप चाहें तो आप के लिए भी कुर्बानी कर के आप पर एहसान कर सकते हैं। ऐसा ही आप के बिल्डिंग के ज़िम्मेदार भी कहेंगे। ख़बरदार रहिये, यह सफेद पोश मददगार नहीं, थोके बाज़ है।
- हर हाजी मक्का में नया होता है। ९० ज़िल्हिज्जा के दिन बहुत ज्यादा काम होते हैं। लंबी दूरी तय कर के म़ज्जह खाना जाकर कुर्बानी करने का हैसला नहीं होता है। एहराम उत्तरने की जल्दी होती है, इस लिए हर हाजी शॉर्ट कट इश्तियार करना चाहता है और दलालों को रूपया दे कर बरीउज़िम्मा होना चाहता है। मगर ये बहुत बड़ी गलती है।
- हम ने और हमारे कई साथीयों ने हज से तीन दिन पहले कअर्कइ म़ज्जह खाना जाकर जानवर बेचने वालों से जानवरों की कीमत, दलालों के ज़रिये कुर्बानी, म़ज्जह खानों में कुर्बानी का तरीका, कुर्बानी के गोश्त का मस्तक, वगैरह वगैरह के बारे में गहराई से तहकीकात की, जिस से पता चला कि:

  - हर दलाल का जानवर बेचने वाले से एक कारोबारी संबंध होता है। अगर वह हाजियों से ३०० या ३२५ रियाल वसूल करेगा तो ऐसे जानवर ख़रीदगा जिन की कीमत सिर्फ़ २७० से २८० रियाल तक होगी।
  - वह जानवर बेचने वाले से भी कमीशन वसूल करेगा।
  - अगर सौ कुर्बानी के लिए रूपया वसूल किया है, तो सिर्फ़ ७० या ८० जानवरों की कुर्बानी कराएगा।
  - कुर्बानी का एक तिहाई गोश्त ग़रीबों को बांटना होता है लेकिन अगर हाजी अपनी कुर्बानी का गोश्त छोड़ दें, तो दलाल पूरा का पूरा गोश्त होटलों में बेच देगा।
  - कुर्बानी करते वक्त किसी भी हाजी का नाम नहीं लिया जाता है। हम लोग तहकीक कर ही रहे थे कि उस वक्त तक हर हाजी न किसी दलाल को रूपया दे चुका था। हम में से कई हाजियों ने दलालों से रूपया वापस ले लिए और जो न ले सके उन्होंने अपने दिल के इत्मिनान के लिए फिर से कुर्बानी की।
  - मक्का मुकर्रमा में तीन म़ज्जह खाने हैं एक मिना और मुज्जल्फ़ा के बीच में है, और मिना से बहुत नजदीक है। जहाँ आप पैदल जा सकते हैं। दुसरा कअर्कइ में है। और तीसरा और सब से बड़ा अल्-मईसम (Al-Meaysem) है। कअर्कइ म़ज्जह खाना मक्का मुकर्रमा शहर से ५ कि.मी. दूर है। यहाँ जाने के लिए आप को हरम में मिस्फ़ता इलाके से टेक्सी मिलती है। अगर आप शेयर-टेक्सी से सफर करें तो २ से ५ रियाल किराया होगा। और अगर अकेले सफर करें तो २० रियाल भी किराया हो सकता है।
  - मईसम म़ज्जह खाना बहुत बड़ा है और यहाँ से ही सारी दुन्या में कुर्बानी का गोश्त गरीब मुल्कों में भेजा जाता है। यह म़ज्जह खाना मिना और मुज्जल्फ़ा के दरमियान है, यह फैसल पुल और अब्दुल अज़ीज़ पुल के दरमियान वाक़े है। अगर आप अरफात की तरफ रुख करें तो यह मिना के बाएँ तरफ पहाड़ी के पीछे है। फैसल पुल से यह ३ कि.मी. की दूरी पर है।

और अब्दुल अज़ीज़ पुल से दूरी २ कि.मी. है और वहाँ पहोंचने के लिए सुरंग से होकर गुज़रना होगा।

मईसम और कअर्कइ में कुर्बानी का अच्छा इन्तेज़ाम है, जहाँ बकरे, दुबे, गाय और ऊंट वगैरह आप अपनी इस्तेमाल के मुताबिक ख़रीद सकते हैं। जानवर ख़रीद कर आप उन्हें म़ज्जह खाने में जमा कर दीजिए। वे बकरे के कुर्बानी का ३० रियाल, गाय का १५० रियाल और ऊंट का २५० रियाल लेंगे। कुर्बानी हुक्मत के आदमी ही करते हैं मगर आप गैलरी में खड़े रह कर देख सकते हैं। जानवर जमा करने पर आप को एक कूपन मिलता है। जिसे दिखा कर अगर आप चाहें तो जानवर का पुरा गोश्त घर ले जा सकते हैं और नहीं तो हुक्मत उसे ग़रीब मुल्कों में भेज देगी।

● मिना म़ज्जह खाने में भी ऊंट और गाय बैल के कुर्बानी का ऐसा ही इंतेज़ाम है। दुसरा आसान तरीका बैंक में रूपया जमा करना है। ये भी सही तरीका है। बैंक में रूपया जमा करने में कोई हर्ज नहीं। क्यों के कुर्बानी की ज़िम्मेदारी हुक्मत लेती है और हुक्मत दिल व जान से हाजियों की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।

● अगर लोगों की भीड़, वक्त की कमी, खो जाने का डर, कमज़ोरी वगैरा से आप खुद कुर्बानी नहीं कर सकते, तो बैंक के ज़रिए कूपन ले कर कुर्बानी कर दीजिए। वरना कुर्बान गाह जा कर कुर्बानी कीजिए, जो कि ज्यादा बेहतर है। मगर हर हाल में दलालों से होशियार रहिए। अगर आप हज से पहले म़ज्जह खाना जा कर कुर्बानी के जानवरों के बारे में अच्छी तरह मालूमात हासिल कर चुके हैं तो ही हज के दौरान खुद कुर्बानी कीजिए वरना मदरसा सौलतिया या बैंक के ज़रिए कुर्बानी कीजिए, क्योंकि नए लोगों को हज के शर्दीद भीड़ वाले दिनों में खुद कुर्बानी करने में कई बार बहुत मुश्किलात पेश आती हैं।

मकाश शरीफ में हरम से बाहर मदरसा सौलतिया है, जो वर्षों से हाजियों की खिदमत करता चला आ रहा है और एक ज़िम्मेदार और दीनदार इदारा है। मदरसा सौलतिया बाबे फ़हद के करीब हारतुल बाब इलाके में बच्चियों के कब्रस्तान के करीब हैं। अगर आप मदरसा सौलतिया के ज़रिए कुर्बानी करें तब भी सही है। वह आप के बताए हुए वक्त पर ही कुर्बानी करेंगे। या फिर उनसे पूछ लें की वह आपको कुर्बानी किस दिन और किस वक्त करेंगे। फिर उसके बाद सिर मुँडवाएं। इस तरह आप के अरकान सही तरतीब से अदा हो जाएंगे।

● हाजी के लिए दो कुर्बानियां हैं एक हज की कुर्बानी और दूसरी ईदुज्जुहा की कुर्बानी। हज की कुर्बानी मुतभ्या और कारिन पर हुदूदे हरम में वाजिब और मुर्फिर्द पर मुस्तहब है। जबकि ईदुज्जुहा की कुर्बानी के लिए यह हुक्म है, कि अगर हाजी मुसाफिर हो, तो उस पर यह कुर्बानी वाजिब नहीं है और अगर मुसाफिर नहीं है, तो उस पर यह कुर्बानी वाजिब है। यह कुर्बानी वह हुदूदे हरम में भी कर सकता है और अपने वतन में भी। इस लिए अगर किसी को कुर्बानी अपने वतन में करना हो, तो पहले ही से अपने घर वालों को कुर्बानी की हिदायत देकर रखें।

● किसी ग़लती पर अगर दम लाजिम हो गया हो, तो वह कुर्बानी भी हुदूदे हरम में देना लाजिम है, और उसका गोश्त आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते।

● बकरी, मेंढ़ा दुम्बा वगैरह पर सिर्फ़ एक ही कुर्बानी होगी। ऊंट, बैल वगैरह पर सात कुर्बानी के हिस्से हो सकते हैं।

(बाकी पेज ३९ पर)

# तारीखे मक्का मुकर्मा और काबा शरीफ़

- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ी.) रात्रि हैं कि आसमान व ज़मीन की पैदाइश के ज़माने में पानी की सतह से सब से अबल काबा का मुकाम नमुदार हुआ। फिर इस के बाद ज़मीन इस के नीचे से फैलाई गई। (मध्यरेफत काबा, पेज़: ५)
- अल्लाह तआला फरमाते हैं। लोगों के लिए इबादत की गरज़ से बनाया जाने वाला पहला घर मक्का में है जो तमाम दुनिया के लिए बरकत व हिदायत वाला है। (सूरह आले इमरान, ६६)
- काबा शरीफ की तभीमीर १२ मरतबा हुई। इस में पांच बहुत मशहूर हैं। (१) फरिश्तों ने पहली बार तभीमीर किया। (२) हज़रत आदम (अलै.) ने दूसरी बार तभीमीर किया। (३) हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने तीसरी बार तभीमीर किया। (४) हुजूर (स.) जब २५ साल के थे तब कुरैश में नरमत किया। (५) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (रज़ी.) ने ६५ हिजरी में नए स्तरों से तभीमीर किया।
- हज़रत इब्राहीम (अलै.) के ज़माने तक हतीम खाना काबा का हिस्सा था। कुरैश ने जब काबा शरीफ की फिर से मरम्मत की, तो हलाल और पाक दौलत की कमी की वजह से खाना काबा को पहले शक्ति में न बना सके और हतीम का हिस्सा खाना काबा में शामिल न कर सके।
- हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर (रज़ी.) ने जब खाना काबा की मरम्मत की तो हतीम भी खाना काबा में शामिल कर लिया और पहले की तरह खाना काबा में दो दरवाज़े कर दिए। एक मशिरक और एक मगरिब की तरफ। जब हुज्ञाज मक्का मुकर्मा का गवर्नर बना तो उस ने हज़रत जुबैर (रज़ी.) को शहीद कर दिया और खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान को इज़ाजत से हतीम को फिर खाना काबा से बाहर कर दिया और मगरिबी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। खलीफा को जब हज़रत आइशा (रज़ी.) की हड्डी पहुँची तो बहुत पछताया। मगर उस ने खाना काबा को इसी तरह रहने दिया और आज तक खाना काबा इसी हालत में है।
- कुरआन शरीफ में मक्का मुकर्मा के पांच नाम हैं।  
मक्का, बक्का, अल—बलद अल—अमीन, उम्मुल कुरा, करया
- दूसरी म़ज़हबी किताबों में भी खाना काबा का ज़िक्र है। हिंदुओं कि किताबों में खाना काबा के निष्ठलिखित नाम हैं।  
इलास्पद- इला यानी अल्लाह, और अस्पद यानी मकाम। (अल्लाह का मुकाम) नाभा-पृथिव्या, नाभ यानी नाफ, पृथिव्या यानी पृथ्वी या ज़मीन (नाफे ज़मीन)  
नाभी कमल- नाभी यानी नाफ कमल यानी कमल का फूल (उनके मुताबीक खाने काबा कि ज़मीन पहले कमल की फूल की तरह पानी से उपर आयी फिर चारों तरफ फैल गई और इस कमल का दरम्यानी हिस्सा खाने काबा है।)  
अदि पुश्कर तीर्थ- आदि पुश्कर यानी बेहद मुक्कदस तीर्थ यानी मुक्कदस मुकाम (या बेहद मुक्कदस मुकाम)  
मुक्तेश्वर- मक्त यानी मक्का, मक्का मुकर्मा ईश्वर यानी परमेश्वर या खुदा (मक्तेश्वर यानी खुदा का मक्का)  
और भी कई नाम हैं जैसे दारदुकाबन, अलायास्पद वगैरह
- बाइबल में मक्का मुकर्मा को बक्का के नाम से याद किया गया है। और खाने काबा को अल्लाह का घर बयान किया गया है। (पासल्स ८:४:६)
- अल्लाह तआला ने काबा शरीफ के इतराफ एक बड़े इलाके को हरम करार दिया है। हज़रत जिब्राइल (अलै.) ने इस इलाके की निशान-दही हज़रत इब्राहीम (अलै.) को की थी। हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने हरम की सरहद पर

निशानी के तौर पर बुर्ज बना दिए थे। हर दौर में इस की मरम्मत होती रही। और आज तक बाकी है। इस में से एक तन्ऱीम है। जहाँ से उपरे के लिए हाजी एहराम बांधते हैं। इस इलाके में हर जानवार को अमान है। अल्लाह तआला फरमाते हैं, “जो शख्स इस हरम में दाखिल हो जाए वह अमन वाला हो जाता है।” (आते इमरान, ६८)। इस इलाके में अगर कोई कल्त करके भी दाखिल हो जाए, तो न इसे हरम में कल्त किया जाएगा न गिरफ्तार, जब तक वह हरम से बाहर न आ जाए। हाँ! अगर वह हरम में जुर्म करे तो सज़ा मिलेगी क्योंकि इस ने हरम की बेहुर्मती की है।

- हुजूर (स.) का इरशाद है कि मस्जिदे हराम की एक नमाज़, एक लाख नमाज़ों से भी बढ़ कर है। (मस्नद अहमद)  
यानी एक वक्त की नमाज़ ५५ साल की नमाज़ों से ज्यादा है और यह एक लाख गुना ज्यादा सवाब का मिलना सब नेकियों के लिए है। इसी तरह मक्का मुकर्मा में जिस तरह नेकियां बढ़ती हैं उसी तरह गुनाह भी बढ़ते हैं।
- मुकामे इब्राहीम वह पथर है जिसे अल्लाह तआला ने हज़रत इब्राहीम (अलै.) के लिए नरम कर दिया था और इस पर खड़े हो कर वह खाना काबा की तभीमीर करते थे और इस पर हज़रत इब्राहीम (अलै.) के कदमों के निशान हैं। पहले यह पथर खाना काबा से बिल्कुल लगा हुआ था। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम मुकामे इब्राहीम को जा-नमाज़ बनाओ। (बुखारी ७०२)  
मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने के बाद मुकामे इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ने वालों से तवाफ करने वालों को दुश्वारी होने लगी तो हज़रत उमर (रज़ी.) ने मुकामे इब्राहीम को खाना काबा से तकरीबन १४ मीटर दूर कर दिया था और आज तक उसी जगह है। (फतेह अल-बारी, शरह हवीस ७७२:३)  
खाने काबा का रक्बा तकरीबन १६०० स्कवायर फिट है अगर हितिम को भी शामील कर लिया जाए तो ये २३०० स्कवायर फिट है खाने काबा कि ऊंचाई ४६ फिट है।  
खाने काबा की छत को तीन उमुदी सुतूरों (कॉलम) का सहारा है।  
खाने काबा के अंदरूनी हिस्से कि सजावट बिल्कुल मस्जिदे नबवी के रियाजुल जन्ना की तरह है। अंदरूनी हिस्से कि सफाई का विडीयो आप इंटरनेट युट्युब पर देख सकते हैं।
- खाना ए काबा पर पहली बार गिलाफ दौरे जाहिलियत में तबअ अस्अदुल हमैरी ने चमड़े का पहनाया था। हुजूर (स.) ने फतहे मक्का के बाद यमनी कपड़े का गिलाफ पहनाया था। नासिर अब्बासी ने पहली बार काले रंग का गिलाफ पहनाया था। तब से अब तक गिलाफ काले रंग का ही पहनाया जाता है।
- हजरे अस्वद और मकामे इब्राहीम यह दोनों जन्नत के दो चमकदार पथर थे, लेकिन अल्लाह तआला ने उन का नूर खत्म कर दिया। अगर अल्लाह तआला उन का नूर खत्म न फरमाते तो यह ज़मीन व आसमान के दरम्यान या मशिरक और मगरिब के दरम्यान पूरी दुनिया को रौशन कर देते। (मस्नद अहमद २९३:२)
- ज़मीन पर बेहतरीन पानी आब ए जम ज़म है। यह खूराक भी है और बीमारी से शिका भी। (मोअज्जा कबीर, तिबरानी, इदीस १११६:८)
- हजरे अस्वद और काबा के दरवाजे की दरम्यान जगह को मुल्तज़म कहा जाता है। हज़रत मुजाहिद ने फरमाया, जो इस जगह अल्लाह सुब्बानहू तआला से दुआ करेगा, अल्लाह तआला ज़स्तर उस की दुआ कबूल फरमाएँगे। (तारीख ए मक्का, अज़रकी ३६८:२) हुजूर (स.) यहाँ दीवार से इस तरह विमट कर दुआ मांगा करते जैसे बच्चा अपनी माँ से विमट जाता है और यहाँ इस तरह दुआ मांगना सुन्नत है।



# मक्का मुकर्मा के तारीखी मुकामात

## मौलिंदे रसूल यानी हुजूर (स.) की जा-ए-पैदाइशः-

यह वह मुकाम है जहाँ २२ अप्रैल १७७९ हिजरी सन को नवीं करीम (स.) रहमते आलम बन कर दुनिया में तशीक लाए थे। अब इसी मुकाम पर एक लायब्रेरी और मदरसा है। यह मुकाम हरम शरीफ से ३ फर्लांग की दूरी पर सफा मरवा की जानिब टैक्सी स्टैण्ड के पास है।

**जन्मतुल मुअल्ला:**- यह मक्का मुकर्मा का कब्रस्तान है। यहाँ पर उम्मल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा (रजी), बहुत सारे सहाबा ताबैन और औलिया-ए-किराम (रजी) मदफून हैं। मस्जिदे जिन्न के करीब मीना जाने वाली सड़क पर है।

**मस्तिजद अल-राया :-** यह वह जगह है जहाँ नवीं करीम (स.) ने फतहे मक्का के मौके पर अपना झंडा नसब फरमाया था।

**मस्तिजदे जिन्न:**- इस जगह नवीं करीम (स.) ने जिन्नातों से बैतली थी।

**जबल ए कूर :**- यह पहाड़ मक्का मुकर्मा से मिना जाने वाले रास्ते पर तकरीबन ३ मील की दूरी पर है। इस की ऊँचाई तकरीबन २००० फिट है। इस की ओटी पर ग़ार ए हिंरा है, जहाँ पहली बार नवीं करीम (स.) पर वही नाज़िल हुई थी।

**जबल ए सौर :**- यह पहाड़ मक्का मुकर्मा से तकरीबन ६ मील की दूरी पर है। इस की ओटी पर ग़ार ए सौर वाक़उ है, जिस में नवीं करीम (स.) ने हिजरत के बक्त हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक (रजी) के साथ तीन दिन क्याम फरमाया था। इन दोनों पहाड़ों पर कमज़ोर, ज़ईफ और बीमार न चढ़ें।

**मस्तिजदे आइरा (रजी):-** इस मस्जिदे को मस्जिदे तनईम भी कहते हैं। यह हुदूदे हरम के बाहर है। मक्का मुकर्मा में रहते हुए अगर किसी को उम्रह करना हो तो इस मुकाम पर आ कर उम्रह का एहराम बांधा जाता है।

**हज़रत खतीजा (रजी) का घर :-** इस मुकाम पर नवीं करीम (स.) ने मदीना मुनब्बरा हिजरत करने तक क्याम फरमाया। हज़रत इब्राहीम (अलै.) के इलावा आप (स.) की सारी औलादें इस मुकाम पर पैदा हुईं। यह मुकाम मरवा की तरफ छपरा बाज़ार में दाखिल होते ही दाएँ जानिब ज़रगरों की पहली गती में हैं। अब यहाँ दारुल हुफ़फ़ाज़ क्याम कर दिया गया है, जहाँ बच्चे कुरआन पाक हफ़ज़ करते हैं।

मस्जिदे खैफ, मस्जिदे नमरा, मस्जिदे श्रावल हराम, जबल ए रहमत, जम्रत यह वह मुकामात हैं जहाँ आप को हज के पांच खास दिनों में जाना होगा। मगर लोगों के हुजूम की वजह से आप किसी भी मुकाम को ठीक से नहीं देख पाएंगे। इस लिए हज से पहले या बाद में इत्मिनान से इन मुकामात को ज़रूर देखें।

## कुछ मष्हूर नामों का तारीफ़:-

**काबा या बैतुल्लाह:** अल्लाह तज़्लील का घर जिस का हज और तवाफ किया जाता है। उसको काबा या बैतुल्लाह कहते हैं, और वह मस्जिदे जिस में बैतुल्लाह वाक़उ है उसे मस्जिदे हराम कहते हैं।

**रुक्न यामानी:** खाना ए काबा का जुनूब मग़रिबी कोना है। यमन की सिस्त वाक़उ है।

**रुक्न ईराक़:** खाना ए काबा का ईराक़ की सिस्त का कोना है।

**रुक्न यामी:** खाना ए काबा का शाम की सिस्त का कोना है।

**हज़े अस्वद:** दीवार काबा में रुक्ने यमानी के बाद वाले कोने में नसब वह पथर जिसे बोसा दे कर या जिसकी तरफ मुंह कर के दूर से हाथ उठाकर तवाफ का हर चक्कर शरू किया जाता है।

**मुल्ताज़िम:** हज़े अस्वद और बैतुल्लाह के दरवाज़े के दरमियान की दीवार जिस पर लिपट कर दुआ मांगना मसनून है।

**हतीम:** बैतुल्लाह से मुत्सिल सुमाली जानिब का वह हिस्सा जो खाना ए काबा में शामिल था। यह बैतुल्लाह ही का हिस्सा है, जो कुरैश की तअ़मीर के बक्त हलाल कमाई के कम पड़ने की वजह से बैतुल्लाह से बाहर छोड़ दिया गया था।

**मिज़ाबे रहमत:** खाना ए काबा की छत से हतीम की तरफ बारिश के पानी के गिरने की जगह (परनाला) यह वह जगह है, जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहस्सलाम ने बैतुल्लाह को तअ़मीर किया था।

**तन्ज़ीम:** यह एक मिकात है, जहाँ से मक्का मुकर्मा में क्याम के दौरान उम्रह के लिए एहराम बांधते हैं।

**मिकात:** उस जगह को कहते हैं जहाँ से हुदूदे हरम से बाहर रहने वालों के मक्का मुकर्मा के लिए उम्रह या हज की नीयत से आने के लिए एहराम बांधना ज़रूरी होता है।

**चुल्हलैफ़:** मदीना से मक्का की तरफ तक़रीबन दस किलो मीटर पर वाक़उ है, जो मदीना वालों का मिकात है।

**ज़ाते ईराक़:** मक्का से ईराक़ की तरफ तक़रीबन तीन रोज़ की मुसाफरत पर है, जो ईराक़ से आने वालों के लिए मिकात है।

**यलम्लम:** मक्का से जुनूब की तरफ दा मज़िल पर एक पहाड़ है, यह हिंदोस्तानियों और पाकिस्तानियों के लिए मिकात है।

**जहफ़ा:** शाम की तरफ मक्का से तीन तीन मंज़िल पर है, जो शामियों के लिए मिकात है।

**कुर्टनुल मनाज़िल:** नज़ की तरफ से आने वालों के लिए मिकात है।

**सफ़ा:** काबा के करीब जुनूब में एक पहाड़ी है जहाँ से सर्दी शुरू करते हैं। यहाँ वह पहाड़ी है जहाँ खड़े होकर नवीं-ए-करीम (स.) ने सब से पहले कुरैश को इस्लाम की दावत दी थी।

**मरवा:** काबा के सुमाल मशिरकी गोशे के करीब एक पहाड़ी है, जहाँ से सर्द ख़त्म करते हैं।

**मस्ता:** सफा और मरवा के बीच सर्दी करने की जगह।

**मीलैन अस्वद्वैन:** इस जगह से खाना-ए-काबा के पास लेटे हुए नन्हे हज़रत इस्माईल नज़र नहीं आते थे इसलिए इस जगह से हज़रत हाजरा (रज़ि.) दौड़ कर गुज़रती थी। इस जगह की निशान-दही के लिए दो होरे रंग के सुनून खड़े कर दिए गए हैं। हज़रत हाजरा (रज़ि.) की सुन्नत अदा करने के लिए मद्द हाजियों को यहाँ दौड़ कर गुज़रना है।

**आरफ़ात:** मिना से तक़रीबन ६ किलो मीटर दूर एक मैदान है जहाँ की मस्जिद में हज का खुत्बा दिया जाता है और जहाँ हज के दिन हाजिर होना ज़रूरी है। यह ज़रूरी नहीं है, के सिर्फ़ मस्जिद नुम्रा में ही हाजिर हों बल्कि मैदाने अरफ़ात में जहाँ कहीं भी हाजिर हों, जायज़ है। याद रहे, कि अगर आप अरफ़ात के मैदान में हाजिर नहीं हुए, तो हज न होगा।

**जबले रहमत:** अरफ़ात में वह पहाड़ जिसके करीब नवीं करीम (स.) ने हज़तुलविदा का खुत्बा दिया था। यहाँ पर ज़मीन पर पहली बार मौ हव्वा और हज़रत आदम (अ.स.) की मुलाकात हुई थी।

**हमता:** यह वह वादी है जहाँ पर हरम शरीफ (अ.स.) ने हज़रत इब्राहीम (अ.स.) की कुरबानी देने की कोशिश की थीं। यहाँ पर हाजियों को कम अज़्र कम तीन दिन रहना वाजिब है।

(बाकी पेज ३९ पर)

# हज क्या है?

## हज क्या है?

- खाना-ए-काबा की तरफ खुदा के हुक्म के मुताबिक आना, तवाफ़ व सई करना और अरफ़ात में ठहरने और रसूल करीम (स.) के सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अरकान अदा करने को हज कहते हैं।  
हज हर मुसलमान, बालिग, आकिल, समझदार और हर मालदार पर, जिन्दगी में एक बार फर्ज़ है।
  - अल्लाह तआला फरमाते हैं, कि
- وَلِلّٰهِ عَلٰى النّاسِ حُجّ الْبَيْتٍ مَنْ أُسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَيْلًا** (سورة آل عمران: ٩٧)
- “लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है, कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तेताअत रखता हो वह उसका हज करे।” (सूरह आले इमरान: ६७)
- नबी करीम (स.) ने फरमाया: “ऐ लोगों! अल्लाह तआला ने तुम पर हज कर्ज़ किया है, इस लिए हज करो।” (मुस्लिम निसाई)
  - नबी करीम (स.) का इर्शाद है, कि: “जो हज का इरादा रखता हो, वह जल्दी करे” (अहमद अबू डाऊद)
  - इमाम अहमद (रह.) इमाम अबु हनीफा (रह.) और इमाम मालिक (रह.) फरमाते हैं, कि इन्सान माली और जिस्मानी तौर से हज करने के काबिल जैसे ही होता है। उस पर हज फौरन वाजिब हो जाता है। (इसमें देर नहीं कर सकते) लेकिन इमाम शाफ़ी(रह.) का स्थान है, कि कुछ वक़्फ़ देर की जा सकती है, लेकिन आधिर उम्र तक नहीं बल्कि हमेशा हज का इरादा किये रहे जब तक पूरा न कर लें (और जितनी जल्दी मुक्किन हो हज कर ले) वरना गुनाहगार होंगा।

## हज की फ़जीलत:

- जिस शख्स ने हज किया और ज़िना और गुनाह से महफूज़ रहा, तो वह तमाम गुनाहों से पाक होकर ऐसा लौटा जैसे कि माँ के पेट से पैदा होने के रोज़ पाक था। (बुखारी, मुस्लिम)
- हज़रत अबु हूरैरा (रजी.) से रिवायत है, कि नबी करीम (स.) ने फरमाया कि उम्र, दूसरे उम्र तक के गुनाहों का कफ़रा है, जो इन के दरम्यान सरज़द रहा और हज मबस्तर का सवाब जन्त ही है। (बुखारी, मुस्लिम)

## हज न करने पर वर्द्धन:

- हज़रत अब्दुल्लाह इन्हे उमर (रजी.) फरमाते हैं, कि जो शख्स तंदरस्त हो, हज के अद्वाजात रखता हो, फिर भी बौरे हज किए मर जाये, तो कथात के दिन उसकी पैशानी पर काफिर लिखा होगा। (दुर्र मन्त्र)
- हज़रत अबी इमामा (रजी.) फरमाते हैं, कि रसूल अल्लाह (स.) फरमाया कि जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाज़रत या ज़ालिम बादशाह या शर्दीद मर्ज़ ने हज से नहीं रोका और उस ने हज नहीं किया और मर गया, तो वह चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर मरे। (वारमी)
- हज़रत अब्दुल्लाह इन्हे उमर (रजी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया के इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। (१)कल्पा (२)नमाज (३)ज़कात (४)रोज़ा (५)हज, तो जो शख्स इन में से किसी रूपन को तर्क करता है, तो वह इस्लाम की इमारत को ढहाना चाहता है। (बुखारी शरीफ)


## फ़लासफ़-ए-हज़:

जिसमें दिल की और दौराने खून की क्या अहमियत है?

दौराने खून के अमल से खून जिसे सफाई की ज़रूरत है दिल तक पहुंचाता है। और वहां से सफाई के लिए भेजा जाता है और फिर साफ खून तमाम जिसमें वापस लौटाया जाता है, ताकि तमाम जिसमें बिल्कुल तंतुरस्त रहे। जिसके बह हिस्से जिसमें खून का दौरान कम होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं और जिसका बह हिस्सा जिसमें खून का दौरान लंबा जाता है, सड़ जाते हैं।

## ज़मीन का मर्कज़ कहाँ है?

- अगर हम ज़मीन का नक़शा देंखें, तो जो खुश्की का इलाका है और जहां इसान बसते हैं वह खते उस्तवा (Equator) के ४० डिग्री ज़ुनूब में है और ८० डिग्री शुमाल के दरम्यान है। यानि खते इस्तवा खुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि खुश्की के मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री शुमाल की तरफ बढ़ना होगा।
- इसी तरह जीरो डिग्री खते तुलुल बलद ग्रीन विच मुकाम से गुज़रता है, मगर यह भी इन्सानी आबादी और खुश्की के मर्कज़ से नहीं गुज़रता बल्कि खुश्की कि मर्कज़ से गुज़रने के लिए हमें २० डिग्री मधिरक़ की तरफ बढ़ना होगा।
- ज़मीन के आबादी वाले इलाकों का मर्कज़ अगर हम उपर बताए गये तरीके से तत्ताश करें, तो जिस मुकाम पर हम पहुंचेंगे वह शहर मक्का मुकर्मा होगा जिसे आप खुद नक़शे में देख सकते हैं।  
(मक्का शहर दुनिया के नक़शे में तुलुल बलद Longitude 38.5 डिग्री और अरजुल बलद Latitude 21.5 डिग्री पर है।)



- यह शहर ज़मीन का मर्कज़ और इस के दिल की तरह है। अल्लाह तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया है:-

**إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَمَّ لِلنَّاسِ لَكَذِيْكَةٌ مُبَرَّكَةٌ وَهُدُّى لِلْعَالَمِينَ**  
(سورة الحج: ٢٧-٢٨)

“इन्ना अब्ला बैतिंव-वुज़ेआ लिन्नासि लिल्लज़ी बिबकता मुबा-रकंव व हुल्ल-लिल्ल-आलमीन”

तर्फ़ुमा: “पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्मा किया गया है, वही है, जो मक्का मुकर्मा में है। बा बरकत और जहां के लिए मौजिब हिदायत।” (आले इमरान: ६६)

तो यह घर लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है और यह बात कथामत तक के लिए अटल रहेगी और मक्का मुकर्मा सही दीन का हमेशा सर चश्मा रहेगा।

- जैसे अल्लाह तआला ने कुरान की हिफ़ाज़त की जिम्मेदारी खुद ली है और

क्यामत तक कोई इस में तब्दीली नहीं कर सकता। इसी तरह खाना काबा के उलमा और उस के जिम्मेदारों से दुनिया को हमेशा हिदायत का रास्ता मिलेगा। इस की जिम्मेदारी भी अल्लाह तआला ने खुद ली है। इस मुकद्दस घर को अल्लाह तआला कभी गुमराही फैलाने वाले इमाम और आलिम की सरपरस्ती में नहीं देगा। या यहाँ से दुनिया में कभी गुमराही नहीं फैलेगी।

## तूफाने नूह और गुमराही:

- तूफाने नूह एक आलमी सजा थी इस में हज़रत नूह (अलै.) और उनके साथियों के इलावा सारी दुनिया हलाक हो गयी थी। बाद में सारी दुनिया हज़रत नूह (अलै.) और उनके साथियों से ही आबाद हुई। इस लिए दुनिया की हर क़ीम में इस तूफाने नूह का ज़िक्र मौजूद है, मगर अहम बात यह है, कि हर क़ीम के तूफाने नूह की तफसील में ज़मीन आसमान का कर्क है। (इंटरनेट पर Flood Legend के उनवान से आप खुद तलाश करके इस मैजूम पर पढ़ सकते हैं।)

दुनिया नये सिरे से हज़रत नूह (अलैहिस्सलाम) और उनके साथियों से आबाद हुई, तो सारी दुनिया में जहाँ भी ये बसे, तुफान का किस्सा एक जैसा होना चाहीए था, मगर इस लिए नहीं है कि, हर दौर में जब इस किस्से को कहने सुनने में कुछ कुछ गलती होती लगी, तो इसकी इस्लाह करने वाला कोई न था। ख़ता पर ख़ता होती चली गयी और आखिर में सारा किस्सा असल से बिल्कुल मुड़तिल़ हो गया।

जो तूफाने नूह अलैहिस्सलाम के किस्से के साथ हुआ वही तमाम मज़ाहिब के नज़रायत के साथ हुआ। किसी पैग़बार ने शिर्क और बुत परस्ती की तातीम नहीं दी थी, मगर जब नज़रायत में बिगाड़ पैदा हुआ, तो लोगों ने इस की इस्लाह की कोशिश न की या उन्होंने इस निज़ाम पर अमल नहीं किया, जिससे इस्लाह हो।

- हज यह दुनिया की दाईरी हिदायत और इस्लाह का ज़रिया है। इस हज की इबाबत के जरिए दोरान-ए-खून की तरह सारी दुनिया के इन्सानों को ज़मीन के दिल यानी मर्कज़ (मक्का मुकर्मा) में जमा होता है और अपने इस्लाह के बाद फिर सारी दुनिया में फैल जाता है। जब तक लोग मर्कज़ में आते जाते रहेंगे उनका मज़हब और नज़रियात बिल्कुल सही रहेंगे। न कभी नमाज़ का तरीका बदलेगा न ही रोजे का न कभी ज़कात का न कभी हज का। इस्लाम हमेशा अपनी असली शक्ल में बरकरार रहेगा। मगर मर्कज़ से रिश्ता कमज़ोर हो गया या कट गया तो फिर सङ्गे हुए जिस्म कि हालत होती है वही उस कौम की होगी।

अल्लाह तआला ने हर कौम को इस मर्कज़ पर जमा होकर इबाबत करने कि तलकीन की है मगर उन्होंने नज़र अंदाज किया और खुद गुमराह हो गये। मिसाल के तौर पर चार हज़ार साल पुराने ऋष्वेद में है,

“ए इबाबत गुजारों और मुल्क में समंदर के किनारे दारदुकबन (खाना काबा) है। जिसे कभी इन्सान ने नहीं बनाया इसमें इबाबत करों ताकि अल्लाह की रहमत से जन्त देखिया हो सको।” (ऋष्वेद, ३-१५५-१०)

दो हज़ार साल पुराने बाईंबिल में है। (Pslam 84:1:12)

ऐ खुदा आपका घर कितना खुबसुरत है।

मेरी रुह तड़पती है तेरे घर के दिवार के लिए।

मेरा जिस्स मेरा दिल रोता है इस हमेशा जिंदा रहने वाले खुदा के लिए।

ऐ अज़ीम और सारी कायनात के शहनशाह

वो खुश नसीब है जिन्हें तेरे घर का दीदार हुआ

वो तेरी इबाबत कसरत से करते हैं।

वो खुश नसीब है जिनका तुझ पर भरोसा है।

वो खुश नसीब है जिसने तेरे घर पर हाज़िरी (हज का इरादा किया)।

जब वो वादी ए मक्का (मक्का मुकर्मा) से गुजरते हैं।

तो इस चश्मा (ज़मज़म) के पास ठहरते हैं।

जिसे बरसात का पानी (तेरी रहमत भी भर देता है)।

ऐ अल्लाह! तेरे घर का एक दिन दुसरी जगहों के हजार दिन के बराबर है।

मेरे लिए तेरे घर का दरबान बनना किसी गुनहगार के घर में रहने से बेहतर है।

ऐ अज़ीम मालिक! वो खुशनसीब है जिनका ईमान तुझ पर है।

(ये अल्फाज हज़रत दाऊद अलैसलाम के दुआ के अल्फाज है। जो उन्होंने फलस्तिन कि फतेह से पहले अल्लाह तआला से माँगे थे) इससे यह बात सावित होता है कि उस जमाने में भी लोगों को मक्का मुकर्मा, खाने काबा, ज़मज़म और हज के बारे में पूरा इल्म था।

- हरमैन शरीफैन के ईमामों और आलीमों का मज़हब और आकिदा बिल्कुल सही है क्योंकि अल्लाह तआला ने इन मुकद्दस मुकामात के हिदायत का ज़रिया होने की जिम्मेदारी ले रखी है। (सूरह आले इमरान : ६६) वो सारे मसलक भी सही हैं जो हरमैन शरीफैन के ईमाम और उल्मा को सही समझते हैं और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई कराहत महसूस नहीं करते और वह सारे मसलक और जो लोग हरमैन शरीफैन के ईमाम और उल्मा को गलत कहते हैं, उनके कहने का मतलब ऐसा है कि किसी ज़माने में हरम हिदायत का ज़रिया हुआ करता था अब नहीं रहा और यह इसलिए हुआ के (नज़बिल्ला) अल्लाह तआला ने इसकि हिफाजत कि जो जिम्मेदारी ले रखी थी वह पूरी न कर सके। ऐसे नज़रियात रखना गुनाह है।

कुरआन शरीफ में अल्लाह तआला फरमाता है:

“‘और अब उन के लिए कौन सी वजह है कि वह (अल्लाह तआला) उन्हें अजाब ना दे, जबकि वह मस्जिदे हरम में (लोगों को) नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं और वह इस के मुतवल्ली भी नहीं हैं। इस के मुतवल्ली तो सिर्फ परहेज़गार हैं। लैकिन इन में से अक्सर नहीं जानते।’ (सूरह अन्काल, आयत ३४)

इस आयत की रु से जो भी इस मस्जिदे हरम के मुतवल्लियों को गुमराह कहेगा और इन के पीछे नमाज़ पढ़ने से रोकेगा वह भी खुदा के अज़ाब का मुस्ताहिक होगा। हरम शरीफ कि ज़ियारत इस अकिदे से करे कि चारों मुसल्लियों बरहक है और चारों मसलकों में से कोई भी गलत नहीं है। और इस मस्जिद के ईमाम भी हक पर हैं और उन के पीछे नमाज़ पढ़ना सही है। और सारी नमाज़ों भी वा जमाअत हरम में पढ़ें।

## हज आरिखरत की रिहसली

- उल्मा कहते हैं कि हज दरअसल सफरे आखिरत की एक रिहसल है जब किसी का इन्केलाल होता है तो दोस्त ऐहबाब उसे नहेला धुलाकर, कफन पहनाकर, कब्रस्तान ले जाकर छोड़ आते हैं। मरनेवाला विराने में क्यामत तक पड़ा रहता है, फिर क्यामत के दिन वह अपनी कब्र से निकलकर हजर के मैदान में जाएगा और खुदा के सामने अपने अमाल का हिसाब किताब देगा। अगर किसी वजह से अमाल का वज़न कम हुआ तो उसे कोई और मौका नहीं मिलेगा बल्कि सजा होगी।

यह अल्लाह तआला का एहसान व करम है कि उसने इन्सानों पर हज कर्फ़ करके सफरे आखिरत की रिहसल का मौका दिया और इस बात का मौका दिया कि दुनिया के हजर के मैदान में आकर अमाल का पलड़ा हल्का है बंदा रो रोकर दुआ माँगें और अपनी माफिरत करा ले।

हाजी कफन (ऐहराम) पहन कर वीराने (मिना) में जाते हैं, और वहाँ क्याम करते हैं। फिर वहाँ से हशर के मैदान (अरफात) जाते हैं और दिनभर अल्लाह की इबादत करते हैं और रो रोकर पिछले सारे गुनाह माफ कराकर अपनी म़ाफिरत करा लेते हैं।

अल्लाह तआला के इस एहसान और करम की कद्र करनी चाहिए हज और उम्रह एहमियत को समझना चाहिए और इससे पहले कि मौत आजाए या सूरज सवा नैजे पर आ जाए, सही तरीके से हज करके अपने आखिरत संवार लेना चाहीए।

### रिक्क में बरकतः-

हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसउद (रजी.) से रिवायत है कि रसुल(स.) ने इर्शाद फरमाया कि हज और उम्रह पे दर पे किया करो क्योंकि हज और उम्रह फक्र व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दुर कर देते हैं कि जिस तरह लोहार और सोनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचल दूर कर देती है और हज मबस्तुर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है। (ज़ामे तिरमीजी, निसाई)

### ऊपर ब्यान किये गए मज़मून से वाज़ेह होता है कि,

१. हज का मकसद सारी दुनिया की इस्लाह और हिदायत है।
२. हज आखिरत की रिहर्सल है।
३. अल्लाह तआला ने हज-ए-मबस्तुर के ज़रिए तमाम इन्सानों को गुनाहों से पाक होने का एक नुस्खा दिया है।
४. हज एक बारकत इबादत है। इसको करने से माल व दौलत में इजाफा होता है। (जो लोग हरम शरीफ में नमाज नहीं पढ़ते और दुसरे तरह के गुनाह करते हैं। चूंकि हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाह के बराबर है इसलिए हज के बाद वह लोग अक्सर बर्बाद या मज़ीद बद्रीन हो जाते हैं, जो लोग खुलुस के साथ इबादत करने की कोशिश करते हैं वह हमेशा हज के बाद तरकीबी करते हैं और खुशहाल हो जाते हैं। यह मेरा ज़ाती तजरिबा और मुशाहिदा है।)



हजरत अनस (रजि.) कहते हैं कि, हजरत मुहम्मद (स.) ने मुझसे कहा, ‘ऐ मेरे घ्यारे बेटे! अगर तुम्हारे लिए संभव हो कि ऐसा जीवन गुज़ारो जिसमें किसी के लिए तुम्हारे हृदय में कोई ग़लत भावना न हो तो ज़्युरु ऐसा जीवन गुज़ारो और यह मेरे जीने का तरीका है। जो मेरे जैसा जियेगा तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वह मुझसे प्रेम करता है। और जो मुझसे प्रेम करेगा वह मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। (हदीस मुस्लिम)

### रमज़ान का उमरह

हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ;रजिद्द से रिवायते के रसुल अल्लाह (स.) ने फर्माया रमजान का उमराह हज करने के बराबर है जो मेरे साथ किया जाए। (बुखारी-मुस्लीम)

### पेज 33 का बकाया.....

(हरम और मीकात का बयान)

हों तब आप गुनाहगार होंगे और आप को दम देना होगा।

### हरम की हुदूद में नीचे दी गई बातें हराम हैं:

- १) लड़ई झगड़ा करना।
- २) घास या पेड़ काटना, किसी पेड़ की शाख़ों या काँटे तोड़ना। (आप हरम के हुदूद में घास का एक तिन्का भी नहीं तोड़ सकते)
- ३) शिकार खेलना, किसी शिकार किये जाने वाले जानवर को डराना या अपनी जगह से हटाना। (हरम के हुदूद में जंगली जानवरों को भी अमान है उन को मारना तंग करना तो दूर की बात है। अगर वह साये में खड़े हों उन्हें हटा कर आप का साये में जाना भी हराम है)
- ४) गिरी पड़ी चीज़ों का उठाना।

इन कामों में से कोई अगर एक भी काम करता है, तो गुनाहगार होगा और कफ़ारा देना होगा। मिना और मुज़दलिफ़ा भी हुदूद हरम में शामिल हैं और नबी करीम (स.) ने मदीना मुनव्वरा को भी हराम करार दिया है।

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में इर्शाद फरमाते हैं कि “जो शब्स इन महीनों में हज की नियत करले तो हज (के दिनों) में न औरतों से इछ्वेलात करे, न कोई बुरा काम और न किसी से झगड़े और जो नेक काम तुम करोगे वह खुदा को मालूम हो जाएगा।” (सुरह बकरा, १६७)



### पेज 34 का बकाया.....

(कुर्बानी में धोका)

- कुर्बानी के वक्त ऊंठ कि उम्र कम से कम पाँच साल की हो। गाय दो साल की हो। बकरा, मैंठा, दुम्बा वगैरा दो दाता हो (मुसिन्ना) यह सामने के दो दात सब्वा साल में आ जाते हैं। भेड़ कि कुछ किस्मों में एक साल में ही दो दात हो जाते हैं। इससे कम उम्र के जानवर के कुर्बानी का ऐतबार नहीं। नबी करीम (स.) ने हज के मौके पर अपनी और अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी। इस लिए हमें भी चाहिए कि अपनी कुर्बानी के साथ अपने शफ़ीक नबी करीम (स.) कर तरफ से भी कुर्बानी करें।



### पेज 36 का बकाया.....

(मक्का मुकर्मा के तारीखी मुकामात)

**मुज़दलिफ़ा:** मिना से अरफात की तरफ तकरीबन एक किलो मीटर की दूरी पर वाक्खे मैदान जहाँ अरफात से वापसी पर हुजाज किराम को रात खुले आसमान के नीचे बसर करनी होती है और अपना वक्त बाद में गुज़ारना होता है।

**वादी ए मुहर्टिस्तः:** मुज़लिफ़ा से मिला हुवा मैदान जहाँ से गुज़रते वक्त दौड़ कर निकलते हैं। यहाँ क्याम करना मना है। इसी वादी में उस लश्कर को अल्लाह तआला ने हलाक व तबाह कर दिया था, जो काबतुल्लाह को ढाहने आ रहा था। इस लिए यह जा ए अ़ज़ाब है। यहाँ से दौड़ कर, अगर नहीं, तो जल्दी गुज़ारना सुन्नत है।



# नबी-ए-करीम (स.) का हज

नबी करीम (स.) ने सिर्फ एक बार हज किया है। इस हज को ४ नामों से याद किया जाता है। हज्जतुल बलागा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल विदा, हज्जतुल अत्माम वल अव्वामा।

- सन १० हिजरी माहे ज़िल्कअदा में जब आपने हज का इरासा कर्माया तो ऐलान करा दिया। इस ऐलान पर तकरीबन ९ लाख २४ हज़ार (कुछ रिवायतों में ९ लाख ४४ हज़ार) लोग मकाम मुकरमा पहुँचते पहुँचते आप के साथ हो गए।
- आप ने २५ ज़िल्कअदा सन १० हिजरी को ज़ोहर की नमाज़ के बाद कूच किया और मदीना से ६ मील दूर मिकाते जुल हलैफा में कसर करके अस्र की नमाज़ पढ़ी और शब गुज़ारी।
- ज़ोहर के बाद गुस्त करके एहराम बांधा और अपनी ऊंटनी पर सवार होकर ब अवाज़ बुलंद तल्बिया पढ़ा।
- आप (स.) ने हुक्म दिया कि जो कुर्बानी के जानवर साथ लाए हैं वह हज्जे किरान कि नीयत करें और जो नहीं लाए हैं वह हज्जे तमत्तों कि नीयत करें।
- उम्मुल मुअ मिनीन हजरत आईशा (रज़ी) मकाम मुकरमा से बारह मील की दूरी पर हज से पहले ही हाइज़ा हो गई। आप (स.) ने हजरत आईशा (रज़ी.) को हुक्म दिया कि उम्रह का एहराम उत्तर दो और हज का एहराम पहन लो और तवाफे जियारत को छोड़कर सारे अरकान अदा करती रहें। हजरत आईशा (रज़ी.) ने उम्रहे का एहराम उत्तरने के लिए सिर खोलकर कंधी किया और फिर हज का एहराम बांध लिया। हज के बाद फिर आपने तनजीम से उम्रह का एहराम बांधकर छुटे हुए उम्रह को दोहराया।
- बहुत से लोग हुजूर (स.) के साथ पैदल सफर कर रहे थे इसलिए यह सफर ६ दिन में तय किया। रास्ते में आपका सामान से लगा ऊंट खो गया, मगर बाद में फिर मिल गया।
- रास्ते में किसी बिमारी के सबब आप (स.) ने सिर में पिछने लगवाएं (फासिद खून निकलवाया)।
- ४ ज़िल्हिज्जा को मकाम मुकरमा में दिन के वक्त दाखिल हुए। खाने काबाह पर नज़ार पढ़ी तो यह दुआ की :

“ऐ अल्लाह, इस घर की व ताज़ीम, तकरीम व हैबत में इज़ाफा फर्मा। जो शख्स इस घर को शर्फ व अज़मत दें और इसका हज और उम्रह करें तो इसकी तशरीफ, तकरीम, ताज़ीम व नेकी में इज़ाफा फरमा।”

- आप (स.) ने बुजु फरमाकर तहियतुल मस्जिद नमाज नहीं पढ़ी बल्कि सीधे तवाफ शुरू किया। तवाफ से पहले इस्तेबा किया और पहले तीन चक्करों में रमल किया और बाद के चार चक्कर मामुली रप्तार से मुक्कमल किए। हर चक्कर में हज़रे अस्वद का इस्तेलाम (बोसा देना) किया और स्वने यमानी को छुआ।
- रिवायत है कि जब आप (स.) हज़े अस्वद के सामने आए तो मुहम्मज्जीन (एक आसा जिसका सिर टेढ़ा था) से इशारा फरमाते और फिर मुहम्मज्जीन के सिर की बोसा देते और कभी लंबे मुबारक की संगे अस्वद पर रखकर बोसा देते।
- तवाफ मुक्कमल करके जब मुकामे इब्राहीम पर तशरीफ लाए तो यह आयत पढ़ी:

وَأَكْبُذُوا مِنْ مَقْبُرَةِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ (سورة بقرة، آية ١١٥) (۱۱۵: ﴿۱۱۵﴾)

“वत्तखिजू मिम मकामे इब्राहीमा मुसल्ला” (सूरह बकरा: १२५)

तर्जुमा: और मकामे इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लों।

- मुकामे इब्राहीम पर आप (स.) ने दो रक़अत नमाज अदा फरमाएं। पहली रक़अत में सुरे: काफीरून और दुसरी रक़अत में सुरे: इख्लास की तिलावत फरमाई नमाज के बाद हज़े अस्वद को बोसा दिया। उसके बाद आबे ज़मज़म नौश फरमाया और उसके बाद सफा पहाड़ी की जानीब तशरीफ ले गए और पहाड़ी के करीब पहुँचकर यह आयत तिलावत फरमाई:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اللَّهِ مَنْ حَمَّلَ الْبَيْتَ أَوْ أَعْمَلَ فَلَكُنْجَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَطْعَمٌ وَمَنْ نَطَعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ (سورة بقرة، آية ١٥٨) (۱۵۸: ﴿۱۵۸﴾)

“इन्स्सफा वल मर्वता-मिन शआ-इरिल्लाहि, फमन हज्जल बैता अविअूत-म-रा फला जुनाहा अलैहि अंय यत्तव्फा बिहिमा। व मन त-तव्वआ खैरन फ-इन्नलाहा शाकिरून अलीमा। (सूरह बकरा: १५८)

“वेशक कोहे सफा और मरवाह अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो जो शख्स खना ए कावा का हज या उमराह करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे। बल्कि तवाफ एक किस्म का नेक काम है और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कद्र शनास और दाना है।”

- कोहे सफा पर चढ़कर बैतुल्ला की तरफ रुख किया और तैहिद व किब्रीयाई बयान फरमाई।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَنَصَرٌ عَبْدُهُ وَحْزَمُ الْأَخْرَابِ وَحْدَهُ

“ला इलाहा इल्लल्लहु वह-दहु ला शरी-क-लहु। ल-हुल मुल्कु व-ल-हुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शइ-इन कदीरा। ला इलाहा इल्लल्लहु वह-दहु। अन्ज़ा वअ-दहु व न-स-रा अब्दहु व ह-ज़-मल अह-ज़बा वह-दहु।”

तर्जुमा: “अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। इसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है। सब तारीफ उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। वह तनहा है। उसने अपना वादा पूरा किया अपने बंदे कि मदफ फरमाई और उस अकेले ने तमाम लश्करों को शिक्षत दे दी।”

- फिर दुआ मार्गी और यह अमल तीन बार दोहराया। सफा से मरवा की तरफ पैदल सई शुरू की। जब हुजूम बढ़ गया तो ऊंटनी पर सवार हो गए। बतने वाली में तेजी से और चढ़ाई पर आहिस्ता चले।
- मरवा पर पहुँचकर वैसा ही तकबीर और दुआ का अमल किया जैसा सफा पर किया था। उसी तरह ७ वा चक्कर पूरा किया। सई के बाद आप (स.) ने सिर के बाल नहीं मुँडवाएं।
- आप (स.) ने इर्शाद फरमाया कि, “जिस शख्स के साथ कुर्बानी का जानवर न हो वह उम्रह के अरकान अदा करके एहराम खोल दे। हजे तमत्तु करने वालों के पास भी अगर (कुर्बानी करने की इस्तेताअत न हो या) जानवर मयस्सर न हो तो अस्याम हज में तीन रोज़े रखें और बाकी ७ रोज़े अपने घरों पर पहुँचकर रखें।” आप (स.) उम्रत के लिए आसानी पसंद करते थे। इसलिए आफाकी के लिए आप (स.) ने हाजे तमत्तु को ज्यादा पसंद किया।

- उम्रह के बाद आप (स.) ने मक्का के बाहर ४ दिन क्याम फरमाया। उस दौरान नमाज़े कसर करके अदा फरमाई।
- ट ज़िल्हिङ्जा सन १० हिंजरी घैमें तरविया को आप और तमाम सहावा (रज़ी.) ने मुकामें अबताह में एहराम बांधा। तल्खिया कहते हुए मक्का मुकर्मा से मिना की तरफ रवाना हुए।
- मिना में अपने अपने वक्त पर ज़ोहर, असर, मगरीब, इशा की नमाज़े अदा की। ६ ज़िल्हिङ्जा की रात भी हुजूर (स.) ने मिना में बसर फरमाई। फ़र अदा की। सुरज निकल आया तो अरफात रवाना हुए। अरफात में आप (स.) ने नमरा मुकाम पर कम्बल के खैमें में क्याम फरमाया। ज़वाल के बाद ऊंटनी कसवा को तैयार करने का हुक्म दिया। उस पर सवार होकर बल्तेवादी में तशरीफ लाए और लोगों को खुत्बा फरमाया।
- आप (स.) का यह खुत्बा, खुत्बे हज्जतुल विदा के नाम से याद किया जाता है। यह खुत्बा तो मुख्तसर था मगर इसमें इन्सानों के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का निचोड़ मौजुद हैं।
- खुत्बा हज्जतुल विदा के बाद हुजूर (स.) ऊंटनी से उतरे और हज़रत बिलाल (रज़ी.) को फरमाया के अज़ान दो। अज़ान दी गई और आप (स.) ने नमाज़े ज़ोहर और असर दो-दो रक़अूत करके एके के बाद एक कसर पढ़ाई।
- अहले मक्का जो आपके साथ हज के लिए आए थे वह मुकामी थें। मगर उन्होंने भी हुजूर (स.) के साथ ही कसर नमाज़ पढ़ी।
- नमाज़ से फरिग़ होकर हुजूर (स.) कसवा ऊंटनी पर सवार हुए और मैदाने अरफात में आए। वहाँ दामने कोह में बड़े बड़े पथरों पर किल्ला रुख होकर ऊंटनी पर खड़े हुए और दुआ वज़ारी शुरू की। यहाँ तक कि आफताब गुरुब हो गया। फिर आप (स.) ने फरमाया कि जिस जगह पर हम खड़े हैं यही मख्सुस जगह नहीं है। जहाँ चाहे खड़े हो।
- अरफात में आप (स.) दुआ के लिए सीने तक हाथ उठाते थें और इस तरह दुआ माँगते थे जैसे कोई मिस्कीन रोटी तलब करता है। आप (स.) का इरशाद है कि हज यौमें अरफा हैं और बेहतरीन दुआ यौमें अरफा की दुआ हैं।
- गुरुबे अफताब पर आप (स.) मुज़दल्फा के लिए रवाना हुएं और उसामा बिन ज़ैद (रज़ी.) को कसवा ऊंटनी पर पीछे सवार कर लिया और ऊंटनी को आहिस्ता चलाने के लिए महार खींचें रखा। रास्ते में आप (स.) लोगों से फरमाते थें, “ऐ लोगों! आहिस्ता चलों। दौड़ना ठीक नहीं और भाग दौड़ परहेज़गारी के खिलाफ है।”
- आप (स.) एक रास्ते से अरफात गए और दुसरे रास्ते से आए। रास्ते में आप (स.) तल्खिया फरमाते रहे। रास्ते में आप (स.) ने इस्तन्जा किया और वुजु किया मगर मगरीब कि नमाज़ के लिए नहीं रुके।
- मुज़दल्फा में आप (स.) ने दस ज़िल्हिङ्जा कि रात मशअरूल हराम के पास क्याम फरमाया और फरमाया कि पूरा मुज़दल्फा वकूफ का मुकाम हैं सिवाय बतने महस्सर को। मुज़दल्फा पहुँचकर फिर बुजू किया और एक अज़ान और दो अकामतों के साथ मगरीब और ईशा कि नमाज़ जमा करके ईशा के वक्त अदा फरमायी। नमाज़े कसर की और दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी गई। अलबत्ता बराबर लब्बैइक कहते रहे। रातभर आराम फरमाया। यहाँ तक के मामूल की तहजुद के लिए भी बेदार नहीं हुए। फ़ज़्र कि सफेदी फैलने के बाद नमाज़ेँ फ़ज़्र अदा फरमायीं।
- सुबह की नमाज़ के बाद अल्लाह तआला से फिर मज़लुम व ज़ालीम के बारें में दुआ दोहराई जो कबूल हो गई और आप (स.) के चेहरे पर तबस्सुम के आसार नुमाया हुए।
- हज़रत सौदा (रज़ी.) और अहले बैत के कमज़ोर अफराद को रात ही में मिना जाने कि इजाज़त दे दी। साथ में हज़रत अब्दुल्ला बीन अब्बास (रज़ी.)

थें। नमाज़े फ़ज़्र के बाद कसवा पर सवार हो कर शअरूल हराम के पास खुब रोशनी फैलने तक किल्ला रुख होकर तसबीह व तैहलील, तकबीर और दुआओं में मशूल रहें।

- तुलु आफताब के बाद मुज़दल्फा से मिना रवाना हुए। आप (स.) जुर्में उक्बा (बड़े शैतान) तक बराबर तल्खिया कहते रहें। हुजूम बहुत ज़्यादा था। आप बराबर लोगों को आहिस्ता चलने की तल्खिया किया जाने की तल्खिया फरमाते रहें।
- बल्ने महस्सर को छोड़कर आएं तो रमी के लिए चने से बड़े और छोटे बेर से किसी कदर छोटी कंकरी जमा करने का हुक्म दिया। लोगों ने तअमिल की। फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ी.) ने आप (स.) के लिए ७ कंकरियां चुनी।
- आप (स.) जम्रह उक्बा के करीब पहुँचकर एक दरख़त के नीचे रुक गए। उस वक्त आप के बाएं जानीब मिना और दाएं जानीब मक्का मुकर्मा था। आप (स.) ने कसवा पर ही से हर बार अल्लाहहु अकबर कहकर ७ कंकरिया जुमरे उक्बा (बड़े शैतान) पर मारी। यह रमी जुमार आप (स.) ने आफताब के तुलु हो जाने के बाद फरमाई और तल्खियां मौकुफ कर दिया।
- चाश्त का वक्त था। आप (स.) ने ऊंटनी पर बैठकर फरमाया: “मुझसे मनासिक हज सीख लों, मुझे नहीं मालुम की इस हज के बाद दुसरा हज कर सकुंगा या नहीं।” जुमरे उक्बा से आप मिना के लिए रवाना हुए। हज़रत उसामा (रज़ी.) साथ बैठे धूप से बचने के लिए चादर ताने हुए थे। हज़रत बिलाल (रज़ी.) कसवा की महार थामे हुए थें। इसके बाद आप (स.) ने खुत्बा दिया।
- १० ज़िल्हिङ्जा के इस खुत्बे के बाद कुरआन शरीफ कि सुरहे अल माएदा कि आयत नं ३ नाजिल हुई। जिसका मफहूम है कि आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुक्कमल कर दिया और अपनी नियमत तुम पर पूरी कर दि और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसीयत से कबूल कर लिया है।
- कुछ रिवायतों के मुताबिक यह आयत अरफात के खुत्बे के बाद नाजिल हुई।
- ईमाम शाफ़ी (रह.) फरमाते हैं, कि इस खुत्बे में आप (स.) ने मनासिक हज बयान फरमाया। खुत्बे के बाद आप (स.) से पुछा गया कि कुर्बानी व कंकरिया मारने और बाल कटवाने में अरकान आगे पीछे हो जाएं तो क्या हुक्म हैं? आप (स.) ने फरमाया, लाहर्ज, लाहर्ज। यानि कोई मुज़ाईका नहीं, कोई मुज़ाईका नहीं।
- यहाँ से आप (स.) कुर्बानगाह की तरफ तशरीफ लें गए और हज़रत अनस बिन मालीक (रज़ी.) के मुताबिक ७ ऊंट अपने हाथों से नहर (कुर्बान) किए। उसके बाद हज़रत अली (रज़ी.) के साथ ५६ ऊंट कुर्बान किए और हज़रत अली (रज़ी.) ने ३७ ऊंट कुर्बान किए इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए।
- कुर्बानी के बाद आप (स.) ने सिर मुँड़वाए। हज़रत मुअम्मिर बिन अब्दुल्ला अददी (रज़ी.) ने आपका सिर मुँड़ा। सारे बाल एक-एक दो-दो हाज़रीन में तक्सिम कर दिए गए। आप (स.) ने सिर मुँड़ने वालों के लिए ३ बार और तरशवाने वालों के लिए १ बार दुआ फरमायीं।
- ज़वाल आफताब से पहले आप (स.) तवाफे ज़ियारत के लिए मक्का मुकर्मा रवाना हुए। लोगों के हुजूम की वज़ह से कसवा पर ही सवार हो कर बैतुल्ला का तवाफ फरमाया। तवाफ के बाद ज़मज़म पर तशरीफ लें गए और पानी नोश फरमाया। हज़रत अब्बास (रज़ी.) ने खजुर का शरबत पेश किया तो वह भी नोश फरमाया।

- हज़रत अब्बास (रजी.) ने पानी पिलाने की खिदमत की खातिर ११, १२, १३ ज़िल्हिङ्जा की रात में मिना कि बजाए मक्का में रहने की इजाजत तलब की। आप (स.) ने इजाजत दे दी।
- इसके बाद आप (स.) मिना वापस तशरीफ ले गए।
- ११, १२, १३ ज़िल्हिङ्जा को तीनों जुमरों को कंकरिया मारी। जुमराह उला पर रमी के बाद किल्ला रुख होकर हाथ उठाकर बड़ी देर तक दुआ मांगी, इतनी देर कि, ९ आदमी इसमें सुरे: बकरा पढ़ लें। जुमरों वस्ता पर भी ऐसा किया। जम्रह उक्का पर कंकरिया मारी लेकिन ठहरें नहीं। वापस चले आएं।
- अव्यामें तशरीक के वस्त में सुरे: अल अस्स नाज़िल हुई। आप (स.) १०, ११, १२, १३ ज़िल्हिङ्जा को रोज़ा रखने से मना फरमाया। आप (स.) ने फरमाया कि यह खाने पीने के और जिक्र के दिन हैं।
- आखरी दिन ज़वाल के बाद रमी फरमायीं और मिना से मक्का के लिए रवाना हुए। रात में मक्का मुकर्रमा से बाहर मुहस्सीब (मुआवदा) में क्याम फरमाया। हज़रत आईशा (रजी.) ने तनजीम से उम्रह किया। यह १४ ज़िल्हिङ्जा की रात थी।
- १४ ज़िल्हिङ्जा को सहरी के वक्त बेदार होकर तवाफे विदा के लिए मस्जिदे हराम तशरीफ ले गए। तवाफ के बाद मुलत़ीम पर वकुफ फरमाया। यहाँ से चाह ज़मज़म पर जाकर खुद अपने दस्ते मुबारक से डोल खींचा। किल्ला रोह होकर पानी नोश फरमाया और बचा हुआ पानी कुएं में डाल दिया।
- बैतुल्ला से विदा होते हुए आप (स.) मगमुम, आबदीदा और हज़न व मलाल से मगलुब थे। आप (स.) सुरज निकलने से पहले माझाअहबाब मक्का से रवाना हो गए और मकामे “ज़ी तवा” में जाकर पड़ाव डाला। वहाँ रात गुज़ारी और सुबह को मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर गामज़न (रवाना) हुए। यहाँ से दुसरे मुसलमान अपने अपने बतन को जाने वाले रास्तों पर चल पड़े।
- आप (स.) ने कुल १० दिन मक्का में क्याम फरमाया था। नमाज़ में कसर अदा किया। सलाम के बाद इर्शाद फरमाते थे: “मक्का वालों! सुनो, अपनी नमाज़े पूरी करों। हम तो मुसाफिर हैं।”
- सफर में एक मुकाम “खम” आया जो हजफा से ३ मील पर है। यहाँ नमाज़ ज़ौहर के बाद सहाबा कराम (रजी.) को हस्त व सना के बाद फरमाया: “मैं तुम्हारे दरम्यान दो अम्भे अज़ीम छोड़े जाता हूँ। कुरआन मजीद और मेरी सुन्नत। इनके हुकूक की रियाअत रखना (मज़बूती से पकड़े रहना।) यह दोनों चीज़ें तुमसे जुदा न हो ताकि तुम हैं जैसे कौसर पर मुझसे आ मिलो।”
- हज़तुल विदा के मौके पर ६ मुकामात पर रसूल (स.) ने काफी देर रुक कर दुआ माँगी वह मुकामात यह है:

  9. सफा की पहाड़ी, २. मरवा की पहाड़ी, ३. अरफात (ज़ौहर के बाद से गुरुबे आफताब तक) ४. मुज़दल्फा (फज़र की नमाज़ से तुलु आफताब तक) ५. जुमरा-ए-उला यानी छोटा शैतान

(आप (स.) ने इतनी देर दुआ की, कि एक आदमी सुरे: अल बकराह (सवा दो पारा) पढ़ लें।)

६. जुमरा-ए-वस्ता यानी दरम्यानी शैतान

(यहाँ पर भी आप (स.) ने इतनी देर दुआ की, कि एक आदमी सुरे: अल बकराह मुकम्मल पढ़ लें।)

- हुज़ूर (स.) कि बिमारी माहे सफर के आखीर में सरदर्द और बुखार से शुरू हुई। लोगों ने नमुनीया ख्याल किया। मगर आप (स.) ने उम्मे अल बशर से फरमाया: “यह वह मर्ज है जो मैंने तेरे बेटे के साथ खैबर में गोश्त का तुकड़ा

चख लिया था। आज उसी ज़हर कि तकलीफ से रगे जान फटी जाती है।”(सही बुखारी-जिल्द २, सफा ६६५, हदीस नं. १५५४)

- तकरिबन चौदा दिन बिमार रहने के बाद और हज़े विदा के ६९ दिन आप (स.) ने इस दारे फानी से कूच किया और रफीके आला से जा मिले।



## जन्नत की तअमीर

- (१) “नाफेउल्खलाएक” में है कि एक रोज़ एक एराबी रसूल (स.) की खिदमत में आया और फक्र व फ़ाक़ा से रोया। रसूल (स.) ने फर्माया के हर फर्ज़ नमाज़ के बाद दस बार ‘इन्ना अन्ज़ल्ला’, ‘सुरह कद्र’ पढ़ा करो और जुना के दिन नाखुन कटवाया करो। एराबी ने ऐसा ही किया और मालदार हो गया।
- (२) एक बार एक सहाबी ने हुज़ूर (स.) से फर्माया कि या रसूल अल्लाह (स.) दुनिया मुझ से रुठ गई है। हुज़ूर (स.) ने फर्माया सुबह १०० बार पढ़ा करो। कुछ दिन के बाद वह सहाबी वापस आए और कहा कि या रसूल अल्लाह (स.) अल्लाह तआला ने मुझे इतना दिया है कि रखने की जगह नहीं। अल्लाह तआला को ये कलमात सारे कलमात से ज्यादा पसंद हैं। हुज़ूर (स.) ने फर्माया कि ये कलमात कहने में आसान और वज़न में बहुत भारी है।
- (३) हुज़ूर (स.) दिन में सत्तर सत्तर बार इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे।
- (४) दरुद शरीफ के इतने फायदे हैं के यहाँ बयान करना मुश्किल है। सालेहीन और औलिया कराम की इबादत का ज़्यादा तर हिस्सा दरुद शरीफ होता था।
- (५) सुरह फ़तेह बहुत ही बाबर्कत सुरह है। अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में इस की तारीफ सात आयतों वाली बाबर्कत सुरह के नाम से किया है। इस के पढ़ने से रोज़ी में बरकत होती है, बीमारियों से शिफा होती है, कर्ज़ दूर होता है और किसी तरह के भी जिन्न और शयातीन परेशान करते हों तो सुबह सुन्नत और फर्ज के दरम्यान ४९ बार पढ़ने से दूर हो जाते हैं।
- (६) मेरेज की रात हज़रत इब्राहीम (अ.) ने हुज़ूर (स.) से फर्माया के जन्नत एक वीरान मैदान है जब बन्दा दुनिया में अल्लाह तआला का ज़िक्र करता है तो एक खुबसूरत दरख़त जन्नत में इस के लिए लगाया जाता है। एक दुसरी रिवायत में है कि फरिश्ते मोमिन का महल जन्नत में उस वक्त तक तामीर करते रहते हैं जब तक उन के पास तामीर का सामान पहुँचना बदल हो जाता है तो वह फरिश्ते भी काम रोक देते हैं। और ये तामीर का सामान मोमिन के नेक आमाल हैं जो वो दुनिया में करता है।
- (७) दुनिया की जिन्दगी इतनी मस्लफ है कि हमारे पास आखिरत और अपनी जन्नत संवारने का वक्त ही नहीं है। अब जब के सफर हज के लिए हम ने दुनिया से चालीस दिन की छुट्टी ले ही ली है, तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठा कर अपनी जन्नत भी संवार लें। हम कोशिश करें के अपनी आसानी के मुताबिक दरुद शरीफ, इस्तग़फ़ार और तस्बिहात का मुतवाज़िन विद्य इबादत का मापूल बनाएं। और चालीस दिन इस पर अमल करते रहें जिस से कि एक आदत सी पढ़ जाए और फिर वापस जाकर इसी इबादत पर अमल करना आसान हो। अगर रिक्क में बरकत वाली तस्बिहात पढ़े तो इंशाअल्लाह सवाव तो मिलेगा ही और साथ में माली हालत भी और बेहतर होगी। कुरआन शरीफ पढ़ने के भी बहुत फ़ज़ाइल हैं। इस मुकद्दस सफर में कम से कम दो बार कुरआन शरीफ भी खात्म करने की कोशिश करें। अगर एक छोटा कुरआन शरीफ जिसे आसानी से हरम में ले जा सकें साथ ले लें तो और आसानी होगी। असर के जमात के बाद मताफ और मस्जिद ए हरम के दरम्यान सहन में बहात सारे उलमा का बयान होता है। उर्दु में बयान दरवाजा नम्बर ५० और ५२ के सामने होता है। आप भी उन बयान में शामील हो कर अपने ईमान को ताज़ा किया किज़ीए।



# तवाफ का बयान

## तवाफ के पृष्ठांकित:

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَيْنِ ۝ دِلْكَ وَمَنْ

بِعْضُهُمُ حُرْمَتُ اللَّهُ فَهُوَ خَيْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝ (سورة ۲۰-۲۹)

“वल-यत्वफू बिल बैतिल अतीक। ज़ालिका व मंय युअ़िज्म हुरुमातिल्लहि फहुवा खैरुल्लहू इन्दा रव्विही।”

अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में फरमाते हैं

“(लोगों को चाहिए कि) बैतुल्लाह का तवाफ करो। यह हमारा हुक्म है। जो शख्स अदब की चीज़ों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की है (यानी हज, उम्रह, तवाफ वरीग) कि अज़मत रखेगा तो यह अल्लाह तआला के नज़्दीक उसके लिए बेहतर है।” (अल्लाह ज्ञ, २६-३०)

- रसूल अल्लाह (स.) ने फरमाया: जो बैतुल्लाह का तवाफ करे और दो रक़अत नमाज़ पढ़े उस को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा।

(इने माज़, किताब अल-मनासिक, बाब फ़ज़लुत्तवाफ २६-५६)

- आप (स.) का इशाद है : जिस ने बैतुल्लाह शरीफ का ७ बार तवाफ किया तो अल्लाह तआला हर हर कदम पर उस के गुनाह को माफ़ फरमाते हैं और हर हर कदम पर नेकी लिखते हैं और हर हर कदम पर एक दर्जा बुलंद करते हैं। (इने ख़ज़ीरा, इने हज्जान)

- हज़रत इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने अपनी किताब ‘अह़्वाया उल उलूम’ में हज़रत इन्हों उमर (रज़ि) की रिवायत नकल की है कि हज़ूर (स.) ने फरमाया के खाना-ए-काबा का तवाफ बहुत किया करो, वह बड़ी बुजुर्ग चीज़ है। जिस को तुम क्यामत के रोज़ अपने नामा-ए-आमाल में पाओगे और इस के बराबर कोई दुसरा अमल रशक के काबिल न पाओगे। (सातवाँ बाब, हज के असरार और उस की मुमानिअत)

- हुजूर (स.) ने इशाद फरमाया बैतुल्लाह का तवाफ नमाज़ की तरह है। अल्बत्ता तुम इस में बात कर सकते हो, तो जो भी दौराने तवाफ बात करे, उसको अच्छी बात करनी चाहिए। (जामे तिर्मज़ी, किताब उल हज, हदीस ६६)

- नबी करीम (स.) का इशाद है जिसने ५० मर्तबा तवाफ किया, तो गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। (तिर्मज़ी)

## तवाफ की शर्तें:-

- तवाफ में भी नमाज़ की तरह शर्तें हैं।
- जैसे नमाज़ के लिए वुजु ज़रूरी है वैसे तवाफ के लिए भी वुजु ज़रूरी है।
- जैसे नमाज़ के लिए कपड़े पाक और सतर छुपा हुआ हो। वैसे तवाफ के लिए कपड़े पाक हो और सतर छुपा हुआ हो।
- जैसे नमाज़ के लिए नीयत ज़रूरी है वैसे तवाफ के लिए हज़े अस्वद से पहले नीयत करें।
- जैसे नमाज़ तकबीर कह कर शुरू करते हैं वैसे तवाफ के लिए हज़े अस्वद के सामने होकर तकबीर कहें और हज़े अस्वद को बोसा दें। (इसको इस्तलाम कहते हैं।)
- जैसे नमाज़ में एक रक़आत के बाद फौरन दुसरी रक़आत पढ़ी जाती है वैसे ही तवाफ में खाने काबा के अतराह दर पे दर चक्कर लगाए। दो चक्करों में वक्फा न हो।

● जैसे नमाज़ में नजर सजदा कि जगह पर होती है वैसे तवाफ करते वक्त नज़र चलने की जगह पर हों।

● जैसे नमाज़ में किल्ले की तरफ या आसमान की तरफ नजर उठाना मकरूह है वैसे तवाफ करते वक्त खाना काबा को देखना मकरूह है।

● जैसे नमाज़ सलाम फेर कर पूरी कि जाती है वैसे ही दो रक़अत तवाफ वाजिब नमाज़ पढ़कर तवाफ पूरा किया जाता है।

● जैसे नफिल नमाज की नीयत करने के बाद अगर हम नमाज तोड़ दे तो फिर इस नफिल नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होता है। इसी तरह तवाफ के कुछ चक्कर लगाकर छोड़ दे तो फिर इसका दोहराना या पूरा करना वाजिब होगा।

## तवाफ के बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात

● अगर तवाफ करते करते नमाज के लिए जमाअत खड़ी होगी तो तवाफ रोक कर जमाअत से नमाज पढ़ लें और छुटे हुए चक्कर नमाज के बाद पूरे कर लें। ऐसे वक्त अगर तीन से कम चक्करों के बाद भी वक्फा हो जाए तो कोई मुजाइका नहीं।

अगर तवाफ करते हुए चार चक्करों के पहले आप का वजू टूट जाए तो बेहतर है कि वजू कर के फिर से तवाफ करे और अगर वर्धी से मुकम्मल कर ले तो यह भी जायज़ है। (गणियतुल मनासिक १२७)

● तवाफ शुरू करने से पहले सिर्फ हज़े अस्वद के सामने ही आपका चेहरा और सीना खाना काबा के सामने होगा। इस के बाद दौराने तवाफ सीना खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह है और पीठ खाना ए काबा की तरफ करना मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के बराबर है।

● एक चक्कर की जितनी दूरी आप ने खाना ए काबा की तरफ सीना या पीठ करके तय की उसे फिर से दोहरा लें। वह दूरी तवाफ के चक्करों में शामिल नहीं होगी।

● अगर आप ने सात चक्करों के बजाए आठ चक्कर लगा लिए हो तो फिर आपको ६ चक्कर और लगाकर दुसरा तवाफ भी पूरा करना वाजिब होगा।

● अगर किसी ने मक्का मुकर्रमा में तवाफ वाजिब नमाज न पढ़ी तो इसको अदा करना वाजिब है जिसमें से साकित न होगी तामाज उम्र में अदा कर सकता है। हरम से बाहर इस नमाज को पढ़ना ताथीर करना बुरा और मकरूह है।

● तवाफ हत्तीम के बाहर से करें। क्योंकि हत्तीम खाना-ए-काबा का हिस्सा है और तवाफ खाना-ए-काबा के बाहर से किया जाता है।

● तवाफ के दौरान कोई खास दुआ या आयत का पढ़ना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।

● जो कुछ दुआएँ हज़ की किताबों में लिखा है उसे देखकर पढ़ने से बेहतर है कि आपको जो दुआएँ याद हैं वह समझकर माँगें। देखकर पढ़ने और आवाज़ करने से दुसरे हाजियों को तकलीफ होती है और दुसरों को तकलीफ पहुँचाना गुनाह का काम है।

● तवाफ में दुआ पढ़ना कुरान पढ़ने से अफजल है। दुआ तवाफ में बगैर हाथ उठाएँ माँगना चाहीं।

● रुक्ने यमानी और हज़े अस्वद के दरम्यान ७० हजार फरीश्ते तवाफ करने वालों की दुआ पर आमीन कहते हैं।

- एहराम की हालत में तवाफ के सातों चक्करों में इज्जतेवा करना सुन्नत है।
- ऐसा तवाफ जिस के बाद सई करना है उस के शुरू के तीन चक्करों में रमल है। ऐसा तीन बार होगा। पहला उमरा के तवाफ में, दूसरा तवाफे ज़ियारत में और तीसरा ट ज़िल्हिज्जा को अगर मिना जाने से पहले आप तवाफ और सई करते हैं तब।
- ट ज़िल्हिज्जा को अगर आप ने तवाफ और सई कर ली तो ९० ज़िल्हिज्जा के बाद सिर्फ आप को तवाफ के ७ चक्कर बगैर रमल के लगाने हैं। उस के बाद सई करने की ज़रूरत नहीं।
- रमल सुन्नत है। अगर कोई रमल वाले तवाफ में रमल करना भूल जाएं तो यह खिलाफे सुन्नत होगा। मगर तवाफ हो जाएगा। तवाफ दोहराने की ज़रूरत नहीं। या किसी ने सातों चक्कर में रमल कर लिया तो भी यह मकरूह है। मगर तवाफ हो जाएगा।
- तवाफ का सवाब किसी को भी पहुँचाया जा सकता है। जो इंतेकाल कर गए उन्हें और जो जिंदा हैं और मक्का मुकर्कमा से दूर हैं उन्हें भी।
- मअजूर, सवारी पर बैठ कर तवाफ कर सकते हैं।
- खाना ए काबा पर १२० रहमतें उतरती हैं। जिन में से ६० रहमतें तवाफ करने वालों पर, बक्सा ४० रहमतें नमाज़ पढ़ने और २० खाना ए काबा को देखने वालों के लिए हैं।
- रुकने यमानी को तवाफ के दौरान सिर्फ हाथ लगाना सुन्नत है। बोसा देना खिलाफे सुन्नत है। अगर भीड़ हो तो दूर से गुज़र जाएं। इस्तलाम भी न करें। रुकने यमानी के पास रुक कर सीना खाना ए काबा की तरफ कर के हाथ लगाना या भीड़ लगाना खिलाफे सुन्नत है, और ममू हैं।
- अस्र के बाद कज़ा फर्ज़ नमाज़ों को छोड़ कर और नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इस लिए अस्र के बाद हरम में ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ कीजिए मगर आखरी की दो रक़अत तवाफे वाजिब मत पढ़िये और मारिब के बाद आप ने जितने तवाफ किए हैं उन के हिसाब से हर तवाफ के लिए दो रक़अत अलग अलग पढ़ लीजिए। इस तरह हरम शरीफ के अंदर आप का हर लम्हा बेहतरीन इबादत में गुज़रेगा।

## मसाइले तवाफ

- तवाफे ज़ियारत में तरतीब वाजिब नहीं है।  
(मसाइल व मअलूमाते हज व उमराह पेज ८९, मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज २९३, १७६, अहमदुल्लाह वासिंआ पेज २४६)
  - तवाफे ज़ियारत, रमी और हलक यानी हजामत के बाद करना सुन्नत है वाजिब नहीं। (मुअल्लिमुल हुज्जाज पेज २९३, १७६, अन्वारे मनासिक पेज २७३)
  - अगर कोई यौमनूहर में हलक व कुरबानी से पहले तवाफे ज़ियारत कर ले तब भी बिला-कराहियत जायज़ है। (अन्वारे मनासिक पेज ३४०)
- मकरूहाते तवाफ (यह चीजें तवाफ में मकरूह हैं)**
- फुजूल और बे फायदा बात चीज़।
  - खरीद व फरोख्त करना या इस की बात चीत करना। (तवाफ करते वक्त अगर फोन आ जाए तो आप के ना चाहते हुए भी आप को सामने वाले के सवालों के जवाबात देने होंगे। आप के जवाबात हो सकता है मुबाह या मकरूह हों, इसलिए मस्जिदे हरम में मोबाइल बंद रखें)
  - दुआ या कुरआन बुलन्द आवाज़ में पढ़ना जिस से तवाफ करने वालों और नमाजियों को तकलीफ हो या खलल हो।
  - नापाक कपड़ों में तवाफ करना।
  - रमल और इज्जतेवा को बिला वजह तर्क करना।

- इज्जतेवा की हालत में नमाज़ पढ़ना। (नमाज़ दोनों मोंठे यानी कंधे ढांक कर पढ़ें।)
- तवाफ के फेरों के दरमियान ज़्यादा वक्फा करना। (किसी वजह से कुछ देर के लिए तवाफ रोक देना।)
- बगैर वजह दो तवाफ एक के बाद एक 'बगैर तवाफे वाजिब नमाज़ पढ़े'। (मकरूह वक्त पर इजाज़त है।)
- दोनों हाथ तवाफ की नियत के वक्त बगैर तकबीर के उठाना।
- हरम शरीफ में खुतबा और फर्ज़ नमाज़ की जमाअत खड़ी हो जाने के वक्त तवाफ करना।
- तवाफ के दरमियान खाना खाना। कुछ उलमा ने पीने को भी मकरूह कहा है।
- पेशाब पाखना के तकाज़े के वक्त तवाफ करना।
- भूक और गुस्से की हालत में तवाफ करना।
- तवाफ करते हुए नमाज़ की तरह हाथ बांधना या कमर पर हाथ रख कर चलना या गरदन पर हाथ रख कर चलना या किसी के गले में हाथ डाल कर चलना।
- औरतों का ऐसे वक्त या इतने हुजूम में तवाफ करना जब औरतों का जिस्म गैर मर्दों को यकीनन छू जायगा तो ऐसे वक्त औरतों का तवाफ करना हराम है।  
(इस मज़मून के सारे मसले "मुअल्लिमुल हुज्जाज" से लिए गए हैं।)

तवाफ का तरीका हम इन्शा अल्लाह उमराह के बयान में सीखेंगे।



## हज की अदाएगी में जल्दी करें।

हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया: "ए लोगो! अगर तुम पर हज फर्ज़ हो चुका हो तो उस की अदाएगी में जल्दी करो, इस लिए कि तुम में से कोई नहीं जानता कि कब क्या रुकावट पेश आ जाए।" (तरीक़)

## जमाअत की अहमियत

हजरत इब्ने मसऊद ;रज़ि.द्द से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया: जिस शख्स को इस का शौक हो कि वह क्यामत के दिन मुसल्मान की तरह अल्लाह के सामने पेश हों, वह पांचों वक्त की नमाज उस मस्जिद में जहाँ अज़ान दी जाती है बा-जमाअत अदा करे। अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी ;सँद्ध को जो तरीका ए हिदायत अता फरमाया है उस में पांचों नमाज़ बा-जमाअत पढ़ना भी शामिल है। तो अगर तुम ने अपने घरों में पढ़ ली जैसा ये पीछे रह जाने वाला अपने घर में पढ़ता है तो वेशक तुम ने अपने नबी ;सँद्ध की सुन्नत तर्क कर दी तो तुम गुमराह हो गए। हम ने किसी सहाबी को जमाअत से गैर हाज़िर होने नहीं देखा। जमाअत से वही शख्स गैर हाज़िर होता था जो खुला हुआ मुनाफिक होता था। बीमार भी दो आदमियों के सहारे से आकर सफ में शामिल हो जाते थे। (मुस्लिम)

# अरकाने उम्रह और हज का वयान

उम्रह के सिर्फ दो फ़राइज़ और दो वाजिबात हैं, जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का उम्रह हो जाएगा।

इसी तरह हज के ३ फ़राइज़, ६ वाजिबात और १० सुन्नतें हैं जो भी उन्हें पूरा करेगा उस का हज हो जाएगा।

इस किताब में हम सफर के अलग अलग मरहलों के लिए अलग अलग दुआएँ अङ्कर और नफ़िल नमाज़ का ज़िक्र करेंगे। ये सिर्फ हज और उम्रह की इबादत की ओर अफ़्ज़ल बनाने के लिए हैं। उन के न करने पर न कोई गुनाह होगा और न हज और उम्रह की इबादत में कोई फ़र्क आएगा।

## १) उम्रह के फ़राइज़ :

- १) मिकात से एहराम बौधना, नीयत करना और तत्विया पढ़ना।
- २) खाने काबा का तवाफ़ करना और तवाफ़ के बाद दो रक़अत नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना।

## २) उम्रह के वाजिबात :

- १) सफा व मरवा के दरम्यान सई करना।
- २) बाल कतरवाना या मुंडवाना।

## ३) हज के फ़राइज़ :

- १) एहराम पहन कर हज की दिल से नीयत करना और तत्विया कहना।
- २) वकूफ़ अरफ़ात यानी ६ ज़िल्हिज्जा को ज़्यात आफ़ताब से ले कर १० ज़िल्हिज्जा की सुबह सादिक तक अरफ़ात में किसी वक्त ठहरना। अगर एक लम्हा के लिए ही क्यों न हो।  
हुजूर (स.) ने फरमाया “हज अरफ़ात में ठहरने का नाम है”  
(जामे तिर्मज़ी, हदीस ८८६)
- ३) तवाफ़े ज़ियारत जो दसरीं ज़िल्हिज्जा की सुबह से लेकर बारहवीं ज़िल्हिज्जा के मध्यरिव तक किया जा सकता है।

## ४) हज के वाजिबात :

- १) अरफ़ात में सूरज ढूबने तक ठहरना।
- २) मुज़दलिका में वकूफ़ के वक्त ठहरना।
- ३) सफा व मरवा के दरम्यान सई करना।
- ४) शैतान को बा-तरतीब कंकरी मारना।
- ५) कुर्बानी करना।
- ६) सिर के बाल मुंडवाना या कुतरवाना।
- ७) मिकात से बाहर रहने वाले को तवाफ़े विदा करना। (अहले हरम और अहले हिल पर वाजिब नहीं है, सिर्फ़ मुस्तहब है।)
- ८) १०, ११, १२ तारीख को रातें मिना में गुजारना।

## ५) हज की सुन्नतें :

- १) मुकरद आफ़ाकी और कारिन को तवाफ़ कुदूम करना।
- २) इमाम की तीन मुकाम पर खुल्बा पढ़ना। सातवीं ज़िल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा में, नवीं ज़िल्हिज्जा को अरफ़ात में और ग्यारहवीं को मिना में।
- ३) नवीं ज़िल्हिज्जा की रात में मिना में रहना।
- ४) तुलू और आफ़ताब के बाद नवीं ज़िल्हिज्जा को मिना से अरफ़ात को जाना।

५) अरफ़ात से इमाम के चलने के बाद चलना।

६) अरफ़ात में गुस्त करना।

इन के इलावा भी और बहुत सी सुन्नतें हैं।

## सफरे हज पर निकलने से पहले नीयत का बयान:-

हज तीन तरह के होते हैं और सफरे हज में हज के साथ उम्रह भी किया जाता है, तो जब आप घर से एहराम पहन कर निकलेंगे, तो क्या नीयत करेंगे? उम्रह की या हज की और किस तरह के हज की?

हज की तीन किस्में हैं १. हजे इफ़राद २. हजे किरान ३. हजे तमत्तो

हजे अफ़राद में हाजी एहराम सिर्फ हज कि नीयत से पहनते हैं और सिर्फ हज करके एहराम उतार देते हैं।

हजे किरान में हाजी हज और उम्रह दोनों की नीयत से एहराम पहनते हैं और दोनों करने के बाद ही एहराम उतारते हैं। अहले हरम और अहले हिल सिर्फ हजे अफ़राद ही कर सकते हैं। हजे किरान और तमत्तुअ इन के लिए मना है आफ़ाकी के लिए छूट है कि वह तीनों में से जिस का चाहे एहराम वाँधे।

हजे तमत्तो में हाजी पहले उम्रह की नीयत से एहराम पहनते हैं और उम्रह करके एहराम उतार देते हैं। फिर ट ज़िल्हिज्जा को एहराम हज की नीयत से पहनते हैं और हज करके उतारते हैं। हिन्दुस्तान से जानेवाले हाजियों को हजे तमत्तो ही आसान होता है। इसलिए हम इस हज को सीखेंगे।

इसलिए अगर आपकी प्लाईट जिद्दा के लिए हो और ट ज़िल्हिज्जा से पहले की हो तो आपको मक्का शरीफ पहुँचकर पहले उम्रह करना है। इसलिए आप एहराम भी उम्रह की नीयत से पहनते हैं और पहले नीयत भी उम्रह ही की करेंगे।

अगर आप कि प्लाईट मदीना के लिए हो तो न आप घर से एहराम पहनकर निकलेंगे और न किसी चीज़ की नीयत करेंगे, बल्कि मदीना ४० वक्त कि नमाज़ पुरी करके जब आप मदीना से मक्का रवाना होंगे तब आपको एहराम पहनकर उम्रह की नीयत करना होगा।

	अरकान	तारीख	हजे तमत्तो	हजे किरान	हजे अफ़राद
	तवाफ़े कुदूम	(⊗)	सुन्नत	सुन्नत	
सिल्लावार के अरकान	अहरामे उम्रह	८ ज़िल्हिज्जा से	फ़र्ज़	फ़र्ज़	⊗
	तवाफ़े उम्रह	९३ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	⊗
	सई उम्रह	के दरमियान उम्रह	वाजिब	वाजिब	⊗
	सिर मुंडवाना	नहीं किया जा सकता।	वाजिब	⊗	⊗
सिल्लावार के हज	अहरामे हज	८ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	उम्रह का एहराम	फ़र्ज़
	क्यामे मिना	८ ज़िल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	वकूफ़ अरफ़ा	६ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	फ़र्ज़
	वकूफ़ मुज़दलिका	९० ज़िल्हिज्जा की रात	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	रमी जमरा उक्का	९० ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	कुरबानी	९०, ९१, ९२ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	इङ्लियरी
	सिर मुंडवाना	९०, ९१, ९२ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफ़े ज़ियारत	९०, ९१, ९२ ज़िल्हिज्जा	फ़र्ज़	फ़र्ज़	फ़र्ज़
	सई	२६ ज़िल्हिज्जा से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	क्यामे मिना	९१, ९२, ९३ ज़िल्हिज्जा	सुन्नत	सुन्नत	सुन्नत
	रमी जमरा	९१, ९२, ९३ ज़िल्हिज्जा	वाजिब	वाजिब	वाजिब
	तवाफ़े विदा	वापसी से पहले	वाजिब	वाजिब	वाजिब

# सफरे हज का आगाज़

## सफरे हज पर निकलने से पहले की तैयारियाँ:-

१. ६ से ८ अच्छे और दीनदार लोगों के साथ गुप्त बनाकर हज का फार्म भरें। क्योंकि एक कमरे में ६ से ८ लोगों को रखा जाता है। अगर यह लोग हमखाल और नेक हों, तो बड़ी आसानी होती है।
२. दिल में यह यकीन जमाएँ कि मुझे मेरा माल, मेरी ताकत, मेरी सलाहियत मुझे हज के सफर पर नहीं ले जा रही है बल्कि मुझे मेरा अल्लाह ले जा रहा है। कई लोग दुनिया में मालदार हैं, बा सलाहियत है, ताकतवर हैं लेकिन उन्हें अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ, वह नहीं जा सकते।
- मैंने जाती तौर से महसूस किया कि हज न सिर्फ अल्लाह कि तौफिक से हम कर पाते हैं। बल्कि हज के अरकान भी अल्लाह तआला अपने फज्जल से पूरा कराते हैं। ३० से ४० लाख के मज्जे में अगर अल्लाह तआला की मदद न होती, तो मैं और कई हाजी अरकान और मुजदलिक वक्त पर न पहुँच पाते और यह अरकान हमसे फौट हो सकते थे।
३. हाजी कहलाने का शैक, खरीदारी वौरह भी हज की नीयत के साथ शामिल हो तो तौबा करें और हज कि नीयत खालिस अल्लाह की रजा के लिए करें।
४. कारोबार और घर की सारी ज़रूरीयत और ऊमर से मुत्त़िलिक वसीयत नामा लिख दे, लेना देना, हक हुकूक सब मुफ्सल दर्ज कर दे और किसी मामला शनास और दीनदार शेख्स को अपना कायम मुकाम बना दे।
५. घरवालों को आप की गैर मौजूदगी में भी नमाज़ पढ़ते रहने और पूरी तरह दिन पर चलते रहने की नसीहत कर दे।
६. सदके से बलाएं टलती हैं इसलिए सफर में जान और माल कि हिफाज़त के लिए सदका खैरात कर दे या गरीबों को खाना खिला दे।
७. अगर किसी का हक अदा न किया हो तो अदा करें। किसी का दिल दुखाया हो तो माफी मांग लें। अल्लाह तआला बैनियाज है वह खुद के हुकूक माफ कर देगा लेकिन बंदों के हुकूक माफ नहीं करेगा। उसे तो आपको बंदों से ही माफ कराने होंगे।
८. सफरे हज की सामान कि मुकम्मल फेहरिस्त बना ले और उसके मुताबिक सामान एक या दो दिन पहले ही पैक कर ले।
९. एक अलग हैंड बैग में पासपोर्ट जहाज का टिकट, शनाख्ती कार्ड और दुसरे जरूरी सामान रख लें। यह बैग ऐसा हो की उसे आप १४ घंटे के सफर में हमेशा अपने कंधे से लटकाए रह सकें।
१०. बाल साफ कर ले, नाखून काट लें और नहा धोकर अच्छी तरह पाक हो जाए और एहराम पहन लें।

## घर से रवानागी:-

अच्छी तरह नहा धो कर साफ़ सुधरे हो जाएँ और एहराम पहन लें।

- इस मुबारक सफर की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएँ मार्गें। दुआ ज़्यादा असर रखती है जब ये नफिल नमाज़ पढ़ कर मार्गी जाएं। इस लिए दो-दो रक़अूत कर के दस रक़अूत नफिल नमाज़ इस तरह पढ़ें।
- दो रक़अूत नफिल नमाज़ सलातुल्हाजात की नीयत से पढ़ें, और अल्लाह तआला से दुआ करें के अल्लाह तआला आप का सफरे हज आसान और कामयाब करे और आप को हजे मबरुर अता फ़रमाएं।
- दो रक़अूत नफिल नमाज़ सलातुल्हाजात की नीयत से पढ़ें। इस नफिल नमाज़ के बाद आप अल्लाह तआला के दरबार में सच्चे दिल से अपने गुनाहों से

तौबा करें।

- दो रक़अूत नफिल नमाज़ शुक्राने की पढ़ें और अल्लाह तआला का शुक अदा करें कि उस ने ये तौफ़ीक आप को दी, कि आप हज के सफर पर जा रहे हैं।
- दो रक़अूत नमाज़ अपने और अपने घर वालों की बलाओं और मुसीबतों से हिफाज़त की नीयत से पढ़ें और दुआ करें की अल्लाह तआला आप को सफर में और घर वालों की वतन में अपने अमान और हिफाज़त में रखे और तमाम मुसीबतों से महफूज़ रखें।
- आखिरी दो रक़अूत नमाज़ एहराम की नीयत से पढ़ें। सारी नमाजें आप एहराम की चादर से सर ढांप कर पढ़ें और आखिरी दो रेकत का सलाम फेर कर सिर खोल दें मगर अभी उम्रह की नीयत न करें। उम्रह की नियत अगर आप जहाज में यलम लम मिकात से करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। यलम लम मिकात जिद्दा उतरने से एक घंटा पहले आता है और जहाज का अमला मिकात आने पर आप को इसकी खबर कर देगा।

## कुछ याद रखने लायक बातें:-

- बुजुर्गों से सुना है कि एहराम की हालत में इंसान जो भी काम करता है उस पर मुहर लग जाती है। फिर वह जिन्दगी भर उसे दोहराता रहता है। वैसे तो हर वक्त गुनाहों से बचना चाहिये मगर एहराम की हालत में गुनाहों से सख्त परहेज़ करना चाहिये और पूरी तरह से सुन्नत के मुताबिक शब-व-रोज़ गुज़ारने की कोशिश करना चाहिये।
- कुछ ऐसे गुनाह हैं जिन की हमें आदत सी है और उन के गुनाह होने का हम एहसास तक नहीं होता। जैसे गीबत, नज़रों का गुनाह वौरह और यह गुनाह उस वक्त करते हैं जब हम दुनियावारी की बातें करते हैं या बाज़ारों में घुमते हैं। एहराम की हालत में और वैसे भी हरम के हुक्मद में इन दोनों से परहेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरआन शरीफ की तिलावत, तवाफ़, नफिल नमाज़ और वज़ाइफ़ पढ़ते हुए गुज़ारें। आप जिस जगह जा रहे हैं (मक्का शरीफ) वहाँ एक नेकी का सवाब एक लाख गुना बढ़ा कर मिलता है। इसी तरह एक गलती का गुनाह भी एक लाख गुना मिलेगा। हज़रत नुह (अलै.) की उम्र ६५० साल थी। अगर आप चार दिन हरम शरीफ में इबादत करें तो चार लाख दिन के बराबर इबादत का सवाब मिलेगा। जो के १००० साल की इबादत से ज़्यादा है। यानि आप हज़रत नुह (अलै.) की उम्र से भी ज़्यादा अरसे तक इबादत करते रहे। इस से आप अन्दाज़ा लगाएँ कि अगर आप एक महीने हरम में इबादत करते रहे, तो कितना सवाब मिलेगा? वह लोग खुश नसीब हैं, जो इस बात को समझ कर इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाते हैं।
- अपने वतन में एक फ़र्ज़ नमाज़ छूट जाए तो उस का गुनाह ७० गुनाहे कबीरा के बराबर होता है जिसकी जहन्नम की सज़ा कई लाख साल है। यही गुनाह अगर हरम शरीफ में हो जाए तो यह एक लाख गुना और बढ़ जाएगा। नमाज़ छोड़ने के साथ अगर किसी ने गीबत भी की, नज़रों का गुनाह भी किया, झगड़ा वौरह भी किया और महीने भर करता रहा तो ऐसा शख्स जब हज के सफर पर निकलता है तो कुछ नेक होता है और गुनाह का ज़खीरा भी उसकी उम्र के मुताबिक पचास साठ साल का होता है। मगर जब हज से वापस आता है तो हजारों साल की उम्र के गुनाह के बराबर गुनाहों का ज़खीरा लेकर आता है। ऐसा बदबूज्ञ इंसान हज कर के हाजी के बदले पाजी नहीं बनेगा, तो और क्या बनेगा! इस लिए कुछ लोग हज के बाद ज़्यादा बद्रीन हो जाते हैं। अल्लाह तआला हमें आप को और सारे

मुसलमानों को दीन समझने और उस पर सही तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

- वह मुकद्दस जमीन जिसे देखने के लिए लाखों आँखें तरसती हैं। वहाँ आप को सिर्फ चालीस दिन रहना है। इन चालीस दिनों के लिए अगर आप दुनियादारी छोड़ देंगे, तो क्या क्यामत आ जाएगी? घर से निकलते बक्त अपनी दुनियादारी को यहीं छोड़ कर सफरे हज पर रवाना हों और आने वाले हर लम्हे को ग़नीमत समझें और जितनी नेकी अपने दामन में समेट सकते हों समेट लें। मौत की किसे ख़बर, हो सकता है यह आप का आख़री सफर हो?

### मुकद्दस सफर का पहला कदम:-

- स्टील का कड़ा पहन लें, पासपोर्ट, एअर टिकट और दुसरा ज़रूरी सामान हैंड बैग में रखकर काथे पर लटकालें। सारे सामान पर अपना नाम पता और कवर नंबर फिर एक बार ज़ोच लें और घर वालों के लिए अल्लाह तआला से दुआ करें, उन्हें अल्लाह तआला की अमान में दें और यह दुआ पढ़ें।

**أَسْتَرْدُعُ اللَّهَ وَيُنِسِّكَ وَآمَنْكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ،  
رَوْدَكَ اللَّهُ الْقَوْىٰ، وَيَسِّرْكَ الْخَيْرَ حَيْثُ كُنْتَ.**

“अस्तौदिउल्लाहा दी-नका व अमा-न-त-का व अखिं-र-अ-म-लिका। ज़्याद-कल्लाहुत्तक्वा, व यस-स-र-ल-कल खे-र-हैसु कुत्ता।”

तर्जुमा : अच्छा जाओ तुम और तुम्हारा दीन और तुम्हारी दीन व दुनिया की अमानत और तुम्हारे कामों का अंजाम अल्लाह तआला के सुपर्द है। अल्लाह तआला तुम को तक्वा की दैतत से नवाज़े और तुम्हारे लिए नेकियाँ आसान करे, जहाँ कहीं रहो।

- घर से पहला कदम निकलते हुए यह दुआ पढ़ें।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

“बिस्मिल्लाहि तवक्कल-तु अ-लल्लाहि ला हैला वला कुव्वता इल्ला विल्लाह।”

तर्जुमा: शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर इमान और उसी पर भरोसा है, और यह यकीनी बात है कि अल्लाह तआला के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, मैं अल्लाह ही के सहारे सफर शुरू करता हूँ सवारी आ जाए तो सवारी पर सुन्नत तरीके से सवार हों। सवारी पर सवार होने का सुन्नत तरीका :

- हज़रत अली बिन रबीया (रजी.) से रियायत है कि अली (रजी.) बिन अबी तालिब के लिए जब सवारी लाइ गई तो इस वक्त मैं मौजूद था। इन्होंने जब इस की रेकाब पर पैर रखा तो बिस्मिल्लाह कहा। फिर जब पीठ पर बैठ गए तो कहा अलहम-दु-लिल्लाह फिर फरमाया-

**سُكْنَى الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَانَ لَهُ مُفْرِنٌ<sup>۱۰</sup>  
وَإِلَى رَبِّكَ الْمُنْقَلِبُونَ<sup>۱۱</sup> (سورة غافر، آيات: ۱۲-۱۳)**

“सुद्धानल्लजी सख्ब-र-ल-ना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकिरनीना व इन्ना इला रब्बाना ल-मुन-कलिवून।”

तर्जुमा : उस अल्लाह की तारीफ है जिसने इस को हमारे लिए मुस़ख़वर कर दिया। हम इस की ताक़त नहीं रखते थे और हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। (सूरह जुख़ल, आयत: ۹۲-۹۴)

फिर तीन मरतबा अलहम-दु-लिल्लाह कहा, फिर तीन बार अल्लाहु अकबर कहा। फिर ये दुआ पढ़ें:

**سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَا غُفْرُنِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ نُوبَ إِلَّا أَنْكَ.**

“सुद्धा-नका इन्नी ज़-लम-तु नफ-सी फ़ग-फिर-ली, फ-इन्हू, ला यग-फिर-जुनूबा इल्ला अन्ता।”

तर्जुमा : पाक है तू बेशक मैं ने अपनी जान पर जुल्म किया। बस मुझको बख्ता दे और तेरे सिवाय कोई बख्तने वाला नहीं।

यह कह कर हंस दिये, लोगों ने कहा ऐ अमीरखल मोमिनीन आप हंसते बग्यों हैं। इन्होंने फरमाया कि मैं ने हुजुर (स.) को इसी तरह करते देखा था जिस तरह मैंने किया और जब आप हंसे तो मैंने भी अर्ज़ किया था या रसूल अल्लाह (स.) किस बात ने आप को हंसाया। आप (स.) ने फरमाया था तुम्हारा रब पाक है। इस के बदे जब कहते हैं, कि ऐ रब! मुझे बख्ता दे, तो फिर वह खुश होता है कि मेरा बदा जानता है कि मेरे सिवाय कोई बख्तने वाला नहीं। (अब दाज़द-तिर्मिज़ी)

इस दुआ को याद कर लीजिए और हज के दौरान और उसके बाद भी जब भी सवारी पर सवार होना हो, इसे जरूर पढ़े।

### हवाई सफर का आगाज़

- जिन जहाजों से हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को ले जाया जाता है उसमें सिर्फ हाजी ही सफर करते हैं। उन में सफर करने की आप मुसाफिरों को इजाज़त नहीं होती, उन जहाजों से सफर करनेवाले हाजियों के टिकटों पर सीट नंबर भी नहीं होते हैं। इसलीए जो हाजी पहले पहुँच जाते हैं, उन्हें अपने सारे युप के साथ बैठने के लिए अच्छी सीट मिल जाती है और जो देर से जहाज में दाखिल होते हैं, तो उन्हें जो बची हुई खाली सीट होती है उसी पर बैठना पड़ता है। ऐसे में अक्सर युप बिखर जाता है और हो सकता है कि आप को मजबूरन गैर मैहरम के बगल में जगह मिलते।

- हज के अव्याम में आप दिनों से ज्यादा वक्त एअरपोर्ट पर सामान की चेकिंग और दुसरे कामों में लगता है इसलीए ३ से ४ घंटे पहले एअरपोर्ट पर पहुँच जाए और जल्द जहाज में सवार होने की कोशिश किजिए।

- एयरपोर्ट पर दाखिल होते ही पहले आप को ज़रे मुबादला मिलेगा। उसे आप हिफ़ाज़त से अपने हैंड बैग के अंदर वाली जेब में रख लें। ताकि अगर बार बार बैग खोलना हुआ तो पैसा गिरने या खो जाने का डर न हो।

एयरपोर्ट पर ही आपके पासपोर्ट के पीछे एक स्टिकर चिपकाया जाएगा। जिसमें आपके मुअल्लिम का नाम मक्का में आपकी बिल्डिंग का नंबर और रुम नंबर होगा। इस तफसिल को आप परमनंट मार्कर पेन से अपने सारे सामानों पर लिख लें। जहाज में अब अक्सर सामान पिछे छूट जाते हैं। फिर मक्का में हैप्पों बाद मिलते हैं। इस नंबर और तफसिल से फौरन आपका सामान आप तक पहुँच जाएगा। अपने सामान पर अपने घर का पता और जिस एयरपोर्ट से आप रवाना होंगे उसका नाम भी जरूर लिखें।

- ज़रे मुबादला मिलने के बाद आप के लगेज का सेक्युरिटी चेक होगा। फिर आप का सामान वजन होगा, उसके बाद आप का सामान जहाज पर लोड होने चला जाएगा और आप को जहाज पर सवार होने से पहले वैटिंग हॉल (Waiting Hall) में जाकर इंतेज़ार करने के लिए कहा जाएगा। इस हॉल में आप पेशाब पाख़ना से फरिग होकर बुजु करते हैं। हज कमेटी की तरफ से नमाज़ पढ़ने का भी इंतेज़ाम किया जाता है। वक्त हो तो नमाज़ भी पढ़ जाए।

- जहाज का सफर साढ़े चार से पांच घंटे का होता है। जहाज में टॉयलेट (Toilet) तो है मगर नापाक होने का खतरा रहता है और बुजु का इंतेज़ाम भी नहीं, इस लिए पहले से ही तैयार रहें। (और पानी वैरा कम पीएं) जब जहाज में सवार होने का एलान किया जाए तो सवारी की दुआ पढ़ते हुए जहाज में दाखिल हों और जब जहाज रवाना हो तो ये दुआ पढ़ें :

**سُبْحَانَ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمَرْسَكَ أَطْ إِنْ رَبِّ الْغَافِرِ رَّحِيمٌ<sup>۱۲</sup> (سورة هود، آيات: ۷۱-۷۲)**

“बिस्मि�ल्लाहि मज्रीहा व मुसाहिना। इन्ना रब्बी ल-गफू-र-रहीमा।”

तर्जुमा : जहाजों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है, बेशक मेरा रब बख्तने वाला और रहम करने वाला है। (सूरह हूद, आयत: ۷۱)

# हवाई सफर और मक्का मुकर्रमा में आमद

हवाई सफर साढ़े चार घंटे का है सफर के दौरान कोलिंग, खाना और खुशबूदार कागज़ के रूमाल मिलते हैं। अगर आप ने सफर शुरू करने से पहले उम्रह की नीयत कर ली है, तो खुशबूदार मशरुवात (Cold Drink), खुशबूदार रूमाल और खुशबूदार खाने से पहले जरूर करें क्यों कि एहराम की हालत में खुशबूदार लगाना और खाना दोनों की मुमनिअत है। अगर उम्रह की नीयत न की हो तो शौक से खाएं।

तीन घंटे सफर के बाद नीयत करने की तैयारी कीजिए। मीकात आने के पहले ही जहाज़ का अमला आप को खबर कर देगा। मीकात आने पर उम्रह की नीयत इस तरह करें :

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْبَدْتُ الْعُمْرَةَ كَيْسِرُهَا لِي وَتَقْبَلْهَا مِنِّي**

“अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्र-त-फ-यस्सर-हाली व तकब्ल-हा मिन्नी।”  
तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं उम्रह की नीयत करता हूँ/करती हूँ। इसे तू मेरे लिए आसान कर और कबूल फर्मा।

नीयत के बाद मर्द बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन थीमी आवाज़ में तीन बार तत्त्विया पढ़ें।

**لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ**

हाजिर हूँ मेरे मौला आपके हुजुर हाजिर हूँ।

**لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ**

“लब्बैक ला शरी-क-ल-क-लब्बैक।”  
मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं मैं हाजिर हूँ।

**إِنَّ الْحَمْدَ وَالْعَمَّةَ لَكَ وَالْمُلْكَ**

“इन्नल हम-दा वन्निअ-मता लका वल मुल्का।”

सारी हम्द व सत्ताईश के आप ही सजावार हैं। और सारी नेभ्रमतें आप ही की हैं और सारी कायानात में हुकूमत भी आप ही की है।

**لَا شَرِيكَ لَكَ**

आप का कोई शरीक व सहीम नहीं।

नीयत करने और तत्त्विया पढ़ते ही आप पर एहराम की सारी पावंदियाँ आइद हो गईं। इस के बाद आप के लिए सब से अफ़्ज़ल तस्वीह ज़िक्र तत्त्विया ही है।

जो हवाई जहाज़ हाजियों को ले जाते हैं वह इस बात का ख्याल रखते हैं के मुसाफिरों को मिकात की खबर दें। मगर जो आम फ्लाइट हैं उस में इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि मिकात की खबर करें। इस लिए अगर आप टूर से और आम फ्लाइट से जा रहे हों तो एहतियात के तौर पर सफर के दो घंटे बाद ही नीयत कर के तत्त्विया पढ़ लें।

जिद्दा पहुँच कर जहाज़ से उतरने के बाद एक बस के ज़रिये आप को एयरपोर्ट की इमारत में ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होने के बाद आप को तीन मरहलों से गुज़रना है।

- पहले मरहले में आप को एक जंगले से धिरे हुए हॉल में रुकाया जाएगा और आप के पासपोर्ट पर दाख़ले की मुहर लगेगी।
- दुसरे मरहले में आप को बग़ल के दुनरे हॉल में जाकर अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा करना है और उस की सेक्यूरिटी जॉच करानी है। जॉच के बाद आप का सामान फिर ले लिया जाएगा और उसे बस अड्डे पर पहुँचा दिया जाएगा।

- तीसरे मरहले में आप को करीब दो सौ मीटर दूर हिन्दुस्तान के बस अड्डे की तरफ जाना है। जिद्दा का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और खोजाने का खतरा रहता है। इस लिए अपने साथियों के साथ रहें और बोर्ड देखते हुए और रास्ते में खड़े गाईड से पूछते हुए हिन्दुस्तान के बस अड्डे पर पहुँचें। इस काउंटर पर ज़खरियात से फ़ारिग़ होने, वुजु करने और नमाज़ पढ़ने की सहूलतें मुहय्या हैं। इस लिए ज़खरियात से फ़ारिग़ होकर वुजु बना कर नमाज़ पढ़ लें। जो सामान आप से जॉच के बाद ले लिया गया था, कुली उसे यहाँ पहुँचा देते हैं। अब आप अपना सामान पहचान कर एक जगह जमा कर लें और अपना पासपोर्ट काउंटर पर दिखायें।

(नोट: जो कुली आप का सामान बस डिपो तक पहुँचाने में आप की मदद करते हैं, उन का बिल्ला नम्बर ज़खर नोट कर लें।)

यहाँ आप को युप बना कर मुअल्लिम के हवाले किया जाएगा। मुअल्लिम एक बस में जितने लोग सवार हो सकते हैं उन्हें लोगों को जमा करेंगे। उन का सामान एक ट्रॉली पर लाद कर बस तक ले जाएंगे और बस में सवार कर देंगे। आप इस बात का ख्याल रखें कि आप इसी बस में सवार हों जिस में आप का सामान लादा जाए। बस में सवार होते वक्त मुअल्लिम आप से आप का पासपोर्ट ले लेंगे और मक्का शरीफ में आप के रिहाईशगाह पहुँच कर आप को आप का रिहाईशगाह कार्ड, अपना शिनाऱखी कार्ड और प्लास्टिक पट्टा हाथ में पहनने के लिए देंगे।

एयरपोर्ट और बस में हर जगह तत्त्विया का ज़िक्र जारी रखें। जब बस मक्का शरीफ की हड में दाखिल हो, तो यह दुआ पढ़ें:

“या अल्लाह यह आप का और आप के रसूल (स.) का हरम है। इसमें जानवरों की भी अमन है। ऐसे मोहतरम मुकर्रम की बरकत से आप मेरे गोश्त, खून और हड्डियों को आग पर हराम कर दे और मुझे अपने बलियों और अताअत गुज़ारों में शामिल फरमा।”

**जब मक्का शहर पर पहली नज़र पड़े तो यह दुआ पढ़ें:**

या अल्लाह मेरे लिए मक्का शहर में ठिकाना फ़रमा दे और हलाल रोज़ी दे,

या अल्लाह हम को मक्का मुकर्रमा में बरकत इनायत फ़रमा।

या अल्लाह इस शहर के मेवे हमें नसीब फ़रमा।

या अल्लाह अहले मक्का को हमारी नज़रों में मेहबूब बना दे।


या अल्लाह हमें भी अहले मक्का की नज़रों में मेहबूब बना दे।

बस आप को आप की रिहाईशगाह तक पहुँचा देगी। कुली आप का सामान बस से उतार कर आप के कमरे तक पहुँचा देंगे। सामान कमरा में रखकर कुछ खा पी लें। ज़खर छोड़ दें तो कुछ देर आराम कर लें। जो रियाल आप को एयरपोर्ट पर मिले थे, उन्हें सूटकेस में फ़िक़ज़त से रख दें। अपने साथ हरम में हरणिज़ न ले जाए। फिर उम्रह की तैयारी करें। मक्का मुकर्रमा पहुँच कर आप जितनी जल्दी उम्रह करेंगे उतना अफ़्ज़ल है।

हज व रमजान के दिनों में हरम शरीफ में नमाज़ व नमाज़ के बाद तवाफ़ करने वालों का जबरदस्त हुजूम होता है जिस वजह से उम्रह के अरकान अदा करने में काफ़ी परेशानी होती है। सुबह इश्राक के बाद दोपहर २ बजे से ४ बजे के बीच और रात में ईशा और खाने के बाद हरम शरीफ कुछ खाली होता है। लेहाज़ा इन दो वक्तों में अगर आप उम्रह करें, तो कदरे आसानी होगी।

## मस्जिदे हरम की तप्सील

- खाना ए काबा के अंदर फर्श मताफ से 7 फिट ऊँचा है। खाना ए काबा की कुल ऊँचाई 46 फिट, लम्बाई 42 फिट, और ऊँचाई 38 फिट है। हीम का आश्री सिरा खाना ए काबा से 21 फिट दूर है।
  - मकाने इब्राहीम एक पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान हैं। यह 8 इंच ऊँचा, 14 इंच चौड़ा, और 15 इंच लम्बा है, और खाना ए काबा से 46 फिट दूरी पर है। इस का रंग पीला व लाल के दरमियान सफेदी लिए हुए है।
  - हजरे अखद खाना ए काबा के शरीकी कोणे पर जमीन से तकरीबन सभा वाचाघट की ऊँचाई पर नस्व है। यह किसी हावसे में टूट गया था। अब इस के 8 टुकड़े एक  $7 \times 10$  इंच के काले पत्थर पर जोड़ कर चांदी के फ्रेम में लगा दिया है। हजरत इब्राहीम (अतैः) के जमाने में सफेद था, अब लोगों के गुवाहों से काला हो गया है।
  - जम जम का कुर्वा अंग तहखाना में है। इस की पारी की सतह जमीन से 12 फिट नीचे है। पारी के सूरे 40 फिट पर फूटे हैं और कुर्वे की कुल गहराई 100 फिट है। कुर्वे का दाना (मुख) 6 फिट है। जम जम का कुर्वा काबा शरीफ से 60 फिट की दूरी पर है।
  - मसिजिदे हरम की तर्की तामीर, मुताफ और उरुकी तामीर का रखवा 290000 मुख्या फिट है।
  - सऊदी दौर की मरिजिदे हरम की बड़ी इमारत। तहखाना के साथ कुल रखवा 1310000 मुख्य फिट और जमीन से छत की ऊँचाई 30 फिट है।
  - मरिजिदे हरम का पहला मंजिला ओर छत की ऊँचाई 30 फिट और रखवा 420000 मुख्य फिट है।
  - मरिजिदे हरम की छत।
  - मरिजिदे हरम का तहखाना। इस के छत की ऊँचाई 12 फिट है।
  - मरिजिदे हरम के कुल जमीनों की कुल तादाद 9 है और ऊँचाई 293 फिट है।
  - मरिजिदे हरम का बाहरी सेहन का कुल रखवा 880000 मुख्य फिट है।
  - काबा शरीफ से सफ़ा 430 फिट दूर है। यह मरिजिदे हरम के अंदर मगर बाहरी किनारे पर है।
  - लोगों की भीड़ के बत्त मरिजिदे हरम और सेहन में 10 लाख से ज्यादा नमाजी पढ़ सकते हैं।



खाना-ए-काबा और मुताफ़ की तपसील

# उम्रह कैसे करें ?

## मस्जिदे हराम में दाखिला :-

काबा शरीफ के चारों तरफ जो अजीमुश्शान इमारत बनी हुई है, इस को मस्जिदे हराम कहते हैं। इसमें सौ से ज्यादा दरवाज़े हैं। हुजुर (स.) का घर मरवा से शुमाल मशिरक की सिस्त था और हुजुर (स.) बाबुस्सलाम जो कि सफा और मरवा के बीच है अक्सर इसी दरवाजे से मस्जिदे हराम में दाखिल हुआ करते थे। इस लिए अगर मुस्किन हो तो बाबुस्सलाम से दाखिल होने वरना किसी भी दरवाजे से दाखिल हो सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाहीना कदम मस्जिद में रखें और पढ़ें।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْأَمْرُ الْفَخْلُ لِي، أَبُو بَرَ رَحْمَتُكَ.**

“बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि। अल्लाहुम्फ तह-ली, अब्बा-ब-रह-म-तिका”

तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ और रसूलअल्लाह (स.) पर दर्शद व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे! रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए।

## पहली नज़र और द्वितीया :-

काबा शरीफ पर पहली बार जब आप की नज़र पड़ेगी, तो पलक झपकने से पहले आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तआला उसे कबूल फरमाएंगे। इस लिए ये लम्हा बहुत अहम है इस लम्हा से ज्यादा फैज़्याब होने के लिए पहले से ही तैयारी कर लें। मस्जिदे हराम में दाखिल होते वक्त नीची नज़रें रखें। फिर करीब दो सौ कदम आगे बढ़ते जाएं। इस दौरान आप को दो बार सीढ़ियाँ उत्तरी होगी। जब आप सेहन में पहुँचें तो रास्ते से एक तरफ हट कर खड़े हो जाएं और नज़रें उठा कर अल्लाह के उस घर को देखें जिसकी तरफ रुख करके आप सारी उप्र सजदे करते रहे। खाना काबा पर नज़र जमा दें, बैरेर पलक झपके ये दुआ पढ़ें। “या अल्लाह इस के बाद, मैं जो भी खैर की दुआ मांगूँ कबूल फरमा।”

इस के बाद तीन मतर्बा ये दुआ पढ़ें।

**اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَلَّهِ الْحَمْدُ.**

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मध्यबूद सिवाय अल्लाह के।

दुआ के बजाए आप तकबीर शरीफ भी पढ़ सकते हैं।

**اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَلَّهِ الْحَمْدُ.**

“अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर, व लिल्लाहिल हम्दा”

तर्जुमा : अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है, नहीं कोई मध्यबूद सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है और तमाम तभ्रीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।

इस के बाद दर्शद शरीफ पढ़िये फिर दिल भर कर दुआएं मांगिये। ये गनी का दरबार है। मांगने वाला मांगते मांगते थक जाएगा। मगर देने वाला देते देते न थकेगा। अपने लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने शिष्टेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, उम्मते मुस्लिमा के लिए, अपने मुल्क के लिए और हर एक के लिए सुकून से रो रो कर दुआ मांगें।

## तवाफ़े उम्रह:-

उम्रह के दो फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ आप एहराम पहन कर पूरा कर चुके, अब दुसरा फ़र्ज़ (तवाफ़) अदा करना है। तवाफ़ हज़े अस्वद से शुरू होगा।

हज़े अस्वद पर ही ख़त्म होगा। हज़े अस्वद काबा शरीफ के मशिरकी कोने पर लगा हुआ जन्नत का एक पथर है। जिस के चारों तरफ चाँदी का फ्रेम बना हुआ है। तवाफ़ हज़े अस्वद को छु कर और बोसा देकर शुरू करना होता है। मगर हज़े अस्वद लोगों के हुजूम की वजह से यह नामुम्किन है। इस लिए हम मुम्किन और आसान तरीके से उम्रह करने का तरीका बयान करेंगे।

तवाफ़ हज़े अस्वद को नज़्दीक से या दूर से बोसा ले कर शुरू किया जाता है। मगर हज़े अस्वद की सीध का अंदाज़ करने के लिए मशिरक की तरफ मताफ़ में दीवार पर और अतराफ़ की मस्जिदे हराम में छत (Terrace) पर ख़म्बों पर हरे रंग की ट्युब लाइट लगा दी गई है। इन्हीं निशान से आप हज़े अस्वद की सीध का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप का तवाफ़ इसी निशान से शुरू होगा और इन्हीं पर ख़त्म होगा।

पहली नज़र की दुआ के बाद आप हज़े अस्वद की सीध में आ जाएं। वहाँ पहुँचने के लिए आप लोगों के मुखालिफ़ सिस्त चलने के बजाए तवाफ़ करने वालों में शामिल हो जाएं और इन के साथ चलते चलते हज़े अस्वद और हरी ट्युब लाइट के दरम्यान में पहुँचें।



इज़तबा की हालत में खुला हुवा सीधे हाथ का कथा


**रमल :** एक तवाफ़ पूरा करने के लिए खाना ए काबा के गिर्द सात चक्कर लगाने होते हैं और दो रक़अूत नमाज़ वाजिबुत्तवाफ़ पढ़ना होता है। उम्रह के तवाफ़ और हज़ के तवाफ़े जियारत में पहले तीन चक्करों में मर्दों को पहलवानों की तरह शान से अकड़ कर, छोटे छोटे कदम रख कर तेज़ी से चलना होता है। इसे रमल करते हैं। और रमल करते वक्त सीधा हाथ का कंधा खुला रखते हैं, इसे इज़तबा कहते हैं। इज़तबा के लिए एहराम का एक सिरा दाहिने हाथ के बगल से निकल कर बाएं हाथ के कंधे पर डाल लेते हैं। रमल इस तवाफ़ में होता है जिसके बाद सई करनी होती है और नफ़ली तवाफ़ में न रमल नहीं है। मगर जब भी आप एहराम पहन कर तवाफ़ करे इज़तबा करना सुन्नत है। हाँ नमाज़ पढ़ते वक्त दोनों कांधे ढांक लें।

## तवाफ़ का पहला चक्कर :-

• लोगों के हुजूम के साथ जब आप तवाफ़ करते करते हज़े अस्वद तक पहुँचें तो हज़े अस्वद और हरी ट्युब लाइट की सीध और दरम्यान से आधा फिट पहले रुख कर देते हैं और हज़े अस्वद की तरफ रुख कर के तवाफ़ की नीयत इस तरह करें।

**اللَّهُ أَكْبَرُ طَوَافُ بَيْتِكَ الْحَمْرَاءِ سَبَّةُ أَنْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى، فَيْسِرْهُ لِي، وَتَقْبَلْهُ مِنِّي.**  
“अल्लाहुम्फ इन्हीं उरीदू तवाफ़ा बैति-कल हराम, सब-अता अश्वतिन लिल्लाहिल तआला, फ-यस्सर ली, व तकब्बल-हु मिन्नी।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह! मैं आप के इस हुर्मत वाले घर का तवाफ़ आप की रज़ा और खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ। आप इस को मेरे लिए आसान करें और कबुल फरमाएं।




- नीयत करने के बाद आप दाहिनी तरफ इतना हटें के हजे अस्वद और हरी दूधव लाइट के बिल्कुल दरम्यान सीध में आ जाएं। इस के बाद मुंदज़ैल तकबीर पढ़ते हुए कानों तक इस तरह हाथ उठाएं जिस तरह नमाज में उठाते हैं।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

“बीस्मिल्लाहि, अल्लाहु अकबर, व लिल्लाहिल हम्दा”

तर्जुमा : शुरू करता हुँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है।



- हज की तमाम किताबों में हर तवाफ के लिए लंबी लंबी दुआएं लिखी हुई हैं। यह सब बुर्गानी दीन का तरीका है, नबी करीम (स.) से साबित नहीं है। हुजूर(स.) से सिर्फ निचे दी गई दुआएं साबित हैं।

### 9. रुकने यमानी पहुँचकर :

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَخُوذُكَ مِنَ الْكُفَّارِ أَفَقَدَهُمْ فِي الْأَنْتِيَادِ الْأُخْرَاءِ**

“अल्लाहुम्मा इन्नी अ-ऊजु-विका मिनल कुपरी वल फा-क-ती व मवा-कफिल खिज़्याही फिद-दुन्या वल आखिराहा।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह मैं पनाह चाहता कुफ्र से और फाके से और दीन व आखिरत की रुसवाई से।

### 2. रुकने यमानी और हजे अस्वद के दरम्यान:

**رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسِنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسِنَةٌ وَقَاتَلَ الْأَدْلِ (سورة البقرة)**

“रब्बिना आतिना फिद दुन्या ह-स-नतंव व फिल आखिरती ह-स-नतंव व किना अजाबन्नारा।”

तर्जुमा : ऐ हमारे रब! हमे दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी और हमको दोज़ख के अजाब से बचा लो। (सूरह बकराह)

### 3. तवाफ के द्वारान

**اللَّهُمَّ اسْتَلِكْ الرَّاصِعَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاعْفُ عَنِ الْحِسَابِ**

“अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलु-कर्रा-हता इन्दल मौति वल अफ-वा इन्दल हिसाब।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ मौत के वक्त राहत और हिसाब के वक्त आफियत का।

- तवाफ करते वक्त किसी आयत या दुआ का पढ़ना फर्ज या वाजिब नहीं है। आप अपनी आसानी के लिए जो भी याद हो पढ़ सकते हैं। मगर जो भी दुआ पढ़े समझकर और बगैर किताब देखे पढ़ें। दुआ ही असर रखती है जो समझकर दिल से की जाए।

- तवाफ करते वक्त देखकर दुआ पढ़ने से दुसरों को तकलीफ होती है इसलिए सफरे हज से घृणे दुआए याद करले फिर द्वाराने तवाफ पढ़े।


- हमेशा नबी करीम(स.) से साबित दुआओं को तर्जिह दें। क्योंकि सुन्नत पर अमल हमेशा सबसे ज्यादा नफा देता है।

- अगर आपके लिए किताबों में लिखी गई दुआएं याद करना और पढ़ना मुश्किल है, तो हर चक्कर के शुरू से यानि हजे अस्वद से रुकने यमानी तक जो कुरुआन शरीफ की आयतें याद हों तो उसे पढ़े या तीसरा कलमा पढ़े:


**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ**

**وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْمُظْمِنِ**

“सुब्हानल्लाहि वल हस्तु लिल्लाहि, व ला इलाहा इल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हैला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला हिल अलिय्यल अजीम।”



- खाने काबा की तरफ सीना करके तवाफ करना मकरूह है और पीठ करके तवाफ करना मकरूह तहरीमी है। इन दोनों हालतों में आप जितनी दूरी तय करेंगे वह तवाफ में शुमार नहीं होगा इतनी दूरी आपको फिर से तय करना है इसलिए हजे अस्वद के इस्तेलाम के बाद फौजीयों की तरह बिल्कुल जगह पर घुमकर अपना रुख तवाफ करने के सिम्म में कर लिजिए और तवाफ शुरू कीजिए। (सीना और चेहरा खाना-ए-काबा की तरफ करके एक कदम भी मत चलिए।)



- तकबीर पढ़ने के बाद हाथ छोड़ दें। हजे अस्वद की तरफ दाथ फैला कर उसे ढूम लें और तवाफ़ शुरू करें।

**तर्जुमा :** अल्लाह तआला पाक हैं। सब तारीफे अल्लाह ही के लिए हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह तआला सब से बड़े हैं और गुनाहों से बचने की ताकत और इबादत की तरफ राशिब होने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है।

और रुक्नुये यामीनी से हजरे अस्वद तक अपनी मादरी ज़बान में दुआए माँगे। तवाफ करते हुए काबा शरीफ की तरफ मुँह करना मकरूह है और पीठ करना मकरूह तहरीमी है जो कि हराम के दर्जा में आता है। इस लिए तवाफ करते हुए सीधे चलें और निगाहें चलने की जगह पर रखें।

## **तवाफ़ का द्वितीय चक्कर :**

रुक्ने यमानी से दुआ पढ़ते हुए जब आप हजेर अस्वद और हरी ट्यूब लाइट की सीध में पहुँचे तो हजेर अस्वद की तरफ अपना रुख और सीना करके इसी तरह इस्तेलाम कीजिए जैसे; पहले चक्कर के बक्त किया था यानि हथरेलियों को हजेर अस्वद की तरफ दिखाकर तकबीर कहते हुए चम लें।


तक्षीरः

بِسْمِ اللَّهِ، الْكَبَرِ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

“बिस्मिल्लाहि अल्लाह अकबर व लिल्लाहिल हम्द।”

इसके बाद अपनी जगह पर ही बैगर एक भी कदम आगे बढ़ाए अपना रुख तवाफ़ की सिस्त करें और तवाफ़ शरू करें।

पहले ज़माने में तवाफ करने वाले लोग बहुत कम थे इसलिए हर कोई हज़ेर अस्वद को चूम सकता था। तवाफ के दरम्यान सिर्फ हज़ेर अस्वद को चूमते वक्त सीना काबे की तरफ करने की इजाजत है, दौराने तवाफ नहीं। मगर अब ५० से १०० फिट दूर से हज़ेर अस्वद का इस्तिलाम करना होता है और शरीदं भीड़ में अंदाज़ा गलत हुआ तो हज़ेर अस्वद की सीधी से कुछ आगे बढ़ने का भी अदेश होता है। इसलिए एहतीयत के लिए कुछ उल्लम्ब कहते हैं कि अगर आप बगैर सीना प्रुमाए सिर्फ अपना चेहरा हज़ेर अस्वद की तरफ करके इस्तिलाम करें तो यह गलतियों से बचने का बेहतरीन तरीका होगा।



इस्तिलाम के बाद पहले की तरह रुकुन यमानी तक तीसरा कल्मा पढ़ीये और रुकुन यमानी से हजरे अख्वद के दरम्यान दुआ। इसी तरह सातों चक्कर परे कीजीए।

हाथ में सात दानों वाली तस्वीर रखिये और हर चक्कर पर एक दाना कम करते रहिये और चक्करों का शुमार करते रहिये। सातवाँ चक्कर पूरा होने पर हज़ेर अस्वद का तकबीर पढ़ते हुए इस्तेलाम किज़ीये। (यह आप का आठवाँ इस्तेलाम था) और दाहीना कांथ जो अब तक खुला था ढाँप लें और मुकाम इमाहीम के पीछे आजाएँ। इस तरफ खाना ए काबा का दरवाज़ा भी है। फिर तवाफ करने वालों के लिए जगह छोड़ कर दो रक़अूत नमाज़ वाजियुत्तावफ की नीतय से पढ़ें। इतना अमल करने से आप का तवाफ पूरा हआ और उम्रह का दुसरा फर्ज भी।

## ज़मज़म का पानी पीना :

दो रक्खत वाजिबुत्तवाफ़ नमाज़ पढ़कर आप खूब सैर होकर पानी पीयें।  
पानी खड़े होकर किल्का रुख़ होकर बिस्मिल्लाह पढ़ कर पियें और पानी  
पीने के बाद ये दुआ पढ़ें।

اللهم إني أسألكَ علماً نافعاً، ورزاقي أسايضاً وشفاءً من كلّ داء.

“अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका इल्मन नाफिआ, व  
रिज़कंव वासिअन व शिफा अम मिन कूल्लि दा इन।”

तर्जुमा : “ऐ अल्लाह! मुझे नफा वाला इल्म दे, रिज़क़ में वृस्तत  
और फ़राख़ी दे और हर बिमारी से शिफा अता फ़र्मा”



हज़रत जाविर (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया। “आबे जम ज़म इस के लिए है जिस के लिए उस को पिया जाए।” (इन्हे माजा) यानि पीने वाला जिस नीयत से भी पीता है अल्लाह तभ़ाला उसकी वह नीयत पूरी फराते हैं।

ज़म ज़म का पानी पीने के बाद फिर हज़ेर अस्वद और हरी ट्रूब लाइट के दरम्यान और सीध में आ जाएं और एक बार फिर हज़ेर अस्वद का तकबीर कहते हुए इस्तेलाम कीजिये। यह आप का नवाँ इस्तिलाम था। इस्तेलाम के बाद आप हरी ट्रूब लाइट की तरफ और खाना ए काबा से दूर चलते चलते जाएं, इस तरह आप सफा पर पहुँच जाएंगे। तवाफ पुरा करने के बाद खाने काबा की तरफ पीठ करना जायज़ है उसमें कोई कराहियत नहीं है।

## सफ़ा और मरवा की सईः

सफा और मरवा पहले दो पहाड़ियाँ थीं। अब सिर्फ थोड़ी सी ऊँचाई है। हुक्मूमत ने सफा, मरवा और सई की सारी जगहों को हरम की इमारत में शामिल कर लिया है। पहले सफा और मरवा के बीच बाज़ार हुआ करता था और हाजी धूप और बाज़ार की भीड़ भाड़ में सई करते थे। अब सारी इमारत एयर कंडीशन है और फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है।

सफा पर पहुँच कर खाना काबा की तरफ रुख़ करके सई की नीयत इस तरह करें।

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السُّفْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ  
اَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، فَيُسْرًا لِي وَتَقْبِلَةً مِنْيَ

“अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुस सअ-या बैनस सफा वल मर्वता सब-अता अश्वतिल लि-वज-हि-कल करीम, फ-यस्सिर हु ली व तकब्बल हु मिन्नी।”

तर्जुमा : ऐ अल्लाह ! मैं सफा और मरवा के दरम्यान सात चक्करों से सई करना  
चाहता हूँ, महज तेरी जाते बुजुर्ग की रजा के लिए, बस मेरे लिए सई करना  
आसान फरमा और कबूल फरमा।

नीयत करते वक्त हाथ दुआ की तरह उठाएं। नमाज़ की तकबीर की तरह न उठाएं।

- सफा, मरवा और सई की जगहें वह मुकाम हैं जहाँ दुआ ज़खर कुबूल होती है इस लिए सई के दौरान और सई पूरी कर के जब भी आप सफा और मरवा पर रुकें तो खूब दुआएं मारों।
  - सफा और मरवा पर जब भी रुकें, तो तीन बार चौथा कल्पा और एक बार तीसरा कल्पा पढ़ें और सई के दौरान ज़्यादा चौथे कल्पे का विर्द्ध करें। यह आसान इवादत का तरीका है। वैसे सफा मरवा की सातों सई की अलग अलग दुआएं हैं, जिन्हें आप हज की किताब से देख कर याद कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
  - हजरत हाजरा (रज़ी.) सफा और मरवा के दरम्यान जो वादी थी वहाँ से दौड़ कर गुज़रती थीं क्योंकि हजरत इस्माइल (अलै.). जो कि खाना काबा शरीफ के पास थे नज़रों से ओझाल हो जाते थे। उनकी यह सन्तुत आज भी अदाएँ।

की जाती है। हुक्मत ने दो हरे रंग के सुतून और ट्युब लाईट निशान के तौर पर लगा दिये हैं इहें मिलीन अख्ज़रीन कहते हैं। इन के दरम्यान मर्दों को हल्के से दौड़ना होता है। औरतें अपनी रफ़तार से ही चलेंगी।

- सफा से चल कर मरवा तक पहुँचना यह एक का एक चक्कर हुआ। फिर मरवा से चल कर सफा तक पहुँचना यह दूसरी सई का दूसरा चक्कर हुआ। इस तरह आप सई के सात चक्कर पूरे करेंगे और सातवीं सई आप की मरवा पर खत्म होगी।

सई करने की जगह बहुत महदूद है इस लिए हज के खास दिनों में यहाँ लोगों का ज़बरदस्त हुज़म होता है और तवाफ़ से ज्यादा वक्त सई में लगता है। ऐसी हालत में अगर पहले मंज़िले या छत पर सई करें तो बहुत आसानी होगी।

- सई पूरी कर के दो रक्खत नमाज़ शुकाने की पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब या ज़रूरी नहीं है।

दो रक्खत नमाज़ पढ़ कर मरवा की तरफ के दरवाज़े से बाहर निकल जाएं। अब आप को उम्रह का आखिरी स्कून अदा करना है, वह है सिर के बाल कतरवाना या मुंडवाना। मरवा के बाहर दर्जनों हज़ारों की दुकानें हैं। किनी भी दुकान में जाकर सिर मुंडवा दीजिए। औरतें अपने चौथाई सिर का अपनी ऊँगली के एक पैर बाल काटें। वह लोग जो उम्रह के सारे अरकान पूरे कर चूके हैं और सिर्फ बाल काटना बाकी हैं, वह अपने खुद के भी बाल काट सकते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों के भी बाल काट सकते हैं। जिन का सिर्फ बाल काटने का सिर्फ आखिरी स्कून बाकी है, औरतों का सिर्फ अपने शौहर और महरम मर्द (जिन से किसी भी सूरत में निकाह नहीं हो सकता) से बाल कटवाना जाइज़ है। गैर महरम से बाल कटवाने पर गुनाह होगा।

मरवाह के नज़दीक हज़ाम की दुकान पर सिर मुंडवाने का हुज़म होता है। वक्त की फिल्म और लोगों की भीड़ की वजह से उनके पास बालों को देर तक नम करने का वक्त नहीं होता है और वह बड़ी तेजी से सिर मुंडते हैं। तेजी से काम करने की उनकी आदत सी हो गई है इसलिए सिर मुंडाते वक्त बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए जब आप अपने रिहाईयीश से हरम की तरफ जाए तो रास्ते ही में हज़ाम की दुकान देख लीजिए और उम्रह कर के रिहाईश पर आते वक्त अपनी रिहाईश के नज़दीक के हज़ाम से सिर मुंडवाइये।

सिर मुंडाते ही एहराम की सारी पांचियाँ आप पर से खत्म हो गईं और अल्हम्मुलिल्लाह आप का उम्रह पूरा हुआ। अब घर जाकर नहा थोकर अपने रोज़ मर्ह के कपड़े पहन लीजिए।

- जो लोग मक्का शरीफ के रहने वाले हैं उन के लिए हरम में नफ़िल नमाज़ पढ़ना बेहतर इबादत है। मगर जो मक्का शरीफ से दूर रहते हैं उन के लिए हरम में नफ़िल तवाफ़, नफ़िल नमाज़ से ज्यादा अफ़्ज़ल है व्यर्तोंकि नफ़िल नमाज़ वह अपने वतन जाकर भी पढ़ सकते हैं मगर तवाफ़ का मौका और कहीं नहीं मिलेगा। इस लिए जब तक मक्का मुकर्मा में हैं, ज्यादा से ज्यादा तवाफ़ करने की कोशिश करें और सारी नमाज़ हरम शरीफ में बाजमाअत अदा करें।
- हरम शरीफ की हुदूद ने १५ मुकामात दुआ की कबुलियत के हैं। इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआए मौंगें।

## मक्का शरीफ में १५ मुकामात ऐसे हैं जहाँ दुआए ज़रूर कुबूल होती हैं:

(१) मुताफ (जहाँ तवाफ किया जाता है), (२) मुल्तज़िम (खाना-ए-काबा की चौखट), (३) मीज़ाबे रहमत के नीचे (खाना-ए-काबा की छत का परनाला), (४) हतीम, (५) खाना-ए-काबा के अंदर, (६) ज़म ज़म के कुण्डे के करीब,

(७) मकामे इब्राहीम के पीछे, (८) हज़े अस्वद और रुक्ने यमानी के दरमियान, (९) हज़े अस्वद के करीब, (१०) सफा, (११) मरवा, (१२) सफा व मरवा के दरमियान सई की जगह खुसूसन दोनों सञ्ज सुतूनों के दरमियान, (१३) अरफात, (१४) मुज़दल्फा, (१५) मिना में छोटे और दरमियानी शैतान के नज़दीक।



## ४० हदीसे याद करने की फ़ज़ीलत

हज़रत अबु दर्दा (र्खी.) फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह (स.) से पुछा गया: इस्म की कौनसी मिकदार और हज़ हैं जिस तक पहुँचने से आदमी “फ़की” यानी आलीम हो जाता है? (और आखिरत में उत्ता के जमरान में शुमार होने की सआदत हासिल कर लेता है) तो रसूल(स.) ने इर्शाद फरमाया: “जो शब्स मेरी उम्मत के नफे के लिए दीनी उम्र से मुतअल्लिक चालीस (४०) हदीसे याद करेगा, अल्लाह तआला (आखिरत में) इसको फ़कीह बनाकर उठाएगा, और मैं उसके लिए कायमत के दिन शिफाअत करने वाला और उसकी नेकी व भलाई पर गवाही देने वाला हूँगा।” (बेहकी)

इस किताब में ४० से ज्यादा हदीसें हैं। हज के मातृमात के साथ अगर आप हदीसे भी गौर से पढ़ें और याद करतें तो इंशा अल्लाह कयामत में आपका शुमार आलीमों में होगा।


## आपिल

हमारी दुआ है के अल्लाह तआला आपको हज्जे मसस्तर अता फरमाए। अपने हज के सफर से वापिस आने के बाद बराए मेहरबानी इस किताब को आप उन हजरात को वापस लौटा दें जो हर साल हज्जाज अकराम के लिए हज की तरबियत का इंतेजाम करते हैं। हाजी लाखों की तादाद में हर साल हज के लिए जाते हैं। मगर हर साल हम सिर्फ ६ हजार किताबे ही छाप पाते हैं। इसलिए यह किताब बहोत से हज्जाज अकराम तक नहीं पहुँच पाती है। अगर हर साल हम इस्तेमाल की हुई किताब भी जमा करके फिरसे हज्जाज इकराम में बांटते रहे तो इन्शा अल्लाह कुछ साल बाद बहोत सारे हज्जाज इकराम तक यह किताब पहुँच सकेगी। अल्लाह तआला आपकी मदद और इस नेक काम का अजीम अज्ञ फरमाए और आपको हज्जे मसस्तर अता फरमाएं आमिन!!


कमस्त्रदूदीन एस. खान

## अन्यामे हज के खास ६ दिन

हज की किताबों में १२ जिल्हाजा के मिना के कथाम के अमल को इतना सरसी तौर से और इस तरह व्याप किया जाता है जैसे वह कोई नफिल अमल है या हज का एक ज़ुइद अमल है, जिसका करना और न करना हजी की मर्जी पर मुनहसर है। १०, ११, और १२ तारीख को गत मिना में गुज़रात वाजिब अमल है, जिसके न करने पर दम देना होगा और १३ तारीख के लिए रहिम व करीम ख ने छूट दी है कि आर लिंगी मज़बूती से कोई मिना से चला जाए तो गुनाह नहीं है। (गुरह बकरा) मपर वह मुअलिमे इस्मानियत (नवी करीम स.) जिसने छुट हज करके हमें हज करने का तरीका सीखाया है उह्हनें १२ तारीख के शॉर्ट कट का गस्ता नहीं सीखाया बल्कि आप (स.) द्वारा आप (स.) के साथ तकरीबन सवा जाब सहबे कराम में १३ तारीख का दिन भी मिना में ज़िक्र व अङ्गर में गुज़रा और रमी जुमर के बाद मिना से मक्का मुकर्मा के लिए कुब्र किया तो १३ तारीख का मिना में कथाम, यह नवी करीम (स.) और आप (स.) के साथ सवा जाब सहबा की मुन्त है और हमें भी इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।



## हरम शरीफ, मिना, मुज्दल्फ़ा और अरफ़ात का क़रीबी नक्शा



# हज कैसे करें?

## ८ ज़िल्हज्जा का दिन:-

- ८ ज़िल्हज्जा से १३ ज़िल्हज्जा हज के अव्याम हैं। इन्हीं दिनों में इस्लाम का अहम रूपन हज मुकम्मल होता है।
- नया अंग्रेजी दिन या तारीख, रात के बारह दर्जे से शुरू होता है। मगर इस्लामी दिन या तारीख सूरज डूबते ही शुरू हो जाता है। इसलिए ७ ज़िल्हज्जा गुज़रकर जो शाम होगी वह ८ ज़िल्हज्जा की रात होगी। यानि हज के अव्याम शुरू हो जाएंगे।
- ७ ज़िल्हज्जा के दिन ही अच्छी तरह साफ हो जाएं। नाखून तराश लें। मुछे छोटी करवा लें। नापाक बाल साफ करले। सुन्नत के मुताबिक एहराम की नीयत से गुस्सल कर ले, तो अफ़ज़ल है वरना वुजु भी कर सकते हैं। अगर पर्सीने में बदबू की शिकायत है, तो खुशबू लगा लें। मगर इतनी कम लगाएं कि एहराम की चादर पर इतर का दाग न लंगें। इसके बाद एहराम की चादर पहन लें। (एहराम पहनने के पहले खुशबू लगाना सुन्नत है और बाद में मना है।)
- अगर आप के पास वक्त है, तो एहराम पहनकर हरम शरीफ तशरीफ ले जाएं और अगर आप के लिए मुनक्किन हो तो तवाफे तहिया करें। (ये तवाफ फर्ज़ या वाजिब नहीं हैं। इस तवाफ में इस्तेवा और रमल भी नहीं हैं।) नफिल तवाफ करके सिर ढाक कर दो रक़अत वाजिबे तवाफ पढ़ें अगर भीड़ हो या कमज़ोरी कि वजह से नफिल तवाफ करने का इरादा न हो तो मकरू वक्त कि निगरानी करके अब्ल दो रकात तहियतुल मस्जिद की नीयत से पढ़ें, इसके बाद सिर खोलकर एहराम की (हज की) नीयत कर ले और तल्बिया पढ़ें।
- अगर आपके साथ कमज़ोर, ज़ईफ और औरते हैं और १० वीं ज़िल्हज्जा “योमुल्खर” के दिन तवाफे ज़ियारत में सफा-मरवा की सई करने में ज़्यादा भीड़ के ख्याल से पहले ही ८ ज़िल्हज्जा को सई कर लेना चाहते हैं, तो इस की भी इजाज़त है। ऐसी सूरत में मगरिब की नमाज़ से पहले यानी ७ तारीख के दिन ही एहराम वगैरा पहन लें, और हज की नीयत करलें। सूरज डूबने के बाद यानी ८ तारीख शुरू होते ही मगरिब की नमाज़ के बाद तवाफ और रमी कर लें। तवाफ के पहले इज्ञेवा करें और तवाफ के पहले तीन चक्करों में रमल करें। फिर तवाफ के सातों चक्कर के बाद २ रक़अत तवाफ ए वाजिब अदा करें। इसके बाद सफा-मरवा की सई करें। सई के बाद बाल न तराशें न सिर मुंदायें। फिर अपनी आसानी के मुताबिक मिना रवाना हो जाएं। इस तरह पहले ही तवाफ और सई करने की वजह से हज के आखरी रूपन तवाफ ज़ियारत में आपको तवाफ करना काफ़ी होगा, सई की ज़रूरत न होगी। (नोट: एहराम की चादर पहनने के पहले या बाद में और उम्रह और हज की नीयत करने के पहले या बाद में दो रक़अत नफिल नमाज़ पढ़ना या नफिल तवाफ करना वाजिब या फर्ज़ नहीं हैं।)
- सूरज निकलने के बाद मक्का मुकर्रमा से मिना के लिए रवाना होना सुन्नत है मगर लोगों की भीड़ कि वजह से मुअल्लिम हाजियों को रात ही से मिना ले जाना शुरू कर देते हैं। अगर वह आप को रात ही को ले जाना चाहें, तो आप को उनके साथ चले जाना चाहिए। इसमें आपके लिए आसानी है।
- अपने मुअल्लिम से आप बस की रवानगी का वक्त पता करले और वक्त

इजाज़त दे, तो एहराम पहन कर हरम शरीफ जाएं। अगर वक्त इजाज़त न दे तो अपने कमरे में ही एहराम पहन कर दो रक़अत नफिल नमाज़ पढ़ कर हज कि नीयत करें और तल्बिया पढ़ ले। तल्बिया पढ़ते ही आप पर एहराम की तमाम पाबंदियाँ लाजिम हो जाएंगी।

- नीयत इस तरह करें

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَرْبَدَتُكَ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنِّي**

“अल्लाहुम्मा इन्हीं उरीदुल हज्जा-फ-यस्सर-हू-ली व तकब्ल-हु मिन्नी।”

तर्जुमा: या अल्लाह में आप की रज़ा हासिल करने के लिए हज की नीयत कर रहा हूँ आप मेरे लिए आसान फरमाईए और कबुल फरमाईए।

नीयत करके तलबीया पढ़।

**بِيَكَ اللَّهُمَّ بِيَكَ**

“लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।”

**بِيَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَا شَرِيكَ**

“लब्बैक ला शरी-क-ल-क-लब्बैक।”

मैं हाजिर हूँ आपका कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ।

**إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَكَ وَالْمُلْكُ**

“इन्नल हम-दा वनिअ-मता लका वल मुल्का।”

सारी हमद व सताईश के आपही सजावार है और सारी नेअमतें आप ही की हैं और सारी कायनात में हुक्मत भी आप की ही है।

**لَا شَرِيكَ لَكَ**

“ला शरीका लक।”..... आपका कोई शरीक नहीं।

तल्बिया एक बार पढ़ना फर्ज़ है और तीन बार पढ़ना सुन्नत है। तल्बिया पढ़ते ही आप मोहरीम हो गये और एहराम की सारी पाबंदिया आप पर लाजिम हो गई।

- मक्का मुकर्रमा से मिना रवाना होने से पहले आप अपना मिना के लिए शिनाखी कार्ड, खेमे का पता और हो सके, तो मिना का नक्श भी मुअल्लिम से ले ले, और मुअल्लिम की बस से मिना के लिए रवाना हो जाए।
- हज की कोई किताब साथ रखे और एक बार “एहराम की हालत में ममनु काम” को सरसरी नज़र से पढ़ें। मिना के क्याम का मक्कसद यह है कि बदा दुनिया से कटकर यक्सु होकर अल्लाह की इबादत में दिन रात गुजारें। मगर लोग इस मिना के क्याम और यक्सु का इस्तेमाल दुसरी तरह से करते हैं। इनका सारा वक्त बहस मुवाहिसा, गपशप और तफरीह में गुज़रता है। इसलिए आप किताबे, तसबीह वगैरा साथ रखें ताकि अल्लाह की इबादत और इल्ल हासिल करने में आपके वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो।
- मिना, अरफात में खाने का इंतेजाम मुअल्लीम की तरफ से होगा। इसलिए मिना में आपको जो रूपया खर्च करना है वह सिर्फ कुर्बानी और दिगर कही टैक्सी से जाना हुआ तो टैक्सी का खर्च इसके अलावा और कोई दूसरा बड़ा खर्च नहीं है। इसलिए बस इतनी रकम साथ ले लिजीए की ज़रूरत पूरी हो जाए। सारी रकम साथ ले कर मिना और अरफात का सफर करना सही नहीं है। बकिया रकम को मुअल्लिम या मदरसे सौलतिया में जमा कर कर रसीद ले ले।

- अगर आप ने आठ ज़िल्हिज्जा के पहले खुद कुर्बानगाह जाकर कुर्बानी के बारे में मालूमात हासिल कर ली है, तो फिर १० ज़िल्हिज्जा को खुद जानवर खरीद कर कुर्बानी कर सकते हैं और अगर आपने हज के अव्याप से पहले मालूमात हासिल नहीं की है, तो फिर मदरसा सौलतिया से या बँक के ज़रिए ही कुर्बानी कीजिए। वरना आप परेशान हो जाएंगे इसलिए मिना रवाना होने से पहले किसी एक जगह पर कुर्बानी का पैसा जमा करा दे।
- अगर मदरसे सौलतिया में आप पैसा जमा करते हैं, तो उनसे वक्त भी मालूम करले कि किस वक्त वह आपके लिए कुर्बानी करेंगे। उसी वक्त के मुताबिक फिर आपको सिर मुंडवाना आसान होगा। हनफी मसलक के मुताबिक अरकान की तरतीब लाज़मी है। यानि पहले रसी जुमार फिर कुर्बानी फिर कसर। अगर अरकान आगे पिछे हो गए तो दम लाज़िम होगा।
- मक्का मुकर्रमा से मिना को रवानगी के वक्त खाना खाने की प्लेट, ग्लास, एहराम के अतिरिक्त चादरे, शाल, हवाई तकिया, मिसवाक, आपकी दवाएं और ज़खरी सामान साथ ले लो।
- मिना में खैमा में कालीन बिछा हुआ होगा। इसलिए बिस्तर की ज़खरत नहीं है। खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। टॉयलेट का अच्छा इतेज़ाम है इसलिए बाल्टी वगैरह की ज़खरत नहीं। इसलिए आप जितना कम सामान ले कर सफर करेंगे उतनी आसानी में रहेंगे।
- मिना रवाना होने से पहले मक्का मुकर्रमा में अपना सारा कीमती सामान अपने बैग में लॉक कर दे, और बहुत कम और ज़खरी सामान लेकर ही मिना को रवाना हो। अपना पहचान कार्ड और कलाई बंद और रेल की टिकट भी अपने साथ रखे।
- तल्खिया पढ़ते हुए मिना को रवाना हो। मिना में खैमे में पहुँचकर मर्दों को जमा करे और सलाह व मशिवरे से खैमा के दरम्यान का पर्दा गिराकर औरतों को एक तरफ कर दे और मर्द एक तरफ हो जाएं और हर एक आराम से सोने की जगह इन्साफ से आपस में बांट लें।  
(२०१३ से मुअल्लिम पहले से ही मर्दों और औरतों के ठहरने का इतेज़ाम अलग खैमे में करवाते हैं।)
- अगर खैमा दूर हो, तो मस्जिदे खैफ तक पाँचों नमाज़ों के लिए आना जाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए खैमे में दो इमाम और दो मुअज्जिन मुकर्रर कर ले। (दो इसलिए मुकर्रर करें कि अगर गैर हाजिर हो तो दुसरा नमाज़ पढ़ा सके।)
- मिना में आठ ज़िल्हिज्जा के दिन, ज़ोहर, अस्र, मध्यरिव, इशा और ६ ज़िल्हिज्जा कि फज्र पढ़ना सुन्नत है। आप मिना और मुज्दल्फा, मक्का मुकर्रमा शहर में दाखिल हैं। इसलिए हज के अव्याप को मिलाकर अगर किसी का कुल कायाम १५ दिनों से ज़्यादा होगा तो वह मुकामी होगा और उसे पूरी नमाज़े पढ़नी होगी इस तरह अब ज़्यादातर लोग मुकामी ही होते हैं। इसलिए ईमान को मुकामी हज़रात में से मुन्तखिब कर ले ताकि मुकामी हज़रात को नमाज़ पढ़ने में आसानी हो।
- अल्लाह तआला का हुक्म है: “और (कायामे मिना के) दिनों में (जो) गिनती के (चंद दिन ही है) अल्लाह को याद करो।” (सुरे: बकरा)  
इसलिए मिना के कायाम में पूरी कोशिश करें, कि आपका सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुज़रे। हज की नीयत करने से लेकर बड़े शैतान को कंकरी मारने तक हाजी के लिए सबसे अफ़ज़ल तसबीह तल्खिया कहना है इसलिए कसरत से इसका विर्द करो।
- हरम शरीफ की हुदूद में १५ मुकामात दुआ की कबूलियत के हैं। इसलिए इन मुकामात पर खुसूसी तौर पर देर तक दुआएं माँगो।

## ९ ज़िल्हिज्जा का दिन:-

- नवी करीम (स.) ने ६ ज़िल्हिज्जा को मिना में ही फज्र की नमाज़ अदा की थी और तुलूँओं अफताब के बाद अरफात की तरफ कूच किया था। मगर मौजूदा ज़माने में चौंक ३० लाख से भी ज़्यादा लोग हज के अरकान एक साथ अदा करते हैं इसलिए लोगों की भीड़ की बज़ह से हज के अरकान अदा करते वक्त कई मसाईल पैदा हो जाते हैं और हाजियों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है।

हाजियों की आसानी और भीड़ को कम करने के लिए और मुअल्लिम ६ ज़िल्हिज्जा की रात को ही हाजियों को अरफात ले जाते हैं।

किसी मुसलमान को तकलीफ देना हराम है। मुअल्लिम का रात ही में हाजियों को अरफात में ले जाने का मकसद सिर्फ हाजियों को इस तकलीफ से बचाना है। इसलिए सुन्नत के मुताबिक न होने के बावजूद भी ये जायज़ हैं और सुबह के पहले हाजियों का अरफात पहुँचने में कोई मुजाइका नहीं है। सुबह के वक्त अफरातफरी का माहोल होगा। सुबह को बस छूट गई तो फिर ११ या १२ बजे दुसरी बस मिली और अगर नहीं मिली तो तनहा अरफात जाना, मुअल्लिम के खैमे से दूर रहने, खाने व पीने का खुद इंतज़ाम करना वौरा काफी मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करके मुअल्लिम के बस से ही अरफात पहुँचे। मुअल्लिम आपको अपने खैमे में ठहराएगा अरफात के खैमे मिना के खैमों की तरह बेहतरीन तो नहीं होते मगर जमीन पर एक दरी और सिर पर एक चादर ज़खर होती है। यहाँ आप अपने खैमे के लोगों के साथ जमाअत बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, थोड़ी देर लेट कर आराम कर सकते हैं। दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा इसलिए आप इन्सिनान से सिर्फ इबादत पर तवज्जा दे सकते हैं। खैमे के करीब गुम्बारों और टॉयलेट भी ज़खर होते हैं इसलिए आप को ज़खरीयत से फारिग होने में आसानी होगी। वापसी के लिए बस भी खैमे के पास से ही रवाना होगी। (२०१२ से सब मुअल्लिम के गाइड हाजियों को अपनी निगरानी में ट्रेन के ज़रिए मिना से अरफात और फिर अरफात से मुजदल्फा और मुज़दल्फा से मिना लाते हैं।)

## वकुफे अरफा:-

- हुजुर (स.) ने फरमाया: “हज अरफात में ठहरने का नाम है।” (जामे तिरमीजी, हवीस द८८)। तो यही अरफात का क़्याम और इसमें की जाने वाली इबादत ही असल हज है। अपने हज को मबूर बनाने के लिए इन कीमती लाश्वात को ग़नीमत जानिए और दिल की गहराईयों से अपने माबुद-ए-हकीकी की इबादत किजीए।
- नवी करीम (स.) ने ज़वाल के बाद खुत्बा दिया था और ज़ोहर और अस्र की नमाज़े एक अज़ान और दो तकबीरों से कसर करके अदा फरमाई थीं और इसके बाद गुम्बारे आफताब तक अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर दुआ वज़ारी ने मसस्क रहे।  
हम में इतनी ताकत नहीं कि नवी करीम (स.) की तरह इबादत कर सके मगर जितना मुमकिन हो नमाज़ के बाद किल्बा रुख होकर रो रो कर अपने रहीम व करीम रब से दुआएं और गिरया विज़ारी करनी चाहीए।
- हुजुर (स.), हज के अव्याप में मुसाफिर थे इसलिए आप कसर नमाज़ अदा करते थे। मस्जिदे हरम में आप मुकामी लोगों को पूरी नमाज़े पढ़ने की तलकीन करते मगर अरफात में जब मुकामी लोगोंने मुकामी होने के बावजूद कसर नमाज़ पढ़ी तो आपने मना नहीं किया। इसलिए मालिकी और हम्बली मसलक में अरफा के दिन सारी नमाज़े कसर पढ़ने का हुम्म है। मगर हनफी मसलक में सिर्फ मुसाफिर ही कसर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मुकामी की अपनी नमाज़ पूरी पढ़नी होगी। इसलिए अगर आप मस्जिद से दूर अपने खैमे में हैं और आप मुकामी हैं (कसर लाज़िम नहीं है) तो फिर हनफी वक्त के मुताबिक ज़ोहर के वक्त अज़ान देकर जमात से प्रीरी ज़ोहर पढ़े और अस्र

के वक्त अज्ञान देकर जमात से पूरी असर पढ़े।

- वकुफे अरफात का वक्त अरफात के दिन ज्ञानात-ए-अफताब के वक्त से शुरू हो जाता है। नमाज़ से फारिग़ होकर वकुफ-ए-अरफा में मसरूफ हो जाए। मुमकिन हो सके तो किल्ला खुख खड़े होकर मारिब तक वकुफ करें और अगर पूरे वक्त खड़े रहना मुम्किन न हो, तो बैठना और लेटना भी जायज़ है।
- यह वक्त दुआओं, मनाजात, तौबा व इस्तग़फ़ार की कबूलियत का है। ऐसा मोहतरम वक्त और ऐसी मुकद्दस जगह बस खुशनसीबी से मिलती है और पता नहीं जिंदगी में दोबारा इस बारगाहे रहमत में हाज़िरी का मौका नसीब होता है या नहीं। इसलिए हर लम्हा को ग़नीमत जानिए और हर दुआ को दिल से माँगिये।
- अल्लाह के पैगंबर मासूम होते हैं। अल्लाह तआला उन्हें सारे गुनाहों से बचाए रखता है। नबी करीम (स.) ने अरफात में गुरुब-ए-अफताब तक रोकर जो दुआएं माँगी, इसमें ज्यादा हिस्सा इस उम्मत-ए-मुस्लिमा के लिए था। इस शरीक नबी (स.) पर अगर हम दस्त न भेजें तो कैसी एहसान फरामोशी होगी इसलिए हुजूर (स.) पर बेर्इन्तहा दस्त भेजें।
- हुजूर पाक (स.) और उनसे पहले जितने अम्बिया गुज़रे हैं उन्होंने चौथे कलमें को दुआ का दर्जा दिया और कसरत से इसी का विर्द किया। इसलिए वकुफ-ए-अरफा में सौ बार इस कलमें का ज़खर विर्द करें।
- असर का वक्त खास दुआ की कबूलियत का है। अल्लाह तआला आपसे आप की रग जान से भी ज्यादा करीब है और आपके दिल की धड़कन को सुन रहा है। अपने लिए दुआएं माँगे, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदेन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने वतन के लिए और इस उम्मतें मुस्लिमा के लिए। हर एक के लिए निहायत आज़ीज़ी व इन्कसारी के साथ दुआएं माँगो।
- हमने मक्का मुकर्रमा से मिना और मिना से बस से सफर करने की सलाह इसलिए दी थी कि दोनों जगह खुद से मुअल्लिम का खैमा ढूँढ़ना एक मुश्किल काम है और अरफात पैदल न जाने की एक वजह यह है कि दिन भर की इबादत के लिए आप तरौत जाना रहें। मगर वकुफ-ए-अरफा के बाद आप बस से सफर करने में परेशानी होगी और पैदल चलने में सहुलत और आसानी है।
- असर का वक्त जो कि खास दुआ का वक्त है, बहुत सारे लोग इबादत तर्क करके बस की सवारी के लिए चल पड़ेंगे और कुछ ही देर में बस छतों के ऊपर तक भर जाएंगी। यह उनकी बड़ी महसूमी होगी।
- आप दुनिया से गाफिल हो कर अपनी इबादतों, दुआओं और गिरया विज़ारी में मसरूफ रहे और गुरुब-ए-अफताब के बाद ही बगैर मबरीब पढ़े अरफात से रवाना हो। २०१२ से मुअल्लिम अपने हाजियों को अब देर रात तक अरफात में ही ठहराए रहता है। फिर रात का खाना खिलाकर ट्रेन के जरिए मुज़दलफा लाता है। उससे हाजियों को बहुत आसानी होती है।

### मुज़दलफा के लिए रवानगी:-

- पैदल चलने वाले और बसे सब गुरुब-ए-अफताब के बाद एक साथ अरफात से रवाना होंगे। मगर इन्हा अल्लाह अगर आप पैदल चलते हैं तो ईशा के वक्त या इससे पहले मुज़दलफा की हुदूद में दाखिल हो जायेंगे और वसें कभी कभी ईशा तक अरफात ही में खड़ी रह जाती हैं और मुज़दलफा पहुँचते पहुँचते सुबह के चार बज जाते हैं। इसलिए आप अपनी इबादत खत्म करके इतिमान से मुज़दलफा की तरफ पैदल सफर किजिए। इस किताब में मक्का मुकर्रमा, मिना, मुज़दलफा और

अरफात का नक्शा है, इसे भी समझ लीजिए, इसमें आप देखेंगे कि पैदल चलने के दो रास्ते अरफात से निकल कर मुज़दलफा में शारूल हराम मस्जिद की तरफ जाते हैं। इस रास्ते पर मुज़दलफा में बहुत भीड़ होती है। इसलिए हो सके तो रास्ता बदलकर मुज़दलफा में दाखिल हों।

(२०१२ के बाद अब ज्यादा आसानी मुअल्लिम के साथ ट्रेन में सफर करने में हैं। वह मुज़दलफा में आपको ऐसी जगह ठहराएगा जहाँ पानी और बैतुल्खला का इतेजाम होगा।)

- अरफात और मिना के दरम्यान मशरिक की जानिब एक ३ मील का मैदान है, इसको मुज़दलफा कहते हैं। इस मैदान की आखिरी हव पर एक पहाड़ है जिसे मशशरूल हराम कहते हैं। इसी का जिक्र कुरआन शरीफ में आया है। नबी करीम (स.) मशशरूल हराम के पास क्याम फरमाया था। मगर सारे मुज़दलफा के मैदान में कही भी मौकुफ किया जा सकता है।
- मुज़दलफा में रात के क्याम के लिए कोई खैमा वगैरह नहीं है। रात खुले आसमान के नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर बैठकर गुजारी जाती है। वैसे तो जगह जगह मुज़दलफा में टॉयलेट है, फिर भी आप जहाँ ठहरें, हो सकता है टॉयलेट वहाँ से दूर हो। इसलिए अरफात के दिन अपने खाने पीने पर कट्रोल रखें ताकि ज़खरियात से फारिग़ होने के लिए आप मुज़दलफा में बैठेन न हो जाए। और कुछ ज्यादा पानी साथ रखें कि कभी टीले के पीछे ज़खरियात से फारिग़ होना हो तो पानी की किल्लत न हो।
- मुज़दलफा अगर आप ईशा से पहले भी पहुँच जाएं तब भी ईशा कि नमाज़ के वक्त तक इंतजार करें और ईशा के वक्त एक अज्ञान और एक तकबीर से पहले मगरिब की फर्ज़ नमाज़ पढ़ें, फिर ईशा की फर्ज़ नमाज़ पढ़ें फिर मगरिब की सुन्नत व नफिल पढ़ें। फिर ईशा की सुन्नत, वितर और नफिल पढ़ें।
- मुज़दलफा की यह रात हाजियों के लिए शब-ए-कदर से ज्यादा अफज़ल है। अल्लाह तआला कुरआन मजीद में फरमाता है:

فَإِذَا آفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الشَّعْرِ الْعَرَامِ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هُدِكُمْ إِنْ لَكُمْ مِنْ قِبْلَةٍ لِكُنَّ الصَّابِرِينَ (سورة ق, آيات ۱۹۸-۱۹۹)

“फ़-इशा अफज़-तुम मिन अ-र-फातिन फ़ज़ कुरुल्लाहा इन्दल मशअरिल हराम, वज़ कुरुहु कमा हदाकुम, व इन कुन्तुम मिन कब्लीही ल-मिन-ज्याल्लीन”

‘फिर जब अरफात से चलो तो मशशरूल हराम (मुज़दलफा) के पास ठहर कर अल्लाह को याद करों और इस तरह याद करों जिसकी हिदायत उसने तुम्हें दी है। वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे।’

(सुनें: बकरा-आयत १६८)

- नबी करीम (स.) उम्मत के लिए आसानी चाहते थे। इसलिए आपने इस रात आराम फरमाया था। इसलिए अगर आप थक कर चूर हों, तो धंटा दो धंटा आराम कर लें। फिर ताज़ा दम हो कर इबादत में मश्गूल हो जाएं। सोने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, यह रात खुशनसीबों को मयस्सर होती है, इसकी कदर करें। इसी रात के आखिरी पहर में जब नबी करीम (स.) ने ज़ातिम और मजलूम वाली अपनी दुआ दोहराई जो अरफात में कबूल होने से रह गई थी वह मुज़दलफा में कबूल हो गई। तो यह मुकाम और यह रात दुआओं कि कबूलियत की रात है। यहाँ पर भी मालिक-ए-कायनात से अपने एहत व आयात, अपने वालिदेन और उम्मते मुस्लिमा के लिए बख्शिस और सेहत व करम की दुआएं माँगें।
- सुबह सादिक के वक्त हुकूमत की जानिब से तौप का गोला दागा जाता है। ताकि सारे हाज़ी हज़रात फ़ज़ की नमाज़ सही वक्त पर अदा कर सकें। तो

- आप गोले की आवाज़ के बाद अज्ञान दे कर जमात से फ़ज़र की नमाज़ अदा करें और तुलू अफताब से कुछ पहले तक दुआ व अज्ञार में मसरफ़ रहें। सुबह सादिक के बाद थोड़ी देर मुज़दलफ़ा में वक़्फ़ करना वाजिब है।
- रमी जुमार के लिए मिना से भी कंकरी चुनी जा सकती है। मगर आप वहाँ हर जगह पक्की सड़क और क्रॉकिट का फर्श ही पाएंगे। इसलिए मुज़दलफ़ा से ही ७० से ही कुछ ज्यादा कंकरीया चुन ले। अगर नापाकी का डर हो, तो थोड़े ले वरना धोना फर्ज़ या वाजिब नहीं है।

- सूरज निकलने से कुछ पहले मिना कि तरफ़ कूच करें। आप मुज़दलफ़ा के हुदूद में हैं तभी सूरज तुलू हो जाए तो कोई हर्ज़ नहीं है। मुज़दलफ़ा से मिना में अपना खैमा तलाश करते वक़्त अक्सर वे बेशर लोग रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए मिना में अपने खैमे के करीब सूतून का नंबर हमेशा याद रखें और अगर आप मिना में अपने खैमे के करीब से गुज़रने वाले पुल का नाम याद रखें, तो आपको अपना खैमा तलाश करने में बड़ी आसानी होगी। वरना सारे खैमे एक जैसे लगते हैं और लोग घंटों दर बदर भटकते रहते हैं।
- मुज़दलफ़ा और मिना के दरम्यान एक वादी है जिसे 'वादी-ए-महसर' (नया नाम 'वादी-ए-निहार') कहते हैं। इस जगह अस्वाब-ए-फिल पर आजाव नाज़िल हुआ था। हुक्मत ने इस जगह को खारदार तारों से बेर दिया है और पैदल चलने वाले हाजियों को दूर रखने के लिए पुलिस का पहरा भी होता है। इसलिए अगर इसके करीब से गुज़रना पड़ा तो बैड़कर गुज़रें।

## १० ज़िल्हज्जा का दिन:-

- आज ईद उल अज़हा का दिन है। सारी दुनिया ईद की नमाज़ पढ़ेगी। मगर हाजी के लिए ईद की नमाज़ के बजाय कुछ और हुक्म है। आज उसे चार अहम काम करने हैं।  
१. रमी जमार, २. कुर्बानी, ३. हलक, ४. तवाफ़-ए-ज़ियारत  
पहले तीन काम तो वाजिब हैं जबके बौद्धा फर्ज़ है।

### रमी जमार:-

- मुज़दलफ़ा से रमी जमार के लिए सीधे न जाए क्योंकि अब सऊदी पुलिस वाले सामान लेकर रमी जमार के रास्ते पर ही चलने नहीं देते हैं। इसलिए पहले मिना में अपने खैमे पर आ जाए, ज़खरियात से फ़ारिग़ हो जाए, आराम कर तो। आज रमी जमार का अफज़ल वक़्त इश्वारक से ज़बल तक है। इस अफज़ल वक़्त में रमी के लिए लोगों की बहुत भीड़ होती है। इसलिए सब्र से काम ले और ज़ोहर बाद जाएं। सज़दी हुक्मत ने दुनिया के अलग अलग इलाकों के लोगों के लिए रमी का अलग अलग वक़्त तय किया है। मुअल्लिम से पता करलें कि हिन्दुस्तानी हाजियों के लिए कौनसा वक़्त तय है। फिर इसी वक़्त रमी करें। शब्द भीड़ का मसला २००६ इसवी तक था। इसके बाद सऊदी हुक्मत ने जमरात के मुकाम पर कई मन्ज़ुलात पुल बना दिए हैं कि अफज़ल वक़्त में सारे हाजी रमी कर सकें। इसलिए मिना में मुअल्लिम से हालात दरयापत कर लें और इसे सलाह मशिरा के बाद ही जुमरात की तरफ जाएं।

आज के दिन सिर्फ़ जुमरा उक्बा (बड़े शैतान) को कंकरीया मारनी है। कंकरी मारने से पहले तल्बिया पढ़ना बंद कर दें। एक एक करके सात कंकरीया मारें और हर कंकरी मारते वक़्त पढ़ें।

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

“विस्मिल्लाहि अल्लाहु अक्बर, रग-मशैतानि व रजियर्रमान।”

तर्जुरमा: मैं अल्लाह तआला के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है। कंकरी मैं शैतान को ज़लील करने और अल्लाह तआला को राज़ी करने के लिए मारता हूँ।

- किसी भी जम्रह को चारों तरफ से कंकरी मारना जायज़ है। १० ज़िलहिज्जा को नबी करीम (स.) ने जम्रह उक्बा को जब कंकरीया मारी थी, उस वक्त आपकी दाहनी जानिब मिना और बाएँ जानिब मक्का मुकर्मा (बेतुल्ला) था। इसलिए इस तरह कंकरी मारना सुन्नत है। (मुअल्लिमुल हज्जाज़: १७०)

कंकरी मारने की जगह उस जमरात के सुतुन या दीवार की बुनियाद है।

इसलिए ऐसे कंकरीया मारे जैसे आप किसी हौज़ में कंकरीया फेंक रहें हैं।

दीवार या सुतुन को इतने ज़ोर से न मारे कि कंकरीया टकराकर अहाते से बाहर जा जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वह गिनी नहीं जाएगी। इसके बदले आपको फिर एक कंकरी मारनी है वरना दम लाजिम होगा।

### कुबनी:-

- अल्लाह तआला कुरआन शरीफ में अरकाने हज के बारे में फरमाता है:

**وَيَرْكُو وَالْأَسْمَاءِ الْمُلُوكِ أَبَا مَارِيَقَهْمَقْنَعٍ  
بِهِمَمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُّا مِنْهَا وَاطْعُمُوا الْبَآسَ الْفَقِيرَ تَمَّ  
لِيَقْضُوا نَفْهَمَهُمْ وَلَيُؤْمُنْدُهُمْ وَلَيَكْتُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (سُورَةِ حِجَّةٍ १७)**

“व यज़-कुरुस्मल्लाहि फी अय्यामिम मअ-लूमातिन अला मा र-ज़-कहुम मिम बही-मतिल अन्नाम, फकुलू मिन्हा व अत-इमुल बाइसल फकीर। सुम्मत यक्जू त-फ़-सहुम वल यूफ़ नुजू रहुम वल यत्तव्वफ़ बिल बैतिल अतीका।”

“इन मुकर्ररा दिनों में (हज के अय्याम में) अल्लाह का नाम याद करें (अल्लाह अकबर कहते हुए कुर्बानी करें) इन चौपाहों पर जो पालतू हैं। फिर आप भी खाए और भूखे फकीरों को भी खिलाएं। फिर वह अपना मैल कृचैत दूर करें (सिर मुंडवाए) और अपनी नज़रे पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें (तवाफ़-ए-ज़ियारत करें)।” (सुह अल हज़ : २८-२६)

- अल्लाह तआला कुर्बानी के बारे में फरमाता है: “अल्लाह तआला को कुर्बानीयों का गोशत नहीं पहुँचता न उनका खून। बल्कि उसे तुम्हारे दिल की परेहेज़गारी पहुँचती है” (सुह अल हज़ ३७)
- नबी करीम (स.) ने तुलुओं आफताब के बाद रमी जमार किया था। उसके बाद खुल्बा दिया था। इसके बाद अकेले सात ऊंटों को कुर्बान किया था। और हजरत अली (रज़ी.) के साथ ५६ ऊंट। इसके बाद हजरत अली (रज़ी.) ने अकेले ३७ ऊंट कुर्बान किए, (इस तरह कुल १०० ऊंट कुर्बान किए) कुर्बानी के बाद सिर मुंडवाया था। फिर ज़वाल से पहले मक्का मुकर्मा में तवाफ़े ज़ियारत के लिए रवाना हो गए और तवाफ़े ज़ियारत अदा करके रात गुज़राने फिर मिना वापस आ गए तो अरकान अदा करने का यह सुन्नत तरीका है।
- कुर्बानी के अरकान, यह इस अज़ीम कुर्बानी की यादें हैं, जो हजरत इब्राहिम (अ.स.) ने अपने बेटे की अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करके दी थी।
- इत्तेहाइ खुलूस के साथ कुर्बानगाह जाकर खुद कुर्बानी करें। या बँक या मदरसे सैलतिया के जरीए कुर्बानी करें। फिर दिल में यह मज़बूत इरादा रखें कि बकिया ज़िंदगी में भी इसी तरह अल्लाह की राह में अपनी दौलत, वक़्त और नप्स की, खुशी की कुर्बानी देते रहेंगे।

### हलक (सिर मुंडवाना) और तवाफे ज़ियारत:-

- अब दो अरकान बचे हैं, हलक करवाना और तवाफे ज़ियारत।
- मस्ज़िदे हराम में अगर बाहर के सहन को भी शामिल कर ले तो दस लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं।
- मुताफ में एक ही वक़्त में अंदाजन २० से २५ हजार लोग तवाफ़ कर सकते हैं।

- जब लोगों कि भीड़ कम हो, तो एक तवाफ में आधा घंटे से ज्यादा वक्त लगता है और शदीद भीड़ के बबत एक घंटे से ज्यादा वक्त दरकार है।
- अगर १० लाख हाजी जो मस्जिदे हराम में मौजूद हैं। एक के बाद एक (२५ हज़ार के ग्रुप में) तवाफ करना चाहे तो सारे नमाजियों को तवाफे ज़ियारत करने के लिए तकरीबन २० घंटों से ज्यादा वक्त लगेगा।
- अगर हम मुकामी लोगों को शामिल किया जाए, तो हर साल तकरीबन ३५ से ४० लाख लोग हज करते हैं। अगर एक के बाद एक (२५ हज़ार के ग्रुप में) यह सब हाजी तवाफे ज़ियारत करे तो कम अन्त कम २ दिन दरकार हैं। इसलिए हाजियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सुन्नत तरीके से और अफज़ल वक्त पर अरकान अदा करना अब मुश्किल ही नहीं रहा। नबी करीम (स.) ने आसान तरीका (अगर गुलत न हो तो) प्रसंद फरमाया। इसलिए खुद भी आसान रास्ता इख्तेयार कीजिए और दुसरों के लिए आसानी पैदा कीजिए।
- मेरी बहन कनीज़ फातमा ने सन २००६ इस्वी में हज किया था। १० जिल्हिज्जा के असर के बबत जब वह मस्जिदे हराम पहुँची, तो पुलिस ने सारे मस्जिदे हराम के अतराफ धेरा डाल रखा था, और किसी को अंदर दाखिल होने नहीं दिया। क्योंकि मस्जिदे हराम हाजियों से भरी हुई थी और अंदर मज़ीद हाजियों कि गुंजाईश नहीं थी। वह ईशा तक इंतज़ार करती रही और मजबूरन खाली हाथ मिना लौट गई और दुसरे दिन ११ जिल्हिज्जा तवाफे ज़ियारत किया।
- अगर पुलिस आपको न भी रोके और आप किसी तरह अंदर दाखिल हो जाए तो भी इतनी शदीद भीड़ में आप को और दुसरे हाजियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उत्तमा और वह लोग जो बार बार हज कर चुके हैं, यह मशिरा देते हैं कि आप ११ जिल्हिज्जा को मग़रिब मिना में पढ़कर मक्का मुकर्रमा के लिए पैदल रवाना हों, तो इशा की जमाअत आपको मस्जिदे हराम में मिल जाएगी। बाहर सहन में नमाज़ पढ़े नमाज़ के बाद खाना खा ले। कुछ देर आराम करके फिर तवाफ-ए-ज़ियारत और सई करे और फिर इत्मिनान से रात ही को मिना लौट जाएं। इस तरह अरकान अदा करने से काफी आसानी होगी और अरकान भी अच्छी तरह अदा होगे।
- अगर आप सौलतिया मदरसे के ज़रिए कुर्बानी करेंगे तो हाजियों कि तादात ज्यादा होने की वजह से वह आपको कुर्बानी का बबत, १० तारीख की शाम या ११ तारीख का कोई बबत बताएंगे। आप उस बबत तक इंतज़ार कीजिए और फिर इस से भी १ या २ घंटा देरी से हल्क करवा ले (मुँडवा ले)। एहराम उतारकर रोजमर्राह के कपड़े पहन लें। बबत पर नमाज़ पढ़े और अपनी आसानी के मुताबिक तवाफे ज़ियारत के लिए रवाना हो। तो कुर्बानी के बबत के मुताबिक भी अगर आप हल्क करेंगे, तो तवाफे ज़ियारत के लिए आप को ११ जिल्हिज्जा तक इंतज़ार करना ही होगा। इसलिए सब्र के साथ एहराम पहने रहे और सुकून व इत्मिनान और सहूलत के साथ अरकान अदा करें।
- तवाफे ज़ियारत का अफज़ल वक्त तो १० वी ज़िल्हिज्जा है। मगर इसे १२ वी तारीख के आफताब गुरुब होने से पहले तक कर सकते हैं। अगर १२ वी तारीख गुरुर गई और तवाफे ज़ियारत नहीं किया तो ताखीर की वजह से दम वाजिब होगा, मगर फर्ज़ अदा हो जाएगा। चुंकि तवाफे ज़ियारत हज का एक फर्ज़ स्वन है। इसलिए जब तक तवाफे ज़ियारत न कर ले हज पूरा न होगा। एहराम की एक पाबंदी आप पर आयद रहेगी यानी आप अपनी बीवी से अज़्वाजी तालुकात कायम नहीं कर सकते। १२ तारीख गुरुर गई तो दम लाज़िम होगा मगर आप फिर उसे कभी भी कर सकते हैं। जैसे नफिल नमाज़ पढ़ने की नीयत करने के बाद अगर आप नीयत तोड़ दें, तो फिर उसका अदा करना आप पर वाज़िब हो जाता है इसी तरह हज की नीयत करके

अगर आप उसे अधूरा छोड़ देंगे तो उसका दौहराना आप पर फर्ज़ ही रहेगा। इसलिए अगर आप का तवाफे ज़ियारत सूट गया तो ज़िंदगी भर इसका अदा करने का फर्ज़ आप पर बाकि रहेगा और अज़्दवाजी ज़िंदगी पर पाबंदी भी। इस तवाफे के पहले तीन चक्करों में रमल भी है। एहराम की चादरे जिस्म पर न होने की वज़ह से इस्तबा नहीं है।

अगर आप ने द ज़िल्हिज्जा को एहराम बाँधने के बाद नफिल तवाफ किया है जिस में रमल इज़तबा और सई कर ली है तो फिर तवाफे ज़ियारत में दोबारा सई करने की ज़रूरत नहीं है और आपका तवाफ भी बगैर रमल होगा। क्योंकि जिस तवाफ के बाद सई होती है रमल इसी में किया जाता है।

शैतान को कंकरी मारना, कुर्बानी करना और सिर मुँडवाना यह तरतीब सुन्नत है और ज़स्ती है। अगर यह रुक्न आगे पीछे हो गए तो हनफी मसलक के मुताबिक दम लाज़िम होगा।

हम्बली मसलक (सज़दी उल्मा) और इमाम गज़ाली(रह.) के मुताबीक अगर मजबूरी में अरकान आगे पीछे हो गए तो दम लाज़िम नहीं होगा।

(अह्या-उल-उलूम उर्दु जिल्द अब्दल सफा ४०८)

अगर किसी वजह से तवाफे ज़ियारत के बाद सई १२ तारीख के गुरुबे आफताब तक जो के अफज़ल वक्त है न कर सके तो ज़िल्हिज्जा मर्हिने के आधिकर तक कर सकते हैं। ताखैर (देरी) की वजह से दम लाज़िम ना होगा। मगर शर्त यह है कि तवाफ और सई के दरमियान हज का रुक्न अदा ना किया जाए। अगर कोई दूसरा रुक्न अदा करेगा तो सई से पहले एक तवाफ करना वाजिब होगा।

## ॥ ३४ और १२ ज़िल्हिज्जा:-

तवाफे ज़ियारत में आप को चाहे जितना वक्त लग जाए मगर रात गुज़ारने आप को मिना ही लौटकर आना है। मक्का शरीफ में अपनी कथामगाह पर आप रात नहीं गुज़ार सकते।

- रात मिना में गुज़ारे, पाँचों वक्त नमाजे पढ़े।
- यह अस्याम तशरीक के दिन है, इस में कसरत से तकबीर कहना मसनून है।
- जुमारत को कंकरीया मारना भी अल्लाह का जिक्र करना है। ज़वाल के बाद कंकरीया मारना अफज़ल है मगर सहूलत के मुताबिक लोगों की भीड़ का ख्याल रखकर रमी जुधार के लिए जाए। पहले छोटे शैतान फिर दरम्यानी शैतान और फिर बड़े शैतान को कंकरी मारे। छोटे और दरम्यानी शैतान पर रमी के बाद नबी करीम (स.) ने किल्ला रुख हो कर इतनी देर तक दुआएं माँगी थी कि कोई उतने देर में सुरे: बकरा (सवा दो पारा) पढ़ सकता है। इसी सुन्नत के मुताबिक आप भी दुआओं का एहतेमाम करें। बड़े शैतान पर रमी के बाद दुआएं न माँगें।
- हज की इबादत, इबाहीम (अ.स) के ज़माने से है। आप इन्सानों के अलावा हजारों वलियों और सेंकड़ों पैगम्बरों ने हज किया है। हर एक ने मिना में कथाम किया होगा और हर एक ने मस्जिदे खैफ में नमाज़ पढ़ी होगी। मिना के कथाम में वक्त फारिग करके इस मुबारक मस्जिद में नमाज़ पढ़ कर आप भी रुहानी फैज़ हासिल करने की कोशिश करें।

## १३ ज़िल्हिज्जा:-

- जुमा के दिन मस्जिदों को देखकर बड़ी खुशी होती है। मगर यह खुशी आरज़ी होती है। जहाँ इमाम ने सलाम फेरा कि लोग दुम दबाकर ऐसा भागते हैं कि अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। चंद मिनटों में दरवाज़े के बाहर तक लबालब भरी हुई मस्जिदे आधी से ज्यादा खाली हो जाती है।

(बाकी पेज ६८ पर)

# हज्जे बदल

हज़रत इब्ने अब्बास रजि से रिवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह (स.) अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज फर्ज़ किया मेरे बाप पर ऐसे ज़माने में फर्ज़ हुआ कि वह बिल्कुल बूढ़े हो गये, सवारी पर ठहर नहीं सकते तो मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ, आप (स.) ने फर्माया, “हां” (बुखारी, मुस्लिम)

हज़रत लुकीत बिन आमिर (रज़ी.) से रिवायत है कि वह नवी कीरम (स.) की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि “या रसूलुल्लाह” मेरे बाप बहुत बूढ़े हैं, ना हज सकते हैं ना उम्रह और ना चलने और सवार हाने की कुव्वत है। आप (स.) ने फर्माया तुम अपने बाप की तरफ से हज व उम्रह कर लो (अबु दाउद, तिरिमीज़ी)

हजे बदल के माझने हैं किसी दुसरे की तरफ से नफिले हज या उम्रह करने के लिए कोई शर्त नहीं है। सिर्फ हज करने वाले में अहलियत यानि इस्लाम और अङ्गत व तमीज़ का होना काफ़ी है। अलबत्ता किसी दुसरे शख्स से फर्ज़ हजे बदल करने के लिए (२०) शर्तें हैं।

इन शराइत को जानने से पहले यह याद रखें कि हज करने वाले को आमिर (हुक्म करने वाला) कहते हैं और जो दुसरे के हुक्म से हजे बदल करता है उसको मामूर (हुक्म के मुताबिक़ काम करने वाला) कहते हैं।

## 20 शर्तें हैं:-

- १) जो शख्स अपना हज कराये उस पर हज फर्ज़ हो।
- २) हज फर्ज़ होने के बाद खुद हज करने से अ़जिज़ या मजबूर हो गया हो।
- ३) मरते वक्त तक अजिज़ी रहा हो।
- ४) आमिर और मामूर दोनों मुसलमान हों।
- ५) आमिर और मामूर दोनों आकिल हों।
- ६) मामूर को इतनी तमीज़ हो कि हज के अफ़आल समझता हो। अगर औरत मर्द की तरफ से हज बदल करे तो जायज़ है मगर मर्द से हज कराना अफ़ज़ल है और अपना हज ऐसे शख्स से हज कराना अफ़ज़ल है जो अ़लिम बा अ़मल हो, मसाइल से वाकिफ हो और अपना हज अदा कर चुका हो।
- ७) अगर अपनी ज़िन्दगी में हजे बदल कराये तो दूसरे शख्स को अपनी तरफ से हज करने का हुक्म देना और अगर वसीयत कर के मर गया तो वारिस का हुक्म देना शर्त है। अगर मय्यत ने वसीयत नहीं की तो किसी दूसरे शख्स से करवाया तो इन्स्सस अल्लाह तआला उस मय्यत का फर्ज़ अदा हो जायेगा और उस सूरत में आगे आने वाली कोई शर्त लाजिम नहीं होगी।
- ८) सफ़र में सारा माल या उस का अकसर हिस्सा हज करने वाले के माल से ख़र्च होना। अगर मामूर ने अपने रूपये से हज किया और बाद में आमिर के माल से वसूल कर लिया तो आमिर का हज अदा हो जायेगा। वर्णा नहीं होगा।
- ९) एहराम बांधते वक्त या हज के अफ़आल शुरू करने से पहले आमिर की तरफ से हज की नीयत करना।
- १०) सिर्फ एक शख्स की तरफ से हज का एहराम बांधना।
- ११) सिर्फ एक शख्स की तरफ से हज के अफ़आल शुरू करने से जो मालूम होता है कि आमिर की इजाज़त से हज तमत्तओ करने से आमिर की तरफ से हज हो जायेगा। इस इख़तिलाफ का हल यह है कि आमिर अगर खुद ज़िन्दा है, मआज़ूरी की विना पर हज नहीं कर सकता, और हज तमत्तओ की इजाज़त देता है तो ऐसी सूरत में आमिर की इजाज़त से हज तमत्तओ हो जायेगा। इस तरह जिस पर हज फर्ज़ हुआ और मरते वक्त वसीयत की, कि मेरी तरफ से हज तमत्तओ करवाया जाये, तो ऐसी हज तमत्तओ करने से आमिर की जानिब से हज हो जायेगा। लेकिन मरते वाले ने अगर मुतलक

मुनासिब है।

- १३) मामूर मुईन का मुतअ़्यन होना यानि अगर आमिर दल यह कहा हो कि फलां शख्स ही हज करे, कोई दूसरे से कराना जाइज़ ना होगा और अगर दूसरे की नफी नहीं की तो जाइज़ हो जायेगा, लेकिन जिसको नामज़द किया गया है अगर उस ने इंकार कर दिया और वारिस दल किसी दूसरे से कराया तो जाइज़ है।
- १४) अगर तिहाई तर कि ख़र्च के लिए काफ़ी हो तो आमिर के वतन से हज कराना वर्ना मीकात से पहले गुंजाइश के मुताबिक जिस जगह से हो सके अदा करवाया जाये।
- १५) अगर तिहाई माल में गुंजाइश हो तो सवारी पर हज करना।
- १६) हज या उम्रह जिस चीज़ का हुक्म किया है उसी के लिए सफ़र करना। अगर हज का हुक्म किया था लेकिन मामूर ने अबल उम्रह किया फिर मीकात पर लौट कर उसी साल या आ़इंदा साल हज का अहराम बांधा तो आमिर का हज अदा ना होगा।
- १७) आमिर की मीकात से एहराम बांधना अगर मामूर ने मीकात से उम्रह का उहराम बांधना और मक्का शरीफ जाकर हज का उहराम बांधा और हज कर लिया तो आमिर का हज अदा ना होगा। इस से यह मालूम हुआ कि मक्का या मदीना मुनव्वरा में रहने वालों से हज बदल कराना ग़लत है। इस सूरत में हज करने वाले का अपना हज अदा होगा। जिस की तरफ से कराया गया है उस का नहीं होगा, लेकिन नफली हजे बदल किसी से भी कराया जा सकता है।
- १८) हज का फासिद ना होना।
- १९) हज का फैत ना होना।
- २०) आमिर के हुक्म की मुख़ालिफ़त ना करना। अगर आमिर ने इफ़राद यानि सिर्फ हज का हुक्म किया था और मामूर ने तमत्तओ या किरान कर लिया तो मुख़ालिफ़ हो और आमिर को रूपये वापस करना होगा और वह हज मामूर का अपना होगा। यहाँ तीन बातें याद रखें।
- (अ) हजे बदल करने कसे हजे अफ़राद करना चाहिए।
- (ब) हजे किरान करना, आमिर की इजाज़त से जाइज़ है, लेकिन दमे किरान अपने पास से देना होगा। आमिर के रूपये से बिला इजाज़त देना जाइज़ नहीं है।
- (क) हज तमत्तओ करना, हजे बदल में तमत्तओ करने का मस्ला ज़रा पेचीदा है और उस की वजह यह है कि तमत्तओ में हज का एहराम आमिर की मीकात ये नहीं होता बल्कि मक्का मुकर्मा में द ज़िल्हिज़ा को बांधा जाता है इस लिए मुहातात उल्मा ने हज में तमत्तओ की मुमानिअत की है, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि अगर आमिर अपनी तरफ से हज तमत्तओ की इजाज़त दे दे तब भी आमिर का हज नहीं होगा, जैसा कि मुअलिमुल्हज़ज़ाज में उल्मा तहकीक़ से मनकूल है और ऐसी को राजेह करार दिया है। बाकी दूसरी कुतुबे फिकह की इबादत से जो मालूम होता है वह यह है कि आमिर की इजाज़त से हज तमत्तओ करने से आमिर की तरफ से हज हो जायेगा। इस इख़तिलाफ का हल यह है कि आमिर अगर खुद ज़िन्दा है, मआज़ूरी की विना पर हज नहीं कर सकता, और हज तमत्तओ की इजाज़त देता है तो ऐसी सूरत में आमिर की इजाज़त से हज तमत्तओ हो जायेगा। इस तरह जिस पर हज फर्ज़ हुआ और मरते वक्त वसीयत की, कि मेरी तरफ से हज तमत्तओ करवाया जाये, तो ऐसी हज तमत्तओ करने से आमिर की जानिब से हज हो जायेगा। लेकिन मरते वाले ने अगर मुतलक

हज की वसीयत की है और वरसा ने हज बदल करने वाले को हजे तमत्तओं की इजाज़त दे दी तो ऐसी सूरत में वरसा इजाज़त से तमत्तओं करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि मय्यत का हज मीकाती होना ज़रूरी है, और जो हज तमत्तओं करेगा उस का हज, हज मक्का हो जायेगा अगर वरसा की इजाज़त से तमत्तओं करेगा तो मामूर पर रूपये वापस करना लाजिम नहीं है लेकिन आमिर का हज अदाना होगा। हज बदल करने वालों को इस मुआमले में खास एहतियात करनी चाहिए। एहराम की तवालत से आमिर का हज खराब ना करना चाहिए, इस मुआमले में अक्सर लोग हजे बदल के मसाइल से नावाकिफ होने की वजह से ग़लती कर बैठते हैं।

### नोट:-

- १) जिस पर खुद हज फर्ज़ नहीं है और उस ने पहले हज रहीं किया है उस को हजे बदल के लिए जाना इमाम अबू हनीफा (रह.) के नज़दीक जाइज़ है, लेकिन बैठतर यह है कि हजे बदल के लिए उस को भेजा जाये जिस ने अपना हज कर लिया है।
- २) जिस पर हज फर्ज़ हो गया है और अभी अदा नहीं किया है, उस को हजे बदल के लिए जाना जाइज़ नहीं है।
- ३) वाल्डैन में से कोई फौत हो जाये और उन के ज़िम्मे हज फर्ज़ हुआ और अदाएँ की वसीयत ना की हो तो बेटे के लिए मुस्तहब है कि वाल्डैन की तरफ से बतोर एहसान हज अदा कराये या खुद उन की तरफ से हज कर ले। ऐसी हालत में शर्त नम्बर ७, के बाद वाली शराइत आइद नहीं होंगी और अगर खुद या किसी देसरे शश्वस से मक्का मुकर्मा ही से हज कराये तो भी इंशा अल्लाह तआला मय्यत का फर्ज़ हज अदा हो जायेगा।
- ४) वाल्डैन में से कोई ऐसी हालत में फौत हो जाये कि उन पर हज फर्ज़ नहीं हुआ था और बेटे साहिबे हैसियत हो जायें तो वाल्डैन की तरफ से फर्ज़ वाला हजे बदल तो नहीं करवाया जायेगा, इस लिए कि उन पर हज फर्ज नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बेटे को चाहिए कि वाल्डैन की तरफ से बराए सवाब हज करवा दे या खुद उन की तरफ से हज कर ले। ऐसी हालत में भी शर्त नम्बर ७, के बाद वाली शर्तें आइद नहीं होंगी और खुद या किसी दूसरे शश्वस से मक्का मुकर्मा से भी हज करा सकता है इस सिलसिले में यह हदीष याद रखें, रसूलुल्लाह (स.) का पाक इशार्द है कि वाल्डैन की वफात के बाद उन के लिए ख़ेर व बरकत की दुआ करते रहो और अल्लाह से उन के बास्ते मग़फिरत और बविंशश मांगों।
- ५) हज के ज़िरये वाल्डैन को सवाब पहुंचाना मग़फिरत और बविंशश मांगने के बराबर है।
- ६) एक हदीस में है, जिस ने अपने मां-बाप की तरफ से हज किया या उनका कोई और फर्ज़ अदा किया तो बेशक उसने उनकी तरफ से हज अदा कर दिया और खुद उसको दस ज़ाइद हज का सवाब मिलेगा। एक और हदीस में है, जिस शश्वस ने अपने वाल्डैन की तरफ से हज किया या उनका कोई और फर्ज़ अदा किया तो ऐसा करने वाला क्यामत के दिन अबरार के साथ उठाया जायेगा। (कन्जुल अमाल)
- ७) जिस ने अपना फर्ज़ हज अदा कर लिया हो उस के लिए नफ़िल हज करने के बजाए हजे बदल करना अफ़ज़ल है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजी.) से रिवायत है कि जिसने मय्यत की तरफ से हज किया तो मय्यत के लिए एक हज लिखा जायेगा और हज करने वाले को सात हज का सवाब होगा।
- ८) उज्जत पर हज करना किसी हालत में जाइज़ नहीं है इस लिए ठेका या उज्जत पर हज करने वालों से हजे बदल ना करायें। बअ़ज़ लोग मसारिफ का ठेका कर लेते हैं। ऐसा करना जाइज़ नहीं है। सूना गया है कि बअ़ज़ मुअल्लिमीन और ठेका पर काम करने वाले लोग चन्द्र आदमियों की तरफ से रूपये वसूल कर के एक आदमी से हज करा देते हैं और सब को सवाब बछा देते हैं, अगर ऐसा होता हो, तो बहुत ही बुरी बात है, इससे एहतियात करें।

### नोट:-

हजे बदल की नीयत इस तरह करें:

- (१) या अल्लाह! मैं अपने वालिद या फलां की तरफ से हज की नीयत करता हूँ उस को मेरे लिए आसान बना दे और कुबूल फरसा ले।
- (२) जिन्दा या मुर्दा लोगों की तरफ से तवाफ या उम्रह करें तो उसकी नीयत भी इसी तर्ज़ पर होगी।

### हज बदल के अरवुराजात से मुतअल्लिक ज़रूरी मसाइला:

- (१) हजे बदल करने वाले को इतना ख़र्च मिलना चाहिए कि आमिर के वतन से मक्का मुकर्मा तक जाने और वापस आने के लिए दरम्यानी तौर पर काफ़ी हो जाये, ना तंगी हो और ना फजूल ख़र्च।
- (२) मसारिफ में सवारी, खाने पीने का सामान, सफर के कपड़े, कपड़ों की धुलाई, हमाली, मकान का किराया वैग़रह जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, मामूर की हैसियत के मताबिक सब दाखिल हैं और आमिर के माल से बिला तंगी व फजूल ख़र्च करना जाइज़ है।
- (३) मामूर को आमिर के माल से किसी की दावत करना, किसी को खाने में शरीक करना, या सदका देना या कर्ज़ वैग़रह देना जाइज़ नहीं हां। अगर आमिर ने सब मामूर की इजाज़त दी हो तो जाइज़ है।
- (४) फ़कीह अबुल लैस (रह.) ने हर उस चीज़ में आमिर का माल सर्फ करना जाइज़ कहा है जिस को आम तौर पर हुज़जाज करते हों, और ज़ादीरा में उसी को मुख्तार लिखा है, मगर फिर भी एहतियात उसी में है कि आमिर से जुम्ला अमूर में सर्फ करने की इजाज़त हासिल कर ले ताकि तंगी और मुअखिय़ज़ हो जाए, आमिर को भी चाहिए कि मामूर को हज के नफ़के के अलावा कुछ ज़ाइद रकम भी बतौर हदिया दे दे ताकि ख़र्च करने में सहुलत रहे और हिसाब किताब रखने की तकलीफ ना हो। अलबत्ता यह ख़्याल ज़रूर है कि हज के लिए दिए जाने वाला नफ़कह मामूर को हिबा (बविंशश) ना करे, क्योंकि इस सूरत में वह मामूर की मिल्क हो जायेगा और आमिर का हज अदा ना होगा।
- (५) मामूर से कोई जिनायत हो जाये तो दमे जिनायत अपने माल से दे, बिला इजाज़त आमिर उसके माल से देना जाइज़ नहीं है।
- (६) हज से फराग़त के बाद आमिर के माल से नक़द रकम सामान वैग़रह आमिर या उस के वरसा को वापस करना वाजिब है। हां। अगर वह हिबा कर दे तो लेना दुरुस्त है।

### हज्जे बदल के मसाइला

- (७) फुकहा ने लिखा है कि हज्जे बदल में हज्जे अफराद या हज्जे किरान ही किया जाया सकता है, हज्जे तमत्तओं नहीं किया जा सकता है। मगर फुकहा की बअ़ज़ इबारतों से हज्जे तमत्तओं का भी जायज होना मध्यलम होता है। चुनांचा दुर्गे मुख्तार में हज्जे बदल की सूरत में तमत्तओं की कुरबानी के ख़र्च उस शश्वस के ज़िम्मे रखे गए हैं जिस की तरफ से हज किया जा रहा है किरान व तमत्तओं और जनायत की कुरबानी हज करने वाले ही पर होंगी। गो हज का हुम्मद देने वाले ने (जिस की तरफ से हज्जे बदल कर रहा हो) इस की इजाज़त दी हो। मुफ़्सी मुहम्मद शफ़ी साहब (रह.) ने भी बअ़ज़ शर्तों के साथ इस की इजाज़त दी है।
- इस ज़माने में हज व उमराह करने में आम आदमी आज़ाद नहीं है कि जब और जिस वक्त चाहें जा सकें और लघ्बे एहराम से बचने के लिए हज के दिनों के बिल्कुल करीब सफर करें। हर तरफ हुकूमों की पाबंदियां शरीद करें।

(बाकी पेज ६४ पर)

# मदीना मुनव्वरा के तारीखी मुकामात

## मस्जिदे नबवी (स.) :-

मस्जिदे नबवी (स.) की दीनी पफ़्ज़ीलतें तो हैं ही दुनियावी लिहाज़ से भी इस का एक खास मुकाम है। इस की तफसीलात जान कर आप को हैरत होगी। यह दुनिया का खूबसूरत तरीन महल है। इतना कीमती और खूबसूरत महल इन्सानी तारीख में पहले कभी नहीं बना है। इसे बनाने में तकरीबन ३६० अरब रुपये खर्च हुए हैं। इसे टी. व्ही. के डिस्कवरी चैनल ने दुनिया की ८ अजीम इमारतों में से एक कहा है और ‘गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड’ ने इसे दुनिया की सब से खूबसूरत इमारत तस्लीम किया है। इस की खूबसूरती देखने के साथ समझने से भी तत्पत्तु रखती है। हज़ की इस मुख्तसर किताब में इस की ज्यादा तफसीलात बयान नहीं की जा सकती। आप इसे “तअमीर मस्जिदे नबवी” वीडिओ सी.डी. में देख लीजिए या फिर “तारीखे मदीना मुनव्वरा” किताब में पढ़ लीजिए। यह दोनों चीज़ें आप को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में किसी भी किताबों की दुकान में मिल जाएंगी।

इस मस्जिद से मुतअल्लिक सिर्फ़ दो बातें यहाँ बयान करुंगा। जिस से आप इस की तअमीर के बारे में कुछ अंदाज़ा कर सकेंगे।

- 9) अगर आप सरसरी तौर पर मस्जिदे नबवी (स.) का दरवाज़ा देखेंगे तो आप को बहुत खूबसूरत लगेगा। लकड़ी का यह दरवाज़ा खालिस सोने और गोल्ड प्लेटेड स्टील से जोड़ा गया है। इस दरवाज़े को बनाने के लिए आफिका के जंगलों से खास लकड़ी चुनी गई। फिर इसे सिंज़ीग के लिए जर्मनी भेजा गया। फिर इसे कनाडा (Canada) के माहिर कारीगरों ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी से बनाया है। हर दरवाजे का वजन कई टन है। इतने वजन के बावजूद एक आदमी आसानी से इसे खोल या बंद कर सकता है।
2. इस मस्जिद कि टाइल्स बहुत खूबसूरत है आप सोच रहे होंगे कि यह बेहतरीन टाइल्स दुनिया कि सबसे बेहतरीन टाइल्स बनाने वाली कंपनीयों से खरीदे गए होंगे। नहीं, बल्कि इस मस्जिद के लिए सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और आला टेक्निक वाली टाइल्स बनाने कि फेक्टरी कायम की है। फिर इसमें टाइल्स बनाकर इस्तेमाल किए गए। इस तरह इस मस्जिद में इस्तेमाल होने वाला हर पुर्जा और हर चीज़ अपनी मिसाल आप है। आप इसे दिमाग से समझकर अपनी आखों में बसा लें। तस्वीरात की दुनिया अपने महबूब (स.) के इस महल में जब आप कदम रखेंगे, तो आप अपने आप को जन्मत में महसूस करेंगे।

**मस्जिदे कुबाबः—** जब नबी करीम (स.) हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा पहुंचे, तो सब से पहले आप (स.) ने इसी मस्जिद की बुनियाद रखी और युद इस की तारीर में शरीक हुए। दर हकीकत यही वह पहली मस्जिद थी जिस में आप ने अपने सहाबा (रज़ी.) को एलानिया बा-जमाअत नमाज़ पढ़ाई। मस्जिदे कुबा में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में सहल बिन हनीफ़ (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया ‘जो शऱक़ घर से निकल कर इस मस्जिदे कुबा में आए और यहाँ २ रक्उतें नमाज़ पढ़े इसे एक उम्रह का सवाब मिलेगा।

**मस्जिदे इजाबा:**— इस मस्जिद में नबी करीम (स.) ने तीन दुआएं फरमाई थी, इन में से दो दुआएँ अल्लाह तआला ने कबूल फरमा लीं, लेकिन एक दुआ कि मेरी उम्त में आपसी इज्जेलाफ न हों इस दुआ को कबूल न फरमाया।

**मस्जिदे जुमा:**— इसे ‘मस्जिदे जुमा’ इस लिए कहा जाता है कि नबी

करीम (स.) जब कुबा बस्ती में चंद दिन ठहर कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चले तो इसी मुकाम पर आप (स.) ने पहला जुमा पढ़ाया। सहाबा किराम (रज़ी.) ने इसी जगह मस्जिद बना दी।

**मस्जिदे किल्बलैनः—** नबी करीम (स.) बनी सल्मा के इलाके में अपने सहाबा (रज़ी.) के साथ जोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप (स.) ने अभी २ रक्उतें ही पढ़ी थी के किल्बे की तब्दीली का हुक्म आ गया। आप (स.) नमाज़ ही में काबा की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस मस्जिद में एक नमाज़ दो किल्बों की तरफ मुंह कर के पढ़ी गई थी इस लिए इसे मस्जिदे किल्बलैन कहा जाता है।

**मस्जिदे बनी हारसा (मस्जिदे सुत्रावः)**:— नबी करीम (स.), ग़ज़वा-ए-ओहद से वापसी के वक्त आराम करने के लिए इस जगह कुछ देर ठहरे थे इसे मस्जिदे सुत्राव कहा जाता है। यह मस्जिद, नबी करीम (स.) के दौरे मुबारक में ही तअमीर कर दी गई थी।

**मस्जिदे फ़तहः—** मस्जिदे फ़तह, मदीना मुनव्वरा की शुमाल में एक पहाड़ ‘सल्त’ में वाके है। इस को मस्जिदे फ़तह इस लिए कहा जाता है के अल्लाह तआला ने ग़ज़वा-ए-ख़ंदक के दौरान इस जगह नुस्रत व फ़तेह की वही नबी करीम (स.) पर नाज़िल की थी और नबी करीम (स.) ने सहाबा कराम (रज़ी.) से फरमाया था के “अल्लाह तआला की तरफ से नुस्रत व फ़तेह की वही पर खुश हो जाओ।”

**मस्जिदे ग़मामा:-** यह मस्जिद, मस्जिदे नबवी (स.) के जुनूब-मग़रिब में बाबे सलाम से आधा किलो मीटर के फासले पर वाकेअ है। यह इस मैदान में है जिसे रसूल अल्लाह (स.) ने नमाज़े ईद के लिए मुन्तखब फरमाया था। एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम (स.) ने नजाशी (रज़ी.) की गायबाना नमाज़े जनाज़ा भी इस जगह पढ़ाई थी। इसे मस्जिदे ग़मामा इस लिए भी कहा जाता है के नमाज़ के दौरान एक बादल ने आप (स.) को धूप से साया किये रख्या था।

**जबले ओहदः—** ओहद पहाड़ एक बड़ा पहाड़ है जो मदीना मुनव्वरा की शुमाल की जानिब और मस्जिदे नबवी (स.) से साढ़े पांच किलो मीटर के फासले पर वाकेअ है। यह हरम की हुदूद के अंदर है। इस की लम्बाई ६ किलो मीटर और रंग सुर्खी माझल है।

नबी करीम (स.) ने इस की फ़ज़ीलत के बारे में इशाद फरमाया ‘यह एक ऐसा पहाड़ है, जो हम से मुहब्बत करता है और हम इस से मुहब्बत करते हैं।’ ओहद पहाड़ ही के पास ग़ज़वा-ए-ओहद हुआ था, जिस में नबी करीम (स.) के चचा सैय्यदना हमज़ा (रज़ी.) और दूसरे मुसलमान शहीद हुए थे। आप का रुबाइ दांत टूट गया था। आप का चेहरे अनवर ज़ख्मी हुआ था और आप के होठ मुबारक पर भी ज़ख्म आए थे। इस पहाड़ के दामन में शोहदा-ए-ओहद की कब्रें हैं।

**जन्नतुल बक़ीः—** यह मस्जिदे नबवी (स.) से बिल्कुल करीब एक कब्रस्तान है जिस में तकरीबन ९० हज़ार सहाबा (रज़ी.) मदफून हैं। नबी करीम (स.) की औलाद अतृहार (रज़ी.) और अज़्जाजे मुतहरात (रज़ी.) भी यहाँ मदफून हैं।

मदीना मुनव्वरा के कई बाज़ार मुहल्ले और बाज़ों का ज़िक्र हदीस शरीफ में

(बाकी पेज 72 पर)

# रौज़ा-ए-मुबारक की तफसील

- १) सन ८७ हिजरी तक मस्जिद नववी के मशरिकी जानिब अज्जाजे मुतहरात के हुजरात शरीफा मौजूद थे और हुजूर (स.) की कब्र मुबारक मस्जिद के बाहर हज़रत आईशा सिद्दीका (रज़ी.) के हुजरे में थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने सन ८७ हिजरी में सारे हुजरात ख़रीद कर मस्जिद में शामिल कर लेने का फैसला किया क्योंकि उस वक्त तक सारी अज्जाजे मुतहरात फौत हो चुकी थीं और मस्जिद में जगह की सख़्त किल्लत थी। मस्जिद के तौसी के वक्त हज़रत आईशा सिद्दीका (रज़ी.) के हुजरे को छोड़ कर सारे हुजरे में शामिल कर लिए गए। उस वक्त हज़रत आईशा (रज़ी.) के हुजरे की दीवारें कच्ची और छत लकड़ी की थीं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने हुजरे के अतराफ़ बगेर खिड़की, दरवाज़े की ऊँची मज़बूत दीवार तभीमीर कर दी। हुजरा चौकोर था मगर बाहरी दीवारें पाँच कोनों की बनाई गई ताकि इस की मुमासिलत काबा शरीफ से न हो। अगले छः सौ साल तक मस्जिद की छत और हुजरा की ऊपर की छत एक ही थी कोई गुंबद न था, सिर्फ़ निशान के तौर पर रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर मस्जिद की छत को थौड़ा ऊँचा कर दिया गया था ताकि कोई ग़लती से रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर वाली छत पर न चला जाए।
- २) सन ६६८ हिजरी में पद्ली बार सुल्तान रूक्नउद्दीन बेबरस ने हुजरा के अतराफ़ पाँच कोनों वाले कमरा के अतराफ़ लकड़ी की जाली लगवाई थी जो कि दस से बारह फ़िट ऊँची थी। सन ६६४ हिजरी में शाह जैनउद्दीन कुहुबग़ा ने इस जाली को ऊँचा कर के मस्जिद की छत तक कर दिया। फिर सन ८८६ हिजरी में सुल्तान कातिबाई ने इन जालियों को लोहे और पीतल से बदल दिया। अब किल्ला की तरफ़ की जाली पीतल की है और बाकी तीनों तरफ़ लोहे की जालियाँ हैं जिन पर सब्ज़ रंग चढ़ा हुआ है। इन जालियों में चार दरवाज़े हैं। एक किल्ला की तरफ़ बाब-उल्लौबा, दुसरा मगरिब की तरफ़ बाबे-उल्लफूद, तीसरा मशिरक की तरफ़ बाबे-फ़ात्मा और चौथा शुमाल की तरफ़ बाबे-उल्लतहज़ूद। इन दरवाज़ों से दाखिल होकर भी पाँच कोनों वाले अहाते के बाहर तक ही पहँचा जा सकता है। रौज़ा-ए-मुबारक को देखना या इस तक पहुँचना किसी के लिए भी मुस्किन नहीं है।
- ३) सन ८७८ हिजरी में सुल्तान कातिबाई के दौर में दीवारें कमज़ोर हो जाने की वजह से इन की फिर तभीमीर की गई। ऊँची ईसाइ और यहूदी तरह तरह की साज़िशें किया करते थे। इस लिए सुल्तान ने हुजरे की दीवारों को भी मज़बूत पथर का बना दिया। सीधी (Flat) छत चूंकि कमज़ोर होती है और बार बार मरम्मत करना पड़ती है और मरम्मत के वक्त मज़दूरों को रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर छत पर भी काम करना पड़ता है जो एहतेराम के खिलाफ़ है। इस लिए सुल्तान ने छत को भी मज़बूत गुंबद की तरह बनाने का हुक्म दिया। इन दीवारों और गुंबद में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। सिर्फ़ ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा सूराख़ है जिस से रौज़ा-ए-मुबारक आसानी से नज़र आता है। सन ८७८ हिजरी में दीवारों की तजदीद के वक्त अल्लामा समहूदी को हुजूर (स.) की कब्र मुबारक की जियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। वह लिखते हैं कि तीनों कब्रें कच्ची हैं। ज़मीन के बराबर हैं या सिर्फ़ थोड़ी से उभरी हुई हैं। कुबूर के अतराफ़ कोई पथर या ईंट बगेरह लगी हुई नहीं हैं। दीवारों और गुंबद की तभीमीर के बाद फिर किसी को यह सआदत हासिल नहीं हुई क्योंकि यह इमारत आज भी वैसी ही है।
- ४) रौज़ा शरीफ के ऊपर मस्जिद की छत पर पहली बार गुंबद, शाह मंसूर कलाउन सालेही ने सातवीं सदी के आखिर में बनवाया था। ये लकड़ी का था और ऊपर से सीसा (Lead) के पतरे चढ़े हुए थे। सीसा चूँकि सिलेटी होता है इस लिए गुंबद का रंग भी सिलेटी था। सन ८७९ हिजरी में मस्जिद में आग लग गई थी जिस से इस गुंबद को नुकसान पहुँचा इस लिए सुल्तान कातिबाई ने इसे देवारा मज़बूत इंटों और पथरों से तभीमीर करवाया। अगले साढ़े तीन सौ साल तक यह गुंबद इसी तरह रहा। इस वक्त गुंबद सफेद या सिलेटी रंग से रंगा जाता था।
- ५) सन ९९६-९९८ ई. में दो इसाइयों ने सुरंग लगा कर हुजूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक तक पहुँचने की कोशिश की थी। नूरुद्दीन ज़ंगी ने उन्हें पकड़ कर कल दिया और रौज़ा-ए-मुबारक के चारों तरफ़ पानी की सतह तक मज़बूत सीसा और पथर की दीवार बना दी, जो आज तक मौजूद है। सन ९२३-४ हिजरी में सुल्तान महमूद उस्मानी ने इसे फिर से तभीमीर करवाया, और हरे रंग से रंगा। यानी गुंबद खिलारा तभीमीर हुए तक़ीबन दो सौ साल हो चुके हैं। इस गुंबद में एक छोटा सा सूराख़ है, जो कि नीचे बने हुजरा के गुंबद के ठीक ऊपर है। यह सूराख़ किल्ला की तरफ़ है। जब सूरज ठीक ऊपर होता है, सूरज की रौशनी रौज़ा-ए-मुबारक पर पड़ती है। बारिश के दिनों में बारिश का पानी भी रौज़ा-ए-मुबारक पर टपकता है।
- ६) हुजूर (स.) के रौज़ा-ए-मुबारक और मस्जिद का नक्शा जुबानी बयान किया जाए तो वह इस तरह है। के आप (स.) की कब्र मुबारक कच्ची है। कब्र ज़मीन से कुछ ही ऊँची है। उस के बाहर पथर का बना हुआ चौकोर कमरा है। जिस पर एक छोटा गुंबद है। उस के बाहर पाँच कोनों की दीवार का अहाता है। जो मज़बूत है और पथरों से बना है। पहले इस पर गिलाफ़ चढ़ाया जाता था। जो कि आज भी उस पर पड़ा हुआ है। इस अहाते के बाहर लोहे और पीतल की जाली का अहाता है। हम और आप इसी जाली के सामने जाकर अपना दुर्दद व सलाम पेश करते हैं। इन सारी इमारतों को धेरे हुए मस्जिद की इमारत है और मस्जिद की छत पर ठीक रौज़ा-ए-मुबारक के ऊपर हरा गुंबद है। रौज़ा-ए-मुबारक के अतराफ़ के कमरे और दीवारों में कोई खिड़की या दरवाज़ा नहीं है। ऊपर के दोनों गुंबदों में सिर्फ़ एक छोटा सा सूराख़ है। जो कि एक सीधे में है रौज़ा-ए-मुबारक से आसान नज़र आता है। इस सूराख़ से सूरज की रौशनी कब्र मुबारक पर पड़ती है।

## रियाजुल्जन्नत, मिम्बर और सुतून का व्यान:-

### १) रियाजुल्जन्नत:-

हज़रत अबु हुरैरा (रज़ी.) से रियायत है कि नबी अकरम (स.) ने फरमाया, ‘‘भेरे घर और मिम्बर के दरम्यान जो जगह है वह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिम्बर क्यामत के दिन हौज़ (कौसर) पर होगा। (बुखारी शरीफ)

पहले रियाजुल्जन्नत की लंबाई और चौड़ाई  $15 \times 26.5$  मीटर थी। मगर अब चूँकि कुछ हिस्से में कोई पथर की दीवार नहीं हैं। दीवारों और गुंबद की तभीमीर के बाद फिर किसी को यह सआदत हासिल नहीं हुई क्योंकि यह इमारत आज भी वैसी ही है।

### २) मिम्बर शरीफ:-

शुरू शुरू में हुजूर (स.) ज़मीन पर खड़े होकर एक ख़ज़ूर के पेड़ के तना का सहारा ले कर खुत्बा दिया करते थे। मगर चूँकि देर तक खड़ा रहना

तकलीफदेह था इस लिए सहाबा-ए-किराम (रजी.) ने तीन सीढ़ीयों का एक मिम्बर बना दिया। आप (स.) तीसरी सीढ़ी पर बैठते और दूसरी सीढ़ी पर पांव रख कर खुत्ता दिया करते थे।

ये मिम्बर लकड़ी का था जब बोसीदा हो गया तो हज़रत अमीर मुआविया (रजी.) ने इसे नीं सीढ़ियों वाला बना दिया। उस के बाद ये कई बार बदला गया। अब जो मिम्बर मस्जिद नबवी में है वह सन ६६८ हिजरी में सुल्तान मुराद सुव्वम उस्मानी का भेजा हुआ है और बारह सीढ़ीयों का है। सऊदी हुकूमत ने इस पर सोने की पालिश वगैरह कर के और खुबसूरत बना दिया है।

मिम्बर कई बार बदले गए मगर जगह आज तक वही रही जो हुजूर (स.) के बक्त्र में थी।

निसाई में हज़रत उम्मे सलमा (रजी.) से रिवायत है कि रसूल अकरम (स.) ने फ़रमाया “मेरे मिम्बर के पास बहिश्त की सीढ़ी होंगी।”

### ३) मेहराबे नबवी:-

जिस जगह आप (स.) नमाज़ पढ़ा करते थे। आप (स.) की वफ़ात के बाद हज़रत अबुबकर सिद्दीक (रजी.) ने आप (स.) के सिजदा की जगह दीवार बना दी ताकि आप (स.) के सिजदे की जगह किसी के कदम न पड़े। चारों खुल्काए राशदीन के ज़माने में कोई मेहराब वगैरह नहीं थी। सन ६९ हिजरी में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने दौर में इस दीवार को एक मेहराब की शक्ति दे दी। जो कि आज तक कायम है। अब जो कोई इस मेहराब की सामने नमाज़ पढ़ेगा तो आप (स.) के कदम मुवारक की जगह पर सिजदा करेगा।

इस मेहराब के पीछे मेहराब की दीवार में ही एक सुतून है जिसे सुतून हिनाना भी कहा जाता है। इस जगह पहले एक खजूर का तना था हुजूर (स.) इसी जगह खड़े होकर खुत्ता दिया करते और नक़िल नमाज़ पढ़ा करते थे। आज कल जिस मेहराब या मुसल्लों पर इमाम खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाते हैं यह मेहराब उस्मानी है क्योंकि यह हज़रत उस्मान जुलूरैन (रजी.) ने बनवाया था। हज़रत उमर फ़ारुक (रजी.) को मेहराबे नबवी पर ही खंजर से हमला कर के शहीद किया गया था। जब मस्जिद की तीसी हुई, तो हज़रत उस्मान (रजी.) ने किला की तरफ मस्जिद की तीसी कर के नया मुसल्ला या मेहराब बनाया और अगली सफ़ों को जाती से धेर दिया ताकि उसी तरह नमाज़ के दौरान उन पर भी हमला न हो। अब वह जालियाँ तो नहीं हैं। मगर मेहराब वही है।

### ४) सुतूने आईशा (रजी.):-

हुजूर (स.) ने फ़रमाया के मेरी मस्जिद में एक जगह ऐसी है कि अगर लोगों को इस की फ़र्जीलत मालूम हो जाए तो वहाँ नमाज़ की अदाईगी के लिए आपस में कुरा अंदाज़ी करें। चूंकि हज़रत आईशा (रजी.) ने इस जगह की निशानदी की थी इस लिए इसे सुतूने आईशा(रजी.) कहा जाता है।

### ५) सुतूने अबु लबाबा:-

ग़ज़्ब-ए-खंदक के बाद हज़रत अबु लबाबा से गैर शउरी तौर पर एक शुल्ती हो गई थी। जिस के लिए वह बहुत नादिम हुए और तौबा इस्तग़फ़र किया और अपने आप को इस सुतूने से बांध लिया और ये अहद किया कि जब तक अल्लाह तभाला मेरी तौबा कुबूल न करेंगे मैं इस सुतून से बंधा रहूँगा। अल्लाह तभाला ने इन की तौबा कुबूल की तब उन्होंने अपने आप को आजाद कराया। इस सुतून को इस लिए उन के नाम से याद किया जाता है। यहाँ आप (स.) नमाज़ अदा किया करते थे।

### ६) सुतूने सरीर:-

इस जगह रमज़ान के आख़री अशरा में एतिकाफ के लिए हुजूर (स.) का विस्तर विछाया जाता था। आप (स.) के बाद हज़रत उमर फ़ारुक (रजी.) ने भी यहीं एतिकाफ किया और इमाम मालिक (रह.) मस्जिद में इसी जगह बैठा करते थे।

### ७) सुतूने हिस्से:-

इस सुतून के पास वे सहाबा किराम बैठा करते थे, जो आप (स.) की हिफ़ाज़त पर मामूर होते थे।

### ८) सुतूने वफ़ूदः-

जब अरब के वफ़ूद हाज़िरे ख़िदमत होते तो आप (स.) उन से इसी जगह मुलाकात फरमाया करते।

सुतूने सरीर, सुतूने हिस्स और सुतूने वफ़ूद अब आधे जाली के अंदर हो गए हैं।

सहाबा किराम (रजी.) नमाज़ों के लिए सुतूनों की तरफ जल्दी पहुँचते क्योंकि सुतून नमाजियों के लिए सतरा (आड़) का काम भी देता है। हज़रत बुखारी (रह.) ने हज़रत अनस (रजी.) से रिवायत की है कि मैंने देखा कि बड़े बड़े सहाबा किराम (रजी.) मग़रिब के बक्त मस्जिद की सुतूनों की तरफ दौड़ पड़ते। सहाबा किराम (रजी.) ने सुतूनों के पास नमाज़ पढ़ी है इस लिए उन के पास नमाज़ पढ़ना मुस्तहब है।

### ९) सुतूने तहजुदः-

यह वह सुतून है जहाँ नबी करीम (स.) नमाज़े तहजुद अदा किया करते थे।

### १०) सुतूने जिब्रीलः-

यह वह मुकाम है जहाँ नबी करीम (स.) की हज़रत जिब्रील (अ.स.) से मुलाकात हुई थी। विसाल से पहले वाले रमज़ान में नबी करीम (स.) ने हज़रत जिब्रील के साथ कुरआन शरीफ का दौर इसी जगह फरमाया था। यह दोनों सुतून बिल्कुल रोज़े मुबारकों के अंदर आ गए हैं। इसलिए बाहर से नज़र नहीं आते। गुम्बदे ख़िज़रा इन्हीं पर कायम किया गया है।

### ११) असहाबे सुपक्षः-


सुफ़ा साएबान और साएदार जगह को कहा जाता है। कदीम मस्जिदे नबवी के (स.) के शुमाल में मशरिकी किनारे पर मस्जिद से मिला हुआ एक चबूतरा था। यह जगह इस बक्त बाबे जिब्रील से अंदर दाखिल होते बक्त मक्सूरा शरीफ के शुमाल में मेहराबे तहजुद के बिल्कुल सामने दो फिट उँचे कटहर्णे में खिरी हुई है। इसकी लंबाई चौड़ाई ४० X ४० फिट है इसके सामने खुदादम बैठे रहते हैं और यहाँ लोग कुरआन पाक की तिलावत में मसरूफ रहते हैं।

१२) सउदी हुकूमतने मदीना मुनव्वरा में शानदार म्युझीयम बनाया है। जिसमें नबी करीम (स.) के जमाने के घर और इस्तेमाल होने वाली चिज़ों को रखा है। इसे देखकर अपने इमान को जरूर ताजा करें।

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼


नबी करीम (स.) ने औरतों को वा जमानत नमाज़ पढ़ते बक्त उन्हें आखिरी सफ में खड़े होने का हुक्म दिया, और इस का भी हुक्म दिया के वह मर्दों के बाद सिजदे से सिर उठाएं, ताके मर्दों के पोशिदा सतर पर नज़र ना पड़े।

इस हुक्म के सहाबा किराम रज़ि० की औरतें रास्ते के इतना किनारे चलती थीं कि उनके कपड़े दीवारों से रगड़ खते थे।



## हुजरा आईशा (रजी.) और रियाजुल्जन्त की तफसील

जन्नतुल बकी का यह एक नायाब नवशा है। सदी हुकूमत ने कब्रों पर सारे निशानात मिटा दिए हैं, और ना ही किसी को किसी कब्र की निशान-दही की इजाज़त है। इस नवशा के ज़रिए आप हज़रत उस्मान (रज़ि.), उम्महातुल मोमिनीन, हज़रत हलीमा और दीगर मोहतरम हज़रात के मज़ारात की ज़ियारत कर सकते हैं।



## पेज 60 का बक्तिया....हज कैसे करें?

- ऐसा ही मामला १२ जिल्हज्जा की शाम को मिना में होगा। वह लोग जो अफ़ज़ल औकात में अंरकान सही तरीके से करने के लिए टुटे पड़ते थे १२ तारीख कि शाम को अपना बोरीया बिस्तर लपेटकर मिना से गायब हो जाएंगे। क्योंकि १३ तारीख को मिना में रुकना वाजिब नहीं है। “बस सुन्नत ही तो है।”
- नवी करीम(स.) ने हज्जतुल विदा के मौके पर लोगों को बार बार फरमाया कि, “लोगों! मुझ से हज सीख लो, हो सकता है यह मेरा आखरी हज हो।” आप (स.) ने खुद ऐसा तरीका उम्मत के सामने पेश किया जो आसान था। मिसाल के तौर पर आप (स.) ने सहाबा (रजी.) से फरमाया कि अगर कुर्बानी के जानवर साथ नहीं है, तो उम्रह के बाद एहराम उतार दे और हाजे तमत्तओं करें। आप (स.) ने नमाज़ करके पढ़ी। आप (स.) ने मुज़दल्फा की रात आराम किया। आप (स.) ने औरतों और कमज़ोर लोगों को रात में मिना जाने की इजाजत दी। आप (स.) ने हज्जे अस्वद को दूर से ही इस्तलाम करने की इजाजत दी वगैरह वगैरह।  
मगर जहाँ तक मिना से गैर हाजिर रहने की बात है तो सिर्फ हज़रत अब्बास (रजी.) ने आप (स.) से हाजियों को पानी पिलाने के लिए मस्जिदे हरम में रहने की इजाज़त माँगी थी और मैंने एक भी ऐसी रिवायत नहीं पड़ी किसमें सवा लाख असहावे किराम में से किसी ने १२ तारीख की शाम मक्का लौटने की आप (स.) से इजाज़त माँगी हो। नवी करीम (स.) और तकरीबन सवा लाख सहावे कराम(रजी.) जिन्होंने आप (स.) के साथ हज किया, १३ तारीख को रमी जुमार के बाद ही मक्का मुकर्रमा लौटे।
- अल्लाह तआला ने कुरआन शरीफ में फरमाया कि अगर कोई १२ तारीख को मक्का लौट जाएं तो कोई गुनाह नहीं, तो यह आसानी का मामला अल्लाह का करम है। मगर नवी करीम (स.) की सुन्नत १३ तारीख को ज़्यावल के बाद, रमी जुमार के बाद ही मक्का मुकर्रमा लौटना है।
- ६ ज़िल्हज्जा से १३ ज़िल्हज्जा यह अच्याम तशरीक कहलाते हैं। नवी करीम (स.) ने फरमाया, “अच्यामें तशरीक खाने पीने और अल्लाह का जिक्र व अज्ञार करने के दिन होते हैं।” (मुस्तिम)। तो इन दिनों में कसरत से अल्लाह तआला का जिक्र और इबादत करनी चाहिए। इसलिए अगर कोई मजबूरी न हो तो १३ तारीख को मिना में ही रुके, इबादत में दिन गुजारें, ज़्यावल के बाद रमी जुमार करें और इसके बाद मक्का मुकर्रमा रवाना हो।
- अगर कोई मजबूरी हो तो कोशिश करें की १२ तारीख की शाम से पहले मिना से रवाना हो जाएं क्योंकि शरीयत के मुताबिक अगर मिना में सूरज गुरुब हो गया तो आपको मिना में रुकना ज़रूरी है। मगर अब चूँकि रमी जमार में ज़्यावल के बाद बहुत भीड़ होती है और उल्मा ने सुबह सादिक तक रमी जमार की सलाह दी है और कहा है कि इन्शा अल्लाह यह मकरुह नहीं होगा। इसलिए अब अगर आप सुबह सादिक तक भी मिना से निकल गएं तो इन्शा अल्लाह गुनाह न होंगा।  
इस तरह अल्लाह तआला के करम और फ़ज्ज से आप के हज के सारे अंरकान पूरे हुए। मक्का मुकर्रमा में सिर्फ एक ज़्यारी और वाजिब अमल आप का बाकी रहा वह है तवाफे विदा।

### तवाफे विदा:-

हज के बाद जब मक्का मुकर्रमा से वतन या मरीना जाना हो तो रुकससी का तवाफे या तवाफे विदा किया जाता है। यह हर बाहर रहने वाले “आफाकी” पर वाजिब है।

मक्का मुकर्रमा या मिकात की हुद्दे में रहने वाले और सिर्फ उम्रह की नीयत

## पेज 62 का बक्तिया....हज्जे बदल

हैं। इसलिए अगर किसी हज्जे बदल करने वाले को वक्त से ज़्यादा पहले जाने की मजबूरी हो तो और लम्बे एहराम वाजिबाते एहराम की पाबंदी मुश्किल नज़र आए तो उस के लिए हज्जे तमत्तओं कर लेने की गुन्जाइश है। (जवाहर्सुल फिकार, जिल्ड अब्बल, पेज ५५६)

इस लिए मौजूदा हालात में अगर अफ़राद और किरान की वजह से इतने दिन हालते एहराम में रहना पड़े कि हाजी के लिए इस को बरदाश्त करना मुश्किल हो तो हज्जे बदल में भी हज्जे तमत्तओं की गुन्जाइश है। (जदीद फ़िकारी मसाइल, जिल्ड अब्बल, पेज ५६७, २६८)

- ३) हज्जे बदल में मामूर को हज्जे अफ़राद करना चाहिए ताकि हज्जे आफाकी और हज्जे मीकाती हो जाए। क्यूंकि तमत्तओं करने में उमराह तो आफाकी हो जाता है, मगर हज्जे-आफाकी नहीं होता बल्कि हज्जे मक्की हो जाता है। लैकिन गैर तलब बात यह है कि हज्जे बदल में मामूर कुल्ली तौर पर आमिर की नियावत करता है और आमिर को हज की तीनों किस्मों में से किसी एक का इखियार करने का हक हासिल था जो आमिर जो फाइले मुख्तार है अगर वह अपने मामूर को तीनों किस्मों में से किसी एक का इखियार दे दे तो क्या अश्काल है?

जवाब: इस लिए आमिर की इजाजत से हज्जे बदल में तमत्तओं बिला तरदुद जायज़ होगा चाहिए। अल्बत्ता तमत्तओं का दम आमिर के माल से ना होगा बल्कि मामूर पर लाज़िम होगा। लैकिन अगर मामूर ब-खुशी अदा करता है तो यह भी जाइज़ है। हाँ अल्बत्ता हज्जे बदल में हज्जे अफ़राद करना ज़्यादा अफ़ज़ल होगा। (जवाहर्सुल फिकार, जिल्ड अब्बल, पेज ५१३, ५१४, ईफ़ाहुल मनासिक पेज ५१२, अहसनुल फतवा जिल्ड ४, पेज ५२३, अन्वार मनासिक पेज ५५०)

- ४) इस ज़माने में आफाकी का हज्जे तमत्तओं करना ही ज़्यादा मञ्चूरूफ है। इसलिए उरफन आमिर की तरफ से हज्जे तमत्तओं की इजाजत सावित होती है, लिहाजा सराहत के साथ इजाजत की ज़रूरत भी नहीं। (ईफ़ाहुल मनासिक पेज ५१२, ५२३, अहसनुल फतवा जिल्ड ४, पेज ५२३, अन्वार मनासिक पेज ५५०)
- ५) अब हज्जे तमत्तओं का मसला गैर तलब है कि जब आमिर ने तमत्तओं की इजाजत दे दी तो कुर्बानी भी उसी के माल में से होगी। महियत की तरफ से हज्जे बदल हो तब भी यही हुम्म है जबकि सब वारिस मिल कर ब-खुशी इस की इजाजत देते हों। (अन्वार मनासिक पेज ५५१)

- ६) हज्जे बदल में चूँकि बहुत से फुकड़ा ने आमिर की इजाजत के साथ तमत्तओं करने की इजाजत दी है। इस लिए शरीद मजबूरी तमत्तओं करने की आ जाए तो और तमत्तओं कर ले तो अल्लाह तआला से उम्मीद है कि हज करने वाले का फर्ज अदा हो जाएगा। (अह्कामे हज पेज ५२०, हज़रत मौलाना मुहम्मद शफी साहब (रह.))

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

## बच्चे के हज का सवाब माँ को

हज़रत इब्ने अब्बास (रजी.) से रिवायत है कि रसूल अल्लाह (स.) रोहा(१) में एक काफिले से मिले। आप (स.) ने फरमाया, तुम लोग कौन हो? अर्ज किया हम मुसलमान हैं और आप कौन हैं। फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो एक औरत ने (कजावे से) बच्चे को ऊंचा कर के दिखाया और अर्ज किया “क्या इस के लिए हज है? आप (स.) ने फरमाया, हाँ! है, लैकिन सवाब तुमको मिलेगा।”

# मदीना मुनव्वरा का सफर

- नबी करीम(स.) का इशारा है कि जिस ने भी मेरी मस्जिद(मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त की नमाज़ बा जमात अदा की और कोई नमाज़ कज़ा न की, तो वह निफाक और जहन्नुम के आज़ाब से निजात पाएगा।
- मस्जिदे नबवी (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) में ४० वक्त बा जमात नमाज़ पढ़ने की इतनी बड़ी फ़ज़ीलत है इसलिए आपका मदीना का कथाम कमअज़कम ८ दिन का होगा। ताकि ८ दिन आप पांच वक्त की नमाज़ बाज़मआत अदा कर सके।
- अगर आप की फ्लाईट हज के अव्याम से बहुत पहले हैं, तो पहले आप मदीना मुनव्वरा जाएँ। फिर वहाँ ४० वक्त की नमाज़ पढ़कर मक्का मुकर्रमा का सफर करेंगे।
- अगर मक्का मुकर्रमा से पहले मदीना मुनव्वरा का कथाम हो तो, सफर से पहले ऐहराम पहनने की ज़रूरत नहीं होगी। मदीना मुनव्वरा के कथाम के बाद में आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए सफर करेंगे तब आपको ऐहराम पहनना होगा।
- मदीना मुनव्वरा में रिहाईश के लिए सबके दर्जे एक जैसे है मक्का मुकर्रमा की तरह पहला, दुसरा और तीसरा दर्जा वर्गीरा नहीं है।
- मदीना मुनव्वरा में सर्दी का मौसम मक्का मुकर्रमा से ज्यादा शदीद होता है। इसलिए अगर आपका मदीना मुनव्वरा का कथाम सर्दीयों के मौसम में है तो गरम कपड़े जरूर साथ ले जाएं।
- मक्का मुकर्रमा कि बनिस्वत मदीना मुनव्वरा systematic और पुरस्कून शहर है। शहरी शरीफ और ईमानदार है। अगर आप हस्सास तबीयत के मालिक हैं तो मदीना मुनव्वरा में आप को हमेशा रहमत व स्कीनत का ऐहसास होगा।
- मदीना मुनव्वरा भी मक्का मुकर्रमा कि तरह हरम शरीफ है। यहाँ पर भी जानवरों का मारना, डराना, झाड़ियों को या घास तोड़ना, झगड़ा करना, रास्ते पर पड़ी चीज़े उठाना वैरा हराम है।
- हदीस शरीफ के मुताबिक दुनिया में सिर्फ तीन मुकामात की ज़ियारत के लिए सफर किया जा सकता है। १. मस्जिदे हराम (मक्का मुकर्रमा), २. मस्जिदे नबवी(स.), ३. मस्जिदे अक्सा। तो जब आप सफर करें तो नीयत मस्जिदे नबवी(स.) में नमाज़ पढ़ने कि करें।
- एक हदीस के मुताबिक मस्जिदे नबवी की एक नमाज़ का सवाब दुसरी मस्जिदों से पचास हज़ार गुना ज़्यादा है।

## हाज़िरी के आदावः—

- अल्लाह तभाला का कुरआन शरीफ में हुक्म है कि :


يَأَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا لَا تُرْفُقُوا أَصْوَاتُكُمْ فَوْقَ صُوتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا إِلَيْهِنَّ كَجَهْرٍ بِعَضُّكُمْ لِيَعْضُّ أَنْ تَجْهَرْ أَعْمَالُكُمْ وَإِنَّمَا لَا شَعْرُونَ  
①  
(سورة حم، آيات ۱۰۷-۱۰۸)

“या अस्युह्लाज़ाना आमनू ला तर फ़ऊ अस्वा-तकुम फौका सौतिन्बिय्यी वला तज-हरू लहू बिल कौलि क-जहरि बअ-जिकुम लि-बअ-जिन अन तह-ब-त अअ-मालुकुम व अन्नुम ला तश-उरून।”


“ऐ ईमानवालों! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद न करों और न नबी (स.) के साथ ऊँची आवाज़ से बात किया करों, जिस तरह तुम आपस में एक दुसरे से करते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हरे नेक आमाल सब बर्बाद हो जाएं और तुमको खबर भी न हो।” (सुर्हे हुजरात : २)

- मस्जिदे नबवी की हाजिरी किसी भी शहनशाह के दरबार में हाजिरी से बढ़कर हैं। एक बादशाह के दरबार में वे अदबी से सिर्फ जान का खतरा रहता हैं। और नबी (स.) के दरबार में वे अदबी से अखिरत की बरबादी का खतरा रहता है। इसलिए वह लोग जो नबी(स.) की अज़मत को समझते थे, उन्होंने नबी (स.) कि ताज़ीम की वह मिसाल कायाम की है कि तारीख में और कहीं ऐसी मिसालें नहीं मिलती। इनकी ताज़ीम की चंद मिसाले नीचे दी गई है।
- हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) ईमान लाने के पहले नबी करीम(स.) और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। नजाशी के दरबार में आप ही मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने गए थे। आप सख्त जंगजू और इन्तिहाइ ज़हीन थे। हज़रत उमर (रज़ी.) के जमाने में आप (रज़ी.) ही ने मिस्र फतेह किया था। हज़रत उमर बिन आस (रज़ी.) कहते हैं कि ईमान लाने के बाद मैंने कभी नज़र भरकर हुजूर (स.) के चेहरे अनवर को नहीं देखा। नबी करीम (स.) के दरबार में अदब से हमेशा सिर झुकाए रखता।
- हज़रत इमाम बुखारी(रह.) की हदीस की किताब कुरआन शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मौअतबर मानी जाती है। हज़रत इमाम बुखारी(रह.) और हज़रों अल्लाह वालों ने मदीना शरीफ की मुकद्दस जमीन पर ऐहतराम की वजह से न कभी जुरे पहने और न कभी सवारी पर सवार हुए।
- तुर्की के हुक्मराह जिनसे यूरोप और एशिया के मुसालिक कांपते थे, जब मस्जिदें नबवी बनाने का इरादा किया, तो पहले हाफ़िज़ मर्द और हाफ़िज़ औरतों को चुना। फिर उनका निकाह किया। फिर उनसे जो औलाद हुईं उन्हें भी हुक्मत की सरपरस्ती में हाफ़िज़ बनाया और साथ-साथ ईमारत बनाने का हुनर सिखाया और माहिर कारीगर बनाया। फिर इन माहिर कारीगरों ने दिली ऐहतराम के साथ दरूद व सलाम और कुरआनी आयात का विर्द करते हुए मस्जिदें नबवी की ईमारत को तअमीर किया। पथर तराशने का काम शहर से बाहर करते और जब कभी किसी पथर को मज़ीद तराशने की नौबद आती तो फिर उसे मदीना मुनव्वरा से १२ मील दूर ले जाकर तराशा जाता है कि नबी करीम(स.) को आवाज़ से तकलीफ न हो।
- मस्जिदें नबवी (स.) एअर कंडीशन्ड हैं। मगर आज भी इसकी एअर कंडीशनीग मशीन मस्जिद में नहीं है बल्कि मस्जिदे नबवी (स.) से ७ किलो मीटर दूर हैं और वह मशीनें इतनी दूर से मस्जिद को पाईपलाइन के जरिए ठंडा करती हैं।
- एक बार एक बुजूर्ग ने मदीना के कथाम के वक्त मदीना के दही की शिकायत की, कि वहुत खट्टी होती है। रात को एक बुजूर्ग हस्ती ने उनको तबी किया कि अगर आपको यहाँ की दही पसंद नहीं हैं, तो मदीना से निकल जाओ।
- एक बार मैं मस्जिदे नबवी (स.) में जमात से बहुत पहले पहुँच गया। जमात का वक्त करीब आया तो मस्जिद भर गई। एक हिंदुस्तानी भाई मुझे हिंदुस्तानी पहचानकर मेरे करीब आए और दरखास्त की, कि अगर मैं दो ज़ानों बैठ जाऊं, तो उनके बैठने

(बाकी पेज ४३ पर)



रैज़ा-ए-नबवी (स.) की  
आउट लाइन (नक्शा)



# दरबारे रिसालत कि पहली हाज़री

## नबी करीम(स.) की अपनी उम्मत से मोहब्बत:-

- मौहसीन इन्सानीयत (स.) जो इस मस्जिदे नबवी में आराम फरमा है, वह आपसे बैंगनिहा मोहब्बत करते हैं और इसकी गवाही कुरआन शरीफ इन अल्फाज़ में देता है:
 

**لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْهِ مِمَّا يَمْوِلُونَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ** (سूरा अद्दत्ता: १८)

“ल-कद जा-अकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीजुन अलैहि मा अनिल्मु हरीसुन अलैकुम बिल मुअ-मिना रुकुर्हीमा”

“बेशक तुम्हारे पास अल्लाह के पैग़म्बर आए हैं, जो तुम ही में से हैं। उन पर वह चीज़े गिराएं गुज़री हैं जिस से तुम को तकलीफ़ पहुँचें। वह तुम्हारी भलाई का हरीस है। और इमान वालों पर बड़ा शफ़कत करने वाला है।”  
(सुरहे तौबा आयत १८)
- नबी करीम(स.) ने फरमाया: “मुसलमानों में जिसका कोई वारिस नहीं है उसका मैं वारिस हूँ और अगर वह अपना कर्ज़ चुँकाए बगैर मर जाए, तो मैं उसका कर्ज़ चुँकाऊगा।” (बुखारी शरीफ)
- एक हृदीस का मफहूम है कि “ऐ लोगो! मैं तुम लोगों को कमर से पकड़ पकड़ कर जहन्मु के घड़े से दूर लिए जाता हूँ और तुम हो कि उसकी तरफ लपकते रहते हो।” (मुस्लिम)
- एक हृदीस का मफहूम है कि एक मोमिन की जान पर खुद उस मोमीन से ज्यादा मेरा (नबी करीम (स.) का) हक़ है। (मिशकात)
- आप पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान व करम है कि उसने आप को अपने घर (खाने काबा) के दीदार का शर्फ बछा और हज का फरीज़ा अदा करने कि तौफ़िक अता फरमाई। इसके बाद अल्लाह तआला का मज़ीद एहसान व करम हुआ कि उसने आप को नबी करीम (स.) की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और आप(स.) के रोज़े मुबारक के स्वरूप खड़े होकर दरुल व सलाम पढ़ने की तौफ़िक अदा फरमाई तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और दिल की गहराईयों से अदब और एहतराम के साथ मस्जिदे नबवी की तरफ कदम उठाएं।

## मस्जिद में द्वारवलाएः-


- अच्छी तरह से नहा थों कर, नया कपड़ा पहन लें। खुशबू लगा लें और दुरुस्त व सलाम पढ़ते हुए मस्जिदे नबवी की तरफ चलें।
- मस्जिद में दाखिल होते वक्त दाहिना कदम मस्जिद में रखें और ये दुआ पढ़ें
 

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، أَللَّهُمَّ اغْفِنْ لِي، أَبْوَابَ رَمَّتِكَ.**

“बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीमि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्फै-तह-ली अब्बा-ब-रह-मतिका”
- तर्जुमा : अल्लाह का नाम लेकर दाखिल होता हूँ और रसूल अल्लाह (स.) पर दुरुस्त व सलाम भेजता हूँ। ऐ मेरे रब; मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए।
- अगर जमाअत का वक्त न हो तो दो रक़अूत तहीयतुल्मस्जिद पढ़ लें और अगर जमात का वक्त हो, तो पहले जमात से नमाज़ अदा कर लें।
- रौजा मुबारक, मस्जिद में किल्वा की तरफ; (जुनूब की सिस्त) है और रौजा मुबारक की ज़ियारत के लिए आप को मग़रिब की सिस्त से दरवाज़ा नंबर

एक बाबुस्सलाम से दाखिल होना होगा।

- इतेहाई अदब के साथ आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त व सलाम पढ़ते हुए आगे बढ़ें। यह अदब का मुकाम है। आवाज नीची रखें, किसी से गैर जरूरी बात चीत से परहेज़ करें और पूरा व्यान दोनों जहाँ के शांशाह के सामने अपनी हाजिरी पर रखें।
- रौजा मुबारक के सामने तीन जालियाँ हैं। मगर आप (स.), हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) और हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) आप तीनों हज़रत दरम्यानी जाती के पीछे ही आराम फरमा हैं। अपने रौजा मुबारक में हुजूर(स.) का कदम मशिक की तरफ, सर मग़रिब की तरफ और चेहरा अनवर का रुख़ किल्वा की तरफ है (जुनूब की तरफ)। जब आप रौजे मुबारक के सामने खड़े होंगे तो आप की पीठ किल्वा की तरफ होगी और आप का रुख़ हुजूर (स.) की चेहरा अनवर की तरफ होगा।
- आप के पीछे (शुमाल की तरफ) और कांधों की बराबरी में हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) आराम फरमा हैं और हज़रत अबुबक्र सिद्दीक (रज़ी.) के पीछे (शुमाल की तरफ) और कांधों की बराबरी में हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ी.) आराम फरमा हैं।



## हुगूर (स.) पर दरुस्त व सलाम:-

- दरम्यानी जाती में तीन गोल सूराख़ हैं। पहले सूराख़ के सामने आप (स.) का चेहरा अनवर है। यहाँ पहुँच कर रुक जाएं और इस तरह सलाम व सलाम पढ़ें।

**الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللَّهِ**  
**الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ**  
**الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ**  
**الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيقَ اللَّهِ**  
**الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ الْأَبْيَاءِ**  
**الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَنْبِيَاءِ**  
**الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ.**

अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खै-र-खलिल्लाह

अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खा-तमल अम्बिया  
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सव्यदल अम्बियाए वल मुर्सलीन व रह-मतुल्लाहि  
व ब-र-कातुहू  
रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के रसुल (स.)  
रहमत और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के नबी (स.)  
दस्त और सलामती हो तुझपर ऐ अल्लाह के हबीब (स.)  
दस्त और सलामती हो तुझपर ऐ खातम-उल-अंबीया (आखरी नबी)  
दस्त और सलामती हो तुझपर ऐ नबियों के सरदार  
और भेजे हुए पैगंबरों को अल्लाह कि रहमत और उसकी बरकत

### हज़रत अबू बक्र सिद्दीक (रजी) पर दस्त और सलामः-

- ८) हुजूर (स.) पर दुरुद व सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहीनी तरफ बढ़ कर दुसरे सूराख के सामने रुक जाएं। इस सूराख के सामने हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रजी) का चेहरा मुबारक है। यहाँ इस तरह से सलाम पढ़ें।

**السلام عليك يا أبا بكر الصديق  
السلام عليك يا خليفة رسول الله  
السلام عليك يا ولي رسول الله  
السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار ورحمة الله وبركاته.**

अस्सलामु अलैका या अबा बक्रिनसिद्दीक  
अस्सलामु अलैका या खली-फता रसूलिल्लाह  
अस्सलामु अलैका या वज़ी-र-रसूलिल्लाह  
अस्सलामु अलैका या साहिं-ब-रसूलिल्लाहि फील गारी व रह-मतुल्लाहि  
व ब-र-कातुहू।  
जनाब अबूबक्र सिद्दीक (रजी) आप पर सलाम हो,  
रसूल अल्लाह (स.) के खलीफा आप पर सलाम हो,  
रसूल अल्लाह (स.) के वज़ीर आप पर सलाम हो,  
रसूल अल्लाह (स.) के गार के साथी आप पर सलाम, अल्लाह की रहमतें  
और बरकतें हों।

### हज़रत उमर फ़ारुक (रजी) पर दस्त व सलामः-

- ९) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (रजी) पर सलाम पढ़ने के बाद एक फुट दाहीनी तरफ बढ़ और तीसरे सूराख के सामने रुक जाएं। इस सूराख के सामने हज़रत उमर फ़ारुक (रजी) पर इस तरह सलाम पढ़ें।

**السلام عليك يا عمر بن الخطاب  
السلام عليك يا عز الاسلام والمسلمين  
السلام عليك يا ولي رسول الله  
السلام عليك يا امير المؤمنين  
والارامل والايتام ورحمة الله وبركاته.**

अस्सलामु अलैका या उ-म-रञ्जिल खत्ताब  
अस्सलामु अलैका या इज्जल इस्लामि वल मुस्लिमीन  
अस्सलामु अलैका या वज़ी-र-रसूलिल्लाह  
अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुअ्मिनीना वल अरामिलि वल ऐतामि व  
रह-मतुल्लाहि व ब-र-कातुहू।  
आप पर सलाम हो, ऐ उमर बिन अल्खत्ताब (रजी.),

आप पर सलाम हो, ऐ मुसलमानों के अमीर,  
आप पर सलाम हो, ऐ इस्लाम और मुसलमानों की आबरु बढ़ाने वाले,  
आप पर सलाम हो, ऐ फ़कीरों, ज़ईफ़ों, बेवाओं और यतीमों की दस्तगीरी  
और मदद करने वाले और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों।

- १०) हुजूर (स.) का इर्शाद है कि जब कोई मुझ पर दुरुद व सलाम भेजता है तो अल्लाह तआला मेरी रुह को मेरे जिस्म में वापस भेज देता है और मैं उस का जवाब देता हूँ। (मिश्नात)

आप (स.) का इर्शाद है कि अल्लाह तआला ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकरूर कर रखा है। दुनिया में जब कोई मुझ पर दुरुद व सलाम पढ़ता है तो वह फरिश्ते मुझे उस की ख़बर करता रहता है। (तरसीब-राबी हज़रत हसन (रजी.))

आप (स.) का इर्शाद है कि फरिश्ते दुनिया में सियाहत करते रहते हैं, और दुनिया में जो कोई भी मुझ पर दस्त व सलाम पढ़ता है वह मुझ तक पहुँचाते रहते हैं। -(राबी हज़रत आली (रजी.))

इस लिए आप कहीं से भी हुजूर (स.) पर दुरुद व सलाम भेजेंगे वह हुजूर (स.) को ज़खर पहुँचेगा और आप (स.) उस का जवाब देंगे। इस लिए रौज़ा मुबारक के सामने सेक्युरिटी गार्ड और लोगों के हुजुम को हटा कर जाली छूने, चूमने, रुकुअ़ की तरह झुकने और हर तरह की बोअदबी से बचें।



### पेज ६३ का बाकिया....मदीना मुनब्वरा के तारीखी मुकामात

आया है। इन मुकामात के कुछ आसार अब भी बाकी है। जिनकी फेहरिस्त नीचे दी गई है। मदीना मुनब्वरा में जब आप ज़ियारत के लिए निकलें, तो अपने गाइड को इन मुकामात की सैर कराने का ज़खर इसरार करें।

- १) **खाके शिफ़ा:-** इस मिट्टी से हुजूर (स.) ने इलाज का तरीका बताया था।

- २) **कबीला बनी नज़र के मकानात:-** यह हुजूर (स.) कि वालिदा का कबीला था।

- ३) **बागे समुनः:-** यह उस यहुदी का बाग है जिसमें हज़रत अली (रजी.) काम करते थे।

- ४) **बागे सलमान फारसीः:-** इस बाग को हुजूर (स.) ने हज़रत सलमान फारसी (रजी.) को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए अपने हाथों से लगाया था।

- ५) **बैटे खातमा:-** इस कुए में हुजूर (स.) कि अंगुठी हज़रत उस्मान (रजी.) की उंगली से निकलकर कुए में गिर गई थी और बहुत तलाश के बाद भी न मिल सकी।

- ६) **बैटे उस्मानः-** इस कुए को हज़रत उस्मान (रजी.) ने खरीदकर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था।

- ७) **कबीले बनु सलमा कब्रस्तानः-** इस कब्रस्तान में हज़रत जिब्रिल (अ.स.) ने अल्लाह के हक्म से मुर्दों को जिंदा करके हुजूर (स.) के सामने गुपतगू की थी।

मस्जिदे सबक, कबीले सलमा, मस्जिदे बुखारी, कबीला बनु जाफर, कबीला ऐर, जबलै राया इन तारीखे मुकामात के बारे में गाइड से दर्खास्त करें।



हज़रत जाबीर (रजी.) कहते हैं कि रसुले खुदा (स.) ने फर्माया: “सलाम कलाम से पहले हैं।” (यानी मुलाकात के वक्त पहले सलाम करों फिर बाताचित करों।) (तिरमिली)

आप (स.) ने यह भी फर्माया कि, “पहले सलाम करने वाला तक्कबुर से पाक है” (बेहकी)

# नबी-ए-करीम (स.) का ईसार और हमारी जिम्मेदारियां

- नबी करीम (स.) की हमसे मोहब्बत की रिवायतें हम ने पिछले सफ़हात में पढ़े। आप (स.) ने हमारे लिए जो तकलीफ बर्दाश्त कीं और कुर्बानियां दीं, उस की भी मुख्तसर तफ़सील पढ़ते हैं।
- नुबूवत के वक्त नबी करीम (स.) के पास पच्चीस हज़ार दीनार थे। (जो कि पांच हज़ार पांच सौ तीन सोना या तकरीबन जौ करोड़ रुपयों के बैंक बैलेंस के बराबर है) और अच्छी तरह चलता हुआ मुनाफा बख्ख कारेबार था। (एक हज़ार साढ़े तीन आना के बराबर है और सोलह आना का एक तौला होता है) यह सारी रकम जो कि आप (स.) ने कारोबार से कमाया था, मुसलमानों के लिए खर्च कर दिया। आप (स.) की वफ़ात के बक्तु घर में चिराग जलाने के लिए भी तेल न था। माँ आयशा (रज़ी.) ने इंतकाल की रात एक पड़ोसी के घाँस से कर्ज़ लेकर चिराग रौशन किया था।
- नुबूवत के चौथे साल नबी करीम (स.) ने जैसे ही खाना काअब्बा की सिहन में तौहीद का ऐलान किया कुफ़्फ़ारे कौरैश आप (स.) पर टूट पड़े और आप (स.) को बचाने की कोशिश में हज़रत खदीजा (रज़ी.) के पहले शैहर के बड़े लड़के हज़रत हारिस बिन अबी हाले (रज़ी.) शहीद हो गये।
- अबु लहब और उक्बा बिन अबी मुअ़्ती, नबी करीम (स.) के पड़ोसी थे। एक दीवार का इस के घर से मिलती और उक दीवार उस के घर से। ये दोनों कमीने मुसलसल आप (स.) के घर में गंदगी फेंकते और दरवाजे पर गंदगी डालते।
- नुबूवत के पहले नबी करीम स. अ. की साहब ज़ादियां हज़रत रूक्या और हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.), अबु लहब के बेटों उत्त्वा और उत्तैबा के निकाह में थीं। (खुँसती नहीं हुई थी) अरब के शरीफ धरानों में तलाक बड़ी बे-इज़्जती की बात समझी जाती थी। नबी करीम (स.) को ज़हनी अज़ीयत देने के लिए अबु लहब ने बेटों पर दबाव डालकर दोनों को तलाक देने पर मज़बूर कर दिया। एक मौके पर कमीने उत्त्वा ने नबी करीम (स.) के मुँह पर थूका और गिरेहबान पकड़ कर ऐसी गुस्ताखी की कि नबी करीम (स.) की जुबान से इस के लिए बद्रुआ निकल गई। इस तलाक के बाद तकरीबन दस साल तक हज़रत उम्मे कुलसुम (रज़ी.) बिन व्याही अपने घर बैठी रहीं।
- नुबूवत के पांचवे साल एक बार आप (स.) हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। जब आप (स.) सिजदे में गये तो आप (स.) के पड़ोसी उक्बा बिन अबी मंअ़ीत ने आप स.अ. की गर्दन मुबारक पर ऊंट की ओझ़झी (आंत) रख दी जो इन्हीं वज़नी थी कि आप (स.) अपनी गर्दन न उठा सके। जब आप (स.) के घर वालों को खबर हुआ तो बीबी फ़त्मा (रज़ी.) दौड़ी दौड़ी आर्यी और गंदगी को गर्दन से उतारा। इस मंज़ुर को देखकर कुफ़्फ़ार हँसते और मज़ाक उड़ाते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद (रज़ी.) कहते हैं कि मैं गुलाम ओर मज़बूर था और आप (स.) की मदद न कर सका। आप (स.) की इस हालत पर मुझे बेहद तकलीफ हुई।
- एक बार नबी करीम (स.) हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज की हालत में ही उत्त्वा बिन अबी मुअ़्ती आया और आप (स.) की गर्दन में चादर फ़ंदा डाल कर पेच देने लगा। गला मुबारक घुटने से आप (स.) की आँखें निकल पड़ी। हज़रत अबु बकर (रज़ी.) ने बीच में पड़कर आप (स.) को फ़दे से आज़ाद कराया।
- हज के क्याम में मिना में लोगों का बड़ा मज़म़ा (भीड़) होता था और आप(स.) अक्सर उन में तब्लीग के लिए तशरीफ ले जाते। ऐसे मुवाकओं पर अबु लहब भी पीछे चलता और लोगों से कहता कि यह शख्स लात व उज्ज़ा को छोड़ने की बात देता है। तुम इस की बात हरिंज़ न मानो, न ही इसे सुनों नुबूवत के तेहरवें साल भी आप (स.) मिना तशरीफ ले गये और बनी अमिर सअस़अ (कबीला) को दावते हक दी, तो उन्होंने आप (स.) की हिमायत की हामी भरी, मगर तब उनका सरदार बहरा बिन प्रास कैशरी आया तो आप (स.) से बड़ी बेस्थी से मिला और कहा, “जाइये और अपनी कौम से मिल जाइये”। अगर आप (स.) मेरी कौम की अमान मे न होते, तो मैं आप स.अ. का सिर तन से जुदा कर देता”। ये सुन कर हुजूर अकरम (स.) उठ खड़े हुए और अपनी ऊंटनी पर सवार हो गये इसके बाद उस बरब़त ने आप स.अ. की ऊंटनी के पेट पर इस ज़ोर से डंडा मारा। जिससे वह उछल पड़ी और आप (स.) ऊंटनी की पीठ पर से ज़मीन पर आ गिरे।
- एक सहाबी कहते हैं, कि इस्लाम करने से पहले मैंने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान है और लोगों को दावत देता फिर रहा है। सुबह से चल रहा है और कलमे की तरफ बुला रहा है। मैंने पूछा, “यह कौन है?” किसी ने कहा यह कुरैश का एक नौजवान मुहम्मद (स.) है, जो बेदीन हो गया है। सुबह से वह नौजवान दावत देता रहा, यहां तक कि सुरज सिर पर आ गया। इतने में एक आदमी ने आकर उसके मुँह पर थूक दिया, दूसरे ने गिरहबान फाड़ दिया, तीसरे ने सिर पर मिट्टी डाल दी और चौथे ने चेहरे अनवर पर थप्पड़ मारा, लेकिन खूबसूरत नौजवान की ज़बान से बद्रुआ का एक लफ़्ज़ न निकला। इतने में एक लड़की ज़ारों कतार रोती हुई पानी का याला लेकर आयी। लड़की को रोता हुआ देखकर आप (स.) की आंखें ज़रा नम हुईं और कहा, “बेटी अपने बाप का ग़म न कर तेरे बाप की अल्लाह हिफ़ाज़त कर रहा है, और मेरा कलमा बुरंद होगा। उन सहाबी (रज़ी.) ने किसी से पूछा, “यह लड़की कौन है?” किसी ने कहा इसकी बेटी जैनब (रज़ी.) है। (बसीरत अफरोज वाक़आत: सफ़े नंबर २२)
- हुजूर करीम (स.) की बड़ी साहबजादी हज़रत जैनब (रज़ी.) जब मक्का से मदीना के लिए रवाना हुयीं, तो रास्ते में मुशिरकों ने धेर लिया। उकरमा बिन अबु जहल और उसके साथियों ने आप (स.) के ऊंट को ज़ख्मी कर दिया जिससे आप ऊंट की पीठ से ज़मीन पर आ गिरीं और ज़ाज़े हो गये। सिर में चोट लगी, बहुत सा खून बह गया, और इसी ज़ख्म में कई साल बाद इंतकाल फ़रमाया।
- नुबूवत के दसवें साल आप (स.) ने तायफ का सफ़र किया ताके वहां भी इस्लाम की रोशनी फैलायें। वहां के नीनों सरदार अद्विद्या लैल मसउद और हबीब का जवाब गुस्तखाना और तकलीफ़दह था, न वह खुद सुनना चाहते थे और न यह चाहते थे, कि आप (स.) इनकी कौम में तब्लीग करें। इसलिए शहर के बदमाश और गुंडों को आप (स.) के पीछे लगा दिया कि आप जहां जायें आप की हंसी उड़ायें और आप (स.) जिधर से भी गुज़रें। आप पर पथर फेंके आप (स.) दस या बीस दिन तक ये मुसीबतें झेलते और सब्र करते रहे। आखिरी दिन उन्होंने जुल्म की हद कर दी। वह अपने हाथों में पथर ले कर सफ़-ब-सफ़ खड़े हो गये। आप (स.) कदम उठाते और ज़मीन पर रखते तो वह बद-ब़त्त आप (स.) के टङ्गों पर पथर मारते। चूंकि कल का इरादा न था सिर्फ़ अज़ीयत देनी थी इसलिए तीन मील तक वह आप (स.) का इसी

तरह पीछा करते रहे और पत्थर बरसाते रहे, भागते-भागते जब आप (स.) थक कर और ज़ख्मों से चूर होकर बैठ जाते तो फिर वह गुंडे आप (स.) का बाजू पकड़कर खड़ा कर देते, गालियां देते, तालियां बजाते, आवाज़ कसते और बलने पर मजबूर करते और फिर पत्थर की बारिश करते। पत्थरों से इतनी चोटें आर्यों कि आप (स.) के नालेन (जूता) मुबारक खून से भर गया। जिसम ज़ख्मों से चूर हो गया और फिर आप (स.) बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत जैद (रज़ी.) आप (स.) को अपनी पीठ पर उठा कर आबादी से बाहर लाये।

- मक्का में तकरीबन दस साल तक हुजूर (स.) तकालीफ़ उठाते, जलील हरकतें करते, उबाशों के झण्डे आप (स.) के पीछे आवाज़ कसते, रास्ते में गिलाज़त ऊपर डाली जाती, रातों में गुज़र गाह में काटे बिछाये जाते, गालियों से तवाज़ों की जाती, सिरे अकदस पर ख़ाक फेंकी जाती। अबु जहल ने खुद एक बार आप (स.) को पत्थर से हलाक करने की कोशिश कर डाली। इस तरह ऐसी हज़ारों मुसीबतें आप (स.) बर्दाश्त करते रहे। दौरे नुबूवत के तेहरवे साल कुरैश के चालीस दरिन्दों ने आप (स.) का शहीद करने के इरादे से रात भर आप (स.) के घर को धेरे रखा। मगर आप (स.) ब-हिफाज़त मदीना हिजरत कर गये।
- ग़ाच-ए-अहद के दिन अब्दुल्लाह इब्न कुमैय्या ने इस ज़ोर एक हमला किया कि आप (स.) का रुख़सार मुबारक ज़ख्मी हो गया। उत्ता अबी वकास ने पत्थर फेंक कर मारा जिससे नीचे के दंदाने मुबारक शहीद हो गये और होंठ कट गया। अब्दुल्लाह बिन शहाब ज़ौहरी ने पत्थर मारकर पैशानी लहूलुहान कर दिया। हज़रत अबु उबैद इब्न जर्राह ने ‘खुद’ के एक हल्के को दाँतों से पकड़कर इस ज़ोर का खींचा कि ज बवह रुख़सारे मुबारक से निकला तो हज़रत अबु उबैद इब्न जर्राह का दांत भी टूट गया और हज़रत अबु उबैद (रज़ी.) पीठ के बल ज़मीन पर गिर पड़े। इसी तरह जब दूसरा हल्का दांत से पकड़कर खींचा तो इतना ज़ोर से लगाना पड़ा कि हल्का निकालते बक्त दूसरा दांत भी टूट गया। हुजूर (स.) के ज़ख्मों से खून किसी तरह बंद न होता था। ज़ख्मी हालत में कुछ दूर चले ताकि महफूज़ मकाम पर मुंतकिल हो जायें। कि अबु अमीर फ़ासिक के खोदे हुए गड्ढे से गिर गये। जिसे उसने पत्तों से ढांक रखा था। हज़रत अली (रज़ी.) और हज़रत तल्हा बिन अब्दुल्लाह (रज़ी.) की कदद से बड़ी मुश्किल से गड्ढे से निकल कर ऊँचाई पर तशरीफ़ ले गये।
- मदीना मुनव्वरा में भी आप (स.) और आप (स.) के घर वालों को जो भी माले ग़नीमत मिलता सब ग़रीबों पर ख़र्च कर देते। तीन तीन माह घर में चूल्हा जलता, तीन तीन दिन फ़ाके होते। रोटी खेते भी तो ‘जौ’ की। हर इंसानों को जहन्नम से बचान की इतनी फ़िक्र थी कि रात रात भर रो कर दुआएं मांगा करते और इस क़दर मशक्त उठाते कि वह अल्लाह जिस ने आप स.अ. को पैग़म्बर बनाकर लोगों तक दीन पहुंचाने की ज़िम्मेदारी थी थी, उसे भी कहना पड़ा कि :

﴿كَلَّا بِأَخْرَجَنَّكَ لَا يُكُوٰنُ مُؤْمِنُينَ﴾ (سورة شوراء، آيات: ٣-٤)

“ल-अल्ल-क बाखिउन नफ-सका अल्ला यकून मुअ-मिनीन।”  
(आप इस तरह मशक्त क्यों उठाते हो?) ऐ पैग़म्बर (स.)! शायद तुम इस रंज से कि यह लोग ईमान नहीं लाते। अपने आप को हलाक कर लोगे!

(कुराने करीम, सूरह शोभ्रा, आयत: ३)

- वह जिस के सदके में अल्लाह तआला ने इस कायनात को ज़ीनत बख्खी। वह जिसका हम पर हमसे ज़्यादा हक है। वह शफीक हजे अत्तिदा के मौके पर जब आप (स.) ने अपने सवा लाख सहाबा (रज़ी.) से पूछा कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह तआला के फरमान पहुंचा दिया और अपना फर्ज़ अदा कर दिया तो सब ने एक जुबान हो कर कहा कि बेशक हम गवाह हैं कि आप (स.) ने अपना फर्ज़ अदा कर दिया।

● नबी करीम (स.) ने तो अपनी सारी दौलत और आराम व सुकून और सारी ज़िन्दगी हम तक दीन पहुंचाने के लिए कुर्बान कर दी और अपना फर्ज़ अदा कर दिया। अब बारी हमारी है कि अपना फर्ज़ अदा करें। नबी करीम (स.) का इर्शाद है कि कोई शब्द स उस बक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे खुद उस की जान से ज़्यादा अ़ज़ीज़ न हो जाऊं। (मुस्लिम-बुखरी)

- जान से ज़्यादा अ़ज़ीज़ होने का क्या मतलब है? कि इंसान को नबी करीम (स.) के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ करने से ज़्यादा आसान जान देना लगे। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम (स.) ने हमें क्या हुक्म दिया है?

यह किताब हज के मौजूदा पर है, इस लिए हम इस में नबी करीम (स.) के सारे इर्शाद शामिल नहीं कर सकते। नबी करीम (स.) ने अपने अधिकारी हज के मौके पर अ़रूफ़ के मैदान में अपने उम्मियों को जो हुक्म दिया था सिर्फ़ वही यहाँ नकल करते हैं। आप (स.) ने इर्शाद फरमाया:

“सारे इंसान बराबर हैं। न कोई किसी से बड़ा है न छोटा। अगर कोई किसी से ज़्यादा इज़ज़त दार है तो वह तकवा के बुनियाद पर है।

“सारे मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं।

“मुसलमानों की जान-व-माल और इज़ज़त एक दूसरे पर हराम है। कोई एक दूसरे को न जान से मारे, न माल बर्बाद करे, न बेइज्जत करें।

“औरतों से बेहतर सलूक करो। तुम मैं बेहतर वह है जो उसकी बीवी के लिए सब से बेहतर है। सूद हराम है। न कोई सूद ले, न दो।”

“अल्लाह तअला की किताब और मेरी सुन्नत को मज़बूती से पकड़े रहना। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी गुमराह न होगे। जिन लोगों तक मेरी बात पहुंची है वह उन लोगों तक पहुंचा दें, जिन तक नहीं पहुंची। चाहे वह एक ही आयत क्यों न हो। नबी करीम (स.) ने फरमाया कि, ऐ मुआसरूलमुस्लिमीन तीन बांडे सीने को पाक रखती हैं। (१) अमाल में इख्लास (२) दीनी भाईयों की ख़ेरख्वाही (३) मुसलमानों का आपस में इत्तेहाद।

क्या हम उन में से एक भी नहीं इशाद नबुवी पर अ़मल करते हैं? क्या हम मुस्तकबिल में आप (स.) के दूसरे अहकामत पर अ़मल करेंगे।

- एक समझदार के लिए हर दिन ज़िन्दगी की नई शुरूआत होती है। इस हज के मुबारक सफर में जब अल्लाह तअला इंसानों को गुनाहों से बिल्कुल पाक-व-साफ़ कर देता है, हम फिर से अपनी रुहानी ज़िन्दगी की शुरूआत करें। हम और आप अपने शफीक और करीम नबी (स.) के रौज़-मुबारक के सामने यह अहद करें कि जो हो चुका सो हो चुका। इन्हा अल्लाह नई ज़िन्दगी में आप (स.) के एक बार भी हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करेंगे, और पूरे खुलूस के साथ सच्चा पक्का मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे।

- हर पीर और जुमेरात के दिन उम्मत के अभ्याल नबी करीम (स.) के सामने पेश किये जाते हैं। हम और आप अह अह के बाद जो कुछ करेंगे वह नबी करीम (स.) के सामने हर हफ्ता पेश होंगी अगर हम आप (स.) के इर्शाद तक ख़िलाफ़ वर्जी की तो शफीक और करीम (स.) को उससे बड़ी सख्त तकलीफ़ होंगी, और हमारा शुमार भी सच्चे और पक्के मुसलमानों में नहीं होगा बल्कि उन मुशिरकीन और मुनाफ़िकीन की तरह के लोगों में होगा जो ज़िन्दगी भर नबी करीम (स.) को सख्त तकलीफ़ पहुंचाते रहे, और अब हम और आप (स.) की आराम गाह (कब्रे अनवर) में भी तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं।

इस लिए आईये! हम वतन वापसी के सफर के साथ एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत करें जो पूरी तरह नबी करीम (स.) की सून्नत के मुताबिक हो।

अल्लाह तअला हमें, आप को और सारी दुनिया के मुसलमानों को दुनिया और आधिकार में सुर्ख़रूह और कामयाब फरमाये। आमीन !!



# हज से मुतअल्लिक चन्द मशहूर ग़लतियाँ

- नबी करीम (स.) ने दौलत होने के बावजूद हज न करने वालों से सख्त नारायणी का इज़हार किया है। बहुत सारे लोग बहाना करते हैं कि कारोबार संभालने वाला कोई नहीं है। बच्चे छोटे हैं वैग्रह वैग्रह आज कल कुछ दूर वाले सिफ सात से दस दिन में हज करते हैं। इन्हें सारे वसाइल और पैसा होने के बावजूद हज न करना एक बहुत बड़ी ग़लती है।
  - कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, मगर फिर भी ह करना चाहते हैं। वह इसके लिए लोगों से पैसा मांगते फिरते हैं। बहुत ग़लती और लोगों को तकलीफ देने का काम है। जब आप के पास पैसा होगा तब ही हज फ़र्ज होगा। इसके बाद ही हज कीजिएं चंद मांग कर लोगों को परेशान मत कीजिए।
  - ऐसा खानदान जो पहले गरीब था फिर बच्चे बड़े हुए और रूपया कमाने लगे और हज हो गया। तो हज उस पर फ़र्ज होता है जो रूपया कमाता है। अगर लड़का कमाता है तो हज लड़के पर पहले फ़र्ज होगा। अगर ऐसा लड़का हज सिर्फ माँ-बाप को कराता है और खुद हज किए बैग्रह मर जाता है तो गुनाहगार होगा। माँ-बाप को हज ज़खर कराएं मगर हज फ़र्ज होते ही खुद भी हज करें वरना गुनाहगार होंगे।
  - नबी करीम (स.) की एक हवीश का मफ़्हूम है कि आने वाले ज़माने में लोग तीन वजह से हज करेंगे। अपीर तफ़रीह के लिए हज करेंगे, गरीब भीख मांग कर हज करेंगे और दरम्यानी तबके के लोग तिजारत के लिए। इन तीनों वजहों से हज करना बहुत बड़ी ग़लती है।
  - उम्मह हज-ए-असग़र है और हज, हज-ए-अकबर है। अब यह हज चाहे जिस अदन भी हो, हजे अकबर ही माना जायेगा। सिर्फ़ जुमझे के दिन के हज को 'हजे-अकबर' समझना ग़लत है।
  - अपने हज का बार बार तज़किरह करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप के हाजी होने का इल्म हो। एक रियाकारी है।
  - घर से हज के सफर पर कफ़न ले जाना और उस हज का एक हिस्सा समझना ग़लत है। पचास साल पहले सज़दी अरबिया एक गरीब मुल्क था। हज का बहरी और रेगिस्तानी सफर भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में किसी की मौत हो जाये, तो कफ़न का इंतेज़ाम मुश्किल होता है। इसलिए हाजी अपने साथ कफ़न रखते थे। आज के दौर में सज़दी अख दुनिया का अगीर तरीन मुल्क है। सफर भी आसान हो गया है। कफ़न अब आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। इसलिए कफ़न साथ ले जाना ज़रूरी नहीं रहा। हज के बाद बहुत से लोग अपने इस्तेअमाल शुदा एहराम को अपने कफ़न के लिए महफूज़ कर लेते हैं। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं।
  - लोग हज से पहले न हज का तरीका अच्छी तरह सीखते हैं, न हरम के चालीस दिन के क्याम के बारे में मअलूमात हासिल करते हैं। इस वजह से कभी कभी खुद उनकी अपनी ग़लती की वजह से और कभी दूर और हिंदौस्तानी सफारत खाने की मज़बूरी या लापरवाही की वजह से हाजियों को सऱज़ तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जिसे तकलीफ हूई है, पहले इस बात को समझे कि उसे ऐसी तकलीफ क्यों हुई? फिर कानूनी व दीगर तरीकों से कोशिश करें कि दूसरे हाजियों को फिर ऐसी तकलीफ न हो। दौराने हज की अपनी तकलीफों का बार बार बयान करने से लोग सफरे हज से खौफज़दा हो जाते हैं, और हज न करने या देर से करने के बहाने तलाश करने लगते हैं। इसलिए अपनी तकलीफों का इस तरह ज़िक्र करना कि कोई
  - खौफ ज़दा हो जाये, ग़लत काम है। हज के सफर में जितनी तकलीफ आप को होगी अल्लाह तआला उसका अज़र आप को देंगे।
  - मक्का मुकर्मा और मदीना मुनव्वरा में इबादत का मज़ा और मस्जिदों की पूर नूर फिज़ा जनत से कम नहीं। इसलिए हज के मुद्दतों बाद तक लोग उसके सरवर और मस्ती में मस्त रहते हैं, और वे इस्लियारी तौर पर उनके ज़बान से वहाँ की ऐसी तअरीफ निकलती है, कि दिल वहाँ की इबादत की ख़ाहिश में तड़पते लगता है। ग़रीबों के सामने ऐसी तअरीफ़ों और बयानात से बचना चाहिए। जिससे उनके दिल अपने मालिक का घर और महबूब का गुम्बद देखने के लिए तड़प जाये और फिर अपनी मजबूरी और बेबसी पर उदास और गमगीन हो जाये। किसी मोमिन का दिल दुःखाना और तकलीफ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है।
  - हज नमाज़ की तरह एक इबादत है। हज के सफर पर, अज़मत, वकार, सादगी और आज़िज़ी के साथ निकलना चाहिए। फूलों का हार पहन कर ढोल बाज़ों के साथ घर से निकलना गैर इस्लामी तरीका और रियाकारी है।
  - इस्लाम किसी भी औरत को बैग्रह महरम के, न किसी सफर की इजाज़त देता है और न इसके साथ तन्हाई में रहने की इजाज़त देता है। एक औरत चाहे वह किसी भी उम्र की हो, अगर बैग्रह महरम के हज के सफर पर जाती है, तो एक बड़ा गुनाह करती है। और हरम का एक गुनाह एक लाख गुनाहों के बराबर है।
  - लोगों के पास हज न करने का एक और बहाना है, कि हमारा पैसा हलाल नहीं है। पहली बात तो यह कि जब पैसा हलाल नहीं था, तो कमाया ही क्यों? और दूसरी बात यह कि हज दौलत आने पर फ़र्ज होता है, न कि सिर्फ हलाल दौलत के आने पर। जब आप अपनी दौलत से खा पी रहे हैं और बच्चों की परवारिश कर रहे हैं तो हज भी कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो अल्लाह तआला वे नियाज़ भी हैं और कह्वाह और जब्बार भी हैं। उसे किसी की भी इबादत की ज़खरत नहीं है और उसने वज़ादा भी किया है कि मैं जहन्नम को इंसानों और जिन्नों से भर दूँगा।
  - बड़े उम्मह और छोटे उम्मह की कोई हकीकत नहीं है। जो आफ़ाकी हैं उन्हें उम्मह का एहराम 'हील' की बाहरी सरहद (मिकात) से बांधना होता है। जो अहले हिल हैं वह हिल की हुदूद में कहीं भी एहराम बांध सकते हैं। जो अहले हरम या मक्की हैं उसका असर उम्मह या हज की फ़ज़ीलत पर नहीं पड़ता। अगर अहले हरम तज़ीय के बदले, जुहु़ैफ़ा जाकर उम्मह का एहराम बांधे, तो यह उनके उम्मह की फ़ज़ीलत तो नहीं बढ़ायेगा अल्बत्ता वक्त बर्बाद ज़खर करेगा।
- हज और उम्मह की अदाएँ के दौरान होने वाली बातें आम ग़लतियाँ:-**
- एहराम की इल्वेदा से मुनासिक हज की इत्तेहा तक इज़ितबाअ़ की हालत में रहना। (तवाफ के इलावा इज़ितबाअ़ करना मकरूह है।)
  - एहराम बांधने के बाद नीज़ अरफ़ात व मुज़ल्फ़ा में तल्बिया कहते वक्त आज़ाज बुलन्द न करना या तल्बिया छोड़ ही देना।
  - तवाफ या सई के दौरान हर चक्कर के लिए बाअ-ज़ दुआओं को खास करना, जबकि इस दौरान सिर्फ यह मशरूअ़ है कि जो चाहे दुआ मांगे या अल्लाह का जिक्र करे या कुर्र-आन मजीद की तिलावत करे।

- तवाफ के दौरान बुलन्द आवाज से मिल कर दुआएं पढ़ना जो दूसरों के लिए तश्वीश का बाअस बनती है।
- सफा पर चढ़ते हुए कअबा की तरफ इशारा करना।
- सज्ज निशानियों के दरम्यान बाझ-ज़ औरतों का दौड़ना, जबकि यह हुक्म सिफ़ार मर्दों के लिए है।
- बाझ-जन लोग यह समझते हैं कि ‘सफा’ से सई शुरू करके वापस ‘सफा’ पर पहुंचना यह एक चक्कर है, यह सही नहीं है। सही यह है कि जब ‘सफा’ से शुरू करके ‘मरवा’ पर पहुंच गया, और जब ‘सफा’ पर वापस आयेगा तो यह दूसरा चक्कर होगा।
- एहराम से हलाल होते वक्त सिर का कुछ हिस्सा मुंदवा देना और कुछ को छोड़ देना। या पूरे सिर के बाल मुंदवाने या कटवाने की बजाय चन्द बालों को काट लेना।
- वक्फ़े अरफ़ात के दौरान दुआ मांगते वक्त किब्ले रुख़ न होना।
- अरफ़ात में दुआ के लिए ‘जब्ले रहमत’ पर चढ़ने की कोशिश करना।
- अरफ़ात में भिना में और अच्यामे तशरीक की रातों के दौरान बिला मक्सद कामों या बातों में वक्त ज़ाओं करना।
- ऐसा जानवर ज़बाह करना जो कुर्बानी की उम्र को न पहुंचा हो, या ऐबदार जानवर ज़बाह करना या ज़बाह करने के बाद जानवर को फेंक देना।
- अरफ़ा के दिन अस्त के बाद बहुत से हाजी कूच की तैयारियों में लग जाते हैं, बाबूजूद इसके कि यह वक्त दुआ के लिए अफ़ज़ल तरीन वक्त है, और इस वक्त अल्लाह तलाता अपने बन्दों का जिक्र फिकिया अंदाज़ में फरमाता है।
- बहुत से हुज्जाजे किराम का मुज़दल्फ़ा की रात म़ारिब और ईशा की नमाज़ों के लिए किब्ले की सिस्त म़अ़्लूम किये बौरे जर्दी करना और इसी तरह फज़र की नमाज़ में भी करना जबकि वाजिब यह है कि किब्ला की सिस्त म़अ़्लूम करने की कोशिश करनी चाहिए या जिसको म़अ़्लूम हो उससे पूछ लेना चाहिए।
- बहुत से हुज्जाज का मुज़दल्फ़ा से आधी रात से कब्ल ही निकल जाना, हालांकि मुज़दल्फ़ा में रात गुज़रना हज के वाजिबात में से है।
- बाझ-ज़ कुव्वत खबरे वालों का किसी दूसरे को रभी जुमार के लिए वकील बनाना, जबकि यह इजाज़त सिर्फ़ मअ़ज़ूरों के लिए है।
- जमरात कंकरियां मारते वक्त जूतियां या बड़े बड़े पत्थर वैरैरह फेंकना।
- बाझ-ज़ हाजी (अल्लाह इनको हिदायत दे) ईद के रोज़ यह समझते हुए दाढ़ी मुंदवाते हैं, कि यह जीनत का बाअस है। हालांकि ऐसा करना अफ़ज़ल जगहों और अरफ़ात वक्त में अल्लाह की नाफ़रमानी है।
- बाझ-ज़ औरात हजरे अस्वद के बोसा के लिए धक्कम पेल करना, जिसमें कभी-कभार लड़ई, गाली गलौच और दुश्मनी तक जा पहुंचती है।
- बाझ-ज़ लोगों का यह समझना है कि हजरे अस्वद ब-ज़ाते खुद नफा देता है, लिहाज़ा आप उन्हें हजरे अस्वद को हाथ लगाते हुए बड़ा तारीखी जुम्ला कहा था: “मैं जानता हूँ, कि तुम एक पत्थर हो और अपने तौर पर किसी को नफा या नुकसान नहीं दे सकते। अगर मैंने रसूल (स.) को तुम्हें बोसा देते हुए न देखा होता, तो तुम्हें कभी बोसा न देता”।
- बाझ-ज़ हाजी साहिबान काबा के तमाम कोनों को छूते हैं और कभी उसकी दीवारों को हाथ लगाते हैं और फिर उनको अपने जिस पर फेरते हैं,

हालांकि यह जिहालत है।

- बाझ-ज़ लोग रुकने यमानी को भी बोसा देते हैं और यह ख़ता है इसलिए कि रुकने यमानी को सिर्फ़ हाथ लगाने का हुक्म है, बोसा देने का नहीं।
- बाझ-ज़ हाजी साहिबान हतीम के अन्दर से तवाफ़ करते हैं। यह सही नहीं है।
- बाझ-ज़ लोग मिना में क्याम के दौरान नमाज़े जमा करके पढ़ लेते हैं। यह भी ठीक नहीं।
- बाझ-ज़ हाजी साहिबान सबसे पहले बड़े जम्ह को फिर दरम्यानी जम्ह को और आखिर में छोटे जम्ह को कंकरियां मारते हैं। जबकि सही यह है कि इसके बरअक्स तरीका से कंकरियां मारी जायें।
- बाझ-ज़ लोग सातों कंकरियां मुट्ठी में लेकर एक ही बार फेंक देते हैं, और यह बहुत बड़ी गुलती है। अहवे इत्म कहते हैं कि अगर किसी ने एक ही बार एक से ज्यादा कंकरियां फेंक दीं, तो वह एक ही कंकरी शुमार होगी। वाजिब यह है, कि एक एक कंकरी करके फेंकी जाये जैसा कि नवी करीम (स.) ने किया था।
- काबा से अल्विदा होते वक्त उसकी ओर हाथ से इशारा करना ग़लत है।

## बच्चे का हज

ना बालिग पर हज फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वह हज करे, तो उसे और उसके बालिदैन को सवाब मिलेगा। अलबत्ता बालिग होने के बाद उसे फिर हज करना होगा अगर बच्चा समझदार है, तो वह अपने सरपरस्त की हिदायत और रहनुमाई में खुद हज की नीयत करे और तमाम अरकान जो खुद कर सकता है अदा करें। और जो काम वह नहीं कर सकता वह उस के सरपरस्त करें, जैसे रमी जमार, कुर्बानी वैरैरह और अगर बच्चा बहुत छोटा और ना समझ है, तो उसके सरपरस्त उसकी तरफ से नीयत करें और तमाम मुकामाते हज पर उसे साथ ले जायें। जो वह कर सकता है उससे करवायें और न कर सकता हो, तो खुद करें अगर बच्चा तवाफ़ व सई करने के काबिल न हो, तो बच्चे को उठाकर तवाफ़ और सई की जाये। अफ़ज़ल ये है, के अपने और बच्चे की तरफ से मुश्तरका तवाफ़ व सई न करें बल्कि पहले अपने तवाफ़ और सई करें फिर बच्चे की तरफ से करें बच्चे के एहराम की एहकाम भी बालिग के एहकाम जैसे ही हैं।

हजरत साइब (रजी.) बिन यजीद से रिवायत है कि मेरे बाप ने हज्जतुल विदा में मुझे रसूल अल्लाह (स.) के साथ हज कराया। उस वक्त मैं सात साल का था। (बुखारी)

हिक्मत व दानाई की बात मोमीन की खोई हुई चीज़ है। लिहाज़ा जहाँ भी उसको पाएं वह इसका ज्यादा हकदार हैं।

(तिरमीज़ी-इब्ने माज़ा-बरिवायत हजरत अबु हुरैरा(रजी.))

# हज का सफर किस के ज़रिए करें...? (हज कमेटी या दूर)

हज का सफर हज के ज़रिए किया जाये या दूर से? यह एक मुश्किल सवाल है, मैं आप से इन दोनों की हकीकत बयान करता हूँ। फैसला आप खुद करें कि सफर किस के ज़रिए किया जाये।

सऊदी हुक्मत ने हाजियों की अच्छी मेअ़्यारी रिहाईश और आसानी के लिए मुंदरजा जैल (नीचे दिये गये) कवानीन बनाये हैं।

- १) हर हाजी को रहने के लिए ९.मी. ग ४ मी. की जगह मिलनी चाहिए।
- २) हर हाजी को पलंग, गद्दा, तकिया और कम्बल मुअल्लिम की तरफ से मिलना चाहिए।

- ३) बस का सारा इंतेज़ाम मुअल्लिम करेगा।
- ४) कथाम गाह में गैस का चूल्हा और गैस पहली बार मुफ्त मिलेगा।
- ५) हर हाजी को उसके कमरे के बाहर ज़मज़म का पानी पीने के लिए मिलेगा।
- ६) हर बिल्डिंग में लिफ्ट होगा।
- ७) हाजी साहिबान सिर्फ दो जगह अपना सामान उठायेंगे। एक मक्का में बिल्डिंग की लिफ्ट से अपने पलंग तक और दूसरी जगह मदीना में बिल्डिंग के नीचे से अपने पलंग तक। बाकी एयर पोर्ट तक, बस डिपो या हर जगह मुअल्लिम या एयर पोर्ट के कुली सामान उठायेंगे।
- ८) हज कमेटी के ज़रिए जाने वालों के लिए मक्का शरीफ या मदीना मुनब्बरा पहुँचने पर पहले एक वक्त का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा। इसी तरह अरफ़ात के दिन भी दोपहर का खाना मुअल्लिम की तरफ से होगा।
- उपर लिखी हुई सारी ज़रूरियात और सहूलतें मुहैय्या कराने का काम दूर वाले और हज कमेटी वाले किस तरह अंजाम देते हैं। उसका बयान मुदंज़ज़ेल है।

## हरम से नज़दीकी:-

### हज कमेटी:

हज कमेटी ने हाजियों के रिहाईश गाह के तीन ग्रेड(दर्जे) बनाये हैं।

- १) फर्स्ट ग्रेड(ग्रीन): फर्स्ट ग्रेड की कथामगाहें हरम से ० से १२०० मीटर की दूरी पर होती हैं।
- २) सेकंड ग्रेड(व्हाइट): सेकंड ग्रेड की कथामगाहें १२०९ से २००० मीटर की दूरी पर होती हैं।
- ३) थर्ड ग्रेड (अज़ीज़िया): थर्ड ग्रेड की कथामगाहें अज़ीज़िया इलाके में होती हैं, जहाँ से सिर्फ सवारी से ही आया जा सकता है।

हज कमेटी वाले इस बात की कोशिश करते हैं के वायदे के मुताबिक रिहाईश दें। व अपने वायदों और कोशिशों में ६०: कामयाब भी होते हैं। अलबत्ता कभी रिहाईशी बिल्डिंगों कि कमी की वजह से कुछ हाजियों को वायदे के मुताबिक रिहाईश नहीं मिलती।

### दूर:-

दूर वाले अक्सर हाजियों का कथाम बिल्कुल हरम के पास ही रखते हैं मगर दूर वालों के भी ग्रेड होते हैं। जो बिल्कुल कम रूपयों पर हज करते हैं, उनकी कथाम गाहें भी हज कमेटी की दूसरी या तीसरी ग्रेड की तरह दूर होती हैं। और जब कम दाम पर नज़दीक के होटलों में हाजियों को रखते हैं,

वह हज से तीन या चार दिन पहले और हज के तीन या चार दिन बाद तक आरज़ी तौर पर हाजियों को इतनी दूर के होटलों में रखते हैं कि टैक्सी या बस के ज़रिये हरम आना जाना पड़ता है। यह इसलिए के नज़दीक के होटलों में रिहाईश हज के अव्याम के दौरान बहुत ज्यादा महगे होते हैं और गैर मुल्क अमिर हाजी उसे पहले ही से बुक किये रहते हैं।

मिना में खैमें मुअल्लिम की तरफ से होते हैं। कभी कभी मुअल्लिम और दूर का तालमेल न होने की वजह से दूर के हाजियों को मिना में खैमा भी नहीं मिल पाता। बेचारे हाजियों को दुसरों के खैमों में पाँच दिन गुज़ारने पड़ते हैं।

### हाजियों के रहने का म्यास:-

#### हज कमेटी:

सऊदी हुक्मत के कानून के मुताबिक हाजी किसी भी ग्रेड कि रिहाईश वाला हो (याने रिहाईश पास में हो या दूर हो) हर एक को उपर लिखे गये म्यार के मुताबिक सारी सहूलतें देना जरूरी है और हज कमेटी वाले अपनी पूरी कोशिश करते हैं की उस म्यार को पूरा करें और हकीकत में वह इस कोशिश में ६० फीसद से ९०० फीसद कामयाब हो जाते हैं।

#### दूर:

दूर वालों के लिए हज का सफर एक कारोबार हैं और मुनाफा हासिल करने का एक ज़रिया हैं इस लिए दूर वाले हर जगह रूपया बचाते हैं और सारी सहूलतें अप के पैसे के मुताबिक होती हैं। दरम्यानी और कम खर्च वाले ट्रूस्ट बहुत सारे हाजियों को एक ही कमरें में ठहराते हैं, वह भी कभी बैगर पलंग का। अच्छे दूर वाले हर ग्रेड के हाजियों को रिहाईश पर अच्छी सहूलत देते हैं आम दूर वाले सिर्फ लकझरी (Luxury)या (Delux) बैगर ग्रेड के हाजियों को अच्छी सहूलतें मुहैय्या होती हैं।

#### रवाना:-

#### हज कमेटी:

हज कमेटी हज कमेटी तकरीबन २६ हजार रुपये वापस देकर और कथाम गाह पर गैस और चुल्हा बैगरा देकर बरी उज़ ज़िम्मा हो जाती है। हाजियों को खरीदकर या खुद पकाकर खाना होता है। हाजी अपनी पसंद आसानी और बजेट के मुताबिक पकाकर या खरीदकर खाते हैं।

#### दूर:

दूर वाले कोई रूपया वापस नहीं करते, खाना दूर की तरफ से होता है, अगर बावर्ची आपके वतन का है और खाना भी अच्छा बनाता है तो खैरियत हैं वरना वालीस दिन मज़बूरन जो कुछ मिले आपको खाना पड़ेगा। (मैं एक ऐसे दूर वाले को जानता हूँ जिसने सन् २००७ हिजरी में हाजी औरतों से भी खाना पकाया था) कुछ अच्छे दूर वाले बहुत अच्छा खाना देते हैं।

#### मसलक का मसला:-

#### हज कमेटी:

हज कमेटी से जाने वाले लोग मुख्तलीफ इलाकों के और मुख्तलीफ मसलकों पर अमल करने वाले होते हैं, इसलिए रिहाईशगाह पर भी एक मसलक वालों

की अक्सरियत नहीं होने पाती, मकान का खौफ और मुअल्लिम के आदमियों का डर भी होता हैं इसलिए सब अपने काम से काम रखते हैं और मसलकी बहस व मुबाहसों में नहीं उलझते हैं।

## टूरः

टूर में अक्सर लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं। टूर ऑपरेटर को भी रूपया और खिदमत का मौका देकर एहसान मंद बना चुके होते हैं। होटलों में मुअल्लिम या मकान मालिक का डर नहीं होता इसलिए लोग आपस में बहस और मुबाहिसा बहुत करते हैं। कुछ मसलक वाले हरम शरीफ के इमाम के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते, इन लोगों को हरम में ज़मात छूट जाने का डर तो होता नहीं इसलिए कमरे या रिहाइश के हॉल में बहुत बहुत बुज़ारते हैं, मजलिस करते हैं, तकरीर करते हैं। जिसकी वज़ह से दुसरे मसलक वालों को ४० दिन गुज़ारना मुश्किल हो जाता है।

## हवाई सफरः—

### हज कमेटीः

हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं की हाजियों को जर्ज भर तकलीफ न हो, इसलीए हाजियों की सारी फ्लाइट हिन्दुस्तान से सीधे मकान शरीफ या मदीना मुन्वरा के लिए होती है। हज कमेटी से जाने वाले हाजियों को हवाई सफर में जो भी तकलीफ होती है वह उनकि अपनी हटडरमी या नावाकफियत या फिर एअर पोर्ट के अमला और एअर इंडिया कि उनकि कारकरदगी और सियासत की वजह से होती है। इसमें हज कमेटी का कोई कसूर नहीं होता।

## टूरः

हज के दिनों में सऊदी अरब कि सारी डायरेक्ट फ्लाइट पहले से रिजर्व (Reserve) होती है। इसलिए टूर वालों को अक्सर डायरेक्ट फ्लाइट में सीटें नहीं मिलती इसीलिए वह अरब के किसी शहर का पहले टिकट निकालते हैं फिर उसी शहर से सऊदी की टिकट निकालते हैं इसलिए अक्सर हाजियों को कुछ धंटों से लेकर कुछ दिनों तक अरब के किसी एअर पोर्ट पर रहना पड़ता है और अगली फ्लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है। और यह एक बहुत तकलीफ दाह मरहला होता है। जाने और आने में कुछ बड़े टूर वाले जब चार्टर फ्लाइट बुक करते हैं तो यह मसला नहीं होता मगर छोटे टूर वाले के साथ परेशानी का मामला होता ही है। यह मामला हज पर जाने और हज से वापस आने दोनों बार होता है। और दोनों बार (जाते और आते बक्त) जहाज़ बदलते बक्त अक्सर सामान भी छुट जाता है और कई महिनों बाद मिलता है।

## धोका ढहीः—

### हज कमेटीः

हज कमेटी से अगर आप का नाम कुर्चा अंदाज़ी में आ गया तो आपका हज के सफर पर जाना यकीनी है।

## टूरः

हज के दिनों में हज के एक वीज़ा की काले बाज़ार में कीमत ८० हजार रुपए से भी ज्यादा होती है इसलिए ऐसे भी वाक्यात होते हैं की टूर वाले हाजियों से पहले पूरा पैसा ले लेते हैं फिर हज के कुछ दिनों पहले वह सारे पैसे यह कहकर लौटा देते हैं कि विज़ा का इन्तेज़ाम नहीं हो सका। दरअसल होता यह है कि अगर वह हाज़ी को हिन्दुस्तान से ले जाकर हज कराकर वापस लाते हैं तो एक हाज़ी पर तीस हजार से पचास हजार तक मुनाफा कमाते हैं, जब कि अगर वह विज़ा बेच दे तो बगैर मेहनत के हर विज़ा पर ८० हजार

तक मुनाफा होता है। इसलीए धोकेबाज़ टूरीस्ट काले बाज़ार में विज़ा बेचकर हाजियों का पैसा आखरी दिनों में लौटा देते हैं।

## शिकायत किससे और कहाँ करें ?

### हज कमेटीः

हिन्दुस्तान कि हुदूद के अन्दर हज से मुतालिक सारे इन्तेज़ामात कि जिम्मेदारी, हज कमेटी ऑफ इंडिया, की है। मगर हिन्दुस्तान से बाहर हज से मुतालिक सारे इन्तेज़ामात हज कमेटी ऑफ इंडिया के बजाय “हिन्दुस्तानी हज मिशन” नामी इदारा करता है। यह इदारा हिन्दुस्तानी कॉन्सलेट की निगरानी में काम करता है। इसलिए अगर आप को हिन्दुस्तान के अंदर कोई शिकायत हो तो “हज कमेटी ऑफ इंडिया” में शिकायत करें। मगर हिन्दुस्तान के बाहर कोई शिकायत हो तो हिन्दुस्तानी हज मिशन के दफ्तर में शिकायत करें और वह भी हिन्दुस्तान लौटने से पहले करें। हिन्दुस्तानी हज मिशन और हिन्दुस्तानी सफारत खाना (कॉन्सलेट) के पत्ते और फोन नं. इस किताब के आखरी सफे पर दर्ज हैं। हज कमेटी का पता नीचे दिया है।

चीफ एक्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर, हज कमेटी ऑफ इंडिया

हज हाऊस, ७-ए, एम.आर.ए. मार्ग, पलटन रोड, मुंबई ४०० ००९.

[www.hajcommittee.com](http://www.hajcommittee.com),

Fax: 022 22630461, 22620920, Tel.: 022 22612989 (6 Lines)

## टूरः

टूरीज़म एक बहुत बड़ा और अच्छा कारोबार है। उसमें टूर ऑपरेटर बहुत ईमान दारी के साथ ग्राहकों को बेहतरीन खिदमात देते हैं। मगर हाजियों के साथ ऐसा मामला नहीं होता है। इसलीए के अक्सर हाज़ी भाते भाते, नेक और शरीफ होते हैं। चुंकि जैसे वह खुद नेक होते हैं वैसे ही वह दुसरों को भी नेक समझते हैं इसलिए वह टूर ऑपरेटरों पर भी भरोसा करते हैं और इसी भरोसे के अक्सर टूर ऑपरेटर गलत फायदा उठाते हैं। (कुछ टूर वालों का म्यार बेहतरीन है और किसी को भी किसी मामले में शिकायत का मौका नहीं देते मगर अक्सर टूर वालों से हाजियों को शिकायत होती है।)

इन टूर वालों का हज टूर के अलावा अक्सर इंस्पोर्ट, एक्सपोर्ट, (Foreign Exchange) बैरून मुमालिक में रोज़गार दिलाने वगैरा के कारोबार होते हैं। यह एक पावर फुल लॉबी है। या तो यह खुद भाई होते हैं या भाई के भाई होते हैं। इसलीए किसी शरीफ हाज़ी की इल्लिज़ा या एहतेज़ाज का इनपर कोई असर नहीं होता अगर किसी को इन से शिकायत हो तो कानूनी कारबाई करें और इस नीयत से करें कि इन्शा अल्लाह आइंदा दुसरे हाज़ी उनकी शरारतों से महफूज़ रहेंगे।

टूर ऑपरेटरों का मुन्दर्ज़ज़ेल दफ्तरों से किसी न किसी तरह का रिश्ता या राबता होता है। यह सारी जगहें आम हाज़ी कि पहुँच से बाला तर हैं। मगर अल्लाह से उम्मीद हैं कि आप की शिकायत पर किसी न किसी के कान पर जुँ ज़स्त रेंगेंगी।

ASSOCIATION OF ALL INDIA HAJ UMRAH TOUR ORGANISERS  
Head Office: Post Box No. 17377, 2nd Floor,  
Halima Manzil, 4th Gavthan Lane,  
Opp. P.O. Andheri (West), MUMBAI-400 058  
Phone Nos: 26283011-26204886-26204887-26245572  
Fax Nos: 022-2628 8453 & 022-2623 6040  
E-mail: [info@aihutoa.com](mailto:info@aihutoa.com), [chairman@aihutoa.com](mailto:chairman@aihutoa.com)  
Website: [www.aihutoa.com](http://www.aihutoa.com)

बुन्यादी तौर से यह टूर ऑपरेटर के मफाद की हिफाज़त के लिए बनायी गई एक असोसिएशन है। लेकिन ही सकता है हाजियों की मुसलसल शिकायतें पहुँचने पर हाजियों के मफाद के बारें में भी संजीदा हो जाएं।

(बाकी पेज ४३ पर)

# सन् १८६८ ई. का एक समंदरी सफरे हज

नवाब सैयद सिद्दिक हसन खान (रह.) सन् १८३२ ई. में पैदा हुए। बचपन में अपने बड़े भाई के पास रहे। उलमा से इब्तेदाई दीनी तअलीम हासिल की। फिर चंद साल कानपुर और फरख आबाद में पढ़ते रहे। आखिर में मुस्ती सदरुद्दिन खान साहब सदरुस्सदूर देहली के पास हाजिर हो कर तकमील ईलम की। हवास में वह हज़रत शाह अब्दुल अज़िज़ (रह.) और सौकानी के शारीर्दि हैं।

सन् १८६८ ई. में हज किया। इस सफर के मुख्यसर हालात उन्होंने 'इतहाफुल नब्बा' और 'ईज़ाहुल मुहम्मद' में लिखे हैं। फरमाते हैं:

बाद ए शर्मिंदा १३ दिसम्बर सन् १८६८ ई. (सन् २७ शब्द्बान १८८५ हिजरी) बाद नमाज़े ज़ोहर घर से बा इराहा ए फरीज़े ए हज बाहर निकला। २४ दिसम्बर (१६ रमज़ान) को नमाज़े अस्त्र से पहले बम्बई से फेटोह सुल्तान नामी जहाज़ में सवार हुआ। जब जहाज़ का लंगर उठाया गया तो हवा अच्छी चल रही थी। इस लिए जहाज़ ने करीब ६० मरहले एक दिन में तय कर लिए। फिर हवा रुक गई। तीन दिन तक सर दर्द रहा और कै होती रही। चौथे दिन तबीअत कुछ संभली। इस जहाज़ में ३०० आदमी सवार थे। हम बुजू और गुरुत समंदर के खारे पानी से करते और खाना पीना भीठे पानी से, जो हम ने जहाज़ में साथ रख लिए थे। ९ जनवरी १८६८ को बाबे सिंकंदर (बाब उल मज़बू) से गुज़र हुआ। १० जनवरी को जहाज़ हवीदा में लंगर अंदाज़ हुआ। अभी हमारे हिसाब से २८ ही तारीख थी कि वहाँ स्थवरे हिलाल ठहर गई। चार व नाचार बंदरगाह के लोगों के साथ इत्तेकाक करना पड़ा। इद गाह में करीब २००० लोगों के साथ नमाज़ ईद पढ़ी। बक्या क़ज़ा रोज़े रखे। और १० शवाल को वापस जहाज़ पर आना हुआ।

जहाज़ ६ दिन और बंदरगाह में लंगर अंदाज़ रहा और १७ शवाल को लंगर उठा। जब जहाज़ चला, राह में फिर हवा बंद हो गई। तीन दिन तक जहाज़ वहीं खड़ा रहा। जब हवा चली तो रात को अब्र व बाराँ भी आया। जिस से दिन को जहाज़ जिताना सफर तै करता, रात को हवा की सिस्त मुखालिफ होने की वजह से फिर पलट आता। ऐसा कई दिन तक होता रहा। कुछ न पूछो क्या हाल हुआ? न पानी बाकी रहा न खाना। सिर्फ एक वक्त आधा पांच खिचड़ी और दो धूंट पानी बा मुश्किल मिलते थे। दम घुट कर नाक में आ गया। "हिस्ने हसीन" का खताम किया। हवा चली और जहाज़ रवाना हुआ। एक अंधेरी रात में जहाज़ किसी पहाड़ से टकराते टकराते बचा। वह टूफानी रात शबे हिजर से ज्यादा सियाह, सख्त व दराज़ थी। सनीचर के दिन जहाज़ में ज़िल्क़अदा का चांद दिखाई दिया। चार ज़िल्क़अदा को 'यलम लम' पहाड़ी (मीकात) का सामना हुआ। बाद नमाज़े फज़र नहां थो कर उम्रह का एहराम बांधा। हज़े तमत्तःअू की नीयत की। अल्लाह अल्लाह करके जहाज़ २१ फरवरी (६ ज़ी-क़द्रा) को जिद्दाह बंदरगाह पर लंगर अंदाज़ हुआ। जान में जान आई। हवीदा से जिद्दाह का सात दिन का बहरी रास्ता तकरीबन एक माह में तै हुआ। जिद्दाह में तीन दिन क्याप रहा। १४ ज़ी-क़द्रा को महसूल जप्मक (ज़ंग) दे कर आगे बढ़े। आधी रात को अपने एक साथी सैयद अबू बक्र के साथ बाबुस्सलाम से मस्जिद उल हराम में दाखिल हुए।

खाना ए काबा पर निगाह पड़ते ही सारी तकलीफे राह व मसाईबे सफर व मताइबे बहर व बर भूल गए। आमाले उम्रह तरतीब वार अदा किए। भीड़ न होने की वजह से हज़े अस्वद का बोसा हर चक्कर में बा खुबी मयस्सर आया। सई के बाद शब हरम में ही बसर की। सुबह अच्छ वक्त मैं मुसल्ला ए शाफ़ई पर फज़र की नमाज़ पढ़कर मंजिल पर आना हुआ। २६ ज़िल्क़अदा (१३ मार्च) को क़ाज़ी के सामने चांद देखने की शहादत गुज़री। मगर मैं ने या किसी मुसाफिर ने चांद नहीं देखा।

ट ज़िल्हिज्जा को हज का एहराम बांध कर मिना पैदल गए, फिर वहाँ से सवारी के ज़रिए गए। अरफात मैं कब्ले वकूफ सारी "हज़फुल आज़म" पढ़ी। बाद

मारिब मुज्जदका की तरफ बूच किया। अरफात व मिना में बा औकाते फुरसत किताबत भी की। १३ ज़िल्हिज्जा को मिना से मक्का आना हुआ। १५ सफर १८६८ हिजरी सन (२७ मई १८६८ ई. सन) को कफिला मदीना की तरफ चला। खिलाफे आदत २० दिन में पहुँचा। एक हफ्ता कायाम हुआ। मस्जिदे नवबी मआ मरक़द व मुतहर व दीगर मज़ारात ए बकी व शोहदा ए उहद वगैरा मयस्सर आया। वापसी में खास मदीना से उम्रह का एहराम बांधा। १२ दिन में कफिला मक्का पहुँचा। उस वक्त भी निस्क शब थी। मुताफ व सई को खाली पाया और इस को गनीमते बारदा समझा। मुहल्लाह हिंदी में क्यामथा। हरम में आने जाने के लिए बाबुज़ियारा था।

मक्का मदीना में कुल कायाम तकरीबन चार माह का रहा। वापसी में फैजुल बारी नामी जहाज़ मिला। इस में नौ सौ आदमी सवार थे। इस का लंगर भी हवीदा में तीन दिन रहा। इस बंदरगाह का मुअब्बिर निहायत बदलत है। वहाँ से चल कर अदन तक ऐसी गर्मी हुई के सारे बदन पर दाने हुए। अदन से आगे बारिश का मौसम मिला। करीब ए बम्बई तुफान ने जहाज़ को तह व बाला करना शर्स कर दिया। तुफानी मौजों ने मुसाफिरों के औसान खता कर दिए। २२ दिन में जिद्दाह से बम्बई पहुँचा। बारिश की वजह से बड़ी मुश्किल से जन के दूसरे हफ्ते में भोपाल पहुँचना हुआ। सारी मुद्रत इस सफर की सात माह है। (बा शुक्रिया : माहनामा हज मेगज़ीन, मुंबई)

यह था अपने ज़माने के एक नवाब का हज का सफर। पहले ज़माने में नवाबों को भी हज के सफर में जो तकलीफ होती थीं, इस नए ज़माने में क्या इस का एक फीसद भी किसी को तकलीफ होती है? इस लिए इस मज़मून को कई बार पढ़ कर जहन नशीन कर लीजिए। फिर आप के अपने सफर में आप को अगर कोई तकलीफ हुई, तो आप शिकायत के बजाए अल्लाह का शुक अदा करेंगे।

अल्लाह तआला आप का सफरे हज आसान और खैर व आफियत वाला बनाए और आप को हज्जे मबखर अता करे। आमीन

## बद नसीब कौन?

हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ी.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इर्शाद फरमाया: "अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कहता है कि जिस बद्दे को मैं ने सेहत और तन्दुरस्ती बख्ती और राज़ी में फ़राख़ी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्रत गुज़र जाए तेरे पास ना आए तो ऐसा शख्स मेहरमुल किस्मत और बद किस्मत है।"

तशीह: तन्दुरस्ती और रोज़ी की कुशादगी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नेअमत है। यह दोनों नेअमतें जिसे हासिल हों उस को ज्यादा से ज्यादा खुदा से तन्दुरुक जोड़ना चाहिए, और कौलन व अमलन हर तरह से शुक्रगुज़ार बन्दा बनना चाहिए। लेकिन यह बन्दा नेअमतें पाकर एक दिन या एक हफ्ता या एक दिन या एक महीना या एक साल नहीं बल्कि पांच पांच साल तक खुदा के पास यानी बैतुल्लाह हज के लिए नहीं जाता तो इस से ज्यादा महसूली की बात क्या होगी? उसे जानना चाहिए कि जिस ने उस को सेहत दी है वह छीन भी सकता है। और जिस ने उस को रिज़क की कशाइस से नवाज़ा है उसे पल भर में दाने दाने का मोहताज बना सकता है। इस सेहत और दौलत को गनीमत समझें और जल्द अज़ जल्द फ़रीज़ा ए हज से फ़रिग हो। मालूम नहीं कि आइदा यह नेअमतें उसे हासिल भी रहेंगी या नहीं।

(तरगीब बहवाला इने हब्बान)

# हज और उमराह की बरकतें

- हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि नबी करीम (स.) ने अर्ज किया, “हुजूर मैं कमज़ोर भी हूँ और बुज़िदल भी।” फरमाया, “तू ऐसा जिहाद किया कर जिस में कांटा भी न लगे।” उस ने अर्ज किया, “ऐसा कौन सा जिहाद है जिस में तकलीफ ना पहुँचे?” फरमाया, “हज किया करा।” (तिवरानी)
- हजरत अबू हुरैरह (रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने फरमाया, “जिस ने हज किया और कोई बेहयाइ का काम नहीं किया और फरक्क व फुजूर से दूर रहा तो वह गुनाहों से इस तरह पाक हो जाएगा जैसे आज ही पैदा हुआ है।” (बुखारी, मुस्लिम)
- हजरत अबूज़र खुदरी (रजि.) से रिवायत है कि नबी करीम (स.) ने इरशाद फरमाया, “अल्लाह तआला फरमाता है कि जिस बन्दे को मैं ने सेहत और तन्तुरस्ती बख्शी और रोज़ी में फरखी और कुशादगी दी और फिर पांच साल की मुद्रदत गुजर जाए और मेरे पास ना आए तो ऐसा शख्स महरूमुल किस्मत और बद किस्मत है।” (तरगीब व तरहीब, बहवाला इब्ने हब्बान, ज़ादे राह ५८)
- हजरत अब्दुल्लाह इन्ने मसऊद (रजि.) से रिवायत है कि रसूलल्लाह (स.) ने फरमाया, “पै दर पै हज व उमरह किया करो, क्यूंकि हज व उमरह दोनों मुफ़लिसी व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोडार और सुनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचल दूर कर देती है। और हजे मबरुर का सिला और सवाब तो बस जन्नत ही है।”

(जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, बहवाला माआरिफुल हदीस पेज १६६)

- हम में से अक्सर बहोत ज्यादा बहादुर नहीं हैं, कमज़ोर हैं, गुनाहगर हैं। अल्लाह ने जो भी माल व दौलत दिया है उस से बहोत ज्यादा कमाने की तमन्ना भी है और हज ना करने पर अल्लाह तआला की तरफ से लभन्ते भी है। इस लिए जहाँ तक मुस्किन हो हज जल्द अज़ जल्द कर लेना चाहिए। हज के बाद अल्लाह तआला की जो बेपनाह रहन्ते नाजिल होती हैं इन का कुछ जाती मुशाहिदा मन्दर्जा जैल है। हज और उमरह ज़िन्दगी में खुशहाली का सबब बनते हैं इसलिए इस मौजूद़ को हम ने इस किताब में शामिल किया है।

- एक हदीस शरीफ का मफ़ूह है कि अगर बदे को एक पहाड़ के बराबर (या एक वादी के बराबर) सोना मिल जाए तो दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा। यही हाल मेरा था। २००४ई.सन में अल्लाह का करम था कि मेरी माली हालत अच्छी थी मगर और ज्यादा की तमन्नाएँ भी थीं जो पूरी नहीं हो रही थीं। हज करने के बाद अल्लाह ने करम किया और ज़िन्दगी एक दम चमक गई। मिसाल के तौर पर मेरे कारखाने की इमारत को रंग लगाए काफी अरसा गुजर चुका था, दीवारें काली हो गई थीं। हज के बाद एक पेंटर मिला जिस ने ममूली उजरत पर सारे कारखाने को रंग दिया। और यही काम हज के पहले लाख कोशिश के बा-वजूद कियी ना किसी वजह से टलता रहा।

हज के बाद अल्लाह तआला ने १७ मंज़िले पर बेहतरीन फ्लैट अता किया। हज के बाद मेरा कारोबार हर साल तकरिबन २० से १००% बढ़ जाता, इस तरह ४ साल में तकरीबन चौपुना होने के बाद तरक्की की रफतार रुक गई। यही तजुरबा मेरे कई दोस्तों का रहा। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त यूनुस भाई ने हज के बाद तीन महीनों में इतना कारोबार किया जितना वह साल भर में करते थे। आज उन के पास पूना शहर के आस पास करोड़ों की जायदाद है। और तरक्की की यह उछाल उन्हें हज के बाद हासिल हुई।

इसी तरह मेरे कई दोस्त हैं जिन की खुशहाली हज के बाद हज के बाद बहोत बढ़ी। मगर जिस तरह इस अज़ीम इबादत का सवाब और बरकतें बे-पनाह हैं उसी तरह इस अज़ीम इबादत में अगर कुछ लापरवाही की जाए या मन मानी की

जाए तो लभन्ते भी बेपनाह हैं। मैं तीन मिसाले आपके सामने बयान कर रहा हूँ ताकि आप इस अज़ीम इबादत के बक्त इन्तेहाई एहतेयात से काम लें।

- निसार शेख मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन का भी मशीनें बनाने का कारखाना है। पिछले कुछ सालों से उन का कारोबार अच्छा चल रहा था। इस खुशहाली में उन्होंने ने घर तअमीर किया, अपनी शादी की और वालिदैन के साथ हज भी किया। मगर किसी वजह से वह मक्का और मदीना शरीफ में इमाम के पाछे नमाज़ नहीं पढ़ते थे और कई बार हरम की सेक्युरिटी वसलों से खूब बहस भी की। हज के बाद उन के हालात बदल गए। उन की बनाई मशीनों में खराबी आने लगी। बक्त पर माल नहीं दे पाते, माली हालत इन्तेहाई खराब हो गई। लोगों के कर्ज़ के नीचे दब गए। मेरा भी कुछ कर्ज़ उन पर बकाया है और अब वह मुँह छुपाए फिरते हैं।
- ज़ियाउद्दीन अन्सारी का प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) का कारोबार था। मसलक के मसले में उन्होंने भी हरम की सारी नमाज़ें अकेले पढ़ीं। बतन वापसी पर वह कारोबार में भी अकेले रह गए। उन का सारा कारोबार भांजे भतीजे चलाते थे और साल में तकरीबन ८० लाख का कारोबार करते थे। मगर हज के बाद एक एक कर के सारे मुलाज़िमों ने अपना खुद का कारोबार शुरू कर दिया। अब अन्सारी साहब मक्की मारते हैं। कुछ दुकानें किराए पर दी हुई हैं उन की आमदनी से घर का खर्च चलता है।
- इरफान शेख ने हरम में जमाज़ पढ़ने से परहेज़ किया। हज के बाद माली हालत तो खराब नहीं हुई मगर हज के बाद अब खाने पीने में बहोत परहेज़ करते हैं। हज के पछले नए नए ऑरडर के लिए सफर करते थे, अब नए नए डाक्टरों की तलाश में घूमते हैं। इस लिए बरकत के लिए बार बार हज और उमरह कीजिए, इन्शा अल्लाह बहोत बरकत होगी। मगर दीन के उस्तों का और हरमैन शरीफैन के एहतराम का बहोत ज्यादा ख्याल रखिए। (ऊपर बयान की गई तीनों मिसालों में मैं ने नाम तबदील कर दिए हैं वरना वह लोग डंडा ले कर मेरे पाछे दौड़ पड़ेंगे।)



हजरत मुहम्मद (स.) ने कहा कि, ‘मुसलमानों के शासन में मुसलमान शासकों का यह कर्तव्य है कि गैर-मुस्लिम जनता के जान, माल और सम्मान की रक्षा करें। अगर कोई मुसलमान एक गैर मुसलमान की जायदाद जबरदस्ती ले लेता है, या उनका शोषण करता है, या उनको कोई तकलीफ देता है तो कथामत के दिन जब ईश्वर के सामने सब को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा, उस दिन मैं (हजरत मुहम्मद) उस गैर-मुस्लिम की तरफ से अल्लाह के न्यायालय में उस मुसलमान के विरुद्ध मुकदमा लड़ूँगा।’  
(अबू दाऊद, सफीना निजात १५१)

# ਸਫਰੇ ਹਜ ਮੌਂ ਪਢੀ ਜਾਨੇ ਵਾਲੀ ਮਸਨੂਜ ਦੁਆਏ

नं.	दुआ पढ़ने का मौक़ा	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
१.	घर से निकलते वक्त की दुआइसे बतन, हरम और हर जगह पढ़ें।	بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حُوْلَ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.	बिस्मिल्लाहि तवक्कल-तु अल्लाही, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।	शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, मेरा अल्लाह तआला पर ईमान और उसी पर भरोसा है। और गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी शान वाला और अऱ्जमत वाला है।
२.	सवारी पर सवार होते वक्त की दुआ	سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَبِّلُونَ	सुझानल्लजी सख्खरा लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरेनी व इन्ना इला रब्बना लमुन्कलिबून।	अल्लाह तआला की जात हर किस्म के ऐबों और नुक्स से पाक है जिस ने यह सवारी हमारे काबू में करदी। वरसा हमारे पास इस को काबू में करने की ताकत नहीं थी। और हम एक दिन हमारे परवरदिगार की जानिब यकीन वापस लौटने वाले हैं। (सूरह ज़ख्रफ, आयत १३-१४)
३.	जब जहाज़ रवाना होने लगे	بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَهَا وَمُوسِّهَا إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ	बिस्मिल्लाहि मुज्रेहा व मुस्सीहा इन्ना रब्बी ल-गफूररहीम	जहाजों का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम की बरकत से है। बेशक मेरा रब बखशने वाला और रहम करने वाला है। (सूरह हूद, आयत ४१)
४.	उमरह करने की नीयत	الْهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمَرَةَ فِي سُرُّهَا لِي وَتَقْبَلَهَا مِنِّي	अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उमरता फ-यसिसर-हा-ली व तकब्बल-हा मिन्नी।	मैं उमरह की नीयत करता हूं/करता हूं। पस इस को मेरे लिए आसान फरमा और मेरी जानिब से कुबूल फरमा ले।
५.	तलबियाह	بِيَكَ الْهُمَّ لَبِيكَ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ	तल्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक ला-शरीका लका लब्बैक। इन्ना हम्दा वन्हिअम-ता लका वल्मुत्क।	हाजिर हूं मेरे मौला हाजिर हूं। हाजिर हूं आपका कोई शरीक नहीं हाजिर हूं। सारी हम्द व सताइश के आप ही सज़ावार हैं। और सारी नेअमतें आप ही की हैं। और सारी कायनात में हुक्मत भी आप ही की है। आप कोई शरीक नहीं।
६.	मक्का शहर में दाखिल होते वक्त की दुआ	الْهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، جَئْتُ الْأُودُّي فَرُضَكَ وَأَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَالتِّسْمُ رَضَاكَ مُتَبَعًا لِّأَمْرِكَ رَاضِيًّا بِعَنَائِكَ	अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी व अना अब्दुक। जेअतुल उअद्दी फर्जका व अतलाबु रह-म-त-का वल तमिसु रिजाका मुत्तवि अल लि-अप्रिक, राजियम बिवकाइक।	या अल्लाह आप मेरे रब हैं और मैं आपका बन्दा हूं। आपका फर्ज “हज्जे बैतुल्लाह” अदा करने आया हूं। और आपकी रहमत के तलब में आया हूं। आप मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए और मैं आपकी हमेशा रहने वाली जात के पास आपके हुक्म की इत्तेबा करते हुए आपकी रजामन्दी तलाश करने आया हूं। आप मुझ से राजी होकर अपनी रजा का एलान कर दीजिए।
७.	मस्जिदे हरम और किसी भी मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ	بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الْهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.	बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्म तह-ली अब्बाबा रह-म-तिक।	अल्लाह का नाम ले कर दाखिल होता हूं और और रसूल अल्लाह (स.) पर दरुद भेजता हूं। ऐ मेरे रब मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए।
८.	खाना-ए-काबा पर पहली नज़र पढ़े तो यह दुआ पढ़ें।	اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	अल्लाहु अक्बर। ला इलाहा इल्लाह।	अल्लाह सब से बड़ा है। नहीं है कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के।

नं.	दुआ पढ़ने का मौका	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
	दुआ के बजाए आप तकबीरे तशीरीक भी पढ़ सकते हैं।	اللَّهُ أَكْبَرُ طَالِلَهُ أَكْبَرُ طَالِلَهُ إِلَالَهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ طَالِلَهُ أَكْبَرُ طَوْلَلَهُ الْحَمْدُ.	अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।	अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। नहीं है कोई मध्यबूद्ध सिवाय अल्लाह को। और अल्लाह सब से बड़ा है, अल्लाह सब से बड़ा है। और तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।
६.	तवाफ की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بِيَتِكَ الْحَرَامَ، سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِلَّهِ تَعَالَى، فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقْبِلْهُ مِنِّي.	अल्लाहुम्मा उरीदु तवाफा बैतिकल हरामा। सब्बता अश्वतिल लिल्लाहि तआला। फ-यसिस्हु ली व तकब्बल-हु मिन्नी।	ऐ अल्लाह! मैं आपके इस हुरमत वाल घर का तवाफ आपकी रजा और खुशनूदी के लिए कर रहा हूँ, आप इस को मेरे लिए आसान फरमा दें और मेरी जानिब से कुबूल फरमा लें।
१०.	तवाफ के चक्कर शुरू करते वक्त की दुआ या तकबीर	بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ طَوْلَلَهُ الْحَمْدُ	बिस्मिल्लाही अल्लाहु अक्बर व लिल्लाहिल हम्द।	शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अल्लाह सब से बड़ा है और सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं।
११.	तवाफ करते वक्त पढ़ने की आसान तस्वीह (तीसरा कल्पा)	سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَلَا حَوْلُ، وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.	सुब्हानल्लाही वल हम्दु लिल्लाही। व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर। वला हैला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।	पाक है अल्लाह की जात। सारी तारीफों की मुस्तहिक जात अल्लाह तआला ही की है और अल्लाह के सिवा कोई मध्यबूद्ध नहीं और अल्लाह बड़ा है। और नेक काम करने की कुव्वत अल्लाह ही की तरफ से है जो बड़ी शान वाला और अऱ्जमत वाला है।
१२.	खँके यमानी और हज़े अस्वद के दरमियान पढ़ने की आसान दुआ	رَبَّنَا اتَّسَافَى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ	रब्बना आतिना फिहन्या ह-स-न-तव व फिल आखिरति ह-स-न-तंव व किना अजाबन्नारं	ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भालाई अता फरमा और आखिरत में भी और हम को दोज़ख के अज़ाब से बचाले। (सूरह बकरह, आयत २०९)
१३.	मकामे इब्राहीम पर यह दुआ पढ़ें।	وَاتَّخِذُو مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي	वत्तखिजु मिम मकामे इब्राहीमा मुसल्ला।	तुम मकामे इब्राहीम के पास अपना मुसल्ला बनाओ। (सूरह बकरह: १२५)
१४.	ज़म ज़म का पानी पीते वक्त यह दुआ पढ़ें।	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا وَسَفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ	अल्लाहुम्मा इन्नी अस-अलुका इल्मन नाफिअंव व रिज्कन वासिअंव व शिफाउम् मिन कुल्ली दा।	ऐ अल्लाह! मुझे नफा वाला इल्म दे, रिज्क में वुस्थत और फरारी दे और हर बीमारी से शिफा अता फरमा।
१५.	सफा और मरवाह पर सई के लिए जाते वक्त यह दुआ पढ़ें।	أَبْدِأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، إِنَّ الصَّفَا <sup>١</sup> وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.	अब्द-उ बिमा बदाउल्लाहु बिहि। इन्स्सफा वल मर्वता मिन शआइरल्लाह।	इत्तेवा करता हूँ मैं उस से जिस से इत्तेवा की है अल्लाह तआला ने। यकीनन सफा और मरवाह अल्लाह तआला की निशानियों में से है।(सूरह बकरह, आयत १५८)
१६.	सई की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقْبِلْهُ مِنِّي	अल्लाहुम्मा उरीदुस स-अय्या बैनस्सफा वल मर्वता सब्बता अश्वतिल लि वज- हि -कल करीम। -यसिस्हु ली व तकब्बल-हु मिन्नी।	ऐ अल्लाह! मैं सफा और मरवाह के दरमियान सात चक्करों से सई करना चाहता हूँ। महज़ तेरी ज़ाते बुजुर्ग की रजा के लिए। पस मेरे लिए सई करना आसान फरमा और कुबूल फरमा।

नं.	दुआ पढ़ने का मौका	अरबी में दुआ	हिंदी में दुआ	तर्जुमा
१७.	सफा और मरवाह पर यह (चौथा कल्मा) पढ़ें, (और तीसरा कल्मा भी पढ़ें जो ऊपर ११ वाँ दुआ में बयान हुआ है।)	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحِبُّ وَيُمِيَّ بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.	ला इलाहा इलल्लाहु वह-दहू ला शरी- क-लहू। लहुल मुल्कु व-ल-हुल हम्दु युमीरी व युमीरु बि-यदिहिल खैरा। व हुवा अला कुल्लि शइ-इन करीरा।	नहीं है काई मध्यबूद मगर अल्लाह। वह एक है। उस का कोई शरीक नहीं। उसी की बादशाहत है, और सब तारीफ उसी के लिए है, वही ज़िदा रखता है और वही मौत देता है और वह हर चीज़ पर कादिर है।
१८.	सई के दौरान पढ़ने की दुआ	رَبِّ اغْفِرْ، وَارْحَمْ، أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ	रब्बिग फिर। वर-हम। अन्तल अ-अज्जुल अकरम	ए मेरे रब तू मुझे बख्श दे और रहम फरमा, तू ज़बरदस्त बुजुर्गी वाला है।
१९.	हज की नीयत	اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقْبِلْهَا مِنِّي	अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्जा-फ-यसिसहा ली व तकब्ल-हा मिन्नी।	ए अल्लाह मैं हज की नीयत करता हूँ, इसे तू मेरे लिए आसान कर और कुबूल फरमा।
२०.	शैतान को कंकरी मारते वक्त पढ़ने वाली तकबीर	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلشَّيْطَانِ وَرِضَى لِلرَّحْمَانِ	बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। रग्मा लिशैतानी व रजियल लिरहमान।	मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अल्लाह सब से बड़ा है। यह कंकरी शैतान को ज़लील करने और अल्लाह पाक को राजी करने के लिए मारता हूँ।

### पेज 69 का बक़िया....मदिना मुनव्वरा का सफर

की ज़गह निकल आएगी। दो ज़ानों पर ज़्यादा देर बैठना आसान नहीं है। इसलिए मैरें इन्कार किया और वह चले गए मगर इसके बाद बगैर किसी वजह के मुझे बहुत गुस्सा आया और दिल बार बार चाहता था कि मैं मस्जिद से निकल जाऊँ और कहीं दूर जाकर सुकून से नमाज़ पढ़ूँ।

एक अर्से बाद जब मैं उस वाकिआ को सोचता हूँ, तो मुझे एहसास होता है, कि नबी करीम (स.) के मेहमान को इन्कार करने पर मुझपर लानत हो रही थी और मैं खुद मस्जिद से निकाला जा रहा था। अल्लाह तआला मेरी उस गलती को माफ करें।

मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी (स.) दोनों जगह मुझसे कुछ गलतियाँ हुईं और मुझे फौरन सज़ा का एहसास हुआ। इससे मैं इस नीरों पर पहुँचा कि इन दोनों मस्जिदों में हमें अपनी आसानी और आराम से ज़्यादा दुसरें नमाजियों की आसानी और आराम का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल (स.) के मेहमान हैं और अगर हमने ऐसा नहीं किया, तो हम इस गुमान में रहेंगे कि उस मुकद्दस मुकाम पर हम खूब सवाब करा रहें हैं, जबकि हकीकत में हम पर लानत बरस रही होगी।

- नबी करीम (स.) के रोज़े मुबारक पर जब हाजिरी दे, तो इन्तिहाई अदब से हाजिरी दें। किसी तरह की बातचित से परहेज़ करें और दुसरों का ख्याल अपने आप से ज़्यादा रखें। क्योंकि वह सारे हाजी नबी करीम (स.) के मेहमान हैं।



i \$ 78। svks-gt dkl Qj fd। d\$ f, dj &

Ministry of External Affairs (MEA) Govt. of India

Administrative officer/Under Secretary (Haj cell)

Akbar Bhavan, New Delhi.

E-mail: aohaj@mea.gov.in

Website: http://meaindia.nic.in

यह हिन्दुस्तानी हुक्मत का एक दफ्तर है। जहाँ सारे दूर ऑपरेटरज़ को अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है।

**Moassasa Mutawaffiy hujjaj (South Asia countries)**

Second Ring Road, Al-Rusifa Makka Al Mukarramah

(Kingdom of Saudi Arabia) Tel:5342144

Fax No. 009662-2-5342182

यह सऊदी हुक्मत का दफ्तर है जो जुनबी एशिया से हज और हाजियों से जुड़े मामलात पर नज़र रखता है। इनकि नज़र दूर ऑपरेटरों पर भी होती है।

आपकी शिकायत का आखरी पत्ता पुलिस चौकी है। मगर वहाँ कदम रखने से पहले जरा अपनी आप का जायजा ले लें। क्योंकि यहाँ के कानून कुछ कुछ ज़ंगल से मिलते जुलते हैं। वहाँ जीत उसी की होगी जिसमें देर तक और दूर तक आने कि ताकत होगी।



नबी करीम (स.) ने फरमाया: “अल्लाह तआला फरमाता है, कि ऐ औलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और मुश्किलात को आसान करूंगा, और अगर तूने मेरी इबादत से मूँह मोड़ा तो न मैं तेरे हाथों को मसरूफियत ये ख़ली करूंगा और न तेरे फिक्रों फांका को दूर करूंगा”।

(इने माज़ा: हदीश नम्बर- ४९०७)

# अ़रफ़ात में मांगने वाली दुआएँ

१) नबी करीम (स.) ने फर्माया, “हज, अ़रफ़ात में ठहरने का नाम है।” (तिर्मिजी हदीस ८८६)

यानि हज जैसी अ़ज़ीम इबादत का म़ाज़ अ़रफ़ा के दिन की इबादत है। इस लिए अपने हज को हजे मबरुर बनाने के लिए उस दिन ख़ुब खुश व खुजु के साथ इबादत करें। नबी करीम (स.) ने कई तस्वीहात और कल्पों की ख़ास फ़ज़ीलत बताई है। इस मुबारक दिन इन मस्नून तस्वीहात और कल्पात का खुसूसी विर्द करें। कुछ मस्नून तस्वीहात और कल्पात मुन्दर्जा ज़ेल है:

२) एहराम की हालत में लब्बैक (तल्बिया) पढ़ना अल्लाह को बहुत पर्संद है। इस लिए अ़रफ़ा के दिन इस के विर्द का ख़ास एहतिमाम करें।

३) नबी करीम (स.) ने फर्माया, “कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब किसी ऊँची जगह पर कोई शश्व लब्बैक या तकबीर कहता है तो उस के सामने का सारा हिस्सा ज़मीनके के ख़त्म होने तक लब्बैक या तकबीर कहने लगता है।” इसलिए अ़रफ़ा के दिन तकबीर भी ख़ब पढ़ें।

४) नबी करीम (स.) से रिवायत है कि आप (स.) ने फर्माया:

दुआओं में सब से बेहतर यौमे अ़रफ़ा की दुआ है और मैं ने और मुझ से पहले अंबिया ने इस रोज़ जो अफ़ज़ल तरीन कल्पात कहे वह ये हैं:  
“لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“ला इलाहा इल्लल्लाहु वह-दहू ला॒ शरी-क-लहू। लहुल मुल्का व लहुल हम्दा व हुवा अला॒ कुल्ली शय्हन कदीर”

तर्जुमा: कोई मअ़बूद नहीं सिवाय अल्लाह तआला के, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए सारी बादशाही है, उसी के लिए सारी हम्द है, वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है।

५) एक सही हदीष में है कि नबी करीम (स.) ने फर्माया: अल्लाह के हां महबूब-तरीन कल्पात चार हैं:

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرٌ**

“सुब्बानल्लाह वल्ह-म्दु लिल्लाह व ला॒ इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर”

तर्जुमा: पाक है अल्लाह तआला, सारी तअरीफों की मुस्तकब ज़ात अल्लाह तआला ही की है, और अल्लाह जआला के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और अल्लाह बड़ा है।

६) नबी करीम (स.) ने फर्माया: दो कल्पात ऐसे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, मीज़ाने अभ्याल में बहुत भारी हैं और रहमान को बहुत महबूब हैं। (बुखारी)

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**

“सुब्बानल्लाह व बिहम्दिहि, सुब्बानल्लाहिल अ़ज़ीम”

तर्जुमा: पाक है अल्लाह तआला की ज़ात, तअरीफ उसी के लिए है, पाक अल्लाह तआला निहायत अ़ज़मत वाला।

७) हुजूर (स.) ने अ़रफ़ात के मैदान में अपनी उम्मत को नहीं भुलाया है और रो रो कर मग़रिब तक अपनी उम्मत के लिए दुआएँ मांगी हैं। अपने महबूब और करीम आका (स.) पर हम अगर अ़रफ़ात में दुरुद नहीं भेजते तो यह बड़ी अहसान फरामोशी होगी।

इसलिए अ़रफ़ा के दिन ख़ुब दुरुद शरीफ पढ़ें।

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، مَّجِيدٌ.**

**اللَّهُمَّ بارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ، مَّجِيدٌ.**

“अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिंव व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम, व अला आलि इब्राहीम इन्न् क हमीदुम् मजीद,

“अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिंव व-अला आलि मुहम्मदिन, कमा बारकू त, अला इब्राहीम, व-अला आलि इब्राहीम इन्न् क हमीदुम् मजीद”

तर्जुमा: ऐ अल्लाह! रहमत भेज मुहम्मद (स.) पर और मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तू! ने रहमत भेजी इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक तू! तअरीफ के लायक बुजुर्गी वाला है।

ऐ अल्लाह! बरकत नाजिल फरमा मुहम्मद (स.) पर और मुहम्मद की आल पर, जिस तरह तू! ने बरकत भेजी इब्राहीम पर और इब्राहीम की आल पर, बेशक तू! तअरीफ के लायक बुजुर्गी वाला है।

८) नबी करीम (स.) ने फर्माया: “कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। इस लिए दुरुद शरीफ और तस्वीह पढ़ने के बाद जो बक्त मिले उस में कुरान शरीफ की तिलावत करें। खुसूसी तौरपर मुन्दर्जा ज़ेल सूरतें पढ़ें; सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह तौबा, सूरह वाक्या, सूरह फतेह।

# हज की तअलीम किस किताब से हासिल करें?

## • मुअल्लिमुल हुज्जाज़: (मौलाना अलहाज कारी सईद अहमद साहब)

अगर आप गहराई से हज और उसके मसाइल का मुतालआ करना चाहते हैं तो किताब “मुअल्लिमुल हुज्जाज़” पढ़ें। यह एक जामे और बहतरीन किताब है, मगर चूंकि इस किताब में अवसर मसाइल का गहराई और हर पहलू से जिक्र है इसलिए अवाम के बदले उत्तमा ए कराम इसे ज्यादा पासंद करते हैं। अगर आप किताबों के शौकिन हैं, तो इसे आप एक डिक्षणेरी की तरह अपने पास रखें और हज के दौरान अगर किसी मसले का हल जानना हो तो उसे खोलकर पढ़ ले। उसकी कीमत सिर्फ ७०/- रुपये है और मिलने का पता है:

हनफी कुतुब खाना, नंबर २३, लालबाग, फोर्ट रोड, मस्जिद (मसावली) बैंगलोर-४।

## • मसाइले हज और उमराह (तालीफ : मुहम्मद मोईनुद्दीन अहमद)

अगर आप कम वक्त में हज के खास मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। एक तरह से यह मुअल्लिमुल हुज्जाज के खुलासे की तरह है। कीमत १५/- रुपये है। मिलने का पता:

कलासीक आर्ट्स, ३४४ गली गढ़इया, मटीया महल, जामा मस्जिद, देहली नं-६। Off:- ०११-२३२८१४८१, ०११-०२३५२८६३८

## • हज और उमराह फलाही के हमराह :

(मुफ्ती अहमद देवलवी साहब)

यह हज के मौजू पर एक बेहतरीन किताब है। लिखने का अंदाज बेहतरीन है। किताब के आखरी सफहे तक आप की दिलचस्पी बनी रहेगी। इस किताब में हज की मुकम्मल मालूमात आसान लफजों में ब्यान कि गई है। मगर मसला यह है कि यह किताब बाजार में दुकानों पर दस्तियाब नहीं है। मुफ्ती अहमद देवलवी साहब उसे मुफ्त तकसीम करते हैं। मगर चूंकि किताब की छपाई किंमत ५०/- रुपये तक होगी इसलिए मुफ्ती साहब उसे महदुम तादाद में छापते हैं। उनकी ईजाजत से हमने इस किताब को इंटरनेट पर डाल दिया है। अगर अल्लाह तआला ने आपको माली तौर पर खुशहाल किया है तो इस किताब को छापने और बांटने में मुफ्ती साहब की मदद करें और खुद भी फायदा उठाएं और दुसरों की भी मदद करें या फिर उसे इंटरनेट पर पढ़ ले। आप उसे मंदरजाजेल वेब साईट से मुफ्त डाउन-लोड कर सकते हैं।

[www.freedducation.co.in](http://www.freedducation.co.in), [www.tanveerpublication.com](http://www.tanveerpublication.com).

किताब मिलने का पता:-

मुफ्ती अहमद देवलवी, जामिया उलमूल कुरआन, जम्बूसर, तालुका भरुच, (गुजरात)-३६२९५०

Phone:- ०२६४४-२२०७८६। Fax: ०२६४४-२२२६७७।  
[www.jamiahambusar.com](http://www.jamiahambusar.com), Email: [jamia@satyam.net.in](mailto:jamia@satyam.net.in)

## • सूए-हरमः

हज के उनवान पर यह एक बैहतरीन किताब है। इसमें मालूमात बहोत है। बयान का अंदाज बेहतरीन है। तसवीरें बेहतरीन और बेशुमार हैं। और छपाई भी लाजवाब है। ५६८ सफहात पर मुश्तमिल यह किताब आपके लिए बहोत कार-आमद साथित होगी। इस किताब के मौअलिल्फ है मुहम्मद मुर्झुद्दीन अहमद साहब और अताउर रहमान साहब, अताउर रहमान साहब ने ही ही उसे अपने इदारे अर्हमान प्रिंटर्स कोलकत्ता से शाए किया है। इस खुबसूरत किताब कि किमत २००/- रुपया है। किताब मिलने का पता:- अर्हमान प्रिंटर्स, ९८ जकरया इस्टेट, ग्राउंड फ्लोर,  
कोलकाता- ७०००७३। Phone :- २२३५-४०७९  
Email :- [alrahmanpnp@gmail.com](mailto:alrahmanpnp@gmail.com)

## • मुस्तनद मसाइल हज व उमराह जियारते नबी (स.):

लेखक: मिर सजादत अली हैदराबादी, अल फला कम्प्युटर्स, निजाम आबाद, मोबाइल:- ०६२४७८२३६३९।

हज के मौजू पर यह भी एक बैहतरीन किताब है। इसमें भी मुअल्लिम हुज्जाज कि तरह हज और इसके मसाइल पर बहुत ज्यादा मालूमात दी गयी है।

- हज कमेटी की तरफ से भी हुज्जाजे कराम की तरवियत का इंतेज़ाम किया जाता है, वहाँ से मालूमात हासिल करें।
- इंटरनेट पर और यु-ट्युब पर (You tube) पर बहोत सारी वेबसाईट हैं जहाँ से हज के बारे में मालूमात हासिल हो सकती है।

## हजरत मुहम्मद (स.) का आस्तिवरी पैग़ाम मानवजाति के नाम

हजरत मुहम्मद (स.) ने अपने आखिरी हज के अवसर पर जो उपदेश लोगों को दिया था उसके मुख्य अंश इस प्रकार है;

- ईश्वर एक है। और उसके अलावा कोई पूजने के लायक नहीं। उसका कोई साथी नहीं। ईश्वर ने अपना वचन पूरा किया। केवल उसने ही सभी अधार्मिक शक्तियों को पराजित किया। (और इस्लाम धर्म को फेला दिया।)
- तुममें सबसे अधिक आदरणीय वह है जो सबसे अधिक ईश्वर से डरने वाला हो। न कोई अरब गैर अरब से महान है। न कोई गोरा व्यक्ति किसी काले से महान है न कोई काला व्यक्ति किसी गोरे से महान है। (अर्थात जात-पात, रंग व नस्ल का कोई भेदभाव नहीं) महानता केवल ईश्वर से डरने और आचरण की पवित्रता पर निर्भर है।
- लोगों आज (हज) का दिन, यह (हज का) महीना और यह मक्का शहर जिस तरह आदरणीय है उसी तरह तुम लोगों की जान, माल और (इज्ज़त) सम्मान एक दूसरे के लिए आदरणीय है। (अर्थात कोई एक दूसरे के जान व माल और सम्मान को नुकसान न पहुँचाए।)

# मुस्तिनिफ क्यू. एस. खान की चन्द अहम किताबों का तात्परफ

## • पवित्र वेद और इस्लाम धर्म (हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती)

यहूदी अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, और वह नहीं चाहते हैं कि कोई गैर यहूदी, यहूदी मज़हब को इखतियार करे। इसाइ अपने मज़हब को सबसे ज्यादा सही मानते हैं, और दिलो-जान से अपने मज़हब की इशाअत की कोशिश करते रहते हैं। और इन की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज दुन्या में ईसाइ सब से ज्यादा हैं।

हिंदू भाई फिरतरन ज़हीन है। मगर इन की रुहें व्यासी हैं। वह हक की तलाश में हैं। मगर हक तक पहुँचना उनके लिए मुश्किल है। इस सूरते हाल को सामने रखते हुए यह किताब लिखी गई है। इस्लाम से दूरी या अज्ञवियत कम करने के लिए इस किताब में पहले कुरआन और वेदों का तआरुफ कराया गया है, फिर ऐसे इस्लामी मौजुआत और हकाइक बयान किए गए हैं जो हिंदु मज़हब की किताबों में भी हैं। जैसे खाना-ए-काबा का जिक्र, हज़रत इब्राहीम (अ.स.) की कुरबानी का जिक्र, हज़रत नुह (अ.स.) के तूफान का जिक्र, नबी करीम (स.) की आमद के मुतालिक पेशनगोइयाँ वरैरह। फिर बहोत आसान अल्फाज़ में इस्लाम की तालिमात को पेश किया गया है।

इस किताब को पढ़कर कई लोग इस्लाम कुबूल कर चुके हैं। इस किताब की कीमत सिर्फ २५/- रुपये है। इस किताब के मुस्तिनिफ क्यू. एस. खान ने इस किताब और अपनी दीगर किसी भी किताब का कोई कॉपी-राइट नहीं रखा है। इस लिए खरीद कर या छपवा कर इस किताब को ज्यादा से ज्यादा गैर-मुस्लिम भाईयों को तक्सीम करने की कोशिश करें, ताकी दअवत का फरीज़ा का कुछ तो हक अदा हो सके।

## • डिज़ाइन एंड मेन्युफॉर्क्युचरिंग ऑफ हाईड्रोलिक प्रेसेस

(Design & Manufacturing of Hydraulic Presses)

इन दिनों ज्यादा तर मशीनें हाईड्रोलिक सिस्टम पर चलती हैं। हिंदुस्तान में अभी इंडस्ट्रीयल हाईड्रोलिक टेक्नोलॉजी गैर-मुस्लिम या गैर-मध्यरक्षक है। उसकी वजह यह है कि मुख्य के इंजिनियरिंग कॉलेजों में इंडस्ट्रीयल हाईड्रोलिक्स पर कोई खास कोर्सेस मौजुद नहीं हैं। इस किताब के मुस्तिनिफ क्यू.एस. खान १६८७ से हाईड्रोलिक मशीनों के डिज़ाइन और मेन्युफॉर्क्युचरिंग के मैदान में हैं। इस मैदान में उन्हें २४ साल का तजुर्बा हासिल है। हाईड्रोलिक्स के मौजूदू पर अपने तर्जुबात की रौशनी में उहोंने कई किताबें लिखी हैं। यह किताबें इंजिनियर्स और इंजिनियरिंग के तलबा दोनों के लिए मफीद हैं।

## • लॉ ऑफ सबसेस फॉर बोथ दी वर्ल्ड्स

(Law of Success for Both the World)

(यह किताब अंग्रेजी और मराठी ज़बान में छप चुकी हैं और उर्दु, हिंदी में तर्जुमे का काम जारी है।)

जैसे इन्सान जिसम और रुह से बना है, अगर रुह निकल जाए तो जिसकी काम का नहीं रहता इसी तरह खुशहाली अल्लाह की रहमत के साथ दौलत का नाम है, अगर अल्लाह की रहमत हटा ली जाए तो वही दौलत

इम्तिहान और मुसिबत का सबब बनती है। इस किताब में कामयाबी अल्लाह की रहमत के साथ हासिल करने का तरीका बताया गया है। और साथ में गैर मुस्लिमोंको इस्लाम कि दअवत भी दी गई है।

नबी करीम (स.अ.) ने हुज्जतुल विदा के मौके पर फर्माया था, जो हाजिर है वह मेरी बात जो नहीं हाजिर है उन तक पहुँचा दें, चाहे वह एक आयत ही क्वों न हो। जिस मुसलमान तक नबी करीम (स.अ.) की तालीम पहुँची हैं उसपर यह फर्ज़ बनता है कि आप (स.अ.) कि तालीम को उनतक पहुँचाएं जिन तक यह इस्लाम कि तालीम नहीं पहुँची है। क्यामत के दिन गैर मुस्लिम खुदा के दरबार में हमारा दामन पकड़ेगे कि “ऐ अल्लाह, यह सब जानते थे उहोंने वह दअवत हमें नहीं दी इसलिए हमारे साथ जहन्नम में इनको भी दाखिल करा।” तो आप उसका क्या जवाब देंगे, और यह दावा वह लोग करेंगे जिनसे आपका रोज साबेका पड़ता है। गैर मुस्लिम से आपने दोस्ती की, कारोबार किया, रोजाना घंटों बातें करते हैं लेकिन इस्लाम कि दअवत आप कभी न दे सके। तो क्यामत में आप अपनी सफाई कैसे पेश करेंगे।

जाती तौर से इस्लाम कि दअवत गैर मुस्लिम दोस्तों को न देने कि कई वजूहात हैं, जैसे कि:

१. हम खुद सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हैं। जब हम खुद इस्लाम पर पुरी तरह अमल नहीं करते तो दुसरों को किस मुंह से दअवत दें।

२. हमें इस्लाम का पुरा इल्म नहीं हैं और न हम यह जानते हैं कि इस्लाम की दअवत कैसे दी जाती है।

३. मुसलमानों का इमेज बहोत खराब है, गैर मुस्लिम इस्लाम को मुसलमानों की ज़िन्दगी से जोड़ता है यानी जब मुसलमान इतने गए गुजरे हैं तो उनका मज़हब भी ऐसा ही होगा। हम मुसलमानों को इस बात का इल्म है और अहसासे कमतरी भी है, इसलिए हम ना तो खुद को सच्चा पक्का मुसलमान सावित करने की कोशिश करते हैं और न खुलकर इस्लाम कि दावत देते हैं।

इसी मसले को हल करने के लिए यह किताब लिखी गई है। मुस्तिनिफ ने युरोप और अमरीका की सबसे बेहतरीन और मशहुर (Best Seller) बिज़नेस मैनेजमेंट की किताबों का मुतालआ किया और उनका निचोड इस किताब में ३०० सफहात में जमा कर दिया और आधिकर के ९०० सफहात में यह बात समझाने की ओशिश की गई है कि ईमानदारी के बगैर कामयाबी मुक्किन नहीं है और दुनिया के पांच मशहुर मज़ाहिब की किताबों से इस बात को सावित करने की कोशिश की है कि “खुदा एक है और नबी करीम (स.अ.) आखरी पैगम्बर हैं।”

इस तरह इस किताब में बिज़नेस मैनेजमेंट की तालीम के साथ इस्लाम कि बुनियादी तालिम दी गई है।

यह किताब खास तौर से गैर मुस्लिमों को नज़र में रखकर लिखी गई है इसलिए बायबल और वेद के श्लोक का अक्सर जिक्र है।

अगर आप क्यामत में गैर मुस्लिम दोस्तों से अपना दामन छुड़ाना चाहते हैं तो इस किताब को बिज़नेस मैनेजमेंट की बेहतरीन किताब कहकर तोहफा दे दीजिए और इतिमान का सांस लिजिए। (इस किताब कि कीमत १००/- रुपया है।)

## • क्या हर माह चांद देखना ज़रूरी है? (उर्दू, अंग्रेजी, अरबी)

जिस तरह सूरज के तुलू और गुरुब का एक मुकरर टाईम टेबल है उसी तरह चांद सारा दिन आसमान में सूरज के कुछ पिछे चलता रहता है और सूरज के गुरुब होने के कुछ वक्ते बाद वह भी गुरुब हो जाता है। मगर चूंकि उक्क पर सूरज गुरुब होने के बाद कुछ रौशनी कम हो जाती है इसलिए चांद गुरुब होने के पहले नज़र आता है।

अगर हम अपने जाती मुशाहिदे से इस बात का पता लगा तो कि चांद सूरज से कितने वक्ते बाद गुरुब होगा तो गुरुब होने से पहले नज़र आएगा, तो चांद देखने का एक बड़ा मसला हल हो सकता है। क्यूंकि चांद और सूरज अपने तुलू और गुरुब के वक्त से ना एक सेकंड पहले गुरुब होते हैं ना एक सेकंड बाद में। यानी इन का टाईम टेबल एक दम परफेक्ट है। इस तरह हम सिर्फ टाईम टेबल से ही कह सकते हैं कि किस तारीख को चांद ज़रूर नज़र आएगा?

इसी नज़रया और फल्सफा को क्यू.एस.खान ने अपनी इस किताब में वाज़ेह किया है। (किताब की कीमत २५/-रु. है।)

## कानूने तरक्की?

इन्सान ३ साल की उम्र से ७० साल की उम्र तक पढाइ, मुलाज़मत और कारोबार की शक्ति में एक बड़ी कामयाबी के लिए जिद्दोज़िहद करता रहता है। मगर दुन्या में सिर्फ ३ से ५ फीसद लोग ही कामयाब माने जाते हैं और बहिया नाकाम। इतनी ज़्यादा तअ्दाद में लोग नाकाम क्यूं होते हैं?

क्यूंकि उन्हें कामयाबी कैसे हासिल की जाए इसका इल्म नहीं होता।

“दौलत मन्द कैसे बनें?” इस किताब में इस मौजूदू पर तफसील से गुफ्तगू की गई है, और सिर्फ कुरआन व हड्डीस की रौशनी में मालूमात दी गई है।

उन तमाम लोगों को इस किताब को पढ़ना बहोत ज़रूरी है जो माली तौर से परिशान हैं और जिन्दगी में तरक्की करना चाहते हैं। बिल्खुसूस मुस्लिम नौजवानों के लिए यह किताब बहोत मुफीद है। अल-कलम पब्लिकेशन और फरीद बुक डिपो के किसी भी डीलर से आप यह किताब हासिल कर सकते हैं। (कीमत: २०/-रु.)

## रोमन उर्दू कुरआन

आम तौर से उर्दू मेडियम के स्क्रूलों का में अभ्यार बुलन्द नहीं होता है। इसलिए खुशहाल लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मेडियम से ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों की तअ्दाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। यह बच्चे उर्दू अच्छी तरह समझ तो लेते हैं मगर पढ़ नहीं पाते। दीनी इल्म का सारा खज़ाना अरबी, फारसी और उर्दू में ही है, जिस से यह बच्चे कभी फायदा नहीं उठा सकते। यह कौम का एक अलिम्या है।

क्यू.एस. खान ने ऐसे बच्चों के लिए रोमन उर्दू में कुरआने करीम छपवाया है जिस में अल्फाज़ उर्दू के हैं लिखावट अंग्रेज़ी जैसे ‘आप’ को Aap लिखा गया है। इस कुरआन में तरजुमा मौलाना जूना गढ़ी साहब का है और तफसीर मौलाना फतेह मुहम्मद जालन्धरी साहब की है। आप एक ऐसा कुरआन खरीद कर करीब की मसिजिद में रख दें ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो कि इस तरह का कुरआन करीम मौजूद है जिस से इंग्लिश मेडियम के बच्चे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप किसी के इल्म हासिल करने का जरिया बनेंगे तो जब तक वह लोग दीन पर अमल करेंगे तो आप को सवाब भी मिलता रहेगा। इस एक कुरआन की छापाइ लागत ९९०/- है।



## इसाई या यहूदी की तरह मौत

मुश्वेकीन मक्का शिर्क करते थे मगर हज भी करते थे, जब कि इसाई और यहूदी खुदा को मानते थे, रोज़े आखीरत पर ईमान रखते थे, जन्नत और जहन्नम के भी काल थे और रोज़े भी रखते थे, मगर हज ना करते थे। हज इस्लाम का पौर्वांग और अहम रूप है। जो हज करने की इस्तेताअत रखने के बाद भी हज ना करे ऐसे इंसान के लिए हुजूर س.ख ने सख्त नाराज़ी का इज्हार किया है। मुंदर्जाज़िल हड्डीस का मफहुम है कि ऐसे शख्स का बगैर हज किये मरना इसाई या यहूदी की तरह मरना है।

**हड्डीस शरीफ :** हज़रत अली मुर्तज़ा (रज़ी) से रिवायत है। रसूर अल्लाह (स.) ने इर्शाद फर्माया: “जिस के पास सफ़रे हज का ज़रूरी सामान हो और इस को ऐसी सवारी भी मयस्सर हो जो बैतुल्लाह तक इस को पहुंचा सके, फिर भी वह हज ना करे, तो कोई फ़र्क नहीं कि वह यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर। (जामा तिरिमज़ी)

और यह इस लिए कि अल्लाह तआला का इर्शाद-ए-आली है कि:

“अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज फ़र्ज़ है उन लोगों पर जो इस तक जाने की इस्तेताअत रखते हों और जो इन्कार करे तो अल्लाह तआला दुनिया जहान से बे नियाज़ है।” (आले इमान ६७)

## पैदल चलने की फ़ज़ीलत

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ी.) ने बिमारी की हालत में अपनी औलाद के सामने बयान किया, मैंने रसूल अल्लाह (स.) से सुना हैं जिसने मक्का मुअज्जमा से पैदल हज किया उसके हर कदम पर ७०० नेकिया लिखी जाती हैं यहाँ तक की मक्का वापस आजायें और हर नेकी हरम की नेकी के बराबर होती हैं। इन्हे अब्बास (रज़ी) से इनकी औलाद ने पूछा हरम की नेकी क्या है? फरमाया हर नेकी एक लाख नेकियों के बराबर हैं। (इन्हें खजिमा)

मतलब यह है की हाजी अपने मकान से तो सवार कर जायें लेकिन मक्का पहुँचकर मिना और अरफात पैदल जाएं और वापस मक्का मुअज्जमा भी पैदल ही आएं।

इस हिसाब से ७०० नेकियां, ७०० करोड़ नेकियों के बराबर होंगी और हर-हर कदम पर यह सवाब हैं तो सारे हज के सवाब का क्या अंदाज़ा हो सकता है।

● हज़रत इन्हें अब्बास (रज़ी.) फरमाते हैं कि अंबियाए किराम (अ.) का मामुल पैदल हज का था। (इन्हाफ़)

● हज़रत इन्हें अब्बास (रज़ी.) ने इन्तेकाल के वक्त अपनी औलाद को वसीयत फरमायी कि पैदल हज किया करो।

● नबी करीम (स.) उम्मत के लिए हमेशा आसान तरीका पसंद फरमाया है अपने आखीरी हज के मौके पर आप (स.) ने देखा कि एक बड़ा दो लोगों के सहारे पैदल चल रहा है। पूछने पर पता चला कि उसने पैदल हज करने की नज़र मानी है इसलिए मजबूरन चल रहा है। तो आप (स.) ने इसे सवार हो जाने के लिए कहा।

इस लिए पैदल चलना बहुत अफ़ज़ल हैं मगर अपनी कुव्वत और इस्तकामत को देखते हुए मुशक्कत उठाएं।

# आखिरी लफ़ज़

- इस किताब का मक्सद आप को हज के सफर में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह करना है जो अल्लाह ने लिल्लाह पूरा हुआ।
- आखिर में अपना एक और मुशाहिदा आप को बताना चाहता है। वह यह है कि अल्लाह तभी अल्लाह के करम और फ़ज़ल से ही हज की तौफीक होती है और अल्लाह तभी अपने करम और फ़ज़ल से सारे अरकान पूरे कराता है।
- हम अपनी तरफ से हज की पूरी तैयारी करें मगर हज के सारे अरकान पूरे होने और हज मक़बूल होने के लिए खुदा की ज़िات पर ही भरोसा रखें और उसी से हर नमाज़ में हजे मबस्तर के लिए दुआ करें।
- दुनिया के लाखों दौलतमंद बगैर हज के इंतकाल कर गये क्योंकि उनको हज की तौफीक ना मिली और हर साल लाखों बूढ़े और मध्यावधि लोग हज के सारे अरकान पूरे कर के फरीज़-ए- हज बख़ूबी अदा करते हैं यह अल्लाह तभी का करम और उसकी दी हुई तौफीक है। इसलिए हज की पूरी तैयारी ज़रूर करें मगर भरोसा सिर्फ उसकी ज़िات पर रखें और उसी से मदद मांगें।
- हज अजीम तरीन इबादत है। जिसे करने के बाद अल्लाह तभी बदे के ना सिर्फ सारे गुनाह मुझाफ कर देता है बल्कि उस की दुआ भी कुबूल करता है। इस लिए अपनी दुआओं में अपने साथ अपने अहल-व-अयात और उम्मत मुसल्ला को मत भूलिए। अगर इस गुनाहगार कमस्तीदीन खान को भी बाद रखेंगे तो आप की बड़ी महरबानी होगी।
- मैंने अब तक हज और उम्रह के अरकान के बारे में जो किताबें पढ़ीं उन में “हज और उम्रह फलाही के हमराह” किताब सब से ज्यादा मुफीद और आसान मध्यलूम हुई। हज से पहले आप भी उस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें। (इस किताब और दीगर किताबों की तफसीलात सफ़ेह नम्बर 2, पर दी गई हैं, आप उसे वेब साइट से मुफ्त डाउन लोड कर सकते हैं। डाउन लोड लिंक किताब के आखिरी में दी गयी हैं)
- हरम शरीफ में हरम के एहतराम का पूरा ख्याल रखें। सारी नमाजें हरम में जमाअत से पढ़ें। एक हव्वीष शरीफ के मुताबिक हज और उम्रह से रिज़क में बरकत होती है। उसे मैंने भी महसूस किया है और हज के बाद दोस्तों को भी बहुत तरक़ीबी करते देखा है उसी के साथ जो हरम का एहतराम नहीं करते (हरम में झगड़ा करते हैं) और हरम में जमाअत से नमाज़ नहीं पढ़ते या नमाजें क़ज़ा करते हैं, मैंने उन्हें हज के बाद बर्बाद और शर्दीद बीमार भी होते देखा है। (इस तरह बर्बाद होने वालों में मेरे दोस्त शामिल हैं) इस लिए हरम में सिर्फ नेकी करने की कोशिश करें और गूनाहों से पूरी तरह बचने की कोशिश करें।
- आप का हज का सफर ३५ से ४० दिन का होगा। हज के सफर से वापसी पर आप महसूस करेंगे कि आप की गैर हाज़िरी से ना तो आप का कारोबार ही बर्बाद हो गया और ना ही आप का खननदान तितर बितर हो गया बल्कि अल्लाह तभी अल्लाह ने उन्हें ऐसे ही बरकरार रखा है जैसे आप उन्हें छोड़कर गये थे। हमारा यह सिर्फ गुमान है कि घर और कारोबार को हमारे सिवा कोई और नहीं चला सकता। हम तो सिर्फ ज़रिया या वजह हैं, उन्हें चलाने वाली ज़िات तो खुदा की है और वह किसी ज़रिये और वजह के बगैर भी उन्हें चला सकता है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा अहम (Indispensable) ना समझें और कुछ कुछ वक़्फ़ा के लिए घर और कारोबार से अल्लाह तभी करने के लिए वक़्त निकाला करें। एक हव्वीष कुदसी का मफ़्हूम है कि:
- नबी करीम (स.) ने फरमाया: अल्लाह तभी अल्लाह फरमाता है, ‘ऐ जौलादे आदम! तू मेरी इबादत के लिए अपने को फ़ारिग़ कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और मुश्किलात को आसान कर दूंगा और अगर तूने मेरी इबादत से मुंह मोड़ा तो ना मैं तेरे हाथों को मसरूफियत से ख़ाली करूंगा और ना तेरे फ़िक्रों फाक़ा को दूर करूंगा।’ (इन्हे माजा, हरीस नम्बर: ४१०७)
- हम और आप अगर एक इज़्जतदार और खुशहाल ज़िन्दगी चाहते हैं तो हमें अल्लाह तभी की इबादत से कभी ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए।
- सारी तअरीफ़ सिर्फ अल्लाह तभी के लिए है और नबी करीम (स.) और सहावा किराम (रज़ी.) और नबी करीम (स.) के अहल व अयात और सारी उम्मत पर अल्लाह तभी बहुत अपनी रहमत और बरकतें नाज़िल फरमाये। व मा अ़लैना इल्लाल्लाल्लागुल्मुबीन

## अपिल

हमारी दुआ है कि अल्लाह तभी आपको हज्जे मसस्तर अता फरमाए। अपने हज के सफर से वापिस आने के बाद बराए मेहरबानी इस किताब को आप उन हजरात के पास लौटा दें जो हर साल हज्जाज अकराम के लिए हज के तरबियत का इंतेजाम करते हैं। हाजी लाखों की तादाद में हर साल हज के लिए जाते हैं। मगर हर साल हम यह सिर्फ ६ हजार किताबें ही छाप पाते हैं। इसलिए यह किताब बहोत से हज्जाज अकराम तक नहीं पहुंच पाती है। अगर हर साल हम इस्तेमाल की हुई किताब भी जमा करके फिरसे हज्जाज इकराम में बांटते रहे तो इन्हा अल्लाह कुछ साल बाद बहोत सारे हज्जाज इकराम तक यह किताब पहुंच सकेगी। अल्लाह तभी आपकी मदद और उस नेक काम का अजीम अज्ञ फरमाए और आपको हज्जे मसस्तर अता फरमाएं आमिन!!

कमस्तीदीन एस. खान